



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर
31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
प्रतिवेदन



राजस्थान सरकार

वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या 5

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
का
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

राजस्थान सरकार
वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या 5

विषय सूची

विषय	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii-xiv
अध्याय I		
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप		
प्रस्तावना	1.1	1
जवाबदेयता संरचना	1.2 – 1.4	1-3
राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी	1.5	3
राज्य पीएसयूज में निवेश	1.6 – 1.7	3-5
वर्ष के दौरान विशेष सहायता एवं प्रतिलाभ	1.8	5-7
वित्त लेखों के साथ मिलान	1.9	7
लेखों के अन्तिमीकरण में बकाया	1.10 – 1.12	7-9
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतिकरण	1.13	9
लेखों के अन्तिमीकरण नहीं किये जाने के प्रभाव	1.14	9
अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार पीएसयूज का निष्पादन	1.15 – 1.18	9-12
अकार्यरत पीएसयूज का समापन	1.19	12
लेखा टिप्पणियां	1.20 – 1.21	12-14
लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया	1.22	14
लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.23 – 1.25	14-15
पीएसयूज का विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण	1.26	15
इस प्रतिवेदन की विषय वस्तु	1.27	15

विषय	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ संख्या
अध्याय II		
सरकारी कम्पनियों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा		
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुवर्ती लेखापरीक्षा	2.1.1 – 2.1.28	17-44
राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की वाणिज्यिक गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा (आईटी)	2.2.1 – 2.2.39	45-74
अध्याय III		
अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप		
सरकारी कम्पनियां		
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
नए कनेक्शन जारी करना	3.1	75-80
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
ऊंचे दामों पर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेन्ट लैम्प का प्रापण	3.2	80-82
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
विद्युत की चोरी पर सिविल दायित्व के निर्धारण में प्रणालीगत कमियां	3.3	83-92
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड तथा राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड		
अवकाश नकदीकरण के पेटे कर्मचारी भविष्य निधि में अनियमित भुगतान	3.4	92-94
राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड		
एम्पोरिया का निष्पादन	3.5	94-103
राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड		
सामान्य विक्रय एजेंट से बुकिंग राशि की वसूली का अभाव	3.6	103-105
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड		
कोयले का प्रापण एवं उपयोगिता तथा छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना की कार्यकुशलता	3.7	105-115
स्वच्छ ऊर्जा उपकर पर शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर का अनियमित भुगतान	3.8	115-116

सांविधिक निगम		
राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम		
निजी उद्यमी गारन्टी योजना 2008 का क्रियान्वयन	3.9	117-123

अनुबंध

अनुबंध संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	राज्य सरकार द्वारा पीएसयूज, जिनके लेखे बकाया हैं, में बकाया लेखों के वर्षों के दौरान किये गये निवेश को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	125
2.	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के नवीनतम वर्ष, जिनके लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका था, के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	126-130
3.	प्रयोगशाला में जांच के बिना विक्रय किये जाने वाले पुराने स्टॉक को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	131-132
4.	राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारन्टी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत विभिन्न दशाओं में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन जारी करने हेतु अनुमत की गई समयावधि को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	133-134
5.	वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान कुल विक्रय, लाभ/हानि एवं कर्मचारी लागत को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	135-137
6.	निगम द्वारा अपनी स्वयं की भूमि पर 31 जुलाई 2015 को गोदामों के निर्माण की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	138
7.	31 जुलाई 2015 को निजी उद्यमियों द्वारा गोदामों के निर्माण की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	139

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित है एवं इसे समय समय पर यथा संशोधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान सरकार को प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है।

2. सरकारी कम्पनियों के लेखों (कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मानी गई सरकारी कम्पनियों सहित) की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 तथा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 एवं 143 के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है।

3. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जो एक सांविधिक निगम है, के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एक मात्र लेखापरीक्षक है। राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को उनके लेखों की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। राज्य वित्त निगम (संशोधन) अधिनियम, 2000 के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को राजस्थान वित्त निगम के लेखों की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित अंकेक्षकों के पेनल में से निगम द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त होगी। इन समस्त निगमों के वार्षिक लेखों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को अलग से अग्रेषित किये जाते हैं।

4. इस प्रतिवेदन में उन मामलों को समाविष्ट किया गया है जो वर्ष 2014-2015 में की गई लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये एवं उन मामलों को भी सम्मिलित किया गया है जो गत वर्षों में ध्यान में आये थे परन्तु उनका उल्लेख गत प्रतिवेदनों में नहीं किया गया था। 31 मार्च 2015 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी, जहां आवश्यक था, सम्मिलित किया गया है।

5. लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है।

विहंगावलोकन

1. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 143 के तहत होती है। सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखों की पूरक लेखापरीक्षा भी सीएजी द्वारा की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित विधानों के तहत होती है।

31 मार्च 2015 को राजस्थान में 51 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) (45 कार्यरत कम्पनियां एवं तीन कार्यरत सांविधिक निगम) एवं तीन अकार्यरत पीएसयूज (सभी कम्पनियां) थे, जिसमें लगभग 1.08 लाख कर्मचारी नियोजित थे। कार्यरत पीएसयूज ने उनके अन्तिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार वर्ष 2014-15 हेतु ₹ 47914.29 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 8.34 प्रतिशत के बराबर था, जो राज्य के पीएसयूज की राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी

31 मार्च 2015 को 51 पीएसयूज में ₹ 101152.16 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घकालीन ऋण) था। यह 2010-11 के ₹ 47144.61 करोड़ से 114.56 प्रतिशत बढ़ गया। ऊर्जा क्षेत्र ने 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान किये कुल निवेश का 89.22 प्रतिशत प्राप्त किया था। सरकार ने 2014-15 के दौरान पूँजी, ऋण एवं अनुदान/अर्थ-साहाय्य के पेटे ₹ 13052.80 करोड़ का अंशदान किया।

पीएसयूज का निष्पादन

वर्ष 2014-15 में, 48 कार्यरत पीएसयूज में से, 23 पीएसयूज ने ₹ 858.19 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं 19 पीएसयूज ने ₹ 17049.00 करोड़ की हानि वहन की। शेष पीएसयूज में से चार पीएसयूज में वर्ष 2014-15 हेतु न लाभ व न हानि थी जबकि दो पीएसयूज ने अपने समामेलन से अब तक वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किये थे। साथ ही, 48 पीएसयूज में से 16 पीएसयूज, जो वर्ष 2006-07 से 2013-14 के दौरान समामेलित हुये थे, ने 2014-15 तक अपनी वाणिज्यिक गतिविधियां आरम्भ नहीं की थी। इस प्रकार, इन पीएसयूज की स्थापना का उद्देश्य विफल हो गया। सरकार को इन पीएसयूज की व्यावसायिक गतिविधियां प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिये।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (₹ 247.27 करोड़), राजस्थान राज्य स्वान एवं स्वनिज लिमिटेड (₹ 205.44 करोड़) एवं राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 184.49 करोड़) लाभ के मुख्य अंशदाता थे। विद्युत कम्पनियों यथा अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 4842.99 करोड़), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 4734.57 करोड़), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 4146.12 करोड़) एवं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 2636.92 करोड़) ने भारी हानि वहन की थी।

लेखों की गुणवत्ता

पीएसयूज के लेखों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। अक्टूबर 2014 से 30 सितम्बर 2015 तक अंतिम रूप दिये गये 47 लेखों में से सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 21 लेखों पर मर्यादित प्रमाण-पत्र, दो लेखों पर अस्वीकृति एवं चार लेखों पर प्रतिकूल प्रमाण-पत्र दिये। पीएसयूज द्वारा लेखांकन मानकों की अनुपालना नहीं करने के 65 मामले थे।

लेखों के बकाया एवं समापन

30 सितम्बर 2015 को 14 कार्यरत पीएसयूज के 26 लेखे बकाया थे। अकार्यरत पीएसयूज में से दो पीएसयूज के तीन लेखे बकाया थे। सरकार अकार्यरत पीएसयूज को बन्द करने के संबंध में निर्णय ले सकती है।

इस प्रतिवेदन की विषय वस्तु

इस प्रतिवेदन में नौ अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेद एवं दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं यथा 'राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की वाणिज्यिक गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण' एवं 'जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा उपभोक्ता शिकायतों के निवारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुवर्ती लेखापरीक्षा' सम्मिलित हैं जिनमें ₹ 39.90 करोड़ का वित्तीय प्रभाव निहित है।

2. सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

'जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा' की अनुवर्ती लेखापरीक्षा तथा 'राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा वाणिज्यिक गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा (आईटी)' की गई।

2.1 'जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा' की अनुवर्ती लेखापरीक्षा

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के राजस्थान सरकार पर 31 मार्च 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में शामिल किया गया था। राजकीय उपक्रम समिति (कोपू) तथा लेखापरीक्षा द्वारा की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने तथा 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण में निष्पादन का आंकलन करने के लिए अनुवर्ती लेखापरीक्षा की गई। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से विदित हुआ कि राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) के निर्देशानुसार शिकायतों के अभिलेखन में ज्यादा सुधार नहीं हुआ तथा उपभोक्ता शिकायतों के निवारण में देरी हुई थी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा तथा कोपू द्वारा की गई सिफारिशों तथा कार्यवाही विषयक प्रतिवेदन में कोपू को दिए गए आश्वासनों का कम्पनी द्वारा पूर्णरूप से क्रियान्वयन नहीं किया गया था।

शिकायतों का अभिलेखीकरण

शिकायतें न तो निर्धारित प्रारूप में पंजीकृत की गई थी तथा न ही प्रकृति एवं निराकरण की तात्कालिकता जिनके आधार पर उनका निवारण किया जाना था, वर्गीकृत की गई थी। उपखंडों (जयपुर पर कॉल सेंटर को छोड़कर) ने प्रत्येक शिकायत के लिए एक विशिष्ट संख्या आवंटित नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, वर्गीकरण के अनुसार विभिन्न शिकायतों की सूचना का संकलन नहीं किया गया था। आरईआरसी को 2010-11 से 2013-14 वर्षों के लिए प्रस्तुत की गई सूचना सही नहीं थी। कम्पनी ने 18.41 लाख शिकायतों (2009-10 की लंबित शिकायतों सहित) की प्राप्ति के विरुद्ध 18.85 लाख शिकायतों (102.39 प्रतिशत) के निवारण की सूचना प्रस्तुत की। आरईआरसी को प्रस्तुत विवरणियां सहायक साक्ष्यों तथा बुनियादी अभिलेखों के आधार पर नहीं थी।

विद्युत आपूर्ति में व्यवधान

कॉल सेंटर द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार शिकायतों (31.56 प्रतिशत) का निर्धारित समय के भीतर निवारण नहीं किया गया। आरईआरसी को प्रस्तुत सूचना तथा कॉल सेंटर में संकलित सूचना के मध्य व्यापक भिन्नता थी। आरईआरसी को प्रस्तुत सूचना के अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर निवारण हुई शिकायतें 81.93 (2010-11) से 93.77 (2013-14) प्रतिशत के मध्य थी जबकि कॉल सेंटर द्वारा संकलित सूचना के अनुसार निष्पादन 55.00 (2010-11) से 80.57 प्रतिशत (2013-14) के मध्य था। सेवा प्रदाताओं ने शिकायतों के निर्धारित समय के भीतर निवारण नहीं कर उपभोक्ताओं को गुणवत्ता सेवा प्रदान नहीं की। इसके अतिरिक्त, दोष के निवारण के बाद 'एसएमएस' केवल 10.39 प्रतिशत उपभोक्ताओं को भेजा गया यद्यपि, कम्पनी द्वारा समय पर 'एसएमएस' पैक सक्रिय करा दिया था।

वितरण ट्रांसफॉर्मर्स (डीटीज) की विफलता

वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान कम्पनी में विफल हुए डीटीज की कुल स्थापित डीटीज के सम्बन्ध में प्रतिशतता 12.35 एवं 13.21 के मध्य थी। मार्च 2014 को समाप्त हुए चार वर्षों के दौरान औसतन कुल स्थापित डीटीज के 12.85 प्रतिशत डीटीज विफल हुए। जयपुर जिला वृत्त (जेपीडीसी) में, 2010-14 के दौरान 12.35 प्रतिशत डीटीज विफल हुए। जयपुर शहर वृत्त (जेसीसी) में बेहतर हालात थे जहां विफलता की दर (3.43 प्रतिशत) कम्पनी की औसत विफलता दर से बहुत कम थी। कम्पनी ने तथापि आरईआरसी विनियमों के तहत विफल डीटीज के कारण प्रभावित उपभोक्ताओं की संख्या के अभिलेखों का संधारण नहीं किया। जेपीडीसी में 2010-14 के दौरान 64.74 प्रतिशत डीटीज गारंटी अवधि के भीतर विफल हुए, लेकिन कम्पनी ने इतनी उच्च विफलता दर के कारणों का विश्लेषण नहीं किया। कृषि श्रेणी में जले/खराब ट्रांसफॉर्मरों को बदलने की प्रक्रिया का जेपीडीसी के किसी भी उपखंड में पालन नहीं किया गया। कम्पनी ने विफल हुए ट्रांसफॉर्मरों को 72 घंटे की समयावधि में बदलने में हुई देरी के किसी भी मामले की आरईआरसी को सूचना नहीं दी लेकिन अभिलेखों की नमूना जांच में ट्रांसफॉर्मरों को निर्धारित समय अवधि के अंदर बदलने में देरी पाई गई।

वोल्टेज में उतार चढ़ाव तथा खराब/रुके हुए मीटर

उपखंडों ने वोल्टेज में उतार-चढ़ाव की शिकायतों के पंजीकरण एवं निवारण से संबंधित कोई भी अभिलेख संधारित नहीं किये। उपखंडों ने आरईआरसी को प्रस्तुत करने के लिए किसी

सूचना को भी आगे नहीं भेजा। वोल्टेज में उतार-चढ़ाव की शिकायतों के पंजीकरण तथा निवारण से संबंधित किसी भी सूचना के अभाव में, इस संबंध में कम्पनी के प्रदर्शन का आंकलन नहीं किया जा सका। कम्पनी में दो महीने की निर्धारित समयावधि में खराब मीटर नहीं बदले जाने के संबंध में उच्च प्रतिशतता (2010-14 के दौरान 30.68 प्रतिशत) दर्ज की गई। उपखंडों में दो महीने से अधिक खराब रहे मीटरों तथा औसत आधार पर बिलिंग किये गए उपभोक्ताओं को आरईआरसी द्वारा निर्धारित प्रारूप में संधारित नहीं किया गया। बड़ी संख्या में मीटरों की विफलता के संभावित कारणों का आंकलन करने के लिए तैयार की जाने वाले प्रारूप ए-30 में मीटरों की विफलता प्रतिवेदन तैयार नहीं किये गये।

बिलों से संबंधित शिकायतें

उपखंडों ने आरईआरसी द्वारा निर्धारित प्रारूप में विद्युत बिलों से संबंधित शिकायतों के अभिलेख संधारित नहीं किये। संबंधित उपखंडों द्वारा शिकायत प्राप्ति, शिकायत निवारण के लिए की गई कार्रवाई तथा शिकायत के पूर्ण निवारण में लिये गये कुल समय के मध्य कोई अन्तर्संबंध नहीं था। इसलिए कम्पनी, शिकायतों के निर्धारित समयावधि के भीतर निवारण किया गया है, के बारे में किसी भी प्रकार का आश्वासन प्रदान करने में विफल रही। औसत बिल उपभोक्ताओं को दो बिलिंग चक्र से अधिक में जारी किए गए तथा गलत बिलिंग के पेटे उपभोक्ताओं को जमा अनुमत करने में 119 से 1147 दिनों की देरी हुई थी। जेसीसी तथा जेपीडीसी ने दो से अधिक बिलिंग चक्रों के लिए औसत बिल जारी किए गए उपभोक्ताओं को पांच प्रतिशत छूट प्रदान नहीं की।

कनेक्शन/कृषि कनेक्शन जारी करना

जेसीसी एवं जेपीडीसी द्वारा आरईआरसी को 2010-11 से 2013-14 अवधि के लिए प्रस्तुत वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदन में कनेक्शनों को जारी करने में 'कोई भी देरी नहीं' का उल्लेख किया। तथापि, जेपीडीसी में 21 दिनों की निर्धारित अवधि में डिमांड नोट जारी करने में 71.68 प्रतिशत मामलों में एक से 407 दिनों के मध्य देरी हुई। इसके अतिरिक्त, डिमांड नोट जमा करने के उपरान्त 45 दिनों की निर्धारित अवधि में कनेक्शन जारी करने में 30.82 प्रतिशत मामलों में एक से 451 दिनों के मध्य देरी हुई। जेसीसी में डिमांड नोट जारी करने में 5.88 प्रतिशत मामलों में एक से 145 दिनों के मध्य में देरी हुई एवं डिमांड नोट जमा करने के बाद कनेक्शन जारी करने में 13.16 प्रतिशत मामलों में एक से 391 दिनों के मध्य देरी हुई। कृषि कनेक्शन जारी करने की गति धीमी थी क्योंकि कम्पनी 2011-15 के दौरान केवल 0.99 लाख नए कनेक्शन जारी कर पाई एवं दिसंबर 2014 तक 1.48 लाख आवेदन लंबित थे। 2011-15 के दौरान जारी कनेक्शन के आवेदन पत्र मार्च 2009 तक की अवधि से संबंधित थे।

आरईआरसी को प्रस्तुत वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदन एवं निष्पादन के मानक 2014

कम्पनी ने विनियम 2003 के अनुसार 2010-11 से 2014-15 के दौरान आरईआरसी को तिमाही प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किये। वार्षिक प्रतिवेदन भी चार से 16 महीने के मध्य की देरी से प्रस्तुत किये गये। इसके अतिरिक्त, वार्षिक प्रतिवेदन किसी सहायक साक्ष्यों एवं बुनियादी अभिलेखों पर आधारित नहीं थे क्योंकि संबंधित अभियंता ने न तो निर्धारित प्रारूप में सूचना संकलित की थी एवं न ही दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक प्रतिवेदन प्रेषित किये थे। कम्पनी ने 31 मार्च 2015 को समाप्त हुई छह माह की अवधि के लिए निष्पादन के मानक 2014 के

अनुसार आरईआरसी को विवरणी प्रस्तुत नहीं की। इसके अतिरिक्त, उपस्वंडों ने अभी तक (सितंबर 2015) निर्धारित प्रारूप में अभिलेखों को तैयार एवं उनका संकलन करना शुरू नहीं किया था। इसके कारण विभिन्न मानकों के समक्ष कम्पनी के निष्पादन पर टिप्पणी नहीं की जा सकती।

उपभोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करना

इकाई कार्यालयों ने शिकायतों के पंजीकरण तथा निवारण एवं उसके व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए आरईआरसी द्वारा जारी (नवंबर 2003) किए गए दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया। शिकायतों की विभिन्न प्रकृति के लिए शिकायत केंद्र का पूरा पता तथा शिकायत निवारण मंच के टेलीफोन नंबर एवं पूर्ण पते न तो प्रिन्ट/रेडियो/टीवी मीडिया के माध्यम से प्रचारित किये तथा न ही बिजली के बिल पर मुद्रित या उपस्वंड कार्यालयों पर प्रदर्शित किये गये।

शिकायत निवारण एवं निपटारा मंच

बस्सी उपस्वंड में उपस्वंड मंच कार्यरत नहीं था। सांगानेर एवं बड़पीपली उपस्वंडों में मंच लगभग अकार्यशील थे क्योंकि 2010-11 से 2014-15 के दौरान केवल क्रमशः एक तथा चार मामले प्राप्त एवं निर्णीत किए गए। संबंधित कार्यालयों में ढिलाई एवं अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा नियंत्रक कार्यालयों को मामले भेजने में लिए गए अधिक समय की वजह से मामलों का निर्धारित समयावधि में निस्तारण नहीं हुआ।

2.2 राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की वाणिज्यिक गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा (आईटी)

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड का समामेलन (1 जुलाई 1956) गन्ने एवं चुकन्दर से चीनी बनाने तथा चीनी, गन्ने, चुकन्दर एवं शीरा में व्यापार करने; गन्ना, चुकन्दर एवं अन्य फसलों को उगाने एवं उठाने तथा परिशोधित स्पिरिट, देशी मदिरा तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा में आसवक, निर्माता एवं डीलर के रूप में व्यवसाय चलाने के मुख्य उद्देश्यों के साथ एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में हुआ।

आबकारी विभाग, राजस्थान सरकार ने ₹ 8.21 करोड़ की लागत पर मैसर्स ट्राइमेक्स आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विस लिमिटेड, जयपुर (सेवा प्रदाता) को एकीकृत आईटी सेवाओं का कार्य आउटसोर्स किया (जून 2010)। सेवा प्रदाता को आबकारी विभाग, राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड (आरएसबीसीएल) तथा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (कम्पनी) में एकीकृत प्रणाली को लागू करना था।

वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के लिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा एकत्र किये गये थे तथा इंटरएक्टिव डाटा एक्सट्रैक्शन एण्ड एनालिसिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए कम्प्यूटर समर्थित लेखापरीक्षा तकनीकों के माध्यम से विश्लेषण किया गया।

डाटा के विश्लेषण ने आईटी सिस्टम में गम्भीर दोषों का उजागर किया जिसने सूखा दिवसों पर देशी मदिरा के विक्रय करने, समान परमिट नम्बरों, चालान नम्बरों को स्वीकार करने तथा अन्य विसंगतियों को बढ़ावा दिया।

सामान्य नियंत्रण

कम्पनी के पास एक आईटी नीति तथा आईटी सम्पत्तियों (सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एवं डाटा बैंक) की सुरक्षा के संबंध में आईटी सुरक्षा नीति नहीं थी। आईटी सुरक्षा नीति के अभाव में, आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा रिटेलर, डिपो लोकेशन, इन्वॉइस तथा चालान इत्यादि में विलोपन अथवा बदलाव से सम्बन्धित डाटाबेस में किए गए परिवर्तन किसी आवधिक पर्यवेक्षी संवीक्षा के अधीन नहीं थे जिससे सुनिश्चित हो कि परिवर्तन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत थे। किसी अवांछित घटना के घटित होने को रोकने के लिए कोई व्यवसाय निरन्तरता/संकट से उबरने की क्रियाविधि नहीं थी। सेवा प्रदाता द्वारा राज्य डाटा सेन्टर जयपुर में संकट से उबरने का स्थल स्थापित नहीं किया गया था। साथ ही, भौतिक एवं तार्किक सुरक्षा के सम्बन्ध में सिस्टम दोषपूर्ण था।

सिस्टम डिजाइन में कमियां

बिलिंग सॉफ्टवेयर को व्यावसायिक नियमानुसार आगत एडवाइस की वैधता एवं निर्गत परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ तरीके से डिजाइन नहीं किया गया था। हमारे विश्लेषण से प्रकट हुआ कि डिजाइन विसंगतियों तथा अपर्याप्त आगत नियंत्रणों ने लेबल के अनुमोदन में अनियमितता तथा बिना जांच की गई देशी मदिरा के विक्रय को बढ़ावा दिया।

व्यवसाय के नियमों की रूपरेखा

एकीकृत सिस्टम में आबकारी अधिनियम/नियमों के अनुसार व्यावसायिक नियमों को अभिरेखित करने का अभाव था जिसने न केवल आबकारी अधिनियम/नियमों का उल्लंघन किया बल्कि देशी मदिरा के विक्रय में वैधानिक उल्लंघन/सूखा दिवसों/चुनाव की तिथियों पर परमिट जारी करने तथा कार्य घण्टों के अतिरिक्त एवं अकार्य दिवसों पर मदिरा के विक्रय को बढ़ावा दिया।

आगत नियंत्रण तथा वैधता जांच

आगत नियंत्रण गलत या अनियमित आगत के कारण कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में त्रुटि एवं अनियमितताओं की संभावनाओं को कम करता है। आगत नियंत्रण एवं वैधता जांच दोषपूर्ण थे तथा सिस्टम ने समान परमिट एवं चालान नम्बरों को एक बार से अधिक स्वीकार किया। परमिट की वैधता से परे अथवा बिना परमिट मदिरा के विक्रय, नीति के उल्लंघन में लाइसेन्सियों से नकद स्वीकार करना, सामग्री आवक पर्ची में विसंगतियां, आदेशित मात्रा के विरुद्ध देशी मदिरा की मात्रा की कम प्राप्ति तथा खुदरा विक्रेताओं के डिपो में अनियमित बदलाव इत्यादि के प्रकरण देखे गए।

आंतरिक नियंत्रण

एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र का अस्तित्व में होना अशुद्धियों तथा अनियमितताओं के जोखिम को कम करता है। हमारे विश्लेषण ने उजागर किया कि आन्तरिक नियंत्रण तन्त्र दोषपूर्ण था तथा इसने देशी मदिरा के बिना अनुमोदित ब्राण्ड के विक्रय, अवैध व्यवहारों तथा आबकारी विभाग के डाटा के साथ कम्पनी के डाटा के मिलान के अभाव को बढ़ावा दिया।

सिफारिशें

निष्पादन लेखापरीक्षा में एक विस्तृत एवं स्पष्ट आईटी नीति बनाने तथा क्रियान्वित करने एवं व्यावसायिक वातावरण के अनुसार इसकी आवधिक समीक्षा करने; सूखा दिवसों पर मदिरा के विक्रय एवं परमिट जारी करने के सम्बन्ध में किसी वैधानिक उल्लंघन को रोकने के लिए सिस्टम डिजाइन में उचित संशोधन करने; डिपो की स्थिति, सक्रिय/असक्रिय स्टॉक की मात्रा तथा देशी मदिरा की टेस्टिंग को समय पर सुनिश्चित करने के लिए बोटलिंग की तिथि को इंगित करने; आबकारी अधिनियम/नियमों के अनुसार व्यावसायिक नियमों को अभिरेखित करने को सुनिश्चित करने के लिए; विसंगतियों को दूर करने के लिए पर्याप्त आगत नियंत्रणों एवं वैधता जांच बनाने तथा राजस्व के किसी छीजत को रोकने के लिए आबकारी विभाग के डाटा के साथ कम्पनी के डाटा के मिलान तथा देशी मदिरा के विक्रय की उचित निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए आन्तरिक नियन्त्रण तन्त्र को शक्तिशाली बनाने की सिफारिशें सम्मिलित हैं।

3. अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धन में रही कमियों को उजागर करते हैं, जिनके गंभीर वित्तीय प्रभाव पड़े थे। प्रकट की गई कमियां मुख्यतः निम्न प्रकार की हैं:

नियमों, दिशानिर्देशों, प्रक्रियाओं एवं अनुबन्धों के नियमों व शर्तों इत्यादि की अनुपालना नहीं किये जाने के कारण छः मामलों में ₹ 19.04 करोड़ की हानि।

(अनुच्छेद 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7 एवं 3.9)

संगठन के वित्तीय हितों की सुरक्षा नहीं किये जाने के कारण तीन मामलों में ₹ 18.18 करोड़ की हानि।

(अनुच्छेद 3.2, 3.6 एवं 3.8)

कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेपों का सार नीचे दिया गया है:

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने दो फर्मों द्वारा निम्न दरें प्रस्तावित करने के उपरान्त भी उच्च दरों पर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेन्ट लैम्प का क्रय किया गया जिसके कारण ₹ 2.20 करोड़ के सरकारी कोषों का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 3.2)

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड तथा राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड ने अवकाश नकदीकरण के पेटे कर्मचारी भविष्य निधि में ₹ 3.42 करोड़ का अनियमित भुगतान किया।

(अनुच्छेद 3.4)

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के केन्द्रीय आरक्षण कार्यालय, नई दिल्ली ने लगजरी ट्रेनों के लिए आरक्षण एवं निरस्तीकरण नीति के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की। साथ ही, चूककर्ता सामान्य विक्रय ऐजेन्ट (लगजरी होलीडेज) के विरुद्ध कार्यवाही में देरी, ₹ 1.85

करोड़ के ब्याज की हानि के अतिरिक्त ₹ 13.17 करोड़ की बुकिंग राशि की वसूली के अभाव का कारण बनी।

(अनुच्छेद 3.6)

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना ने विभिन्न माहों के दौरान उत्पादन ठप्प होने के प्रकरणों के अधिक होने तथा कोयले की कमी के परिणामस्वरूप में कम प्लान्ट लोड फैक्टर के कारण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (2011-13) तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोग (2011-15) द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया। आरईआरसी के मानदंडों से उच्च स्टेशन हीट रेट के कारण कोयले का अधिक उपयोग; आरईआरसी के मानदंडों से अधिक सहायक उपभोग; तथा रेक्स को अनुमत समय सीमा के पश्चात खाली करने के कारण रेलवे द्वारा डेमरेज प्रभार लगाये गये।

(अनुच्छेद 3.7)

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा किये गये कोयला आयात अनुबन्ध में आयातित कोयले की सुपुर्दगी लागत की गणना की गलत विधि निर्दिष्ट की गई जिसके परिणामस्वरूप स्वच्छ ऊर्जा उपकर पर ₹ 95.84 लाख के शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर का अनियमित भुगतान हुआ।

(अनुच्छेद 3.8)

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम चूककर्ता ठेकेदारों/निजी उद्यमियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही तथा निगरानी के अभाव के कारण निजी उद्यमी गारन्टी योजना 2008 के अन्तर्गत राज्य में वांछित भण्डारण क्षमता को बढ़ाने में विफल रहा। गोदामों का निर्माण भी मॉडल टेस्ट फार्म में भारतीय स्वाद्य निगम द्वारा दिए गए विशिष्ट विवरणों के अनुसार नहीं किया गया था तथा निर्माण में देरी के कारण गारन्टीड भण्डारण प्रभारों तथा पर्यवेक्षण प्रभारों की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.9)

अध्याय I

सार्वजनिक क्षेत्र के
उपक्रमों के कार्यकलाप

अध्याय I

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

प्रस्तावना

1.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) में राज्य सरकार की कम्पनियां एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। राज्य पीएसयूज की स्थापना जन-कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियों को संचालन के लिये की जाती है तथा इनका राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है। 31 मार्च 2015 को 51 पीएसयूज थे जिनमें तीन सांविधिक निगम सम्मिलित थे। इन 48 सरकारी कम्पनियों में से कोई भी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। वर्ष 2014-15 के दौरान कोई भी पीएसयू समांमेलित अथवा समापित नहीं हुई थी। 31 मार्च 2015 को राजस्थान में पीएसयूज का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.1: 31 मार्च 2015 को कुल पीएसयूज की संख्या

पीएसयूज का प्रकार	कार्यरत पीएसयूज	अकार्यरत पीएसयूज ¹	कुल
सरकारी कम्पनियां ²	45	3	48
सांविधिक निगम	3	-	3
योग	48	3	51

कार्यरत पीएसयूज ने सितम्बर 2015 तक अन्तिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार ₹ 47914.29 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर वर्ष 2014-15 के लिये राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 8.34 प्रतिशत के बराबर था। कार्यरत पीएसयूज ने सितम्बर 2015 तक अन्तिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार ₹ 16190.81 करोड़ की हानि वहन की। मार्च 2015 को राज्य पीएसयूज में 1.08 लाख कर्मचारी नियोजित थे।

तीन अकार्यरत पीएसयूज गत एक से 35 वर्षों की अवधि से विद्यमान हैं जिनमें ₹ 26.23 करोड़ का निवेश है। यह ध्यान देने योग्य विषय है क्योंकि अकार्यरत पीएसयूज में किये गये निवेश राज्य के आर्थिक विकास में कोई योगदान प्रदान नहीं करते हैं।

जवाबदेयता संरचना

1.2 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धारा 139 एवं 143 के संबंधित प्रावधानों के द्वारा शासित होती है। अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) के अनुसार, सरकारी कम्पनी से आशय ऐसी कम्पनी से है जिसमें

1 अकार्यरत पीएसयूज वे हैं जिन्होंने अपने क्रिया-कलाप बन्द कर दिये हैं।

2 सरकारी पीएसयूज में अधिनियम 2013 की धारा 139(5) एवं 139(7) में संदर्भित अन्य कम्पनियां भी सम्मिलित हैं।

प्रदत्त अंश पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार, अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों, अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार के द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा अधिक राज्य सरकारों के द्वारा धारित हो तथा इसमें ऐसी सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी भी सम्मिलित है।

साथ ही, अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा 7 के अनुसार, धारा 139 की उप-धारा (5) अथवा (7) के अंतर्गत आने वाली किसी कम्पनी के मामले में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी), यदि आवश्यक समझें, तो एक आदेश के माध्यम से ऐसी कम्पनी के लेखों की नमूना जांच करवा सकते हैं तथा नमूना जांच के प्रतिवेदन पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार, एक सरकारी कम्पनी अथवा केन्द्र सरकार के द्वारा, अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों, अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार एवं आंशिक रूप से एक अथवा अधिक राज्य सरकारों के द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रित कोई अन्य कम्पनी सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन है। किसी कम्पनी के 31 मार्च 2014 को अथवा उससे पूर्व प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्षों से संबंधित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होती रहेगी।

सांविधिक लेखापरीक्षा

1.3 सरकारी कम्पनियों (अधिनियम 2013 की धारा 2(45) में परिभाषित) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है जो कि अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) अथवा (7) के प्रावधानों के अंतर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों एवं अन्य के सहित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सीएजी को प्रस्तुत करते हैं। यह वित्तीय विवरण अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति से 60 दिनों की अवधि में सीएजी द्वारा की जाने वाली पूरक लेखापरीक्षा के भी अधीन होते हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों के द्वारा शासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम हेतु सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है। राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम एवं राज्य वित्त निगम के मामले में सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा तथा सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

सरकार एवं विधान मण्डल की भूमिका

1.4 राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन पीएसयूज के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखती है। प्रमुख कार्यकारी एवं संचालक मण्डल हेतु निदेशकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधान मण्डल भी पीएसयूज में किये गये सरकारी निवेश के लेखांकन एवं उपयोगिता की निगरानी करता है। इसके लिये, अधिनियम 2013 की धारा 394 अथवा संबंधित अधिनियमों के अनुसार राज्य सरकार की कम्पनियों के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन, सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन व सीएजी की टिप्पणियों के साथ तथा सांविधिक निगमों के मामले में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधान मण्डल के समक्ष रखे जाते हैं। सीएजी (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा

की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अन्तर्गत सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किये जाते हैं।

राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी

1.5 राजस्थान सरकार (जीओआर) की इन पीएसयूज में भारी वित्तीय हिस्सेदारी है। यह हिस्सेदारी मुख्यतः तीन प्रकार से है:

- **अंशपूँजी एवं ऋण**- अंशपूँजी योगदान के अतिरिक्त राजस्थान सरकार पीएसयूज को समय-समय पर ऋण के माध्यम से भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **विशेष वित्तीय सहायता**- जब-तब आवश्यक हो, अनुदान व अर्थ-साहाय्य के माध्यम से राजस्थान सरकार पीएसयूज को बजट से सहायता प्रदान करती है।
- **गारण्टियां**- पीएसयूज द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋणों एवं ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु राजस्थान सरकार गारण्टियां भी देती है।

राज्य पीएसयूज में निवेश

1.6 31 मार्च 2015 को 51 पीएसयूज में नीचे दिये गये विवरणानुसार कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 101152.16 करोड़ था:


तालिका 1.2: पीएसयूज में कुल निवेश

(₹ करोड़ में)

पीएसयूज के प्रकार	सरकारी कम्पनियां			सांविधिक निगम			कुल योग
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
कार्यरत	25586.77	73222.60	98809.37	807.55	1509.01	2316.56	101125.93
अकार्यरत	10.16	16.07	26.23	-	-	-	26.23
योग	25596.93	73238.67	98835.60	807.55	1509.01	2316.56	101152.16

31 मार्च 2015 को राज्य के पीएसयूज में कुल निवेश का 99.97 प्रतिशत कार्यरत पीएसयूज में एवं शेष 0.03 प्रतिशत अकार्यरत पीएसयूज में था। इस कुल निवेश में 26.10 प्रतिशत हिस्सा पूँजी के रूप में एवं 73.90 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण के रूप में सम्मिलित थे। निवेश वर्ष 2010-11 में ₹ 47144.61 करोड़ से 114.56 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 101152.16 करोड़ हो गया, जैसा कि नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.1: पीएसयूज में कुल निवेश



1.7 31 मार्च 2015 को पीएसयूज में निवेश का क्षेत्र-वार सारांश नीचे दिया हुआ है:

तालिका 1.3: पीएसयूज में क्षेत्र-वार निवेश


क्षेत्र का नाम	सरकारी कम्पनियां		सांविधिक निगम		कुल	निवेश ³ (₹ करोड़ में)
	कार्यरत	अकार्यरत	कार्यरत	अकार्यरत		
ऊर्जा	15	-	-	-	15	91803.52
वित्त	3	-	1	-	4	650.15
सेवा	14	-	2	-	16	4079.26
ढांचागत	5	-	-	-	5	2800.25
अन्य	8	3	-	-	11	1818.98
योग	45	3	3	-	51	101152.16

3 निवेश में पूँजी एवं दीर्घ कालिक ऋण सम्मिलित है।

31 मार्च 2011 एवं 31 मार्च 2015 के अन्त में विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश नीचे लाईन चार्ट में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2: पीएसयूज में क्षेत्रवार निवेश

(आंकड़े ₹ करोड़ में)



गत पाँच वर्षों के दौरान पीएसयूज में किये गये निवेश का प्रभुत्व ऊर्जा क्षेत्र पर था। वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान किये गये ₹ 54007.55 करोड़ के कुल निवेश में से ऊर्जा क्षेत्र ने ₹ 48186.30 करोड़ (89.22 प्रतिशत) का निवेश प्राप्त किया था। सेवा एवं ढांचागत क्षेत्रों ने भी इस अवधि के दौरान 315.89 प्रतिशत एवं 440.05 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की थी।

वर्ष के दौरान विशेष सहायता एवं प्रतिलाभ

1.8 राजस्थान सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से पीएसयूज को विभिन्न प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पीएसयूज के संबंध में बजट से पूँजी, ऋण व अनुदान/अर्थ-साहाय्य, ऋणों का अपलेखन एवं ब्याज परित्याग का 2014-15 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों हेतु संक्षिप्त विवरण आगे दिया गया है:


तालिका 1.4: पीएसयूज को बजटीय सहायता से संबंधित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण ⁴	2012-13		2013-14		2014-15	
		पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि
1.	अंश पूँजी की जावक	14	4648.37	14	4722.21	7	4371.79
2.	दिये गये ऋण	7	813.81	8	428.98	11	776.25
3.	प्राप्त अनुदान/अर्थ-साहाय्य	13	3108.58	16	5732.53	14	7904.76
4.	कुल जावक (1+2+3)	23 ⁵	8570.76	26 ⁵	10883.72	18 ⁵	13052.80
5.	अपलिखित ऋण पुनर्भुगतान	-	-	1	204.42	-	-
6.	ऋणों का पूँजी में परिवर्तन	1	15.65	1	2.62	-	-
7.	निर्गमित गारण्टियां	7	20209.01	7	26881.55	6	12066.92
8.	गारण्टी प्रतिबद्धता	7	70365.08	9	81228.38	9	90054.11

वर्ष 2014-15 को समाप्त पांच वर्षों में पूँजी, ऋणों एवं अनुदान/अर्थ-साहाय्य के रूप में बजटीय जावक का विवरण नीचे दिये गये ग्राफ में दिया गया है:

चार्ट 1.3: पूँजी, ऋणों एवं अनुदान/अर्थ-साहाय्य के रूप में बजटीय जावक



उपर्युक्त इंगित करता है कि राजस्थान सरकार द्वारा पूँजी, ऋण एवं अनुदान/अर्थ-साहाय्य के रूप में बजट सहायता वर्ष 2010-11 में ₹ 3546.82 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 13052.80 करोड़ हो गई। उल्लेखनीय बजट जावक ऊर्जा क्षेत्र में थी जिसने वर्ष के दौरान अंश पूँजी जावक (₹ 4371.79 करोड़) का 97.20 प्रतिशत (₹ 4249.22 करोड़) एवं कुल

4 यह राशि केवल राज्य के बजट से जावक को दर्शाती है।

5 यह संख्या ऐसी कम्पनियों की संख्या को दर्शाती है जिन्होंने राज्य बजट से जावक एक या एक से अधिक मदों में प्राप्त की है यथा पूँजी, ऋण, अनुदान/अर्थ-साहाय्य।

बजटीय जावक (₹ 13052.80 करोड़) का 91.06 प्रतिशत (₹ 11885.54 करोड़) प्राप्त किया।

बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से पीएसयूज को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये राजस्थान सरकार, राजस्थान राज्य गारण्टी अनुदान नियमन 1970 के अंतर्गत गारंटी प्रदान करती है। सरकार ने राजस्थान राज्य गारण्टी अनुदान नियमन 1970 के प्रावधानों के तहत पीएसयूज द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के मामले में बिना किसी अपवाद के एक प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से गारण्टी कमीशन प्रभारित किये जाने का निर्णय लिया (फरवरी 2011)। बकाया गारण्टी प्रतिबद्धताओं में वृद्धि का रुझान था जो कि 2010-11 में ₹ 48088.19 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 90054.11 करोड़ हो गई जो कि 87.27 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। वर्ष 2014-15 के दौरान पीएसयूज द्वारा देय गारण्टी कमीशन ₹ 616.25 करोड़ था जिसमें से वर्ष के दौरान ₹ 615.31 करोड़ का भुगतान किया गया था।

वित्त लेखों के साथ मिलान

1.9 पूँजी, ऋण एवं बकाया गारण्टियों के संबंध में राज्य पीएसयूज के अभिलेखों के आंकड़े राज्य के वित्त लेखों में दर्शाये गये आंकड़ों से मेल खाने चाहिये। यदि उक्त आंकड़े मेल नहीं खाते हैं तो संबंधित पीएसयूज एवं वित्त विभाग द्वारा अन्तरों का समाधान किया जाना चाहिये। इस संबंध में 31 मार्च 2015 की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.5: वित्त लेखों तथा पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार पूँजी, ऋण एवं बकाया गारण्टियां

(₹ करोड़ में)

मद के संबंध में बकाया	वित्त लेखों के अनुसार राशि	पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार राशि	अन्तर
पूँजी	27121.92	25888.60	1233.32
ऋण	3670.02	4471.17	801.15
गारण्टियां	90233.62	90054.11	179.51

लेखापरीक्षा ने पाया कि यह अन्तर 13⁶ पीएसयूज के संबंध में था। सरकार एवं पीएसयूज को अन्तर का समयबद्ध समाशोधन करना चाहिये।

लेखों के अन्तिमीकरण में बकाया

1.10 अधिनियम 2013 की धारा 96(1) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये कम्पनियों के वित्तीय विवरणों को संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह माह के मध्य यथा सितम्बर माह के अन्त तक अन्तिम रूप दिया जाना होता है। ऐसा करने में विफलता पर अधिनियम 2013 की धारा 99 के अंतर्गत दंडात्मक प्रावधान लागू हो सकते हैं। सांविधिक निगमों के मामले में संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार उनके लेखों का अन्तिमीकरण, लेखापरीक्षण एवं विधान मण्डल को प्रस्तुतिकरण किया जाता है।

6 अनुबंध 2 के क्र. सं. क-1, 7, 9, 12, 13, 15, 23, 28, 34, 41, 44, बी-1 एवं सी-1.

निम्न तालिका 30 सितम्बर 2015 तक कार्यरत पीएसयूज द्वारा लेखों के अन्तिमीकरण की प्रगति का विवरण उपलब्ध कराती है:

तालिका 1.6: कार्यरत पीएसयूज के लेखों के अन्तिमीकरण की स्थिति

क्र. स.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	कार्यरत पीएसयूज की संख्या	42	44	46	48	48
2.	चालू वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिये गये लेखों की संख्या	46	33	59	41	51
3.	कार्यरत पीएसयूज की संख्या जिनके चालू वर्ष के लिये लेखों को अंतिम रूप दिया गया	25	24	33	27	34
4.	चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के अंतिम रूप दिये गये लेखों की संख्या	21	9	25	14	17
5.	कार्यरत पीएसयूज की संख्या, जिनके लेखे बकाया हैं	17	20	13	21	14
6.	बकाया लेखों की संख्या	24	33	21	29	26
7.	औसत बकाया प्रति पीएसयू (6/1)	0.57	0.75	0.46	0.60	0.54
8.	बकाया की सीमा	एक से चार वर्ष	एक से पाँच वर्ष	एक से छह वर्ष	एक से सात वर्ष	एक से आठ वर्ष

वर्ष के दौरान 48 पीएसयूज ने 51 वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिया जिसमें से 34 पीएसयूज के वार्षिक लेखे 2014-15 से संबंधित थे तथा शेष 17 वार्षिक लेखे गत वर्षों से संबंधित थे। शेष 14 कार्यरत पीएसयूज के 26 लेखे बकाया थे जिनमें से एक कम्पनी (कोटा शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड) के लेखे 2007-08 से बकाया थे। प्रति पीएसयू वार्षिक लेखों का औसत बकाया 2013-14 में 0.60 से घटकर 2014-15 में 0.54 हो गया।

1.11 राजस्थान सरकार ने अनुबंध-1 में दिये गये विवरण के अनुसार वर्ष 2014-15 के दौरान चार पीएसयूज में ₹ 4034.60 करोड़ (पूँजी: ₹ 988.47 करोड़, ऋण: ₹ 336.53 करोड़, अर्थ-साहाय्य: ₹ 2709.60 करोड़) का निवेश किया जिनके इस अवधि के लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। लेखों के अंतिमीकरण एवं तत्पश्चात उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निवेश एवं किये गये व्यय को उचित प्रकार से लेखांकित किया गया है एवं वह लक्ष्य, जिसके लिये निवेश किया गया था, प्राप्त किया जा सका था। इस प्रकार, सरकार का ऐसे पीएसयूज में किया गया निवेश राज्य विधायिका के नियंत्रण के दायरे से बाहर रहा।

इन पीएसयूज की गतिविधियों की निगरानी एवं इन पीएसयूज द्वारा लेखों को निर्धारित समय में अंतिम रूप दिये जाने एवं अपनाये जाने को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व प्रशासकीय विभागों पर है। संबंधित विभागों को त्रैमासिक रूप से सूचित किया गया था, जिसके फलस्वरूप बकाया लेखों वाले पीएसयूज की संख्या 2013-14 में 21 से घटकर 2014-15 में 14 हो गई। तथापि, महालेखाकार/प्रधान महालेखाकार द्वारा लगातार अनुसरण के उपरान्त भी स्थानीय

स्वायत्त शासन विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन आने वाले चार⁷ पीएसयूज के 14 लेखे बकाया थे।

1.12 इसके अतिरिक्त, अकार्यरत पीएसयूज के लेखे भी अंतिमीकरण हेतु बकाया थे। अकार्यरत पीएसयूज के लेखों के बकाया की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

तालिका 1.7: अकार्यरत पीएसयूज के बकाया लेखों की स्थिति

अकार्यरत कम्पनियों के नाम	लेखों के बकाया रहने की अवधि
राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2013-14 एवं 2014-15
राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड	2014-15

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतिकरण

1.13 सभी तीनों सांविधिक निगमों द्वारा 2014-15 के लेखे 30 सितम्बर 2015 तक अग्रेषित किये जा चुके थे। दो सांविधिक निगमों के लेखों की लेखापरीक्षा प्रगति पर थी (सितम्बर 2015)।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर), सांविधिक निगमों के लेखों पर सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हैं। यह प्रतिवेदन संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने होते हैं। वर्ष 2013-14 की अवधि हेतु इन सांविधिक निगमों के संबंध में एसएआर राज्य विधायिका में फरवरी से सितम्बर 2015 के दौरान प्रस्तुत⁸ की गयी थी।

लेखों का अन्तिमीकरण नहीं किये जाने के प्रभाव

1.14 जैसा कि अनुच्छेद 1.10 में इंगित किया गया है, लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब संबंधित विधानों के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ कपट एवं लोक धन में रिसाव के जोखिम के रूप में भी परिणामित हो सकता है। उपर्युक्त बकाया की स्थिति को देखते हुये पीएसयूज का 2014-15 में राज्य की जीडीपी में योगदान का आंकलन नहीं किया जा सका तथा इन पीएसयूज के राजकोष में योगदान को भी राज्य विधायिका को प्रतिवेदित नहीं किया गया था।

अतः यह सिफारिश की जाती है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिये तथा लेखों के बकाया की समाप्ति के लिये आवश्यक निर्देश जारी किये जाने चाहिये। सरकार को भी कम्पनी द्वारा लेखे तैयार करने में आने वाली बाधाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिये तथा बकाया लेखों की समाप्ति हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये।

अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार पीएसयूज का निष्पादन

1.15 कार्यरत सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणामों का विस्तृत विवरण **अनुबंध-2** में प्रदान किया गया है। पीएसयूज के टर्नओवर का

7 अनुबंध 2 के क्र.सं. क-32, 33, 35 एवं 45 पर पीएसयूज।

8 राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (26 फरवरी 2015), राजस्थान वित्त निगम (19 मार्च 2015) एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (17 सितम्बर 2015)।

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात, राज्य की अर्थव्यवस्था में पीएसयूज की गतिविधियों के स्तर को दर्शाता है। नीचे दी गई तालिका मार्च 2015 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों की अवधि के लिये कार्यरत पीएसयूज के टर्नओवर एवं राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को दर्शाती है।


तालिका 1.8: कार्यरत पीएसयूज के टर्नओवर एवं राज्य की जीडीपी का विवरण
(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
टर्नओवर ⁹	30152.24	32440.58	33486.33	38953.84	47914.29
राज्य की जीडीपी ¹⁰	338348.00	414179.00	470178.00	517615.00	574549.00
टर्नओवर का राज्य की जीडीपी से प्रतिशत	8.91	7.83	7.12	7.53	8.34

पीएसयूज के टर्नओवर ने पूर्व वर्षों की तुलना में लगातार वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2010-15 की अवधि के दौरान टर्नओवर में वृद्धि 3.22 से 23 प्रतिशत के मध्य रही जबकि इसी अवधि के दौरान जीडीपी में वृद्धि 10.09 से 22.41 प्रतिशत के मध्य रही थी। गत पाँच वर्षों में पीएसयूज के टर्नओवर में 9.71 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई जो की राज्य की जीडीपी की मिश्रित वार्षिक वृद्धि 11.17 प्रतिशत से कम थी। इसके परिणामस्वरूप 2010-11 से 2014-15 के दौरान पीएसयूज की संख्या 42 से बढ़कर 48 हो जाने के उपरान्त भी राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पीएसयूज के टर्नओवर का अंश वर्ष 2010-11 में 8.91 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 8.34 प्रतिशत हो गया था।

1.16 वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान राज्य में कार्यरत पीएसयूज द्वारा अर्जित लाभ¹¹ अथवा उठायी गई हानियां नीचे एक रेखीय चार्ट में दर्शाई गई हैं।

चार्ट 1.4: कार्यरत पीएसयूज के लाभ/हानि



— कार्यरत राजकीय उपक्रमों द्वारा वर्ष के दौरान समग्र लाभ अर्जन/वहन की गयी हानि। कोष्ठक में दिये गये आंकड़े संबंधित वर्षों में कार्यरत पीएसयूज की संख्या को दर्शाते हैं।

9 टर्नओवर अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार।

10 राज्य का सकल घरेलू उत्पाद राज्य सरकार की आर्थिक समीक्षा 2014-15 के अनुसार है।

11 आंकड़े संबंधित वर्षों के अन्तिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार हैं।

कार्यरत पीएसयूज ने 2010-11 में ₹ 548.14 करोड़ की हानि की तुलना में 2014-15 में ₹ 16190.81 करोड़ की हानि वहन की। 48 पीएसयूज के अन्तिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार, 23¹² पीएसयूज ने ₹ 858.19 करोड़ का लाभ अर्जित किया, 19¹² पीएसयूज ने ₹ 17049.00 करोड़ की हानि वहन की, चार पीएसयूज को न लाभ न हानि थी जबकि दो पीएसयूज को इसके प्रारम्भ होने से अपने प्रथम लेखे अभी प्रस्तुत करने हैं। साथ ही, 48 पीएसयूज में से 16 पीएसयूज, जो वर्ष 2006-07 से 2013-14 में समामेलित हुये थे, ने 2014-15 तक अपनी वाणिज्यिक गतिविधियाँ आरम्भ नहीं की थी (अनुबंध-2)।

अन्तिम रूप दिये गये उनके नवीनतम लेखों के अनुसार, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (₹ 247.27 करोड़), राजस्थान राज्य स्वान एवं स्वनिज लिमिटेड (₹ 205.44 करोड़) एवं राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 184.49 करोड़) लाभ के मुख्य अंशदाता थे जबकि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (अविविनिलि) (₹ 4842.99 करोड़), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जविविनिलि) (₹ 4734.57 करोड़), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जोविविनिलि) (₹ 4146.12 करोड़) एवं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 2636.92 करोड़) ने भारी हानियाँ वहन की थी।

1.17 राज्य के पीएसयूज से संबंधित कुछ अन्य मुख्य मापदण्ड नीचे दिये गये हैं।

तालिका 1.9: राज्य की पीएसयूज के मुख्य मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल ¹³ (प्रतिशत)	5.64	8.09	-16.32	-7.86	-11.10
ऋण	36260.08	45976.15	53503.45	63829.17	74747.68
टर्नओवर ¹⁴	30152.24	32440.58	33486.33	38953.84	47914.29
ऋण / टर्नओवर अनुपात	1.20:1	1.42:1	1.60:1	1.64:1	1.56:1
ब्याज अदायगी ¹⁴	3551.29	3681.11	7864.69	8498.38	10346.56
संचित लाभ (हानियाँ) ¹⁴	(2066.69)	(1590.48)	(50951.85)	(56133.11)	(83732.89)

गत पाँच वर्षों के दौरान पीएसयूज के टर्नओवर ने 9.71 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से वृद्धि दर्ज की। तथापि, ऋणों की मिश्रित वार्षिक वृद्धि 15.57 प्रतिशत थी जो यह इंगित करती है कि टर्नओवर की तुलना में ऋण अधिक तीव्र गति से बढ़ रहे थे। ऋणों के टर्नओवर से अनुपात में 2010-11 में 1.20:1 से 2014-15 में 1.56:1 की वृद्धि पीएसयूज की ऋणों पर निर्भरता में वृद्धि को इंगित करती है।

12 उन पीएसयूज को शामिल करते हुये जिन्होंने अपनी व्यावसायिक गतिविधियाँ आरम्भ नहीं की थी परन्तु अल्प लाभ/हानि दर्शाया था।

13 वर्ष 2011-12 तक नियोजित पूँजी की गणना इस फॉर्मूले (शुद्ध स्थायी सम्पत्तियाँ + कार्यशील पूँजी) द्वारा की गई। वर्ष 2012-13 से नियोजित पूँजी की गणना इस फॉर्मूले (शेयरधारक निधि + दीर्घकालीन ऋण) द्वारा की गई।

14 अन्तिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार।

1.18 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति बनाई (सितम्बर 2004) जिसके अन्तर्गत सभी लाभ अर्जन करने वाले पीएसयूज को राज्य सरकार द्वारा योगदान की गयी प्रदत्त पूँजी का न्यूनतम दस प्रतिशत अथवा कर पश्चात लाभ का 20 प्रतिशत, जो भी कम हो, का प्रतिफल भुगतान किया जाना आवश्यक है। अंतिम रूप दिये गये उनके नवीनतम लेखों के अनुसार, 23 पीएसयूज ने कुल मिलाकर ₹ 858.19 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं नौ¹⁵ पीएसयूज ने ₹ 67.95 करोड़ का लाभांश घोषित किया, जो कि राज्य सरकार द्वारा सभी पीएसयूज में योगदान की गयी अंश पूँजी का 0.27 प्रतिशत था। लाभ अर्जित करने वाली 23 कम्पनियों में से 14 पीएसयूज ने संचित हानियों अथवा अल्प लाभ के कारण लाभांश घोषित नहीं किया था, चार¹⁶ पीएसयूज ने निर्धारित से अधिक लाभांश घोषित किया जबकि दो¹⁷ पीएसयूज ने सरकार की लाभांश नीति में निर्धारित लाभांश से कम लाभांश घोषित किया जबकि तीन¹⁸ पीएसयूज ने नीति के अनुसार लाभांश घोषित किया।

अकार्यरत पीएसयूज का समापन

1.19 31 मार्च 2015 को तीन अकार्यरत पीएसयूज (सभी कम्पनियां) थे जिनमें पूँजी (₹ 10.16 करोड़) एवं दीर्घावधि ऋण (₹ 16.07 करोड़) सहित कुल निवेश ₹ 26.23 करोड़ था। गत पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में अकार्यरत कम्पनियों की संख्या नीचे दी गयी है।

तालिका 1.10: अकार्यरत पीएसयूज

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
अकार्यरत कम्पनियों की संख्या	3	3	2	3	3

इन अकार्यरत कम्पनियों में से कोई भी समापन के अन्तर्गत नहीं थी। चूंकि अकार्यरत पीएसयूज से वांछित उद्देश्यों में कोई योगदान प्राप्त नहीं हो रहा है अतः इन पीएसयूज का या तो पुनरुत्थान किया जाना चाहिए अन्यथा इन्हें समापित कर दिया जाना चाहिये।

लेखा टिप्पणियां

1.20 अक्टूबर 2014 से सितम्बर 2015 तक 38 कार्यरत कम्पनियों ने अपने 47 लेखापरीक्षित लेखे महालेखाकार को अग्रेषित किये। इनमें से 19 कम्पनियों के 20 लेखों को पूरक लेखापरीक्षा के लिये चयनित किया गया था। सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इंगित करते हैं कि लेखों के रस्व-रखाव की गुणवत्ता में सारभूत सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण आगे दिया गया है।

15 अनुबंध-2 के क्र.सं. क-1, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 30 एवं ब-3 पर वर्णित पीएसयूज।

16 अनुबंध-2 के क्र.सं. क-5, 8, 13 एवं ब-3 पर वर्णित पीएसयूज।

17 अनुबंध-2 के क्र.सं. क-7 एवं 12 पर वर्णित पीएसयूज।

18 अनुबंध-2 के क्र.सं. क-1, 11 एवं 30 पर वर्णित पीएसयूज।

तालिका 1.11: कार्यरत पीएसयूज पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2012-13		2013-14		2014-15	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	5	30.01	6	266.83	5	85.90
2.	लाभ में वृद्धि	2	7.60	1	0.81	8	121.79
3.	हानि में वृद्धि	12	2131.55	5	459.02	8	3059.24
4.	हानि में कमी	2	4.00	3	20.16	2	55.54
5.	सारवान तथ्यों को प्रकट नहीं किया जाना	2	2.57	1	26.54	3	68.25
6.	वर्गीकरण की अशुद्धियां	15	19411.76	4	28.42	10	2738.30

वर्ष 2014-15 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 21 लेखों पर मर्यादित प्रमाण-पत्र, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, अविविनिलि, जविविनिलि एवं जोविविनिलि के वर्ष 2013-14 के चार लेखों पर प्रतिकूल¹⁹ प्रमाण-पत्र एवं गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड के वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के दो लेखों पर राय प्रदान करने में अस्वीकृति²⁰ दी। इसके अतिरिक्त सीएजी ने भी गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड के वर्ष 2013-14 के लेखों पर राय प्रदान करने में अस्वीकृति प्रदान की। पीएसयूज द्वारा लेखांकन मानकों (एएस) की अनुपालना कमजोर रही क्योंकि 17 लेखों में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा एएस की अनुपालना नहीं करने के 65 मामले इंगित किये गये।

1.21 इसी प्रकार, अक्टूबर 2014 से सितम्बर 2015 तक तीन कार्यरत सांविधिक निगमों ने अपने चार²¹ लेखे महालेखाकार को अग्रेषित किये एवं सभी का पूरक लेखापरीक्षा के लिये चयन किया गया था। इनमें से एक सांविधिक निगम के दो लेखे एकमात्र सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा से संबंधित थे। वर्ष 2014-15 के शेष दो लेखों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा मर्यादित प्रमाणपत्र प्रदान किये गये थे। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की पूरक लेखापरीक्षा टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.12: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2012-13		2013-14		2014-15	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	1	31.19	2	51.91	2	22.41
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	1	1.30	-	-
3.	हानि में वृद्धि	-	-	1	729.18	1	2162.57
4.	सारवान तथ्यों का प्रकट नहीं किया जाना	-	-	2	554.11	1	604.45
5.	वर्गीकरण की अशुद्धियां	-	-	1	1.27	-	-

19 लेखे सत्य एवं उचित स्थिति को नहीं दर्शाते हैं।

20 लेखापरीक्षक लेखों पर धारणा बनाने में असमर्थ है।

21 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने 2013-14 एवं 2014-15 के दो लेखे प्रस्तुत किये।

वर्ष 2014-15 के राजस्थान वित्त निगम एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वार्षिक लेखों की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा 30 सितम्बर 2015 तक प्रगति पर थी।

लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

निष्पादन लेखापरीक्षाएं एवं अनुच्छेद

1.22 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन हेतु दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं एवं 11 लेखापरीक्षा अनुच्छेद, छह सप्ताह की अवधि में उत्तर प्रेषित करने के आग्रह के साथ, संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों को जारी किये गये थे। तथापि, तीन अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर उत्तर राज्य सरकार से प्रतीक्षित (अक्टूबर 2015) थे।

लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर अनुवर्ती कार्यवाही

बकाया उत्तर

1.23 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया का सार है। अतः यह आवश्यक है कि इन पर कार्यपालिका से उचित एवं समयबद्ध उत्तर प्राप्त किया जाये। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर प्रतिवेदनों के विधायिका के समक्ष प्रस्तुतिकरण से तीन माह की अवधि में, राजकीय उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा किसी प्रश्नसूची की प्रतीक्षा किये बिना, निर्धारित प्रारूप में उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत करने के निर्देश जारी (जुलाई 2002) किये थे।

तालिका 1.13: बकाया व्याख्यात्मक टिप्पणियां (30 सितम्बर 2015 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयूज) का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की राज्य विधायिका में प्रस्तुतिकरण की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं (पीएज) एवं अनुच्छेद		पीएज/अनुच्छेदों की संख्या जिन पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुईं	
		पीए	अनुच्छेद	पीए	अनुच्छेद
2013-14	25.03.2015	3	11	1	2

30 सितम्बर 2015 को दो अनुच्छेदों एवं एक निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां बकाया थीं।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

1.24 30 सितम्बर 2015 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक/पीएसयूज) में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं अनुच्छेदों पर कोपू द्वारा चर्चा की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

तालिका 1.14: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित एवं 30 सितम्बर 2015 तक चर्चा किये गये निष्पादन लेखापरीक्षाएं/अनुच्छेद

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित		चर्चा किये गये अनुच्छेद	
	पीए	अनुच्छेद	पीए	अनुच्छेद
2010-11	2	13	2	12
2011-12	2	14	2	13
2012-13	2	11	1	-
2013-14	3	11	-	-

कोपू के प्रतिवेदनों की अनुपालना

1.25 जुलाई 2014 में राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये गये कोपू के एक प्रतिवेदन पर कार्यवाही विषयक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी (सितम्बर 2015) जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.15: कोपू के प्रतिवेदनों की अनुपालना

कोपू के प्रतिवेदन का वर्ष	कोपू के प्रतिवेदन की संख्या	कोपू के प्रतिवेदन में सम्मिलित सिफारिश की संख्या	सिफारिशों की संख्या जिन पर एटीएन प्राप्त नहीं हुई
2014-15	1	1	1

कोपू के इस प्रतिवेदन में वर्ष 2007-08 के लिये भारत के सीएजी के प्रतिवेदन में सम्मिलित पर्यटन विभाग से संबंधित अनुच्छेदों पर सिफारिश सम्मिलित थी।

सरकार को प्रारूप अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर निर्धारित समयावधि में उत्तर एवं कोपू की सिफारिशों पर एटीएन प्रेषित करने तथा हानियों/बकाया अग्रिमों/अधिक भुगतानों की निर्धारित समयावधि में वसूली करने को सुनिश्चित करना चाहिये।

पीएसयूज का विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण

1.26 वर्ष 2014-15 के दौरान पीएसयूज का कोई विनिवेश अथवा निजीकरण नहीं हुआ।

इस प्रतिवेदन की विषय वस्तु

1.27 इस प्रतिवेदन में नौ अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेद एवं दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं यथा 'राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की वाणिज्यिक गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण' एवं 'जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा ग्राहक शिकायतों के निवारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुवर्ती लेखापरीक्षा' सम्मिलित हैं जिनमें ₹ 39.90 करोड़ का वित्तीय प्रभाव निहित है।

अध्याय II

सरकारी कम्पनियों से संबंधित
निष्पादन लेखापरीक्षा

सरकारी कम्पनियों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 'जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा' की अनुवर्ती लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के राजस्थान सरकार पर 31 मार्च 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में शामिल किया गया था। राजकीय उपक्रम समिति (कोपू) तथा लेखापरीक्षा द्वारा की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने तथा 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण में निष्पादन का आंकलन करने के लिए अनुवर्ती लेखापरीक्षा की गई। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से विदित हुआ कि राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) के निर्देशानुसार शिकायतों के अभिलेखन में ज्यादा सुधार नहीं हुआ तथा उपभोक्ता शिकायतों के निवारण में देरी हुई थी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा तथा कोपू द्वारा की गई सिफारिशों तथा कार्यवाही विषयक प्रतिवेदन में कोपू को दिए गए आश्वासनों का कम्पनी द्वारा पूर्णरूप से क्रियान्वयन नहीं किया गया था।

शिकायतों का अभिलेखीकरण

शिकायतें न तो निर्धारित प्रारूप में पंजीकृत की गई थी तथा न ही प्रकृति एवं निराकरण की तात्कालिकता जिनके आधार पर उनका निवारण किया जाना था, वर्गीकृत की गई थी। उपखंडों (जयपुर पर कॉल सेंटर को छोड़कर) ने प्रत्येक शिकायत के लिए एक विशिष्ट संख्या आवंटित नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, वर्गीकरण के अनुसार विभिन्न शिकायतों की सूचना का संकलन नहीं किया गया था। आरईआरसी को 2010-11 से 2013-14 वर्षों के लिए प्रस्तुत की गई सूचना सही नहीं थी। कम्पनी ने 18.41 लाख शिकायतों (2009-10 की लंबित शिकायतों सहित) की प्राप्ति के विरुद्ध 18.85 लाख शिकायतों (102.39 प्रतिशत) के निवारण की सूचना प्रस्तुत की। आरईआरसी को प्रस्तुत विवरणियां सहायक साक्ष्यों तथा बुनियादी अभिलेखों के आधार पर नहीं थी।

विद्युत आपूर्ति में व्यवधान

कॉल सेंटर द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार शिकायतों (31.56 प्रतिशत) का निर्धारित समय के भीतर निवारण नहीं किया गया। आरईआरसी को प्रस्तुत सूचना तथा कॉल सेंटर में संकलित सूचना के मध्य व्यापक भिन्नता थी। आरईआरसी को प्रस्तुत सूचना के अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर निवारण हुई शिकायतें 81.93 (2010-11) से 93.77 (2013-14) प्रतिशत के मध्य थी जबकि कॉल सेंटर द्वारा संकलित सूचना के अनुसार निष्पादन 55.00 (2010-11) से 80.57 प्रतिशत (2013-14) के मध्य था। सेवा प्रदाताओं ने शिकायतों के निर्धारित समय के भीतर निवारण नहीं कर उपभोक्ताओं को गुणवत्ता सेवा प्रदान नहीं की। इसके अतिरिक्त, दोष के निवारण के बाद 'एसएमएस' केवल 10.39 प्रतिशत उपभोक्ताओं को भेजा गया यद्यपि, कम्पनी द्वारा समय पर 'एसएमएस' पैक सक्रिय करा दिया था।

वितरण ट्रांसफॉर्मर्स (डीटीज) की विफलता

वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान कम्पनी में विफल हुए डीटीज की कुल स्थापित डीटीज के सम्बन्ध में प्रतिशतता 12.35 एवं 13.21 के मध्य थी। मार्च 2014 को समाप्त हुए चार वर्षों के दौरान औसतन कुल स्थापित डीटीज के 12.85 प्रतिशत डीटीज विफल हुए। जयपुर जिला वृत्त (जेपीडीसी) में, 2010-14 के दौरान 12.35 प्रतिशत डीटीज विफल हुए। जयपुर शहर वृत्त (जेसीसी) में बेहतर हालात थे जहां विफलता की दर (3.43 प्रतिशत) कम्पनी की औसत विफलता दर से बहुत कम थी। कम्पनी ने तथापि आरईआरसी विनियमों के तहत विफल डीटीज के कारण प्रभावित उपभोक्ताओं की संख्या के अभिलेखों का संधारण नहीं किया। जेपीडीसी में 2010-14 के दौरान 64.74 प्रतिशत डीटीज गारंटी अवधि के भीतर विफल हुए, लेकिन कम्पनी ने इतनी उच्च विफलता दर के कारणों का विश्लेषण नहीं किया। कृषि श्रेणी में जले/खराब ट्रांसफॉर्मरों को बदलने की प्रक्रिया का जेपीडीसी के किसी भी उपखंड में पालन नहीं किया गया। कम्पनी ने विफल हुए ट्रांसफॉर्मरों को 72 घंटे की समयावधि में बदलने में हुई देरी के किसी भी मामले की आरईआरसी को सूचना नहीं दी लेकिन अभिलेखों की नमूना जांच में ट्रांसफॉर्मरों को निर्धारित समय अवधि के अंदर बदलने में देरी पाई गई।

वोल्टेज में उतार चढ़ाव तथा खराब/रुके हुए मीटर

उपखंडों ने वोल्टेज में उतार-चढ़ाव की शिकायतों के पंजीकरण एवं निवारण से संबंधित कोई भी अभिलेख संधारित नहीं किये। उपखंडों ने आरईआरसी को प्रस्तुत करने के लिए किसी सूचना को भी आगे नहीं भेजा। वोल्टेज में उतार-चढ़ाव की शिकायतों के पंजीकरण तथा निवारण से संबंधित किसी भी सूचना के अभाव में, इस संबंध में कम्पनी के प्रदर्शन का आंकलन नहीं किया जा सका। कम्पनी में दो महीने की निर्धारित समयावधि में खराब मीटर नहीं बदले जाने के संबंध में उच्च प्रतिशतता (2010-14 के दौरान 30.68 प्रतिशत) दर्ज की गई। उपखंडों में दो महीने से अधिक खराब रहे मीटरों तथा औसत आधार पर बिलिंग किये गए उपभोक्ताओं को आरईआरसी द्वारा निर्धारित प्रारूप में संधारित नहीं किया गया। बड़ी संख्या में मीटरों की विफलता के संभावित कारणों का आंकलन करने के लिए तैयार की जाने वाले प्रारूप ए-30 में मीटरों की विफलता प्रतिवेदन तैयार नहीं किये गये।

बिलों से संबंधित शिकायतें

उपखंडों ने आरईआरसी द्वारा निर्धारित प्रारूप में विद्युत बिलों से संबंधित शिकायतों के अभिलेख संधारित नहीं किये। संबंधित उपखंडों द्वारा शिकायत प्राप्ति, शिकायत निवारण के लिए की गई कार्रवाई तथा शिकायत के पूर्ण निवारण में लिये गये कुल समय के मध्य कोई अन्तर्संबंध नहीं था। इसलिए कम्पनी, शिकायतों का निर्धारित समयावधि के भीतर निवारण किये जाने के बारे में किसी भी प्रकार का आश्वासन प्रदान करने में विफल रही। औसत बिल उपभोक्ताओं को दो बिलिंग चक्र से अधिक में जारी किए गए तथा गलत बिलिंग के पेटे उपभोक्ताओं को जमा अनुमत करने में 119 से 1147 दिनों की भारी देरी हुई थी। जेसीसी तथा जेपीडीसी ने दो से अधिक बिलिंग चक्रों के लिए औसत बिल जारी किए गए उपभोक्ताओं को पांच प्रतिशत छूट प्रदान नहीं की।

कनेक्शन/कृषि कनेक्शन जारी करना

जेसीसी एवं जेपीडीसी द्वारा आरईआरसी को 2010-11 से 2013-14 अवधि के लिए प्रस्तुत वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदन में कनेक्शनों को जारी करने में 'कोई भी देरी नहीं' का उल्लेख किया। तथापि, जेपीडीसी में 21 दिनों की निर्धारित अवधि में डिमांड नोट जारी करने में 71.68 प्रतिशत मामलों में एक से 407 दिनों के मध्य देरी हुई। इसके अतिरिक्त, डिमांड नोट जमा करने के उपरान्त 45 दिनों की निर्धारित अवधि में कनेक्शन जारी करने में 30.82 प्रतिशत मामलों में एक से 451 दिनों के मध्य देरी हुई। जेसीसी में डिमांड नोट जारी करने में 5.88 प्रतिशत मामलों में एक से 145 दिनों के मध्य में देरी हुई एवं डिमांड नोट जमा करने के बाद कनेक्शन जारी करने में 13.16 प्रतिशत मामलों में एक से 391 दिनों के मध्य देरी हुई। कृषि कनेक्शन जारी करने की गति धीमी थी क्योंकि कम्पनी 2011-15 के दौरान

केवल 0.99 लाख नए कनेक्शन जारी कर पाई एवं दिसंबर 2014 तक 1.48 लाख आवेदन लंबित थे। 2011-15 के दौरान जारी कनेक्शन के आवेदन पत्र मार्च 2009 तक की अवधि से संबंधित थे।

आरईआरसी को प्रस्तुत वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदन एवं निष्पादन के मानक 2014

कम्पनी ने विनियम 2003 के अनुसार 2010-11 से 2014-15 के दौरान आरईआरसी को तिमाही प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किये। वार्षिक प्रतिवेदन भी चार से 16 महीने के मध्य की देरी से प्रस्तुत किये गये। इसके अतिरिक्त, वार्षिक प्रतिवेदन किसी सहायक साक्ष्यों एवं बुनियादी अभिलेखों पर आधारित नहीं थे क्योंकि संबंधित अभियंता ने न तो निर्धारित प्रारूप में सूचना संकलित की थी एवं न ही दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक प्रतिवेदन प्रेषित किये थे। कम्पनी ने 31 मार्च 2015 को समाप्त हुई छह माह की अवधि के लिए निष्पादन के मानक 2014 के अनुसार आरईआरसी को विवरणी प्रस्तुत नहीं की। इसके अतिरिक्त, उपखंडों ने अभी तक (सितंबर 2015) निर्धारित प्रारूप में अभिलेखों को तैयार एवं उनका संकलन करना शुरू नहीं किया था। इसके कारण विभिन्न मानकों के समक्ष कम्पनी के निष्पादन पर टिप्पणी नहीं की जा सकती।

उपभोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करना

इकाई कार्यालयों ने शिकायतों के पंजीकरण तथा निवारण एवं उसके व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए आरईआरसी द्वारा जारी (नवंबर 2003) किए गए दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया। शिकायतों की विभिन्न प्रकृति के लिए शिकायत केंद्र का पूरा पता तथा शिकायत निवारण मंच के टेलीफोन नंबर एवं पूर्ण पते न तो प्रिन्ट/रेडियो/टीवी मीडिया के माध्यम से प्रचारित किये तथा न ही बिजली के बिल पर मुद्रित या उपखंड कार्यालयों पर प्रदर्शित किये गये।

शिकायत निवारण एवं निपटारा मंच

बस्सी उपखंड में उपखंड मंच कार्यरत नहीं था। सांगानेर एवं बड़पीपली उपखंडों में मंच लगभग अकार्यशील थे क्योंकि 2010-11 से 2014-15 के दौरान केवल क्रमशः एक तथा चार मामले प्राप्त एवं निर्णीत किए गए। संबंधित कार्यालयों में ढिलाई एवं अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा नियंत्रक कार्यालयों को मामले भेजने में लिए गए अधिक समय की वजह से मामलों का निर्धारित समयावधि में निस्तारण नहीं हुआ।

प्रस्तावना

2.1.1 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा उपभोक्ता शिकायतों के निवारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के राजस्थान सरकार पर 31 मार्च 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में सम्मिलित की गई। इसमें 2002-03 से 2006-07 की अवधि के दौरान शिकायतों के निवारण में कम्पनी के निष्पादन के साथ निम्नांकित उद्देश्यों को भी यह निर्धारण करने के लिए शामिल किया गया कि:

- कम्पनी द्वारा उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु एक विस्तृत नीति बनाई तथा क्रियान्वित की गई;
- उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु उपलब्ध मंचों का उपयुक्त प्रचार किया गया;
- शिकायत निवारण हेतु बनाए गए तंत्र/मंच पर्याप्त/पारदर्शी एवं प्रभावी थे; तथा
- राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (आरईआरसी) द्वारा जारी विनियमों में परिकल्पित किए गए पूर्व निर्धारित मापदण्डों को प्राप्त किया गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा करते समय, लेखापरीक्षा ने चार चयनित वृत्तों (जयपुर शहर, जयपुर जिला, अलवर तथा कोटा) तथा प्रत्येक चयनित वृत्त में से दो खण्ड तथा प्रत्येक चयनित खण्ड में से दो उपखण्ड के अभिलेखों की संवीक्षा हेतु पर्याप्त प्रतिदर्श मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के अभिलेखों की संवीक्षा की।

उक्त निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर जुलाई 2010 में राजकीय उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा चर्चा की गई तथा अगस्त 2013 में उसकी सिफारिशें विधायिका के पटल पर रखी गई। कोपू की सिफारिशों पर सरकार द्वारा मार्च 2014 में कार्यवाही विषयक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

उपभोक्ता शिकायत निवारण का विहंगावलोकन

2.1.2 आरईआरसी (वितरण लाइसेन्सी हेतु निष्पादन के मानक) विनियम 2003 (विनियम 2003) में उपभोक्ता शिकायतों के निवारण की विधि तथा समय-सीमा नियत की। कम्पनी ने विनियम 2003 की अनुपालना में फील्ड अधिकारियों के द्वारा उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु पालना करने हेतु विस्तृत निर्देश जारी किये गये (दिसम्बर 2003)। आदेशों की विस्तृत व्याख्या आपूर्ति के लिए नियम एवं शर्तें (टीसीओएस), 2004 में की गई।

कम्पनी के निवारण तन्त्र में उपभोक्ता शिकायतों को चार श्रेणियों (i) तुरन्त आवश्यक कार्यवाही वाली शिकायतें, (ii) शीघ्र कार्यवाही वाली शिकायतें, (iii) बिल तथा देयताओं की वसूली संबंधी शिकायतें एवं (iv) कनेक्शन के स्थान परिवर्तन/नामान्तरण, सम्बन्धित भार में कमी/वृद्धि, आपूर्ति का पुनः कनेक्शन तथा नया कनेक्शन जारी करने जैसे अन्य मामलों से संबंधित शिकायतों में वर्गीकृत किया गया।

कम्पनी ने बकाया संबंधी शिकायतों के लिए विभिन्न स्तरों यथा उपखण्ड, खण्ड, वृत्त, संभाग तथा निगम स्तर पर बकाया समझौता समितियां स्थापित की। 'आपूर्ति बन्द होने' की शिकायतें

(विद्युत आपूर्ति में व्यवधान) का पंजीकरण शिकायत केन्द्र/कनिष्ठ अभियन्ताओं (जेईएन) के कार्यालय में की जा सकती थी। विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, बिलिंग, स्वराब मीटर तथा कनेक्शन जारी करने से संबंधित शिकायतों को सहायक अभियन्ता (एईएन) कार्यालय पर पंजीकृत किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं उद्देश्य

2.1.3 उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा पर कोपू एवं लेखापरीक्षा द्वारा की गई सिफारिशों के 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा के लिए अनुवृत्ति लेखापरीक्षा यह निर्धारण करने के लिए की गई कि:

- कम्पनी द्वारा कोपू की सिफारिशों पर की गई अनुपालना; तथा
- लेखापरीक्षा द्वारा की गई सिफारिशों पर कम्पनी द्वारा की गई अनुपालना।

अनुवृत्ति लेखापरीक्षा, पूर्व में की गई निष्पादन लेखापरीक्षा में चयनित चार वृत्तों में से जयपुर शहर वृत्त तथा जयपुर जिला वृत्त में की गई। प्रत्येक वृत्त के चार उपखंडों¹ के अभिलेखों को विस्तृत संवीक्षा हेतु चुना गया।

लेखापरीक्षा के मानदंड तथा क्रियाविधि

2.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्नांकित लेखापरीक्षा मानदंड अपनाये गये:

- जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा उपभोक्ता शिकायतों के निवारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन;
- लेखापरीक्षा एवं कोपू की सिफारिशें तथा कम्पनी द्वारा उन पर की गई कार्यवाही विषयक प्रतिवेदन;
- आपूर्ति के लिए नियम एवं शर्तें (टीसीओएस) 2004, आरईआरसी द्वारा जारी किए गए टैरिफ आदेश, विद्युत अधिनियम 2003 तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005; तथा
- आरईआरसी विनियम तथा कम्पनी के निर्देश/परिपत्र/दिशानिर्देश/निदेशक मण्डल की कार्यसूची तथा कार्यवृत्त।

क्रियाविधि में प्रधान कार्यालय तथा चयनित वृत्तों, खंडों तथा उपखंडों के अभिलेखों की संवीक्षा, डाटा विश्लेषण, लेखापरीक्षा प्रश्नावली, प्रबंधन के साथ बातचीत तथा प्रारूप लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी (19 अगस्त 2015) करने को शामिल किया गया। लेखापरीक्षा मानदंडों के सन्दर्भ में लेखापरीक्षा उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अपनाई गई क्रियाविधि को प्रविष्टि सभा में कम्पनी के प्रबंधन तथा सरकार के समक्ष स्पष्ट किया गया (13 फरवरी 2015)। निकास सभा आयोजित की गई (30 सितम्बर 2015) जिसमें प्रमुख शासन सचिव (ऊर्जा) तथा कम्पनी

1 जयपुर शहर वृत्त के बी-I, बी-II, जी-II, जी-IV उपखंड तथा जयपुर जिला वृत्त के बगरू, बस्सी (ग्रामीण), सांगानेर तथा बड़पीपली उपखंड।

प्रबंधन ने भाग लिया। अनुवर्ती लेखापरीक्षा को सरकार के उत्तरों को दृष्टिगत रखते हुए अन्तिम रूप दिया गया (सितंबर 2015)।

पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा परिणाम

2.1.5 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में आरईआरसी के निर्देशानुसार शिकायतों के अभिलेखीकरण, विभिन्न प्रकार की शिकायतों के निवारण में देरी, आरईआरसी को निष्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करना, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु मंच/समिति का अकार्यशील होना तथा उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के अभाव से सम्बन्धित कमियों पर प्रकाश डाला गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा संबंधित अनुवर्ती लेखापरीक्षा आक्षेपों में की गई।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.1.6 अनुवर्ती लेखापरीक्षा में शामिल लेखापरीक्षा परिणामों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया। प्रथम भाग में उन कमियों को दर्शाया गया जिन पर पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा में टिप्पणी की गई लेकिन अभी भी जारी थी अथवा प्रबंधन द्वारा उन पर काफी कम कार्यवाही की गई। द्वितीय भाग में नियमों, विनियमों, निर्देशों तथा कार्यविधियों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप देखे गए अन्य लेखापरीक्षा परिणाम शामिल किए गए।

पूर्व लेखापरीक्षा परिणामों का अनुवर्तन

शिकायतों का अभिलेखीकरण

2.1.7 विनियम 2003 के अनुसार कम्पनी को उपभोक्ता द्वारा की गई मौखिक अथवा लिखित प्रत्येक शिकायत को इस हेतु संधारित किए गए रजिस्टर में दर्ज करना आवश्यक था। प्रत्येक शिकायत को एक विशिष्ट संख्या प्रदान की जानी थी। विनियमों में शिकायत केन्द्र पर शिकायतों के पंजीकरण की कार्यविधि तथा उनको प्रकृति तथा त्वरितता के आधार पर वर्गीकृत करना नियत था। वर्गीकरण के अनुसार विभिन्न शिकायतों के डाटा को संकलित करने की विधि परिशिष्ट-बी कहे जाने वाले प्रारूप में निर्धारित थी। 'नो करन्ट' तथा 'नो करन्ट' के अलावा शिकायतें अलग रजिस्टर में प्रविष्ट की जानी थी।

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकाश डाला गया था कि कम्पनी ने शिकायतों की प्रकृति तथा त्वरितता के आधार पर शिकायतों के पंजीकरण तथा वर्गीकृत करने की कोई प्रणाली विकसित नहीं की। आरईआरसी को प्रस्तुत की गई विवरणियां तथा सूचनाएं बिना किसी सहायक साक्ष्य तथा आधारभूत अभिलेखों के थी।

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि कम्पनी को सभी फील्ड कार्यालयों से उपभोक्ता शिकायतों से सम्बन्धित पूर्ण डाटा के संकलन तथा सत्यता को सुनिश्चित करना चाहिए तथा इसको आवश्यक प्राथमिकता देने के लिए इस क्षेत्र की निगरानी हेतु एक विश्वसनीय प्रबंध सूचना प्रणाली बनाई जानी चाहिए। कोपू द्वारा

सिफारिश की गई थी कि कम्पनी को उपभोक्ता शिकायतों के इन्द्राज/पंजीकरण तथा उनके निवारण पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी/जवाबदेयता निर्धारित की जानी चाहिए तथा प्रावधानानुसार लापरवाही के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, हमने पाया कि जयपुर में स्थित कॉल सेन्टर के अलावा उप-स्वंत्रों में प्रत्येक शिकायत के लिए कोई विशिष्ट संस्था प्रदान नहीं की गई। शिकायतें न तो निर्धारित प्रारूप में पंजीकृत की गईं तथा न ही प्रकृति व त्वरितता के आधार पर वर्गीकृत की गईं जिसमें उनका निवारण किया जाना था। साथ ही, विभिन्न शिकायतों के डाटा का संकलन वर्गीकरण के अनुसार नहीं किया गया। उपस्वंत्रों ने भी आरईआरसी द्वारा निर्धारित प्रारूप में 'नो करन्ट' शिकायतों से संबंधित सूचना को संधारित तथा संकलित नहीं किया।

हमने देखा (सितंबर 2015) कि कम्पनी ने वर्ष 2014-15 के लिए आरईआरसी को उपभोक्ता शिकायतों से संबंधित सूचना प्रस्तुत नहीं की। वर्ष 2010-11 से 2013-14 के लिए आरईआरसी को भेजी गई सूचना भी सही नहीं थी। इस अवधि के दौरान आरईआरसी को प्रस्तुत विवरणियों से उजागर हुआ कि 18.41 लाख प्राप्त शिकायतों (2009-10 की बकाया शिकायतों को शामिल करते हुए) के विरुद्ध 18.85 लाख शिकायतों (102.39 प्रतिशत) का निवारण किया गया।

जेसीसी ने 2010-14 के दौरान 11.41 लाख शिकायतें कम्पनी की वाणिज्यिक/नियामक मामलों की शाखा को सूचित की। तथापि, कॉल सेन्टर ने इस अवधि के दौरान 10.51 लाख शिकायतें पंजीकृत की। इसी प्रकार, जेपीडीसी के उपस्वंत्रों द्वारा शिकायतों से संबंधित कोई सूचना वृत्त कार्यालय को नहीं भेजी गई लेकिन वृत्त कार्यालय ने वर्ष 2011-14 के दौरान 1.70 लाख शिकायतें प्राप्त होना बताया। यह इंगित करता है कि वृत्त कार्यालयों ने उपस्वंत्रों से बिना किसी आधारभूत सूचना तथा सहायक अभिलेखों को प्राप्त किये बिना शिकायतों का संकलन किया।

इस प्रकार, 2010-11 से 2013-14 के दौरान शिकायतों के अभिलेखीकरण में कोई सुधार नहीं था क्योंकि शिकायतें न तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत की गईं एवं न ही वर्गीकृत की गईं। आरईआरसी को भेजी गई सूचना सहायक साक्ष्यों तथा मूलभूत अभिलेखों पर आधारित नहीं थी।

साथ ही, कम्पनी ने कोपू के निर्देशानुसार, जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। कम्पनी द्वारा कोपू को दिया गया उत्तर (मार्च 2014) कि योग्य स्टॉफ की कमी तथा पूर्व में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा अधिक मात्रा में निरक्षर कर्मचारियों की भर्ती के कारण शिकायतों के अभिलेखीकरण तथा पंजीकरण में अनियमितताएं पायी गईं, सही नहीं था क्योंकि कम्पनी ने 2007-08 से 2013-14 के दौरान निर्धारित योग्यता वाले 9134 तकनीकी सहायकों की भर्ती की।

सरकार ने बताया कि शिकायतों का प्रपत्रीकरण तथा अभिलेख वृत्त स्तर पर संधारित किया जा रहा था तथा सभी शिकायतें उचित रूप से पंजीकृत की गईं। इसने आगे बताया कि कम्पनी द्वारा समय-समय पर जारी किये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा आक्षेपों की पालना के लिए कार्यवाही की जा रही थी। उत्तर सही नहीं था क्योंकि निर्दिष्ट कार्यालयों (उपस्वंत्रों) में न तो अभिलेखीकरण व रिकार्ड का संधारण किया तथा न ही स्वंत्र/वृत्त कार्यालयों

को सामयिक प्रतिवेदन भेजे गए थे। उपखंडों/खंडों द्वारा अभिलेखीकरण तथा सूचनाओं के संकलन के अभाव में, वृत्त कार्यालय द्वारा नियामक मामलों की शाखा को आगे आरईआरसी के पास भिजवाने हेतु भेजी गई विवरणियां प्रश्नयोग्य थी।

विद्युत आपूर्ति में व्यवधान

2.1.8 विनियम 2003 में मीटर से ढीला कनेक्शन/कनेक्शन विच्छेद होना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर (एमसीबी) में गड़बड़ होने से विद्युत आपूर्ति में व्यवधान जैसी शिकायतों के तुरन्त निवारण की आवश्यकता वाली शिकायतों को नियत किया। उक्त शिकायतों को अलग से वर्गीकृत करना तथा शहरी क्षेत्र में चार घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे में उनका निवारण करना आवश्यक था।

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शिकायतों का निर्धारित समय में निवारण नहीं करने; आरईआरसी को सूचना नहीं भेजने; उपखंडों द्वारा अभिलेखों का कमजोर संधारण एवं उपभोक्ता शिकायतों का निवारण तथा जेसीसी के लिए आरईआरसी को प्रतिवेदित स्थिति तथा कॉल सेन्टर पर अनुरूप उपलब्ध सूचना में विसंगतियों पर प्रकाश डाला गया था।

लेखापरीक्षा ने उपभोक्ता संतुष्टि स्तर में सुधार हेतु प्रभावी कदम उठाने हेतु सिफारिश की थी। कोपू ने भी सभी स्तरों पर उपभोक्ता शिकायत के पंजीकरण हेतु पूर्ण व्यवस्था करने तथा उनके समय पर निवारण करने हेतु सिफारिश की थी।

जेसीसी में 'विद्युत आपूर्ति में व्यवधान' की शिकायतों के दर्ज व निवारण करने सम्बन्धी सूचना जयपुर स्थित कॉल सेन्टर पर संकलित की गई। निवर्तमान ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध अवधि पूर्ण नहीं करने तथा नया अनुबन्ध प्रदान नहीं किये जाने के कारण अक्टूबर 2012 से जुलाई 2013 की अवधि के दौरान कॉल सेन्टर कार्यरत नहीं था। 2010-11 से 2013-14 के दौरान शिकायतों के समय पर निवारण करने के संबंध में कम्पनी द्वारा आरईआरसी को प्रतिवेदित तथा कॉल सेन्टर पर संकलित की गई सूचना निम्नानुसार थी:

वर्ष	कॉल सेन्टर के अभिलेखानुसार सूचना			आरईआरसी को भेजी गई सूचना		
	कुल शिकायतें	निर्धारित समय में निवारण की गई शिकायतें		कुल शिकायतें	निर्धारित समय में निवारण की गई शिकायतें	
		संख्या	प्रतिशतता		संख्या	प्रतिशतता
2010-11	372354	204795	55.00	371754	304567	81.93
2011-12	311264	233448	75.00	323460	291302	90.06
2012-13	197609	144255	73.00	256747	221406	86.24
2013-14	170106	137051	80.57	188621	176879	93.77
कुल	1051333	719549	68.44	1140582	994154	87.16

कॉल सेन्टर पर संकलित सूचना तथा आरईआरसी को प्रतिवेदित सूचना में बहुत अंतर था। आरईआरसी को प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, निर्धारित समय में निपटाई गई शिकायतें 81.93 (2010-11) से 93.77 प्रतिशत (2013-14) के मध्य रही जबकि कॉल सेन्टर पर संकलित सूचना के अनुसार यह 55.00 (2010-11) से 80.57 प्रतिशत (2013-14) के मध्य रही।

हमने पाया कि 2010-14 के दौरान खंड तथा उपखंड कार्यालयों द्वारा वृत्त कार्यालय को, जो कि अधीक्षण अभियन्ता (नियामक मामले) (एसई-आरए) के द्वारा आगे आरईआरसी को भिजवाई जानी थी, कोई सूचना प्रेषित नहीं की। साथ ही, एसई (आरए) के पास सूचना का कोई अन्य स्रोत उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार आरईआरसी को भेजी गई सूचना गलत थी क्योंकि 2010-11 के दौरान कॉल सेन्टर पर वास्तव में पंजीकृत शिकायतों की अपेक्षा आरईआरसी को कम शिकायतें प्रतिवेदित की गईं। साथ ही, 2011-14 के दौरान कॉल सेन्टर पर पंजीकृत शिकायतों से अधिक शिकायतें प्रतिवेदित की गईं जिनका कोई आधार नहीं था। इसने कम्पनी द्वारा शिकायतों के समय पर निपटान करने के असंतोषजनक प्रदर्शन को इंगित किया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि भविष्य में इस तरह की विसंगतियों को दूर करने के लिए पूर्ण अभिलेखों का संधारण किया जाएगा।

ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई सेवा की निम्न गुणवत्ता

2.1.9 कम्पनी ने कम्प्यूकॉम सॉफ्टवेयर्स लिमिटेड (सितम्बर 2008 से सितम्बर 2012) तथा इन्टेलनेट ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (आईजीएसपीएल) (अगस्त 2013 से अब तक) को कोटा तथा जयपुर शहरों में 24 X 7 उपभोक्ता शिकायत केन्द्र स्थापित करने तथा परिचालन हेतु अनुबन्ध प्रदान किया। ठेकेदार को दिये गए कार्यादेश की नियम एवं शर्तों के अनुसार पंजीकृत शिकायतें पंजीकरण के 90 सेकंड में फॉल्ट रीमूवल टीम (एफआरटी) को अग्रेषित की जाएगी, जो कि पंजीकरण के दो घंटे में शिकायतों का समाधान करेगी। एफआरटी को उपभोक्ता से संप्रेषण करना तथा उससे रजिस्टर में पावती प्राप्त करना आवश्यक था। इसके साथ ही, एफआरटी शिकायत के सुधार के बारे में कॉल सेन्टर को बतायेगी तथा कॉल सेन्टर इसको केवल उपभोक्ता से फोन पर पुष्टि करने के बाद ही शिकायत को बन्द कर सकेगा। सिस्टम द्वारा उपभोक्ता को शिकायत को सुधारने तथा शिकायत बंद होने के बारे में 'एसएमएस' द्वारा सूचित करना भी आवश्यक था। शिकायत के, कॉल सेन्टर के कार्यक्षेत्र में न होने पर, सिस्टम द्वारा इसे संबंधित उपखंड के जेईएन/ईईएन को 'एसएमएस' द्वारा शिकायत को समय पर निवारण करने तथा अनुवर्तन के लिए भेजा जाना आवश्यक था।

कम्प्यूकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड ने 8.81 लाख शिकायतें पंजीकृत की जिसमें से 5.82 लाख (66.06 प्रतिशत) शिकायतों का समाधान एफआरटी द्वारा निर्धारित समय में किया गया।

आईजीएसपीएल के संबंध में हमने पाया कि आईजीएसपीएल ने अगस्त 2013 से मार्च 2015 के दौरान 5.10 लाख शिकायतें पंजीकृत की जिसमें से 3.84 लाख (75.29 प्रतिशत) शिकायतों का समाधान निर्धारित समय में किया गया। साथ ही, फॉल्ट के सुधार के बाद केवल 0.53 लाख (10.39 प्रतिशत) उपभोक्ताओं को ही 'एसएमएस' भेजा गया, यद्यपि कम्पनी द्वारा 'एसएमएस' पैक समय पर शुरू करवा लिया था। हमारी संवीक्षा में उजागर हुआ कि एफआरटी ने फॉल्ट सुधार के उपरान्त कभी भी उपभोक्ता से पावती/हस्ताक्षर नहीं लिये। आईजीएसपीएल के कर्मचारियों के द्वारा शिकायत समाधान के बाद उपभोक्ताओं को फोन नहीं किया गया। यद्यपि कॉल सेन्टर पर नियुक्त जेईएन ने शिकायत निवारण के बाद नमूने के रूप में उपभोक्ताओं को कुछ फोन कॉल किये लेकिन सत्यापन हेतु फोन कॉल रिकॉर्डिंग जैसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया क्योंकि कॉल्स कॉल सेन्टर में उपलब्ध वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम से नहीं की गई थी।

कार्यादेश के नियम एवं शर्तों में विशेष रूप से निर्धारित था कि यदि फॉल्ट आईजीएसपीएल के कार्यक्षेत्र में नहीं हो तो, सिस्टम स्वतः ही एक 'एमएमएस' भेजेगा तथा शिकायत को संबंधित आईएन/जेईएन को अग्रेषित कर देगा तथा कर्मचारी सिस्टम में शिकायत के पूर्णतया समाधान होने तक इसकी स्थिति को अद्यतन बनाए रखेगा। हमने पाया कि इस तरह की शिकायतों हेतु एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में प्रावधान नहीं किया गया था जिसके कारण सिस्टम ने संबंधित अभियन्ता को 'एसएमएस' नहीं भेजा। इसलिए, संबंधित अभियन्ता को अग्रेषित की गई शिकायतों की संख्या तथा उनके समय पर समाधान को नहीं देखा जा सका। इस प्रकार,

- कॉल सेन्टर द्वारा संकलित डाटा के अनुसार 31.56 प्रतिशत शिकायतों का समाधान निर्धारित समय में नहीं किया जा सका;
- आरईआरसी को प्रतिवेदित सूचना तथा कॉल सेन्टर पर संकलित सूचना में काफी अंतर था;
- सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान नहीं की गई।

इस प्रकार, कम्पनी के निष्पादन में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ।

सरकार ने बताया कि कम्प्यूकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड के मासिक बिलों से 'नो करन्ट' की शिकायतों को निर्धारित समय में सही नहीं करने पर अधिकतम शास्ति की कटौती की गई थी। फिर भी सरकार ने कॉल सेन्टर के अभिलेखों के सत्यापन में असमर्थता जाहिर की। आईजीएसपीएल के संबंध में बताया गया कि अधीक्षण अभियन्ता (आईटी) द्वारा बताई गई 'नो करन्ट' की शिकायतों का समाधान नहीं करने पर शास्ति फर्म के मासिक बिलों से काट ली गई थी तथा एफआरटी द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपभोक्ता शिकायतों को निपटाने हेतु नियमित अनुसरण/निगरानी की जा रही थी। फिर भी तथ्य यह रहा कि कम्पनी ने उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की सेवा प्रदान नहीं की तथा यह निर्धारित समय सीमा में शिकायतों के निपटान में असफल रही। इसके अलावा आयोग को प्रतिवेदित सूचना तथा कॉल सेन्टर पर संकलित सूचना भी मेल नहीं खाती।

वितरण ट्रांसफॉर्मर (डीटीज) खराब होने के कारण बाधाएं

2.1.10 विनियम 2003 में निर्दिष्ट था कि लाइसेन्सी को खराब हुए वितरण ट्रांसफॉर्मर्स (डीटीज) को बदलेगा तथा सूचना/शिकायत प्राप्त होने के पश्चात शहरी क्षेत्र में दो दिन तथा ग्रामीण क्षेत्र में तीन दिन में विद्युत आपूर्ति को पुनः बहाल करेगा।

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शिकायतों के समाधान में एक से 150 दिनों की देरी पर प्रकाश डाला गया था। 2002-07 के दौरान खराब हुए डीटीज की प्रतिशतता जेपीडीसी में 20 से 23 तथा जेसीसी में 4 से 6 थी। चयनित वृत्तों में डीटीज के खराब होने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति थी। फिर भी कम्पनी ने डीटीज के खराब होने की बढ़ती दर के कारणों का विश्लेषण करने का प्रयास नहीं किया था।

वितरण ट्रांसफॉर्मर खराब होने की दर में कमी करके उपभोक्ता संतुष्टि स्तर में सुधार हेतु प्रभावी कदम उठाने हेतु लेखापरीक्षा में सिफारिश की गई थी।

वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान कम्पनी, जेपीडीसी तथा जेसीसी में डीटीज के स्थापित करने तथा असफल होने की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	कम्पनी			जयपुर जिला वृत्त			जयपुर शहर वृत्त		
	31 मार्च को कुल स्थापित डीटीज	असफल डीटीज	कुल स्थापित डीटीज से असफल डीटीज का प्रतिशत	31 मार्च को कुल स्थापित डीटीज	असफल डीटीज	कुल स्थापित डीटीज से असफल डीटीज का प्रतिशत	31 मार्च को कुल स्थापित डीटीज	असफल डीटीज	कुल स्थापित डीटीज से असफल डीटीज का प्रतिशत
2010-11	318941	39392	12.35	90959	10360	11.39	9161	347	3.79
2011-12	354054	45639	12.89	96517	12161	12.60	9888	325	3.29
2012-13	407001	53747	13.21	109679	14792	13.49	10387	329	3.17
2013-14	500650	64369	12.86	128320	15228	11.87	11221	394	3.51
कुल	1580646	203147	12.85	425475	52541	12.35	40657	1395	3.43

वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान कम्पनी में विफल हुए डीटीज की कुल स्थापित डीटीज के सम्बन्ध में प्रतिशतता 12.35 एवं 13.21 के मध्य थी। मार्च 2014 को समाप्त हुए चार वर्षों के दौरान औसतन कुल स्थापित डीटीज के 12.85 प्रतिशत डीटीज विफल हुए। जेपीडीसी में भी समान प्रवृत्ति पाई गई जहां वर्ष 2010-14 के दौरान 12.35 प्रतिशत डीटीज असफल रहे। जेसीसी की स्थिति अच्छी थी जहां डीटीज के असफल होने की दर कम्पनी की औसत दर से काफी नीची थी। इसके अतिरिक्त जेसीसी में डीटीज के असफल होने की दर में 2002-07 की तुलना (4 से 6 प्रतिशत) में 2010-14 के दौरान (3.17 से 3.79 प्रतिशत) सुधार हुआ।

कम्पनी ने वर्ष 2010-14 के दौरान औसतन 31.78 लाख उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की। यह इंगित करता है कि वितरण ट्रांसफॉर्मर के असफल होने से औसतन आठ उपभोक्ता प्रभावित हुए। इस प्रकार एक वर्ष के दौरान डीटीज के असफल होने से औसतन 4.06 लाख उपभोक्ता प्रभावित हुए। फिर भी आरईआरसी के विनियमानुसार आवश्यक कम्पनी द्वारा असफल डीटीज से प्रभावित होने वाले उपभोक्ताओं की संख्या के बारे में कोई अभिलेख संधारित नहीं किया गया। हमने पाया कि जेपीडीसी में 2010-11 से 2013-14 के दौरान 52541 असफल डीटीज में से 34013 डीटीज (64.74 प्रतिशत) गारंटी अवधि में असफल हुए। तथापि, कम्पनी ने गारंटी अवधि में 50 प्रतिशत से अधिक असफल दर होने के उपरान्त भी डीटीज के असफल होने के कारणों का विश्लेषण नहीं किया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि गारंटी अवधि में असफल डीटीज को आपूर्तिकर्ता ने बदल दिया तथा इससे कम्पनी को कोई नुकसान नहीं हुआ। तथापि, सरकार ने डीटीज के गारंटी अवधि में असफल होने की उच्च दर के कारणों के बारे में नहीं बताया।

खराब ट्रांसफॉर्मर को बदलने की कार्य विधि

2.1.11 कम्पनी द्वारा कृषि श्रेणी में जले हुए ट्रांसफॉर्मर को 72 घंटे में बदलने को सुनिश्चित करने के लिए जले हुए/खराब वितरण ट्रांसफॉर्मर बदलने हेतु कार्यविधि² निश्चित की गई (फरवरी 2010)। कार्यविधि में निर्धारित किया गया कि संबंधित जेईएन/एईएन उपखंड में जले

2 जेपीआर 5-596.

हुए ट्रांसफॉर्मर की प्राप्ति के समय एवं तिथि को दर्शाते हुए नियत प्रारूप में असफल ट्रांसफॉर्मर के बारे में सूचना दर्ज करेगा तथा इसकी प्राप्ति की रसीद उपभोक्ता को देगा। इसके साथ ही, असफल ट्रांसफॉर्मर का विवरण वृत्त नियंत्रण कक्ष को भेजा जाएगा, जो कि इसको एक पंजीयन संख्या प्रदान करेगा। पंजीयन संख्या प्रदान करने तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया को 36 घंटों में पूरा करना आवश्यक था। उपखंड का संबंधित एईएन पंजीयन संख्या को ट्रांसफॉर्मर कम मीटर चेन्ज ऑर्डर (टीएमसीओ) में इन्द्राज करेगा तथा टीएमसीओ को ट्रांसफॉर्मर हटाने तथा इसको उपखण्ड तक लाने के लिए जेईएन को सुपुर्द कर देगा। जेईएन को 24 घंटे में टीएमसीओ की अनुपालना सुनिश्चित करना तथा उपभोक्ता के हस्ताक्षर वाले टीएमसीओ को उपखंड को लौटाना आवश्यक था।

हमने पाया कि कृषि श्रेणी में जले हुए/खराब ट्रांसफॉर्मर्स को बदलने की कार्यविधि का जेपीडीसी के किसी भी उपखंड में पालन नहीं किया गया। इस प्रकार, उपखंडों द्वारा असफल ट्रांसफॉर्मर को बदलने में लिये गये समय को नहीं जांचा जा सका। उपखंडों द्वारा, उपखंड भण्डार में जले हुए ट्रांसफॉर्मर की प्राप्ति पर उपभोक्ता को कोई पावती प्रदान नहीं की गई। जनवरी 2015 से मार्च 2015 की अवधि के दौरान बदले गए डीटीज के टीएमसीओ की नमूना जांच से उजागर हुआ कि ट्रांसफॉर्मर को बदलने के बाद अधिकांश मामलों में उपभोक्ता से कोई पावती नहीं ली गई।

कम्पनी द्वारा आरईआरसी को असफल ट्रांसफॉर्मर को 72 घंटे की अवधि के पश्चात बदलने का कोई प्रकरण प्रतिवेदित नहीं किया गया। दिसम्बर 2013 से मार्च 2015 के दौरान सांगानेर उपखंड में असफल ट्रांसफॉर्मर के 792 प्रकरणों की नमूना जांच में उजागर हुआ कि 113 प्रकरणों में ट्रांसफॉर्मर 72 घंटे की अवधि के पश्चात बदले गए। इसी प्रकार, बगरू उपखंड में, जनवरी 2014 से मार्च 2015 के 79 नमूना जांच प्रकरणों में पाया कि बदले गए ट्रांसफॉर्मर्स मांग-पत्र के जारी होने के तीन दिन बाद जारी किये गए लेकिन किसी भी स्तर पर कोई देरी प्रतिवेदित नहीं की गई।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि कम्पनी ने उपखंडों/खंडों को जले हुए/खराब डीटीज को बदलने हेतु निर्धारित कार्यविधि का अनुसरण करने हेतु निर्देश (मई 2015) जारी किए। उपखंडों को भी कहा गया कि वे कार्यविधि के अनुसार नियमित रूप से प्रत्येक क्षमता के दो से अधिक डीटीज का अतिरिक्त स्टॉक रखें। सरकार ने यह भी बताया कि खंडों/उपखंडों से ऐसी सूचना की प्राप्ति के अभाव के कारण आरईआरसी को डीटीज को निर्धारित समय के बाद बदलने को प्रतिवेदित नहीं किया जा सका।

शिकायतें जिनका शीघ्र निवारण किया जाना था

वोल्टेज में उतार-चढ़ाव

2.1.12 विनियम 2003 के अनुसार कम्पनी को (i) कम या अधिक वोल्टेज (अर्थात सीमा से अधिक वोल्टेज), वोल्टेज में उतार चढ़ाव या झिलमिलाहट तथा बिजली की ज्यादा छीजत जो विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली शिकायतें सात दिवस में तथा (ii) वितरण लाइनों में सुधार की आवश्यकता वाली कम वोल्टेज से सम्बन्धित शिकायतों का निपटान सामग्री

उपलब्धता व तकनीकी आर्थिक संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए 180 दिनों में करना आवश्यक था।

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकाश डाला गया था कि कम व अधिक वोल्टेज, वोल्टेज में उतार-चढ़ाव इत्यादि से संबंधी उपभोक्ता शिकायतों के अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया था। साथ ही, आरईआरसी को भेजी गई सूचना भी सही नहीं थी।

कोपू द्वारा सिफारिश की गई थी कि कम्पनी को फीडर सुधार कार्यक्रम (एफआरपी) तथा तंत्र अनुरक्षण का कार्य निरन्तर करना चाहिए ताकी 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किए जा सके। कोपू की सिफारिशों के क्रम में कम्पनी ने कार्यवाही विषयक प्रतिवेदन (एटीएन) प्रस्तुत किया जिसमें बताया कि कम्पनी अनुरक्षण को कम करने तथा लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एफआरपी तथा लो टेंशन सिस्टम को हाई टेंशन सिस्टम में परिवर्तित करने पर लगातार कार्य कर रही थी।

हमने देखा कि उपखंडों द्वारा वोल्टेज में उतार-चढ़ाव संबंधी शिकायतों के पंजीकरण तथा निवारण से संबंधित कोई अभिलेख संधारित नहीं किया गया। उपखंडों द्वारा आरईआरसी को प्रस्तुत करने हेतु भी कोई सूचना नहीं भेजी गई।

हमने देखा कि कम्पनी ने 2010-11 से 2014-15 के दौरान एफआरपी (₹ 26.87 करोड़) तथा संशोधित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम—बी के क्रियान्वयन पर (₹ 436.97 करोड़) कुल ₹ 463.84 करोड़ व्यय किये। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने फीडर उन्नयन कार्यक्रम (एफआईपी) तथा उप-केन्द्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआईपी) भी कार्यान्वित किए। यह सभी योजनाएं विद्युत वितरण प्रणाली के आवर्धन/सुदृढीकरण से संबंधित थीं। विद्युत उतार-चढ़ाव से संबंधी शिकायतों के पंजीकरण तथा निवारण की सूचना के अभाव में कम्पनी का निष्पादन अनिर्धारणीय था।

सरकार ने बताया कि जेसीसी के मामले में कॉल सेन्टर पर वोल्टेज में उतार-चढ़ाव संबंधी प्राप्त शिकायतों का एफआरटी के माध्यम से तुरन्त निराकरण कर दिया गया था। जेपीडीसी के मामले में यह बताया गया है कि कम वोल्टेज इत्यादि की बहुत कम शिकायतें थीं। आगे यह भी बताया गया कि एफआईपी तथा एसएसआईपी लगभग पूर्ण होने वाले थे तथा विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता में सुधार होने से शिकायतों में भी कमी आई। साथ ही, खंडों/उपखंडों को भी वोल्टेज की शिकायत संबंधी अभिलेख संधारित करने हेतु निर्देश दिये गए थे।

खराब/रुके हुए मीटर

2.1.13 टीसीओएस 2004 में प्रावधान था कि रुके हुए/खराब मीटर दोष पता लगने के दो माह में बदल दिए जाने चाहिए। मीटर नहीं बदलने के मामले में, उपभोक्ता की बिलिंग औसत उपभोग के आधार पर की जानी थी।

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकाश डाला गया था कि खराब/रुके हुए मीटरों की संकलित सूचना सही नहीं थी क्योंकि शिकायतों का निपटान किए बिना प्रत्येक आगामी वर्ष के प्रारम्भिक शेष में लंबित शिकायतों में असामान्य कमी आई। खराब/जले हुए/रुके हुए मीटरों के सभी मामलों की शिकायतों को या तो पंजीकृत नहीं किया गया या बिल जारी करते समय इनको ध्यान में नहीं रखा गया। साथ ही, तकनीकी तथा बिलिंग शाखा के मध्य समन्वय के अभाव के कारण काफी मात्रा में बंद पड़े मीटर बिना बदले रहे थे।

कोपू द्वारा सिफारिश की गई थी कि कम्पनी को खराब/रुके हुए मीटर संबंधी शिकायतों के पंजीकरण तथा उनके त्वरित निराकरण की प्रणाली में सुधार करना चाहिए तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के उत्तरदायित्व/जवाबदेही का निर्धारण करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने भी सिफारिश की कि कम्पनी को विशेषतया: खराब मीटरों को त्वरितता से बदलने के मामले में उपभोक्ता संतुष्टि स्तर में सुधार हेतु प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

2010-11 से 2013-14 के दौरान कम्पनी, जेसीसी तथा जेपीडीसी में खराब/रुके हुए मीटरों की स्थिति निम्नानुसार थी:

(संख्या लाख में)

वर्ष	कम्पनी		जेपीडीसी		जेसीसी	
	वर्ष के दौरान बदलने योग्य खराब मीटर (कुल मीटरिकृत उपभोक्ताओं से प्रतिशत)	वर्ष के दौरान बदले गए खराब मीटर (प्रतिशत)	वर्ष के दौरान बदलने योग्य खराब मीटर (कुल मीटरिकृत उपभोक्ताओं से प्रतिशत)	वर्ष के दौरान बदले गए खराब मीटर (प्रतिशत)	वर्ष के दौरान बदलने योग्य खराब मीटर (कुल मीटरिकृत उपभोक्ताओं से प्रतिशत)	वर्ष के दौरान बदले गए खराब मीटर (प्रतिशत)
2010-11	8.04 (29.15)	4.46 (55.47)	1.31 (35.50)	0.77 (58.78)	1.49 (23.69)	1.28 (85.91)
2011-12	9.49 (31.30)	4.12 (43.41)	1.22 (28.98)	0.64 (52.46)	1.53 (23.15)	1.37 (89.54)
2012-13	11.67 (37.36)	8.11 (69.49)	1.97 (43.68)	1.34 (68.02)	1.42 (20.67)	1.40 (98.59)
2013-14	8.46 (25.18)	4.87 (57.57)	1.48 (29.31)	0.76 (51.35)	0.88 (12.50)	0.87 (98.86)
कुल योग	37.66 (30.68)	21.56 (57.25)	5.98 (34.25)	3.51 (58.70)	5.32 (19.84)	4.92 (92.48)

कम्पनी ने 2010-14 के दौरान खराब मीटर वाले उपभोक्ताओं की उच्च प्रतिशतता (30.68 प्रतिशत) को पंजीकृत किया। परिणामस्वरूप 25.18 से 37.36 प्रतिशत उपभोक्ताओं को औसत आधार पर बिलिंग की गई, ऐसा मीटर बदलने की धीमी गति के कारण हुआ जो 43.41 से 69.49 प्रतिशत के मध्य रही। वर्ष 2010-14 के दौरान जेपीडीसी के संदर्भ में स्थिति खराब थी क्योंकि खराब मीटर (34.25 प्रतिशत) वाले उपभोक्ताओं की प्रतिशतता कम्पनी की समग्र स्थिति (30.68 प्रतिशत) तथा जेसीसी (19.84 प्रतिशत) से अधिक थी। जेपीडीसी में खराब मीटर बदलने की गति (58.70 प्रतिशत) मामूली रूप से कम्पनी की कुल स्थिति से अधिक थी लेकिन जेसीसी (92.48 प्रतिशत) की तुलना में कम थी। कम्पनी में अधिक मात्रा में खराब मीटर के प्रकरण दर्शाते हैं कि तीन में से एक उपभोक्ता खराब मीटर की समस्या से ग्रसित था तथा इसके कारण औसत आधार पर बिलिंग की गई। इसके अतिरिक्त, खराब मीटरों को बदलने की धीमी गति ने दर्शाया कि खराब मीटरों को दो माह की निर्धारित सीमा में नहीं बदला गया।

जेपीडीसी के सम्बन्ध में वर्ष 2014-15 के बिलिंग डाटा से प्रकट हुआ कि बड़पीपली, बस्सी, बगरू तथा सांगानेर उपखंडों में क्रमशः 8.02, 20.45, 9.39 तथा 8.37 प्रतिशत उपभोक्ताओं को दो से अधिक बिलिंग चक्र के लिए औसत उपभोग आधार पर बिल जारी किये गये। यह इंगित करता है कि खराब मीटरों को दो माह की निर्धारित अवधि में नहीं बदला गया।

मार्च 2015 के अन्त में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (एसओएम) हेतु तैयार प्रतिवेदन के अनुसार जेसीसी में उपलब्ध मीटर तथा कुल खराब मीटरों की स्थिति से प्रकट हुआ कि दो माह से अधिक अवधि से खराब 1080 मीटरों की तुलना में 5385 मीटर उपलब्ध थे। जेपीडीसी में स्थिति इसके विपरीत थी जहां मार्च 2015 के अन्त में दो माह से अधिक अवधि से बदलने हेतु लंबित 72077 खराब मीटरों की तुलना में 2800 सही मीटर ही उपलब्ध थे। इसने कम्पनी के स्तर पर खराब मीटर को बदलने में ढिलाई को इंगित किया।

हमने देखा कि किसी भी उपस्वंड ने आरईआरसी द्वारा निर्धारित प्रारूप में खराब मीटर तथा दो माह से अधिक के लिए औसत बिलिंग वाले उपभोक्ताओं का रिकॉर्ड संधारित नहीं किया। उपस्वंडों ने मीटर चेन्ज ऑर्डर (एमसीओ) रजिस्टर संधारित किया जो खराब मीटर बदलने की तिथि को इंगित करता था। तथापि, एमसीओज को शिकायत की तिथि या मीटर में खराबी पाई जाने की तिथि से अंतर्संबंधित नहीं किया गया। इसलिए, मीटर में दोष पाए जाने की तिथि/शिकायत की तिथि से दो माह से अधिक अवधि में मीटर बदलने की तिथि के सत्यापन योग्य विवरण को संकलित नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त, रेवेन्यू मैनुअल, 2004 में निर्धारित है कि मीटर रीडरों को मीटर के बंद होने/खराब होने के संभाव्य कारणों को इंगित करते हुए मीटर रीडिंग की तिथि को फार्म ए-30 में एक प्रतिवेदन तैयार करनी थी। तथापि, प्रबंधन को भारी संख्या में मीटरों के असफल होने के संभाव्य कारणों के निर्धारण में सहायता प्रदान करने के लिए किसी भी उपस्वंड में फार्म ए-30 में प्रतिवेदन तैयार करना नहीं पाया गया। हमने पाया कि 2010-14 के दौरान स्टोर में जमा कराए गए 22.40 लाख खराब मीटरों में से 6.45 लाख मीटर (28.79 प्रतिशत) गारंटी अवधि में ही खराब हो गए जो कि क्रय किये गये मीटरों में गुणवत्ता संबंधी समस्या को इंगित करता है।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि जेसीसी में मीटर बदलने की स्थिति बहुत संतोषप्रद थी। फिर भी बी-I, बी-II, जी-II तथा जी-IV उपस्वंडों में मीटर बदलने की स्थिति की निगरानी की जा रही थी। जेपीडीसी के बारे में सरकार ने बताया कि मीटर की अनुपलब्धता के कारण खराब मीटर नहीं बदले गए। सरकार का उत्तर, खराब मीटरों को बदलने संबंधी अभिलेखों के संधारण तथा मीटरों के प्रापण में गुणवत्ता तथा इसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं को दो माह से अधिक के लिए औसत आधार पर बिलिंग करने संबंधी मामलों पर मौन था।

गारंटी अवधि में खराब होने वाले मीटरों की अधिक मात्रा को देखते हुए प्रापण किए गए मीटरों की गुणवत्ता संबंधी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाए जाने की आवश्यकता है।

डाटाबेस में कमियां

2.1.14 लेखापरीक्षा संवीक्षा में उजागर हुआ कि एमआईएस तथा वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (एसओएम) के लिए तैयार प्रतिवेदनों में काफी अंतर था। जेपीडीसी तथा जेसीसी के

सम्बन्ध में अंतर निम्नानुसार था:

वर्ष	वर्ष के अंत में बदलने योग्य लंबित खराब मीटर				वर्ष के अंत में दो माह से अधिक अवधि से बदलने योग्य लंबित खराब मीटर			
	जेपीडीसी		जेसीसी		जेपीडीसी		जेसीसी	
	एसओएम प्रतिवेदन	एमआईएस	एसओएम प्रतिवेदन	एमआईएस	एसओएम प्रतिवेदन	प्रतिशतता	एसओएम प्रतिवेदन	प्रतिशतता
2010-11	104399	54037	21964	21964	96169	92	21964	100
2011-12	119129	58236	16731	16731	109725	92	16731	100
2012-13	103778	62652	2332	2332	95864	92	2332	100
2013-14	70637	72046	1826	1826	56204	80	0	0

एमआईएस तथा एसओएम प्रतिवेदन में अंतर ने निर्णय लेने में सही सूचना को प्रयुक्त करने के अभाव को इंगित किया।

कम्पनी का वर्ष 2010-14 के दौरान खराब मीटर से संबंधित शिकायतों के निवारण करने में निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा क्योंकि :

- कम्पनी में ऐसे उपभोक्ताओं की उच्च प्रतिशतता दर्ज हुई जिनके खराब मीटर दो माह की निर्धारित अवधि में नहीं बदले गए;
- उपखंडों ने आरईआरसी द्वारा निर्धारित प्रारूप में खराब हुए मीटरों तथा दो माह से अधिक अवधि से औसत आधार पर बिल जारी किये गये उपभोक्ताओं के अभिलेख संधारित नहीं किये;
- बड़ी संख्या में मीटरों के असफल होने के संभाव्य कारणों को दर्शाते हुए फार्म ए-30 में मीटर असफल होने के प्रतिवेदन तैयार नहीं किये गये; एवं
- अभिलेखों का संधारण एवं संकलन उचित नहीं था तथा एमआईएस एवं एसओएम प्रतिवेदनों में अंतर था।

कम्पनी ने एटीएन में बताया था कि खराब/रुके हुए मीटरों से संबंधित शिकायतों के पंजीकरण तथा तुरन्त निपटान किया जा रहा था; मीटरों को अभियान चला कर बदला जा रहा था; मुख्यालय स्तर पर मीटर बदलने की मासिक समीक्षा की जा रही थी; संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को समय पर मीटर बदलने के निर्देश दिये गये थे; मीटर बदलने का कार्य सेन्ट्रल लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट आधार पर किया जा रहा था तथा वर्तमान में तकनीकी कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण कोई देरी नहीं हुई थी।

तथापि, तथ्य यही रहे कि खराब मीटरों से संबंधित शिकायतों को निपटान करने में कम्पनी का निष्पादन संतोषजनक नहीं था।

सरकार ने एमआईएस तथा एसओएम में दर्शाए गए आंकड़ों में अंतर के तथ्य को स्वीकार किया तथा बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के आंकड़ों में कोई अंतर नहीं होगा।

बिलों से संबंधित शिकायतें

2.1.15 विनियम 2003 में प्रावधान था कि गलत बिलिंग, अंकगणितीय त्रुटियों, बिल की अप्राप्ति, गलत टैरिफ लगाने या भुगतान करने हेतु अपर्याप्त समय दिये जाने से संबंधित उपभोक्ताओं की शिकायतें यदि व्यक्तिशः या टेलीफोन से प्राप्त होती हैं तो उसी दिन निपटाई जानी चाहिए तथा यदि शिकायत डाक से प्राप्त होती है अथवा अतिरिक्त सूचना वांछित थी तो सात कार्य दिवस में इसका निपटान होना चाहिए।

उपस्वंडों ने आरईआरसी द्वारा निर्धारित प्रारूप में बिजली के बिलों से संबंधित शिकायतों के अभिलेखों का संधारण नहीं किया। शिकायतों की प्राप्ति, शिकायतों के निवारण में उपस्वंड द्वारा की गई कार्यवाही तथा शिकायत के पूर्ण निपटान में लिये गये समय में कोई अन्तर्सम्बन्ध नहीं था। इसलिए, कम्पनी किसी भी प्रकार का आश्वासन देने में असफल रही कि शिकायतों का निपटारा निर्धारित समयावधि में किया गया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि उपस्वंडों को बिलों से संबंधित शिकायतों के उचित अभिलेख संधारित करने हेतु निर्देशित किया गया।

औसत बिलिंग

2.1.16 टीसीओएस 2004 ने खराब/रुके हुए मीटर की जानकारी पता लगने के दो माह के अन्दर उसको न बदले जाने के मामले में उपभोक्ता को कुल बिल (विद्युत शुल्क के अतिरिक्त) पर पांच प्रतिशत की छूट अनुमत की। यह छूट, मासिक/पाक्षिक बिलिंग के मामले में तीसरे मासिक बिल से तथा द्वि-मासिक बिल के मामले में दूसरे बिल से मीटर के न बदले जाने तक अनुमत की जानी थी।

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकाश डाला गया था कि औसत आधार पर बिलिंग करने की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी क्योंकि यह संख्या 2004-05 में 0.60 लाख से बढ़कर 2006-07 में 1.11 लाख हो गई। तीन चयनित उपस्वण्डों में, खराब/रुके हुए मीटरों के कारण औसत आधार पर बिलिंग किए गए उपभोक्ताओं की संख्या, वर्ष 2006-07 में कुल उपभोक्ताओं के 20 प्रतिशत से ज्यादा थी। साथ ही, कम्पनी ने औसत आधार पर बिलिंग किए गए उपभोक्ताओं को पांच प्रतिशत की वैध छूट नहीं दी थी।

जेपीडीसी के सम्बन्ध में बिलिंग डाटा के आउटपुट³ ने उजागर किया कि रुके हुए, खराब, जले हुए इत्यादि मीटर के कारण उपभोक्ताओं को बी-I, बी-II, जी-II एवं जी-IV उपस्वण्डों में 2014-15 के दौरान जारी किए गए कुल बिलों का क्रमशः 0.56, 0.68, 5.18 तथा 6.36 प्रतिशत बिल औसत आधार पर जारी किये गये। जेपीडीसी के सम्बन्ध में फॉर्म-10 में आउटपुट उपलब्ध नहीं था। तथापि, जेपीडीसी के सम्बन्ध में एमआईएस⁴ ने उजागर किया कि 2014-15 के दौरान बड़पीपली में 10148 बिल (7.83 प्रतिशत), बस्सी में 39696 बिल (19.88 प्रतिशत), सांगानेर (ग्रामीण) में 12527 बिल (8.69 प्रतिशत) तथा बगरू उपस्वण्डों में 13986 बिल (7.92 प्रतिशत) उपभोक्ताओं को औसत आधार पर जारी किये।

3 फॉर्म-10 में दिया गया बिलिंग डाटा का आउटपुट जो औसत आधार पर जारी किये कुल बिलों की संख्या दर्शाता है।

4 फॉर्म-26 में औसत आधार पर जारी किये गये बिलों से संबंधित एमआईएस।

वर्ष 2014-15 के बिलिंग डाटा के विश्लेषण से उजागर हुआ कि जेसीसी ने चयनित उपखंडों में 1001 उपभोक्ताओं को, जिनको दो से अधिक बिलिंग चक्रों में औसत बिल जारी किये गए थे, छूट अनुमत नहीं की। जेपीडीसी ने 12 महीनों से अधिक समय से खराब पड़े मीटर के उपभोक्ताओं को जून 2014 से छूट अनुमत की तथा जून 2014 से मार्च 2015 तक की अवधि के दौरान वृत्त के कुल उपभोक्ताओं को ₹11.25 लाख की छूट अनुमत की। हमने पाया कि चयनित उपखंडों में 12960 उपभोक्ताओं को दो से अधिक बिलिंग चक्रों में औसत बिल जारी किये गए। जेपीडीसी ने मार्च 2015 में जारी किए गए कम्पनी के आदेशानुसार छूट देना बंद कर दिया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि कम्पनी के निर्देशानुसार छूट नहीं दी गई। कम्पनी ने आगे बताया कि छूट मैसर्स एचसीएल द्वारा विकसित किए जा रहे सॉफ्टवेयर के माध्यम से दी जायेगी।

छूट न देने के लिए कम्पनी के आदेश निरर्थक थे क्योंकि कम्पनी द्वारा दो माह से अधिक के लिए खराब मीटरों वाले उपभोक्ताओं को छूट को रोकने हेतु कोई निर्देश जारी नहीं किये गए।

क्रेडिट देने में देरी

2.1.17 कम्पनी द्वारा उपभोक्ता चार्ज एण्ड अलाउन्स रजिस्टर (सीसीएण्डएआर) के माध्यम से बिलों में सुधार के कारण उपभोक्ताओं को क्रेडिट दी गई। वर्ष 2014-15 के लिए सीसीएण्डएआर की संवीक्षा में पाया गया कि जेसीसी के बी-I एवं बी-II, जी-II तथा जी-IV उपखंडों ने उपभोक्ताओं को क्रेडिट अनुमत करने के बाद भी उपभोक्ताओं के बिलों में प्रभावी करने में कम से कम क्रमशः 43, 25 तथा 38 दिनों का समय लिया। इसी प्रकार, जेपीडीसी के बड़पीपली एवं सांगानेर (ग्रामीण), बस्सी तथा बगरू उपखंडों ने कम से कम क्रमशः 35, 46, तथा 21 दिन का समय लिया। चयनित उपखंडों में उपभोक्ताओं के बिलों में क्रेडिट को प्रभावी करने में 119 से 1147 दिनों तक का अधिकतम समय लिया। यह उपभोक्ताओं को समय पर राहत उपलब्ध कराने में उपखंडों के ढुलमुल रवैये को दर्शाता है।

सरकार ने बताया कि क्रेडिट की तर्कसंगतता देखने के पश्चात बिलों में सुधार के कारण क्रेडिट को सीसीएण्डएआर रजिस्टर में तुरन्त ही इन्द्राज कर ली गई लेकिन क्रेडिट का प्रभाव अगले बिल चक्र में उपभोक्ता के खाते में दिया गया। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि बिलिंग विवाद का निपटारा सात दिन में किया जाना था तथा कम्पनी को उपभोक्ता द्वारा बिलिंग राशि जमा कराने से पूर्व ही बिलों में सुधार करना आवश्यक था। इस प्रकार, कम्पनी द्वारा अपनाई गई प्रथा ने उपभोक्ताओं पर अनुचित रूप से गलत बिल का भुगतान करने का भार डाला जिसके लिए क्रेडिट अगले बिलिंग चक्र में दी जाती। साथ ही, 60 दिनों अर्थात् द्वि-मासिक बिलिंग चक्र की दशा में दो माह से अधिक से ज्यादा की देरी दर्शाने वाले मामले थे।

मीटर रीडिंग

2.1.18 कम्पनी, एचएचटी मशीन के माध्यम से मीटर डाटा की डाउनलोडिंग को सुनिश्चित करने के लिए 2009 से एचएचटी मशीन द्वारा पठनीय हैण्ड हेल्ड टर्मिनल (एचएचटी) का क्रय कर रही थी। वर्ष 2014-15 के लिए जेसीसी के चयनित उपखंडों में उपलब्ध एमसीओ/एचएचटी रजिस्ट्रों की संवीक्षा में पाया कि बी-I, बी-II, जी-II तथा जी-IV उपखंडों में केवल क्रमशः 325, 76, 142 तथा 462 मामलों में एचएचटी के माध्यम से पठन लिया गया।

इसी प्रकार, जेपीडीसी में बड़पीपली, बरसी तथा सांगानेर (ग्रामीण) उपखण्डों में केवल क्रमशः 779, 310 तथा 263 मामलों में एचएचटी मशीन के माध्यम से पठन लिया गया। बगरू उपखंड में एचएचटी पठन के अभिलेख संधारित नहीं किये गये। उपखंड ने लेखापरीक्षा आक्षेप के उत्तर में बताया कि सभी प्रकार के मीटरों के लिए एचएचटी मशीन तथा इसके सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं थे। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि एचएचटी मशीन तथा सॉफ्टवेयर आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रत्येक 100/500/1000 मीटर पर मुफ्त उपलब्ध कराये गये थे। उपखंडों ने एचएचटी मशीन द्वारा पठन न लेकर, खराब तथा अस्पष्ट पठन वाले मीटरों की दशा में औसत आधार पर बिल जारी किये।

उपखंडों द्वारा एचएचटी मशीन के माध्यम से उतारे गए मीटरों के वास्तविक पठन के आधार पर संशोधित किए जाने वाले बिलों का कोई अभिलेख संधारित नहीं किया गया। इसलिए, कम्पनी ने वास्तविक उपभोग से अधिक औसत बिलिंग के मामलों में उपभोक्ताओं से चार्ज की गई अधिक राशि के लिए कोई क्रेडिट नहीं दी। प्रबंधन ने एसओएम में उतारे गए मीटरों की एचएचटी मशीन द्वारा रीडिंग नहीं लेने पर चिन्ता व्यक्त की (दिसंबर 2012)। तथापि, इस संबंध में उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए कोई कार्यवाही करना नहीं पाया गया।

सरकार ने जेसीसी के सम्बन्ध में बताया कि आवश्यकतानुसार एचएचटी मशीन द्वारा रीडिंग ली जा रही थी। जेपीडीसी के सम्बन्ध में बताया कि उतारे गए मीटरों से एचएचटी मशीन द्वारा पठन लेने के अभिलेखों का नियमित संधारण किया जा रहा था तथा बगरू उपखंड के मामले में अभिलेख संधारण करने हेतु निर्देश जारी किए जा चुके थे। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि एचएचटी मशीन द्वारा काफी कम संख्या में पठन लेने के कारण एचएचटी पठन योग्य मीटरों को क्रय करने का उद्देश्य निष्फल हुआ। इसके अतिरिक्त, उपखंडों ने उतारे गए मीटरों के एचएचटी पठन के आधार पर संशोधित बिलों के अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाए।

इस प्रकार, बिलों से संबंधित शिकायतों के निपटान में कम्पनी का निष्पादन संतोषजनक नहीं था क्योंकि:

- बिल संबंधी शिकायतों के निपटान में लिये गए समय से संबंधित अभिलेख निर्धारित प्रारूप में नहीं रखे गए तथा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि शिकायतों का निर्धारित समय निस्तारण कर दिया गया था;
- उपभोक्ताओं को औसत बिल दो से अधिक बिलिंग चक्र के लिए जारी किये गए;
- गलत बिलिंग के कारण उपभोक्ताओं को क्रेडिट देने में बहुत देरी की गई;
- जेसीसी तथा जेपीडीसी ने उन उपभोक्ताओं को पांच प्रतिशत की छूट प्रदान नहीं की जिनको दो से अधिक बिलिंग चक्र के लिए औसत बिल जारी किये थे; तथा
- उतारे गए मीटरों का वास्तविक पठन एचएचटी मशीन द्वारा नहीं लिया गया जिसके परिणामस्वरूप उन उपभोक्ताओं से जिनकी औसत बिलिंग वास्तविक उपभोग से अधिक थी, अधिक राशि प्रभारित की गई।

नए कनेक्शन जारी करना

2.1.19 विनियम 2003, में नए कनेक्शनों के मामले में यह निर्दिष्ट था कि प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के 21 दिनों के भीतर कनेक्शन प्रभार जमा कराये जाने का मांग पत्र जारी कर दिया जाना चाहिए तथा मांग पत्र की राशि जमा होने के पश्चात शहरी क्षेत्रों में 30 दिनों में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिनों में कनेक्शन जारी कर दिया जाना चाहिए।

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकाश डाला गया था कि घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को कनेक्शन जारी करने का कार्य संतोषप्रद नहीं था। 12527 आवेदकों (378 शहरी तथा 12149 ग्रामीण) को नियत समय में मांग पत्र जारी नहीं किए गए थे। 14218 कनेक्शन (1331 शहरी तथा 12887 ग्रामीण) आवश्यक राशि जमा कराने के बावजूद 45 दिन में जारी नहीं किये गये थे। ग्रामीण एवं शहरी आवेदकों को कनेक्शन जारी करने में स्पष्ट विषमता थी। जेपीडीसी में 32 प्रतिशत मामलों में ग्रामीण घरेलू कनेक्शन देरी से जारी किये गए।

लेखापरीक्षा ने भी शहरी एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं के संतुष्टि स्तरों में स्पष्ट विषमता पर ध्यान देने की सिफारिश की थी।

कम्पनी द्वारा 2010-11 से 2013-14 की अवधि के लिए आरईआरसी को प्रस्तुत किये गये वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदनों में जेसीसी एवं जेपीडीसी में कनेक्शन जारी करने में 'कोई देरी नहीं' दर्शाया गया।

यह देखा गया कि 2010-11 से 2013-14 के दौरान जेसीसी में 1.42 लाख अनिस्तारित⁵ आवेदनों में से 1.32 लाख (92.96 प्रतिशत) नए कनेक्शन जारी किये तथा जेपीडीसी में 2.03 लाख अनिस्तारित आवेदनों में से 1.32 लाख (65.02 प्रतिशत) नए कनेक्शन जारी किये गये।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में घरेलू कनेक्शन में देरी एवं विषमता का आंकलन करने के लिए हमने यादृच्छिक आधार पर जेपीडीसी तथा जेसीसी के चयनित उपखण्डों से 2013-14 के दौरान जारी किये गए नए कनेक्शनों में से क्रमशः 2320 मामलों तथा 3008 मामलों का चयन किया। जेपीडीसी, जो कि मुख्य रूप से ग्रामीण उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करता था, के अभिलेखों के हमारे विश्लेषण ने उजागर किया कि 1663 (71.68 प्रतिशत) मामलों में मांग पत्र जारी करने में 21 दिनों की नियत सीमा से अधिक एक से 407 दिनों के मध्य का विलंब हुआ। 715 (30.82 प्रतिशत) मामलों में डिमाण्ड नोट की राशि जमा कराने के पश्चात कनेक्शन जारी करने में विलंब हुआ। इस संदर्भ में, 45 दिनों की नियत अवधि के समक्ष एक से 451 दिनों की देरी थी।

जेसीसी में, जो शहरी उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करता है, 177 (5.88 प्रतिशत) मामलों में डिमाण्ड नोट 21 दिनों की नियत अवधि के समक्ष एक से 145 दिनों की देरी से जारी किये गये। डिमाण्ड नोट की राशि को जमा कराने के बाद कनेक्शन जारी करने में 396 (13.16 प्रतिशत) मामलों में विलंब हुआ। कनेक्शन जारी करने में 30 दिनों की नियत अवधि के समक्ष एक से 391 दिनों तक की देरी हुई।

5 पूर्व वर्ष से लंबित आवेदन व चालू वर्ष में प्राप्त आवेदनों के योग में से चालू वर्ष में रद्द किये आवेदन घटाकर।

इस प्रकार, कम्पनी ने आरईआरसी को समय पर कनेक्शन जारी करने के बारे में गलत सूचना प्रस्तुत की। साथ ही, जेपीडीसी में कनेक्शन जारी करने की धीमी गति के साथ डिमाण्ड नोट जारी करने तथा डिमाण्ड राशि जमा कराने के बाद कनेक्शन जारी करने में भारी विलंब ने शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन जारी करने में स्पष्ट विषमता को इंगित किया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि कम्पनी द्वारा सभी खंडों/उपखंडों को निर्दिष्ट समयावधि में डिमाण्ड नोट जारी करने हेतु निर्देश जारी किए जा चुके थे। सरकार ने यह भी बताया कि मार्च 2015 तक डिमाण्ड राशि जमा कराये गये मामलों में कोई कनेक्शन लंबित नहीं था। साथ ही, जेसीसी में उपभोक्ताओं को अप्रैल से जून 2015 के दौरान जमा डिमाण्ड राशि के मामलों में कनेक्शन जारी कर दिए गए थे। तथापि, मीटर की अनुपलब्धता के कारण जेपीडीसी में 2900 कनेक्शन जारी करने के लिए लंबित थे।

कृषि कनेक्शन जारी करना

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकाश डाला गया था कि कम्पनी ने राज्य सरकार के निर्देशों के समक्ष कृषि कनेक्शन जारी करने के लिए कम लक्ष्य निर्धारित किए। कृषि कनेक्शन जारी करने हेतु आवेदन पत्र 1993-94 से बिना किसी लिखित कारण के लंबित पड़े थे।

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि कम्पनी को सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन जारी करने चाहिए।

2.1.20 वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान कृषि कनेक्शन जारी करने के संबंध में राज्य सरकार तथा कम्पनी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों में कोई अन्तर नहीं था। तथापि, हमने देखा कि कृषि कनेक्शन जारी करने की गति धीमी रही क्योंकि कम्पनी 2011-15 के दौरान केवल 0.99 लाख नए कनेक्शन जारी करने में समर्थ रही तथा दिसंबर 2014 तक 1.48 लाख आवेदन पत्र लंबित थे। वर्ष 2011-15 के दौरान जारी किये गये कनेक्शन, मार्च 2009 तक की अवधि के आवेदन पत्रों से संबंधित थे। इस प्रकार, अप्रैल 2009 से मार्च 2015 के दौरान प्राप्त आवेदनों पर कनेक्शन जारी करने पर विचार नहीं किया गया तथा अभिलेखों में इसका कोई कारण नहीं पाया गया।

राज्य सरकार द्वारा कृषि कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य निर्धारित करने, सरकारी राजकोष से कोष जारी करवाने हेतु कम्पनी के द्वारा किये गये प्रयास तथा सरकार द्वारा जारी किये गये कोषों के संबंध में कोपू के प्रश्न के उत्तर में बताया कि राज्य सरकार ने कृषि कनेक्शन जारी करने की लागत तथा उपभोक्ता के अंशदान के मध्य अंतर को पाटने हेतु 20 से 50 प्रतिशत पूंजी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की। राज्य सरकार निर्धारित पूंजी हेतु बजट प्रावधान करती है तथा इसे समय पर उपलब्ध कराती है।

हमने देखा कि कम्पनी ने कृषि कनेक्शन जारी करने के संबंध में सरकार से प्राप्त तथा प्राप्य पूंजी के अभिलेखों का उचित संधारण नहीं किया तथा यह 2010-11 से 2013-14 की अवधि के लिए सूचना उपलब्ध कराने में असफल रही। अभिलेखों के अनुसार, राज्य सरकार ने 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान क्रमशः ₹ 189.18 करोड़ तथा ₹ 121.77 करोड़ की पूंजी कम्पनी के पर्सनल डिपोजिट खाते में अंतरित की।

कम्पनी, राज्य सरकार से समय पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बावजूद भी कृषि कनेक्शन उपलब्ध कराने में असफल रही।

सरकार ने बताया कि कोई कृषि कनेक्शन जारी करने के लिए लंबित नहीं थे। सामान्यतः कनेक्शन निर्धारित अवधि में जारी किये गए तथा सरकार एवं कम्पनी द्वारा निर्धारित लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किये गए। मार्च 2009 के बाद कृषि कनेक्शन जारी करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई कनेक्शन जारी नहीं करने के मद्देनजर सरकार का उत्तर सहमतिकारक नहीं था तथा इन्हें कम्पनी एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों में भी सम्मिलित नहीं किया गया था।

आरईआरसी को प्रस्तुत निष्पादन प्रतिवेदन

2.1.21 विनियम 2003 के अनुसार कम्पनी को निर्धारित प्रारूप में उपभोक्ता शिकायतों के पंजीकरण एवं निवारण से संबंधित त्रैमासिक विवरणियां प्रस्तुत करना आवश्यक था। कम्पनी ने, आरईआरसी को समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करने के क्रम में विस्तृत निर्देश जारी किए (दिसंबर 2003) जिसमें दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु सम्बन्धित जेईएन/ईईएन/अधिशायी अभियन्ता (एक्सईएन) को निर्देशित किया गया था। 1 अक्टूबर 2014 से लागू आरईआरसी (वितरण लाइसेन्सी हेतु निष्पादन के मानक) विनियम 2014 (विनियम 2014) ने विनियम 2003 को निष्प्रभावी कर दिया। नए विनियम में नियत प्रारूप में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर तथा 31 मार्च से 45 दिनों में अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदनों की प्रस्तुति को निर्दिष्ट किया गया। इसके अतिरिक्त, कम्पनी को अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदनों के साथ (i) निष्पादन के सुधार हेतु उठाए गए कदम तथा (ii) निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करने के कारणों को इंगित करते हुए एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना भी आवश्यक था।

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकाश डाला गया था कि आरईआरसी को विवरणियां तथा सूचना बिना किसी सहायक साक्ष्य एवं मूलभूत दस्तावेजों के ही प्रस्तुत की गई थी। सूचना अपूर्ण, गलत तथा देरी से प्रस्तुत की गई थी।

कम्पनी ने, कोपू की सिफारिशों के प्रत्युत्तर में बताया (मई 2010) था कि सूचना को संकलित नहीं करने का मुख्य कारण एसओपी के प्रावधानों की अनभिज्ञता था। तथापि, यह मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक सूचनाएं प्रस्तुत कर रही थी।

यह देखा गया कि कम्पनी ने 2003 के विनियमानुसार 2010-11 से 2014-15 के दौरान आरईआरसी को कोई त्रैमासिक प्रतिवेदन नहीं भेजा। वार्षिक प्रतिवेदन भी चार से 16 माह की देरी से प्रस्तुत किए गए। साथ ही, वार्षिक प्रतिवेदन किसी सहायक साक्ष्य एवं बुनियादी दस्तावेजों पर आधारित नहीं थे क्योंकि संबंधित अभियन्ता ने न तो निर्धारित प्रारूप में सूचनाओं का संकलन किया तथा न ही दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। विवरणियां/प्रतिवेदन, जो नए विनियम के अनुसार 15 मई 2015 तक प्रस्तुत करने आवश्यक थे, को भी प्रस्तुत नहीं किया गया (जून 2015)।

इस प्रकार, विनियम 2003 के अनुसार आरईआरसी को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में कम्पनी का निष्पादन निराशाजनक रहा। कम्पनी ने, पंजीकरण, सही डाटा के संकलन तथा फील्ड कार्यालयों द्वारा सूचनाओं की समय पर प्रस्तुति की एक प्रणाली विकसित नहीं की। चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में निष्क्रियता उपभोक्ता शिकायतों के निवारण में कंपनी की अगम्भीरता को दर्शाती है। कोपू को कम्पनी का यह प्रत्युत्तर कि कर्मचारियों की नई

प्रणाली के प्रति अनभिज्ञता के कारण सूचना का संधारण तथा संकलन निर्धारित प्रारूप में नहीं किया गया, उचित नहीं माना जा सकता है।

जेसीसी के सम्बन्ध में, सरकार ने बताया कि वर्तमान में त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन नये प्रारूप में समय पर भेजे जा रहे थे। तथापि, जेपीडीसी के मामले में यह बताया कि त्रैमासिक सूचना नियमित आधार पर एसई (आरए) को भेजी जा रही थी। सरकार का उत्तर लेखापरीक्षा आक्षेप के अनुरूप नहीं था। लेखापरीक्षा का आक्षेप आरईआरसी को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में कम्पनी के निराशाजनक निष्पादन पर प्रकाश डालता है। उपस्वंडों द्वारा एसई (आरए) को सूचना भेजना आवश्यक था जो इसको संकलित करके आरईआरसी को भेजता। तथापि, संबंधित अभियन्ताओं ने न तो निर्धारित प्रपत्र में सूचना का संकलन किया तथा न ही दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। साथ ही, जेपीडीसी द्वारा त्रैमासिक सूचना प्रस्तुत करने का दावा विनियम 2003 के अन्तर्गत नियत सूचना के स्थान पर समझौता एवं शिकायत निवारण मंच से संबंधित था।

उपभोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करना

2.1.22 आरईआरसी ने निर्देशित किया (नवम्बर 2003) कि शिकायतों के पंजीयन एवं निवारण करने हेतु विनिर्दिष्ट विभिन्न मंचों तथा कार्यालयों के नाम, पता तथा टेलीफोन नम्बर सहित पूर्ण विवरण को समाचार पत्रों तथा रेडियो/टेलीफोन के माध्यम से व्यापक प्रचार करना चाहिए। इन विवरणों को ईएन के कार्यालयों में भी प्रदर्शित करना तथा उपभोक्ताओं को प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार यथा अप्रैल तथा सितम्बर में उनके विद्युत बिलों के द्वारा सूचित करना आवश्यक था। राज्य सरकार ने भी 'राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम, 2011' लागू किया (सितम्बर 2011) तथा 'राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी नियम, 2011' (अक्टूबर 2011) प्रस्थापित किये जिसमें कम्पनी को कार्यालय में एक सहज दृश्य स्थान पर सेवाओं से संबंधित सभी सुसंगत सूचना को प्रदर्शित करना आवश्यक था।

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकाश डाला गया था कि कम्पनी द्वारा उपभोक्ता शिकायतों के पंजीकरण एवं निवारण हेतु उपलब्ध तंत्र का व्यापक प्रचार नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु उपलब्ध विभिन्न तंत्रों के व्यापक प्रचार किए जाने की सिफारिश की थी।

हमने देखा कि फील्ड कार्यालयों ने शिकायतों के पंजीकरण एवं निवारण तथा उनके व्यापक प्रचार के लिए आरईआरसी द्वारा जारी किए गए (नवम्बर 2003) निर्देशों की पालना नहीं की। तथापि, उपस्वंड कार्यालयों ने राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011 की अनुपालना में पांच⁶ तरह की शिकायतों, उनके निवारण की आवधिकता, अधिकारियों का संपर्क विवरण तथा अपीलीय प्राधिकारियों के विवरण को प्रदर्शित किया। साथ ही, चयनित ग्रिड उप-केन्द्रों पर चौपाल के आयोजन संबंधी आवधिक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी।

6 (1) नए कनेक्शन जारी करना (2) विद्युत बिलों को सही करना (3) मीटर का प्रतिस्थापन (4) विद्युत आपूर्ति में बाधा तथा (5) आधारभूत सुविधाएं।

तथापि, हमने देखा कि निगम कार्यालय ने 2010-11 से 2014-15 के दौरान विद्युत आपूर्ति में व्यवधान से संबंधित शिकायत दर्ज कराने हेतु टेलीफोन नंबर का विवरण देते हुए केवल चार प्रेस विज्ञप्तियां जारी⁷ कीं। विभिन्न प्रकार की शिकायतों हेतु शिकायत केन्द्र का पूर्ण पता, शिकायत निवारण मंचों के पूर्ण पते तथा टेलीफोन नंबर न तो प्रिन्ट/रेडियो/टीवी मीडिया में प्रचारित किए तथा न ही बिजली के बिल पर मुद्रित किए गये अथवा उपखंड कार्यालयों में प्रदर्शित किए गये।

इस प्रकार, कम्पनी उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र के व्यापक प्रचार करने के पर्याप्त कदम उठाने में असफल रही।

सरकार ने बताया कि संबंधित कार्यालयों द्वारा कम्पनी के निर्देशों की पालना की जा रही थी तथा एईएन के टेलीफोन नंबर बिजली के बिलों पर अंकित किये गए थे। इस तथ्य के मद्देनजर उत्तर युक्तियुक्त नहीं है कि आरईआरसी ने उपभोक्ता जागरूकता के प्रति कम्पनी द्वारा किए गए कमजोर प्रयासों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम हेतु ₹ 50 लाख खर्च करने का निर्देश दिया।

उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षण

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बताया गया था कि एसी नेलसन फर्म द्वारा किए गए उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षण (जून 2005 से दिसम्बर 2005) में कम्पनी का कुल उपभोक्ता संतुष्टि सूचकांक (सीएसआई) 0.39 पर मापा गया। सर्वे में बताया गया कि सभी वृत्तों के उपभोक्ता कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया से असंतुष्ट थे। कम्पनी ने कोपू को बताया (मई 2010) कि एक अन्य निजी संस्था रिसर्च एंड डेवलपमेन्ट इनिशिएटिव (आरडीआई), द्वारा दूसरा सर्वे किया गया जिसमें उपभोक्ता के संतुष्टि स्तर को संतोषजनक रेटिंग दी गई थी।

2.1.23 हमने देखा कि वृत्त/स्वण्ड/उपस्वण्ड कार्यालयों पर आरडीआई का प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं था। प्रधान कार्यालय भी आरडीआई का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने में असफल रहा। प्रतिवेदन के अभाव में लेखापरीक्षा, सर्वेक्षण प्रतिवेदन के परिणामों पर अपनी राय व्यक्त करने में असमर्थ थी।

लेखापरीक्षा के आक्षेप पर सरकार द्वारा कोई टिप्पणी नहीं दी गई।

शिकायत निवारण कैम्प

2.1.24 विनियम 2003 में प्रत्येक माह की 10 तारीख को एईएन कार्यालय स्तर पर तथा उसी माह की 20 तारीख को अधीक्षण अभियन्ता (एसई) के कार्यालय स्तर पर शिकायत निवारण सभाएं बुलाने का प्रावधान था। एईएन के स्तर पर सभा के कार्यवृत्त तथा उन पर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन एसई को उसकी उसी महीने की 20 तारीख को होने वाली सभा हेतु उपलब्ध कराया जाना था। साथ ही, अभिलेखों को उचित प्रकार से संधारित करना तथा उच्च प्राधिकारियों के निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाना था।

7 17 अक्टूबर 2010, 30 अप्रैल 2011, 9 मई 2013 तथा 4 जून 2014.

एमआईएस में, एईएन स्तर की शिकायतों के निवारण के सम्बन्ध में 2010-14 के दौरान जेसीसी में 5098 शिकायतों में से 5097 शिकायतों का निवारण करना तथा जेपीडीसी में 16781 शिकायतों में से 16784 शिकायतों का निवारण करना बताया गया। जेसीसी ने 2010-14 के दौरान एसई स्तर पर कोई शिकायत प्राप्त नहीं की जबकि जेपीडीसी में एसई स्तर पर 2011-14 के दौरान प्राप्ति सभी 109 शिकायतों का समाधान किया गया।

तथापि, वृत्त एवं उपस्वंड कार्यालय, एईएन एवं एसई स्तर पर हुई बैठकों के अभिलेख/कार्यवृत्त प्रस्तुत करने में असफल रहे। साथ ही, एईएन द्वारा एसई को प्रस्तुत की गई कार्यवाही प्रतिवेदन तथा उच्च प्राधिकारियों द्वारा किये गए निरीक्षण का विवरण भी अभिलेखों में नहीं पाया गया।

सरकार ने जेसीसी के सम्बन्ध में बताया कि वृत्त/स्वंड/उपस्वंड स्तर पर शिकायत निवारण मंच की बैठक प्रत्येक माह में नियमित रूप से हो रही थी। जेपीडीसी के सम्बन्ध में इसने कहा कि 33/11 केवी उप-केन्द्रों पर मासिक रूप से चार चौपालों का आयोजन किया जा रहा था।

अन्य लेखापरीक्षा परिणाम

मार्च 2008 के बाद अर्थात् मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के समापन के बाद आरईआरसी/राज्य सरकार द्वारा जारी किये गए नए अधिनियम/विनियमों के आधार पर कम्पनी के निष्पादन की चर्चा नीचे की गई है:

शिकायत निवारण एवं निपटारा मंच

2.1.25 आरईआरसी ने 'शिकायत निवारण हेतु दिशानिर्देश' विनियम 2008 अधिसूचित किया (मार्च 2008) जिसमें उपभोक्ता शिकायतों को मौद्रिक⁸ तथा सामान्य अथवा अमौद्रिक⁹ प्रकृति के रूप में वर्गीकृत किया गया। मौद्रिक शिकायतें विनिर्दिष्ट वित्तीय सीमा के अनुसार तथा अमौद्रिक शिकायतें उनकी प्रकृति के आधार पर उपस्वंड, स्वंड, वृत्त (जिला) एवं निगम स्तर मंच में सामान्य स्थिति में 30 दिन तथा अन्य सभी परिस्थितियों में शिकायत पंजीकरण के 45 दिन में निवारित की जानी थी। साथ ही, कम्पनी द्वारा आरईआरसी को निष्पादन के मानक, अन्य निष्पादन मापदण्ड तथा उपभोक्ता शिकायत संबंधी सूचना जिसमें शिकायतों के निवारण में समय-सीमा की पालना को दर्शाते हुए, इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्धारित प्रारूप में त्रैमासिक प्रतिवेदन भेजना आवश्यक था। नियमित त्रैमासिक प्रतिवेदन आरईआरसी को माह के अंत में भेजे जाने थे।

8 मौद्रिक प्रकृति की शिकायतों में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-126 एवं 135 के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर बिजली के बिल, बकाया की वसूली, लाइसेन्सी द्वारा जारी की मांग से संबंधित शिकायतें सम्मिलित थीं।

9 आपूर्ति की गुणवत्ता, लाइसेन्सी के निष्पादन मानक एवं सेवा के दोष से संबंधित उपभोक्ता शिकायतें सामान्य या अमौद्रिक प्रकृति के अंतर्गत सम्मिलित थीं।

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकाश डाला गया था कि आईएन स्तर पर मंच कार्यरत नहीं थे तथा देयताओं से संबंधित विवादों के समाधान में देरी का मुख्य कारण उपभोक्ताओं को नोटिस जारी करने में ढिलाई थी।

लेखापरीक्षा ने शिकायतों के निवारण हेतु स्थापित विभिन्न समितियों तथा मंचों की कार्यप्रणाली को पुनर्जीवित करने तथा उसकी निगरानी रखने की अनुशंसा की।

अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि :

- बस्सी उपखंड पर उपखंड मंच कार्यशील नहीं था। सांगानेर एवं बड़पीपली उपखंड पर मंच लगभग अकार्यशील थे क्योंकि 2010-11 से 2014-15 के दौरान क्रमशः केवल एक एवं चार मामले प्राप्त एवं निपटान किये गए;
- समझौता रजिस्टर का संधारण उचित रूप से नहीं किया गया क्योंकि पूर्व वर्षों से संबंधित प्रकरण भी चालू वर्ष के प्रार्थना-पत्रों के साथ इन्द्राज किये गए; तथा
- उपखंड, खंड तथा वृत्त (जिला) मंच स्तर पर कुछ ही मामलों में उपभोक्ता को नोटिस जारी करना पाया गया। बैठक में उपस्थित होने वाले उपभोक्ताओं का कोई अभिलेख नहीं था।

मार्च 2015 तक की त्रैमासिक विवरणी आरईआरसी को सात दिन से 486 दिन तक की देरी से प्रेषित की गई। मौद्रिक प्रकृति की शिकायतों के मामले में, कम्पनी ने 2010-15 के दौरान आईएन स्तर पर 225, एक्सआईएन स्तर पर 282, एसई स्तर पर 168 तथा निगम स्तर पर एक प्रकरण को निर्धारित अवधि के बाद निस्तारण करना प्रतिवेदित किया।

जेसीसी, जेपीडीसी तथा पांच¹⁰ चयनित उपखंडों में देखे गए तथ्यों के दृष्टिगत यह प्रतिवेदन सही नहीं थे जैसा कि नीचे दर्शाया गया:

विवरण	मंच			
	उपखण्ड स्तर	खण्ड स्तर	वृत्त (जिला) स्तर	निगम स्तर
मौद्रिक प्रकृति के कुल प्रकरण	868	1830	4198	195
अधिकतम निर्धारित सीमा 45 दिन से अधिक समय में निपटान	284	728	763	159
अधिकतम निर्धारित सीमा 45 दिन से अधिक समय में निपटाए गये प्रकरण जिसमें देरी 100 दिन से अधिक थी	66	247	396	50
देरी से निपटाये गए प्रकरणों का प्रतिशत	32.72	39.78	18.18	81.54

हमने देखा कि इन उपखंडों/खंडों/वृत्तों ने प्रकरणों के निस्तारण में कभी भी कोई देरी प्रतिवेदित नहीं की। देरी के प्रमुख कारण संबंधित कार्यालयों की ढिलाई तथा अधीनस्थ कार्यालय द्वारा नियंत्रण कार्यालयों को प्रकरण भेजने में अधिक समय लेना थे।

सरकार ने बताया कि उपभोक्ताओं को मोबाइल के माध्यम से मीटिंग बुलाने की सूचना दी जा रही थी। मामलों के निस्तारण में देरी उपभोक्ता द्वारा बैठक में उपस्थित नहीं होने के कारण थी।

10 जेसीसी के बी-I, बी-II, जी-II एवं जी-IV तथा जेपीडीसी का बगरू।

बस्सी, बड़पीपली तथा सांगानेर उपखंडों को अभिलेखों के उचित संधारण हेतु निर्देश जारी किये जा चुके थे।

उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि कम्पनी द्वारा उपभोक्ताओं के बैठक में उपस्थित होने के अभिलेख संधारित नहीं किए गए। साथ ही, प्रकरणों के निपटान में देरी को कभी भी आरईआरसी को प्रतिवेदित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, उपखंड, जहां मंच लगभग अकार्यशील था, की ढिलाई तथा अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा नियंत्रण कार्यालयों को प्रकरण भेजने में ढिलाई देरी के प्रमुख कारण थे।

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम, 2011

2.1.26 राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम, 2011 एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, 2011 में कुछ अधिसूचित सेवाओं/कार्यकलापों यथा कनेक्शन जारी करना, बिल में सुधार, मीटर बदलना, विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार तथा आधारभूत विकास की जरूरत वाले कार्यकलाप करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई। नियत समय सीमा, आरईआरसी के विनियम 2003 में दी गई समय सीमा के समान थी। अधिनियम के अनुसार प्रत्येक वृत्त कार्यालय से सम्बन्धित पाक्षिक सूचना जिला कलेक्टर को अधिसूचित सेवाओं को प्रदान करने की केन्द्रीयकृत निगरानी हेतु प्रेषित करना आवश्यक था।

उपखंड-वार संकलित सूचना जेपीडीसी (फरवरी 2015 के प्रथम पखवाड़े) तथा जेसीसी द्वारा (जनवरी 2015 के द्वितीय पखवाड़े) जिला कलेक्टर को प्रेषित की गई जिसमें सभी प्रकरणों को निर्धारित समय सीमा में निस्तारित करना बताया गया। हमने पाया कि पूर्व के अनुच्छेदों में इंगित कमियों को देखते हुए जिला कलेक्टर को भेजी गई सूचना सही नहीं थी।

सरकार ने बताया कि जिला कलेक्टर को भेजी गई सूचना सही थी। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि जिला कलेक्टर को प्रस्तुत की गई सूचना में सभी प्रकरणों को निर्धारित समय सीमा में निस्तारित करना बताया गया जो सही नहीं था क्योंकि पूर्व अनुच्छेदों में इस पर टिप्पणी की गई एवं सरकार द्वारा इसे स्वीकार किया गया।

उपभोक्ता शिकायत निवारण केन्द्र

2.1.27 कम्पनी ने वृत्त कार्यालयों में टोल फ्री नंबर द्वारा पांच¹¹ प्रकार की शिकायतों के पंजीकरण का कार्य शुरू किया (फरवरी 2014)। शिकायतों को ऑन लाईन प्रणाली द्वारा निस्तारित किया जाना था। शिकायत का निस्तारण तीन दिन में नहीं होने पर शिकायत अगले प्राधिकारी के पास प्रबंध निदेशक के स्तर तक अंतरित हो जानी थी।

जेसीसी ने मार्च 2015 तक टोल फ्री नंबर पर दर्ज की गई 146 (89 प्रतिशत) शिकायतों का तीन दिन में निपटारा किया जाना बताया जबकि जेपीडीसी ने 340 (63 प्रतिशत) शिकायतों का निपटारा तीन दिन में किया जाना बताया। तथापि, हमने देखा कि किसी भी उपखंड कार्यालय में शिकायतों के निपटान हेतु की गई कार्यवाही करने का कोई सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं था।

11 (1) ट्रांसफॉर्मर का असफल होना, (2) नए कनेक्शन जारी करने में देरी, (3) दुर्घटना/दुर्घटना संभावित (4) चोरी, (5) कम्पनी के कर्मचारी द्वारा परेशान करना।

सरकार ने कहा कि वृत्त कार्यालय पर उचित रिकार्ड हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में रखा गया था। जेपीडीसी के संबंध में यह भी बताया कि सभी खंड/उपखंड कार्यालयों को अभिलेख संधारित करने हेतु निर्देश जारी किए जा चुके थे। तथापि, कम्पनी ने शिकायत के पंजीकरण से लेकर उसके निपटारे तक का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराया।

निष्पादन के मानक 2014

2.1.28 आरईआरसी ने 'आरईआरसी (वितरण लाइसेन्सी हेतु निष्पादन के मानक) विनियम, 2014' को विनियम 2003 के प्रतिस्थापन में अधिसूचित किया (फरवरी 2014)। नये विनियम 1 अक्टूबर 2014 से प्रभावी हुए।

विनियम 2014 में 90 से 95 प्रतिशत के मध्य भिन्न-भिन्न मापदण्डों पर प्राप्त किए जाने वाले निष्पादन के समग्र न्यूनतम मानक; प्रति प्रकरण में ₹ 50 से ₹ 2000 तक की लघु आर्थिक शास्ति; श्रेणी-I शहरों में 12 माह में सुगम पहुंच वाले कॉल सेन्टरों की स्थापना तथा अन्य शहरी क्षेत्र में 18 माह में कॉल सेन्टरों की स्थापना; निर्धारित प्रारूप में शिकायतों का पंजीकरण तथा प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तथा 31 मार्च की समाप्ति के पश्चात 45 दिन में अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन प्रारूप एसओपी 1 से एसओपी 5 में प्रस्तुत करने का प्रावधान किया।

तथापि, कम्पनी ने, 31 मार्च 2015 को समाप्त अर्द्ध वर्ष के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए (सितंबर 2015)। साथ ही, उपखंड कार्यालयों द्वारा अभी तक (सितंबर 2015) निर्धारित प्रपत्र में सूचनाओं का संधारण एवं संकलन प्रारम्भ नहीं किया गया। अंतः विभिन्न मापदण्डों के सम्बन्ध में कम्पनी के निष्पादन पर टिप्पणी नहीं की जा सकी।

सरकार ने बताया कि जेसीसी एवं जेपीडीसी द्वारा अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन एसओपी 1 से एसओपी 5 प्रपत्र में संभागीय मुख्य अभियन्ता (संचालन एवं रखरखाव, जयपुर संभाग) को प्रस्तुत किए गए (जून 2015)। तथ्य यहीं रहा कि विनियम 2014 में निर्धारित प्रपत्र में अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन अभी तक आरईआरसी को प्रस्तुत नहीं किया गया (सितंबर 2015)।

निष्कर्ष

मार्च 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में आरईआरसी द्वारा दिये गये निर्देशानुसार शिकायतों के अभिलेखीकरण, विभिन्न प्रकार की शिकायतों के निवारण में देरी, आरईआरसी को निष्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने, विभिन्न मंच/समितियों का उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु अकार्यशील रहना तथा उपभोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करने के अभाव से संबंधित कमियों को प्रकाश में लाया गया। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के परिणामों ने भी इसी प्रकार की कमियों को उजागर किया। आरईआरसी के निर्देशानुसार, शिकायतों के अभिलेखन में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ था। वितरण ट्रांसफॉर्मर के प्रतिस्थापन, खराब मीटर, कनेक्शन जारी करने तथा बिल से संबंधित विभिन्न प्रकार की शिकायतों के निवारण में देरी थी। उपभोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करने तथा आरईआरसी को प्रतिवेदन भेजने का भी अभाव था। साथ ही, लेखापरीक्षा एवं कोपू द्वारा की गई सिफारिशों तथा एटीएन में दिये गए आश्वासनों को भी कम्पनी द्वारा पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं किया गया।

2.2 राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की वाणिज्यिक गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा (आईटी)

कार्यकारी सारांश

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड का समामेलन (1 जुलाई 1956) गन्ने एवं चुकन्दर से चीनी बनाने तथा चीनी, गन्ने, चुकन्दर एवं शीरा में व्यापार करने; गन्ना, चुकन्दर एवं अन्य फसलों को उगाने एवं उठाने तथा परिशोधित स्पिरिट, देशी मदिरा तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा में आसवक, निर्माता एवं डीलर के रूप में व्यवसाय चलाने के मुख्य उद्देश्यों के साथ एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में हुआ।

आबकारी विभाग, राजस्थान सरकार ने ₹ 8.21 करोड़ की लागत पर मैसर्स ट्राइमेक्स आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विस लिमिटेड, जयपुर (सेवा प्रदाता) को एकीकृत आईटी सेवाओं का कार्य आउटसोर्स किया (जून 2010)। सेवा प्रदाता को आबकारी विभाग, राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड (आरएसबीसीएल) तथा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (कम्पनी) में एकीकृत प्रणाली को लागू करना था।

वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के लिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा एकत्र किये गये थे तथा इंटरएक्टिव डाटा एक्सट्रैक्शन एण्ड एनालिसिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए कम्प्यूटर समर्थित लेखापरीक्षा तकनीकों के माध्यम से विश्लेषण किया गया।

डाटा के विश्लेषण ने आईटी सिस्टम में गम्भीर दोषों का उजागर किया जिसने सूखा दिवसों पर देशी मदिरा के विक्रय करने, समान परमिट नम्बरों, चालान नम्बरों को स्वीकार करने तथा अन्य विसंगतियों को बढ़ावा दिया।

सामान्य नियंत्रण

कम्पनी के पास एक आईटी नीति तथा आईटी सम्पत्तियों (सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एवं डाटा बैंक) की सुरक्षा के संबंध में आईटी सुरक्षा नीति नहीं थी। आईटी सुरक्षा नीति के अभाव में, आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा रिटेलर, डिपो लोकेशन, इन्वॉइस तथा चालान इत्यादि में विलोपन अथवा बदलाव से सम्बन्धित डाटाबेस में किए गए परिवर्तन किसी आवधिक पर्यवेक्षी संवीक्षा के अधीन नहीं थे जिससे सुनिश्चित हो कि परिवर्तन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत थे। किसी अवांछित घटना के घटित होने को रोकने के लिए कोई व्यवसाय निरन्तरता/संकट से उबरने की क्रियाविधि नहीं थी। सेवा प्रदाता द्वारा राज्य डाटा सेन्टर जयपुर में संकट से उबरने का स्थल स्थापित नहीं किया गया था। साथ ही, भौतिक एवं तार्किक सुरक्षा के सम्बन्ध में सिस्टम दोषपूर्ण था।

सिस्टम डिजाइन में कमियां

बिलिंग सॉफ्टवेयर को व्यावसायिक नियमानुसार आगत एडवाइस की वैधता एवं निर्गत परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ तरीके से डिजाइन नहीं किया गया था। हमारे विश्लेषण से प्रकट हुआ कि डिजाइन विसंगतियों तथा अपर्याप्त आगत नियंत्रणों ने लेबल के अनुमोदन में अनियमितता तथा बिना जांच की गई देशी मदिरा के विक्रय को बढ़ावा दिया।

व्यवसाय के नियमों की रूपरेखा

एकीकृत सिस्टम में आबकारी अधिनियम/नियमों के अनुसार व्यावसायिक नियमों को अभिरेखित करने का अभाव था जिसने न केवल आबकारी अधिनियम/नियमों का उल्लंघन किया बल्कि देशी मदिरा के विक्रय में वैधानिक उल्लंघन/सूखा दिवसों/चुनाव की तिथियों पर परमिट जारी करने तथा कार्य घण्टों के अतिरिक्त एवं अकार्य दिवसों पर मदिरा के विक्रय को बढ़ावा दिया।

आगत नियंत्रण तथा वैधता जांच

आगत नियंत्रण गलत या अनियमित आगत के कारण कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में त्रुटि एवं अनियमितताओं की संभावनाओं को कम करता है। आगत नियंत्रण एवं वैधता जांच दोषपूर्ण थे तथा सिस्टम ने समान परमिट एवं चालान नम्बरों को एक बार से अधिक स्वीकार किया। परमिट की वैधता से परे अथवा बिना परमिट मदिरा के विक्रय, नीति के उल्लंघन में लाइसेन्सियों से नकद स्वीकार करना, सामग्री आवक पर्ची में विसंगतियां, आदेशित मात्रा के विरुद्ध देशी मदिरा की मात्रा की कम प्राप्ति तथा खुदरा विक्रेताओं के डिपो में अनियमित बदलाव इत्यादि के प्रकरण देखे गए।

आंतरिक नियंत्रण

एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र का अस्तित्व में होना अशुद्धियों तथा अनियमितताओं के जोखिम को कम करता है। हमारे विश्लेषण ने उजागर किया कि आन्तरिक नियंत्रण तंत्र दोषपूर्ण था तथा इसने देशी मदिरा के बिना अनुमोदित ब्राण्ड के विक्रय, अवैध व्यवहारों तथा आबकारी विभाग के डाटा के साथ कम्पनी के डाटा के मिलान के अभाव को बढ़ावा दिया।

सिफारिशें

निष्पादन लेखापरीक्षा में एक विस्तृत एवं स्पष्ट आईटी नीति बनाने तथा क्रियान्वित करने एवं व्यावसायिक वातावरण के अनुसार इसकी आवधिक समीक्षा करने; सूखा दिवसों पर मदिरा के विक्रय एवं परमिट जारी करने के सम्बन्ध में किसी वैधानिक उल्लंघन को रोकने के लिए सिस्टम डिजाइन में उचित संशोधन करने; डिपो की स्थिति, सक्रिय/असक्रिय स्टॉक की मात्रा तथा देशी मदिरा की टेस्टिंग को समय पर सुनिश्चित करने के लिए बोटलिंग की तिथि को इंगित करने; आबकारी अधिनियम/नियमों के अनुसार व्यावसायिक नियमों को अभिरेखित करने को सुनिश्चित करने के लिए; विसंगतियों को दूर करने के लिए पर्याप्त आगत नियंत्रणों एवं वैधता जांच बनाने तथा राजस्व के किसी छीजत को रोकने के लिए आबकारी विभाग के डाटा के साथ कम्पनी के डाटा के मिलान तथा देशी मदिरा के विक्रय की उचित निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए आन्तरिक नियंत्रण तंत्र को शक्तिशाली बनाने की सिफारिशें सम्मिलित हैं।

परिचय

2.2.1 राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (कम्पनी) का सम्मेलन (1 जुलाई 1956) गन्ने से एवं चुकन्दर से चीनी बनाने तथा चीनी, गन्ने, चुकन्दर एवं शीरा में व्यापार करने, गन्ना, चुकन्दर एवं अन्य फसलों को उगाने एवं उठाने तथा परिशोधित स्पिरिट, देशी मदिरा तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा में आसवक, निर्माता एवं डीलर के रूप में व्यवसाय चलाने के मुख्य उद्देश्यों के साथ एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में हुआ।

वित्तीय तथा संचालनात्मक परिणाम

- कम्पनी ने 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान क्रमशः ₹ 14.53 करोड़ एवं ₹ 10.44 करोड़ का लाभ अर्जित किया। मदिरा स्वण्ड ने 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान क्रमशः ₹ 33.69 करोड़ एवं ₹ 35.18 करोड़ का लाभ अर्जित किया।
- चीनी फैक्टरी ने 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान क्रमशः ₹ 19.16 करोड़ एवं ₹ 24.74 करोड़ की हानि वहन की। हानि में वृद्धि के मुख्य कारण क्षमता का निम्न दोहन, गन्ने का उच्च मूल्य तथा ईंधन की लागत में वृद्धि थे।
- 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान देशी मदिरा की कुल बिक्री क्रमशः 16.41 करोड़ एवं 19.25 करोड़ बल्क लीटर (बीएल) थी जिसमें से कम्पनी द्वारा 6.55 करोड़ बीएल (39.91 प्रतिशत) तथा 7.76 करोड़ बीएल (40.31 प्रतिशत) देशी मदिरा क्रमशः 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान बनाई गई थी जबकि 9.86 करोड़ बीएल तथा 11.49 करोड़ बीएल देशी मदिरा इसी अवधि के दौरान निजी आसवकों/बोटलर्स द्वारा आपूर्ति की गई थी।

संगठनात्मक ढांचा

2.2.2 कम्पनी राजस्थान सरकार (जीओआर) के आबकारी विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में कार्य करती है। कम्पनी का प्रबन्ध निदेशक मण्डल (बीओडी) में निहित था तथा मार्च 2015 को कम्पनी के मण्डल में आठ निदेशक थे। सचिव, वित्त विभाग (राजस्व), जीओआर कम्पनी के पदेन प्रभारी निदेशक है।

कम्पनी में सूचना तकनीकी गतिविधियां

2.2.3 आबकारी विभाग, जीओआर, ने ₹ 8.21 करोड़ की लागत पर मैसर्स ट्राइमेक्स आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विस लिमिटेड, जयपुर (सेवा प्रदाता) को एकीकृत सूचना तकनीकी सेवाओं का कार्य आउटसोर्स किया (जून 2010)। सेवा प्रदाता को आबकारी विभाग, राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड¹ (आरएसबीसीएल) तथा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (कम्पनी) में एकीकृत प्रणाली को लागू करना था।

1 राजस्थान सरकार की एक कम्पनी।

कम्पनी को कुल अनुमानित लागत का 20 प्रतिशत वहन करना था तथा सेवा प्रदाता को पांच वर्ष की अवधि के लिए कम्पनी के प्रधान कार्यालय/इकाई कार्यालयों/रिडक्शन केन्द्र/डिपो में दिन-प्रतिदिन के कार्य संचालन के लिए वेब आधारित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को तैयार करने के साथ हार्डवेयर का प्रापण तथा संस्थापन करना था। साथ ही, सेवा प्रदाता समंकों तथा एप्लीकेशनों की समग्रता को बनाए रखने, सुरक्षा तथा बैक अप के लिए उत्तरदायी था।

कार्यादेश में कम्पनी की सभी गतिविधियों के एकीकरण के लिए ओरेकल रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेन्ट सिस्टम का प्रयोग करते हुए 24 मोडयूल्स² तैयार करना सम्मिलित था। दिसम्बर 2014 को, 24 मोडयूल्स में से 13 मोडयूल्स संचालन में थे तथा इनके परिणाम लेखांकन के लिए प्रयुक्त किए जा रहे थे। सिस्टम में क्लाउड सर्वर आर्किटेक्चर था जिसका सर्वर उदयपुर में स्थित था। कम्पनी के प्रधान कार्यालय तथा इसकी सभी इकाईयां/डिपो मुख्य सर्वर से जुड़े हुए हैं।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

2.2.4 निष्पादन लेखापरीक्षा में 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान कम्प्यूटरीकृत समंकों का विश्लेषण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा संवीक्षा में गन्ने के व्यापारिक एवं सामग्री प्रबन्ध तथा देशी मदिरा से सम्बन्धित अभिलेखों का कंपनी के प्रधान कार्यालय, इकाई कार्यालयों तथा डिपो पर सत्यापन भी सम्मिलित है।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

2.2.5 कम्पनी द्वारा वाणिज्यिक गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा (आईटी) यह निर्धारण करने के लिए की गई कि क्या:

- कम्पनी द्वारा व्यावसायिक आवश्यकता के अनुसार सूचना तकनीकी (आईटी) नीति तैयार एवं क्रियान्वित की गई;
- कम्पनी द्वारा यह सुनिश्चित किया गया था कि आईटी प्रणाली, आधुनिक आईटी पर्यावरण में व्यावसायिक जोखिमों को सम्मिलित करने के लिए दक्ष एवं प्रभावी थी; व्यवसाय/सरकारी नियम एवं विनियम को दक्षतापूर्वक रूपरेखित किया गया था;

2 (1) देशी मदिरा तथा वितरण, (2) उत्पादन तथा आपूर्ति, (3) भण्डार प्रबन्ध, (4) बैच प्रबन्ध सहित मदिरा प्राप्ति, (5) सामग्री प्रबन्ध, (6) आपूर्ति आदेश, (7) आरएसबीसीएल लाइन के अनुसार आपूर्ति शिडयूल, (8) आरएसबीसीएल लाइन के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती, (9) वित्तीय लेखांकन, (10) प्रेषण आधार के स्थान पर विक्रय आधार पर आपूर्तिकर्ताओं को देशी मदिरा का भुगतान, (11) बैंक मिलान के लिए बैंक डाटा अपलोडिंग, (12) आरएसबीसीएल लाइन के अनुसार क्रय, (13) आपूर्ति दर अनुमोदन, (14) गन्ना विकास, (15) गन्ना पिराई/चीनी/उप उत्पाद उत्पादन, (16) डेमरेज गणना, (17) डेबिट नोट/ क्रेडिट नोट, (18) बैच प्रबन्ध सहित बिल के साथ आबकारी परमिट, (19) एचआर तथा पे रोल, (20) चीनी फैक्टरी विशिष्ट अर्थात् मुख्य द्वार एवं सुरक्षा विभाग तथा श्रम कल्याण अनुभाग, (21) चीनी तथा उप-उत्पाद बिक्री, (22) अभियांत्रिकी (23) बिजली उत्पादन एवं बिक्री तथा, (24) प्लान्ट रस्वरस्वाव।

समंकों की पूर्णता/शुद्धता सुनिश्चित की गई एवं मानवीय अभिलेखों का इलेक्ट्रॉनिक समंकों के साथ मिलान किया गया; तथा

- आईटी प्रणाली की उचित निगरानी तथा आईटी सम्पत्तियों (समंक, सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर) की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा आंतरिक जांच मौजूद थी।

लेखापरीक्षा मापदण्ड

2.2.6 निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किये गये लेखापरीक्षा मापदण्डों को अपनाया गया:

- अनुबन्ध के नियम एवं शर्तें, कार्यादेश एवं सॉफ्टवेयर विकासकर्ता/क्रियान्वयन एजेन्सियों को जारी किये अन्य निर्देश;
- वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 की आबकारी नीति;
- कम्पनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति, व्यावसायिक नियम तथा क्रियाविधियां;
- जीओआर के आबकारी विभाग द्वारा जारी, नियम, अधिसूचनाएं एवं दिशानिर्देश;
- प्रबंधकीय सूचना प्रणाली (एमआईएस), नियमावली एवं कम्पनी द्वारा जारी अन्य आदेश एवं परिपत्र तथा;
- सर्वश्रेष्ठ आईटी परम्पराएं।

लेखापरीक्षा कार्यविधि

2.2.7 लेखापरीक्षा मापदण्डों के संदर्भ में लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये अपनाई गई कार्यविधि में, 13 फरवरी 2015 को प्रविष्टि सभा के दौरान कम्पनी के उच्च प्रबंधन/सरकार को लेखापरीक्षा उद्देश्यों का वर्णन सम्मिलित था। वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के लिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा एकत्र किये तथा कम्प्यूटर समर्थित लेखापरीक्षा तकनीकों के माध्यम से इंटरएक्टिव डाटा एक्सट्रैक्शन एण्ड एनालिसिस (आईडीईए) सॉफ्टवेयर से विश्लेषण किया गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नियंत्रणों को मूल्यांकित करने एवं आंकड़ों की एकरूपता, नियमितता तथा पूर्णता के आंकलन के लिए कंपनी से सूचना प्राप्त करने हेतु प्रश्नावली का उपयोग किया गया। लेखापरीक्षा जांच में समंकों का विश्लेषण, लेखापरीक्षा प्रश्नों को उठाना, अभिलेखों की संवीक्षा, कम्पनी एवं एजेन्सियों के कार्मिकों के साथ चर्चा, समापन सभा का आयोजन तथा टिप्पणियों के लिए सरकार/प्रबंध को प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करना शामिल है।

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को समापन सभा (14 अक्टूबर 2015) में सरकार/प्रबंधन के विचारों तथा प्रारूप प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा प्रस्तुत (अक्टूबर 2015) उत्तर को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप दिया गया है।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.2.8 लेखापरीक्षा के परिणाम अभिलेखों की जांच, इलेक्ट्रॉनिक डाटा तथा सॉफ्टवेयर के पुनरीक्षण के आधार पर, मुख्य रूप से सामान्य नियंत्रण, प्रणाली डिजाइन, व्यावसायिक नियमों की रूपरेखा, एप्लीकेशन नियंत्रण तथा आंतरिक नियंत्रण तंत्र में मुख्यतः कमियों पर प्रकाश डालते हैं। इन परिणामों की चर्चा नीचे की गई है:

सामान्य नियंत्रण

2.2.9 सामान्य नियंत्रणों में डाटा सेन्टर के परिचालन पर नियंत्रण, प्रणाली सॉफ्टवेयर की अवाप्ति एवं रस्व-रस्वाव, पहुँच सुरक्षा तथा एप्लीकेशन प्रणाली का विकास एवं रस्व-रस्वाव शामिल हैं। वे उस पर्यावरण का निर्माण करते हैं जिसमें एप्लीकेशन प्रणाली एवं एप्लीकेशन नियंत्रण संचालित होते हैं। सामान्य नियंत्रण की श्रेणियों में संगठन तथा प्रबंध नियंत्रण (आईटी नीतियां एवं मानक), आईटी संचालनात्मक नियंत्रण, भौतिक नियंत्रण (पहुँच एवं पर्यावरण), तार्किक पहुँच नियंत्रण, अवाप्ति एवं कार्यक्रम परिवर्तन नियंत्रण एवं व्यवसाय निरंतरता एवं संकट से उबरने के नियंत्रण शामिल हैं।

प्रतिपादित एवं अभिलिखित आईटी नीति तथा आईटी सुरक्षा नीति का अभाव

2.2.10 समय सीमा निर्धारण करने, मुख्य निष्पादन सूचक तथा कम्पनी की विभिन्न ऑनलाइन गतिविधियों को एकीकृत एवं विकसित करते हुए लागत लाभ विश्लेषण करने के लिए एक प्रतिपादित एवं अभिलिखित आईटी नीति आवश्यक है।

हमने देखा कि कम्पनी ने एक औपचारिक आईटी नीति नहीं बनाई। साथ ही, कम्पनी ने प्रणालीगत ढंग से प्रत्येक क्रियात्मक क्षेत्र की निगरानी के लिए स्पष्ट भूमिका एवं दायित्वों के साथ एक नियोजन/स्टीयरिंग समिति गठित नहीं की। कम्पनी के पास आईटी सम्पत्तियों, इसके सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर तथा डाटा बैंक की सुरक्षा के सम्बन्ध में एक आईटी सुरक्षा नीति भी नहीं थी।

आईटी नीति के अभाव में, आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा रिटेलर, डिपो लोकेशन, इन्वॉइस तथा चालान इत्यादि में विलोपन अथवा बदलाव से सम्बन्धित डाटाबेस में किए गए परिवर्तन किसी आवधिक पर्यवेक्षी संवीक्षा के अधीन नहीं थे जिससे सुनिश्चित हो कि परिवर्तन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत थे।

कम्पनी के अधिकारियों की स्पष्ट भूमिका एवं उत्तरदायित्व निर्धारण करने वाली एक प्रभावी आईटी नीति के अभाव में, मास्टर डाटा में किए गए परिवर्तनों की निगरानी करने तथा डाटाबेस में कोई अनाधिकृत परिवर्तन नहीं करने के संबंध में कम्पनी स्वयं को आश्वस्त करने में विफल रही।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (अक्टूबर 2015) कि आईटी नीति एवं आईटी सुरक्षा नीति अभिलिखित थी तथा प्रबन्धन के अनुमोदनार्थ विचाराधीन थी।

व्यवसाय निरंतरता एवं संकट से उबरने की योजना

2.2.11 मुख्य गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण एवं डिजिटलाइजेशन पर भरोसा करना कम्पनी के संचालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी विपरीत घटना अथवा आपदा के होने पर कम्पनी का संचालन सारभूत रूप से प्रभावित होगा। इसलिए कम्पनी के लिए यह आवश्यक है कि आपदा से उबरने एवं व्यवसाय निरन्तर योजना, जिसमें आपदा के तुरन्त बाद किये जाने वाली कार्यवाही एवं प्रभावी रूप से यह सुनिश्चित करना कि सूचना प्रक्रियागत करने की क्षमता शीघ्र शुरू की जा सके, की रूपरेखा को तैयार करे एवं अभिलिखित करे।

हमने देखा कि कम्पनी के पास कोई व्यवसाय निरन्तरता योजना/उबरने की क्रियाविधि नहीं थी। सेवा प्रदाता को जारी किए गए कार्यादेशानुसार कम्पनी का प्राथमिक डाटा सेन्टर उदयपुर में तथा संकट से उबरने का स्थल स्टेट डाटा सेन्टर (एसडीसी) जयपुर में स्थापित किया जाना था। तथापि, हमने देखा कि सेवा प्रदाता ने संकट से उबरने का स्थल, एसडीसी, जयपुर में स्थापित नहीं किया था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया (अक्टूबर 2015) कि सुरक्षा अंकेक्षण के अभाव में संकट से उबरने का स्थल स्थापित नहीं किया जा सका जो कि एसडीसी स्थल स्थापित किए जाने से पहले करना अनिवार्य है।

यूजर आइडेन्टीफिकेशन तथा पासवर्ड

2.2.12 कम्पनी ने मैन्युअल सिस्टम की तुलना में कार्य का अधिक अच्छे तरीके से तथा तीव्रतम निस्तारण करने के लिए आईटी प्रणाली को लागू किया। आईटी प्रणाली को अपनाने के बाद, कम्पनी ने सभी कर्मचारियों तथा पक्षकारों को यूजरनेम तथा पासवर्ड के साथ यूजर आइडेन्टीफिकेशन (यूजर आईडी) उपलब्ध कराया।

एक आदर्श पासवर्ड नीति में प्रथम प्रयोग पर शुरुआती पासवर्ड बदलने की बाध्यता, एक उचित न्यूनतम पासवर्ड लम्बाई तथा पासवर्ड बदलने की बारम्बारता की बाध्यता होनी चाहिए। तथापि, हमने यूजर आईडी तथा पासवर्ड नीति में निम्नलिखित कमियां पाई:

- पासवर्ड बदलने की बाध्यता के दौरान सिस्टम ने समान पासवर्ड को स्वीकार किया तथा;
- सिस्टम ने एल्फान्यूमेरिक तथा स्पेशल करेक्टर के मेल के बिना किसी भी लम्बाई के पासवर्ड को स्वीकार किया।

पासवर्ड नीति का अभाव, किसी अनाधिकृत पहुँच की दशा में सिस्टम को गम्भीर रूप से नुकसान पहुँचा सकता था। सरकार ने कहा कि पासवर्ड नीति को लागू किया जा रहा था।

कम्पनी के पास एक आईटी नीति नहीं थी तथा किसी अवांछित घटना की दशा में कोई व्यवसाय निरन्तरता/संकट से उबरने की योजना नहीं थी। साथ ही, भौतिक तथा तार्किक सुरक्षा के सम्बन्ध में भी सिस्टम दोषपूर्ण था।

कम्पनी को एक स्पष्ट तथा विस्तृत आईटी नीति को बनाना तथा लागू करना चाहिए तथा व्यावसायिक वातावरण के अनुसार आवधिक रूप से इसकी समीक्षा करनी चाहिए।

सिस्टम डिजाइन में कमियां

2.2.13 इनपुट एडवाइस की वैधता एवं निर्गत परिणामों के कम्पनी के व्यवसाय के नियमों के अनुसार होने को सुनिश्चित करने के लिए सॉफ्टवेयर सुदृढ़ तरीके से डिजाइन करना चाहिये ताकि अशुद्ध बिल बनाने तथा गलत इनपुट एडवाइस स्वीकारने की संभावनाओं को कम किया जा सके। समकों के विश्लेषण के दौरान विभिन्न प्रणाली डिजाइन दोष पाये गये, जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

देशी मदिरा के लेबल में अनियमितताएं

2.2.14 राजस्थान आबकारी नियम, 1956 प्रावधान करते हैं कि देशी मदिरा, आईएमएफएल तथा बीयर के प्रत्येक निर्माता को आबकारी आयुक्त से प्रत्येक वर्ष राजस्थान में बेचने अथवा बनाये जाने के लिए उनके ब्राण्डों के लेबल (सभी आकार यथा पक्वा, अर्ध अथवा बोटल हेतु) का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। देशी मदिरा के ब्राण्डों का अनुमोदन करते समय, यह स्पष्ट निर्देश था कि निर्माता केवल बैच नम्बर तथा निर्माण की तिथि को दर्शाने के बाद ही ब्राण्ड लेबल का प्रयोग कर सकते थे।

अनुमोदित लेबल प्रत्येक मद पर चिपकाए जाने चाहिए तथा इनकी रिडक्शन सेन्टर के साथ-साथ डिपो पर जांच की जानी चाहिए। अनुमोदित लेबल पर बैच नम्बर, बोटलिंग/निर्माण की तिथि, आपूर्तिकर्ता का नाम एवं पता, मात्रा का विवरण, देशी मदिरा की शक्ति, विक्रय क्षेत्र का विवरण इत्यादि का विवरण होगा।

सिस्टम में देशी मदिरा की बोटलिंग की तिथि तथा देशी मदिरा के गत्ते के बक्सों की बैच संख्या को इंगित करने का प्रावधान नहीं था। इन सिस्टम डिजाइन दोषों के कारण निम्न कमियां देखी गईं:

- सिस्टम सक्रिय/असक्रिय स्टॉक की मात्रा को इंगित करने में सक्षम नहीं था।
- यह पता नहीं लगाया जा सकता था कि क्या स्टॉक कम्पनी की नीति के अनुसार प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन आधार पर सही रूप से डिपो से जारी किया गया था।

साथ ही, अभिलेखों की जांच/प्रति सत्यापन ने उजागर किया कि परीक्षण किये गये डिपो पर उपलब्ध स्टॉक पर बैच नम्बर तथा बोटलिंग की तिथि छपी हुई नहीं थी लेकिन इसके बावजूद निजी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निर्मित देशी मदिरा को स्वीकार किया। ये अनियमितताएं कम्पनी के कोटा रिडक्शन सेन्टर में भी देखी गईं।



उपरोक्त कमियों ने निर्माण की तिथि, बैच नम्बर इत्यादि को दर्शाने जैसे देशी मदिरा की बिक्री से सम्बन्धित महत्वपूर्ण पहलुओं पर कम्पनी के नियन्त्रण के अभाव को चिन्हित किया।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2015) कि आबकारी नीति ने देशी मदिरा के लिए कोई अवसान अवधि तय नहीं की तथा देशी मदिरा के लिए निर्गम दर वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले निश्चित की जाती है तथा इसलिए सक्रिय/असक्रिय स्टॉक के साथ-साथ इसके निर्गम के लिए प्रयुक्त विधि को इंगित करने की आवश्यकता नहीं थी। तथापि, लेखापरीक्षा आक्षेप को स्वीकारते हुए गते के बक्सों पर निर्माण के बैच/तिथि तथा फीफो विधि को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत आदेश जारी किए जा चुके थे।

सरकार द्वारा दिया गया तर्क न्यायसंगत नहीं है क्योंकि गते के बक्सों पर निर्माण की तिथि तथा बैच नम्बर के अभाव में, सिस्टम यह सुनिश्चित करने में असमर्थ होगा कि फीफो विधि पर देशी मदिरा जारी करने की कम्पनी की नीति का पालन किया गया।

बिना किसी जांच के देशी मदिरा की बिक्री

2.2.15 कम्पनी ने नौ माह³ से अधिक पुरानी देशी मदिरा को खुदरा लाइसेंसी को जारी करने से पहले लेबोरेटरी में जांच कराने के लिए, सभी डिपो के साथ-साथ इकाई कार्यालयों को सामान्य निर्देश जारी किए।

हमने देखा कि 2013-14 के लिए देशी मदिरा के एक अनुमोदित निजी आपूर्तिकर्ता मैसर्स ओजस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, के विभिन्न ब्राण्डों के निप्स के 17114 बॉक्स मार्च 2014 के अन्त में कम्पनी के 44 डिपो के अन्तिम स्टॉक में पड़े हुए थे। 2014-15 के लिए ओजस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के देशी मदिरा के विभिन्न ब्राण्ड दिसम्बर 2014 तथा जनवरी 2015 में अनुमोदित हुए थे।

डाटाबेस के हमारे विश्लेषण ने उजागर किया कि देशी मदिरा की जांच के लिए सिस्टम में कोई प्रावधान नहीं किया गया था तथा इसलिए सिस्टम नौ माह पुराने स्टॉक का पता लगाने में समर्थ नहीं था। हमने देखा कि इस कमी के कारण सिस्टम ने कम्पनी के 34 डिपो पर ₹ 47.76 लाख

3 सामग्री आवक पर्ची तैयार करने की तिथि से।

मूल्य वाले बिना लेबोरेटरी टेस्ट किए हुए नौ माह से अधिक पुराने ओजस ब्राण्ड के स्टॉक को विक्रय के लिए अनुमत किया जो अनुबन्ध-3 में दर्शाया गया है। तीन⁴ डिपो में, जहां प्रधान कार्यालय के आदेशों की पालना में जांच की गई थी, हमने देखा कि ओजस ब्राण्ड की गुणवत्ता खराब हो गई थी। तथापि, प्रधान कार्यालय के स्तर पर कोई कार्यवाही शुरू नहीं पाई गई। साथ ही, डिपो के स्टॉक में पड़ी नौ माह पुरानी देशी मदिरा के सम्बन्ध में कोई एमआईएस सिस्टम द्वारा तैयार नहीं की गई थी।

तथ्यों को स्वीकारते हुए सरकार ने बताया (अक्टूबर 2015) कि आपूर्तिकर्ता को देशी मदिरा के खराब स्टॉक को वापस उठाने के लिए अनुमत (मई 2015) किया गया था। इसने आगे बताया कि देशी मदिरा की शक्ति एवं गुणवत्ता की जांच के लिए सभी डिपो को टेस्टिंग उपकरण उपलब्ध करा दिए थे। इसने आगे बताया कि 34 डिपो पर बेची गई देशी मदिरा प्रयोग के लिए उपयुक्त पाई गई थी।

सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इन 34 डिपो द्वारा कोई जांच नहीं कराई गई थी। साथ ही, बिक्री पूर्व जांच करने योग्य नौ माह पुरानी देशी मदिरा के स्टॉक का पता लगाने के लिए सिस्टम में उचित इनबिल्ट प्रावधान करने के मुद्दे पर उत्तर मौन था।

डिपो की स्थिति

2.2.16 आबकारी अधिनियम प्रावधान करता है कि देशी मदिरा की दुकानों तथा चिकित्सालयों, डिस्पेन्सरियों, कॉलेज संस्थानों, मनोरंजन के सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक रिजॉर्ट तथा आबकारी आयुक्त द्वारा पहचान किए हुए ऐसे सामान्य सार्वजनिक पूजा के स्थानों के मध्य 200 मीटर की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। प्रचलित व्यवस्था के अनुसार, जिला आबकारी अधिकारी (डीईओ) को उपरोक्त प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए लाइसेन्सी की दुकानों का विवरण जांचना तथा दुकानों की स्थिति के विवरण वाली एक जांच सूची प्रस्तुत करनी आवश्यक है।

तथापि, हमने देखा कि लाइसेन्सी की दुकानों के विवरण को सत्यापित करने के लिए सिस्टम की पूर्ण रूप से पालना नहीं की जा रही थी क्योंकि बहुत सारी जांच सूचियों में निर्दिष्ट स्थानों से दुकानों की दूरी दर्शाने वाले स्थाने या तो खाली छोड़े हुए थे या पूर्ण रूप से भरे हुए नहीं थे। साथ ही, बॉन्डेड वेयरहाउसों के मामले में जहां से कम्पनी ने लाइसेन्सी को देशी मदिरा की बिक्री/आपूर्ति की, इस प्रावधान का पालन नहीं किया जा रहा था।

साथ ही, डाटाबेस के हमारे विश्लेषण ने उजागर किया कि एकीकृत सिस्टम में उपरोक्त स्थानों से देशी मदिरा की दुकानों/डिपो की दूरी दर्शाने वाला स्थाना नहीं था। साथ ही, आबकारी विभाग द्वारा डिपो की स्थिति के अनुमोदन के सम्बन्ध में सूचना अभिलेखों में नहीं पाई गई।

4 छीपाबड़ोद, जोधपुर तथा कोटा डिपो।



झालावाड़ डिपो



भवानीमण्डी डिपो

कुछ डिपो की नमूना जांच ने उजागर किया कि भवानीमण्डी डिपो विद्यालय के समीप स्थित है तथा डिपो के साथ-साथ विद्यालय के लिए प्रवेश द्वार समान था। इसी प्रकार, झालावाड़ डिपो खेल संकुल के समीप स्थित है जो कम्पनी द्वारा आबकारी अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना के अभाव को दर्शाता है।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2015) कि 200 मीटर की बाध्यता देशी मदिरा की बिक्री के लिए खुदरा दुकानों पर लागू है तथा डिपो पर नहीं। इसने आगे बताया कि डिपो की स्थितियां लागू अधिनियम/नियमों के अनुसार आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित थी।

उत्तर इस तथ्य के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं है कि बॉन्डेड वेयरहाउस के संस्थापन की शर्तें एवं प्रतिबंध प्रावधान करते हैं कि आबकारी अधिनियम के प्रावधान तथा उसके अन्तर्गत जारी किए गए नियम तथा आदेश बॉन्डेड वेयरहाउस/बोटलिंग प्लान्ट पर लागू हैं। साथ ही, कम्पनी खुदरा लाइसेन्सी को देशी मदिरा का विक्रय कर रही है इसलिए ये आदेश कम्पनी पर भी लागू हैं। इसके अतिरिक्त, निर्दिष्ट स्थानों के समीप डिपो का संचालन करना कम्पनी के लिए नीतिपरक नहीं है। यदि सिस्टम में यह फील्ड होता तो निर्दिष्ट स्थानों से दुकानों की स्थिति पता लगाना तथा इसके द्वारा दुकानों की स्थिति के बारे में प्रावधानों का अनुपालन सम्भव होता।

इस प्रकार डिजाईन की कमियों तथा अपर्याप्त इनपुट नियंत्रणों के परिणामस्वरूप लेबल के अनुमोदन, डिपो की स्थिति एवं टेस्टिंग के बिना देशी मदिरा की बिक्री में अनियमितता हुई।

सिस्टम, डिपो की स्थिति, सक्रिय/असक्रिय स्टॉक की मात्रा तथा देशी मदिरा की जांच समय पर सुनिश्चित करने के लिए बोटलिंग की तिथि को इंगित करने योग्य होना चाहिए।

व्यवसाय के नियमों की रूपरेखा

2.2.17 आबकारी अधिनियम, 1950 तथा इसके अन्तर्गत बने उत्पाद शुल्क नियम, 1956 के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष बनाई गई उत्पाद शुल्क नीति अनिवार्य प्रकृति की हैं तथा कम्पनी द्वारा अपना व्यवसाय चलाने के लिए इनकी पालना करना आवश्यक था। पाई गई कमियां, जहां या तो अधिनियम/नियम/बनाई गई नीति की अनुपालना नहीं की गई थी या सिस्टम में ठीक से सम्मिलित नहीं की गई थी, की चर्चा नीचे की गई हैं:

देशी मदिरा की बिक्री/परमिट जारी करने में वैधानिक उल्लंघन

2.2.18 आबकारी विभाग, राजस्थान सरकार ने अपनी आबकारी नीति में पांच⁵ दिनों को सूखा दिवस के रूप में घोषित किया तथा इन दिनों पर राजस्थान में मदिरा की बिक्री निषिद्ध थी।

हमने देखा कि देशी मदिरा की बिक्री को निषिद्ध करने के लिए सॉफ्टवेयर में उचित प्रावधान सम्मिलित नहीं किए गए जबकि महावीर जयन्ती को छोड़कर चार दिनों की तिथि निर्धारित थी।

डाटाबेस के हमारे विश्लेषण ने उजागर किया कि इस कमी के कारण, सिस्टम ने बिलों की उत्पत्ति की तथा इसके परिणामस्वरूप कम्पनी ने 2013-15 के दौरान गणतन्त्र दिवस, शहीद दिवस, स्वतंत्रता दिवस तथा गांधी जयन्ती पर ₹ 38.42 लाख (97 बिल) मूल्य की देशी मदिरा विक्रय की। साथ ही, कम्पनी ने 2013-14 के दौरान महावीर जयन्ती के अवसर पर भी ₹ 2.90 करोड़ (765 बिल) मूल्य की देशी मदिरा विक्रय की।

इसके अतिरिक्त, आबकारी विभाग ने भी इन प्रावधानों का पालन नहीं किया तथा इसके द्वारा सूखा दिवसों पर 1117 परमिट जारी किए गये।

इस प्रकार, कम्पनी वैधानिक प्रावधानों का पालन करने में विफल रही तथा सूखा दिवसों पर देशी मदिरा का विक्रय किया। साथ ही, कम्पनी का आन्तरिक नियन्त्रण तन्त्र दोषपूर्ण था क्योंकि यह एमआईएस, डिपो की कार्यप्रणाली इत्यादि को विश्लेषित करते हुए वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन का पता नहीं लगा सका।

सरकार ने सूखा दिवसों पर देशी मदिरा के विक्रय को निषिद्ध करने के लिए सॉफ्टवेयर में प्रावधान की रूपरेखा नहीं होने के तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2015)। तथापि, इसने बताया कि देशी मदिरा को वास्तविक रूप से सूखा दिवसों से पहले जारी किया गया था लेकिन विद्युत नहीं होने, इंटरनेट कनेक्टिविटी इत्यादि के कारण सिस्टम में प्रविष्टियां सूखा दिवसों पर की गईं। इसने आगे बताया कि ऑनलाइन आबकारी परमिटों को जारी करने का सिस्टम 1 अक्टूबर 2015 से लागू किया जा चुका था तथा इन प्रावधानों को सूखा दिवसों पर परमिटों को जारी करने के साथ-साथ देशी मदिरा के विक्रय को निषिद्ध करने के लिए सॉफ्टवेयर में रूपरेखाित किया जा चुका था।

सरकार द्वारा बताये गये कारण इन तथ्यों के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं है कि कम्पनी ने केवल सिस्टम के माध्यम से अर्थात् ऑनलाइन बिलों की उत्पत्ति द्वारा देशी मदिरा विक्रय करने के लिए इसके डिपो प्रभारी को निर्देश जारी किए थे (मार्च 2013) इसलिए बिना बिलों की उत्पत्ति के देशी मदिरा का विक्रय नहीं किया जा सकता था। साथ ही, डिपो के मैनुअल अभिलेखों ने भी इंगित किया कि सूखा दिवसों पर बिल बनाये गये थे तथा देशी मदिरा का विक्रय किया गया था। डिपो आबकारी नीति के उल्लंघन में सूखा दिवसों पर कार्य कर रहे थे। साथ ही, सभी डिपो के पास यूपीएस, इन्वर्टर्स की सुविधा है तथा आक्षेप लगभग सभी डिपो से सम्बन्ध रखता है। सूखा दिवसों पर आबकारी विभाग द्वारा परमिट जारी करने के विषय पर सरकार का उत्तर मौन था।

5 गणतन्त्र दिवस, शहीद दिवस, महावीर जयन्ती, स्वतंत्रता दिवस तथा गांधी जयन्ती।

चुनाव के दिन विक्रय/परमिट

2.2.19 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135सी के प्रावधानों की पालना में चुनाव आयोग ने 2013-14 तथा 2014-15 में आयोजित लोकसभा, विधानसभा तथा नगर निगम चुनावों के लिए चुनाव की तिथियों के साथ-साथ गणना के दिनों को 'सूखा दिवस' घोषित किया। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को छः माह तक की अवधि के कारावास अथवा ₹ दो हजार तक के जुर्माने अथवा दोनों का दण्ड दिया जा सकता था।

राजस्थान के आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार (सितम्बर 2013), चुनाव आयोग के निर्देश/दिशानिर्देशों के अन्तर्गत कम्पनी के डिपो से देशी मदिरा के आने व बाहर जाने को रिकॉर्ड (24 घण्टे सातों दिन) करने हेतु ₹ 44.21 लाख का व्यय करते हुए डिपो पर 99 क्लॉज सर्किट टेलिविजन (सीसीटीवी) कैमरे लगाए गए थे तथा रिकॉर्डिंग के उद्देश्य से ₹ 13.14 लाख के मूल्य की 198 हार्ड डिस्क क्रय की गई थी।

कम्पनी के डाटाबेस के हमारे विश्लेषण ने उजागर किया कि कम्पनी ने चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों को संज्ञान में नहीं लिया तथा सॉफ्टवेयर में उचित प्रावधान नहीं किए। इस प्रकार कम्पनी ने 2013-14 एवं 2014-15 में चुनावों/मतों की गणना के दौरान 'सूखा दिवसों' के रूप में घोषित तिथियों⁶ पर खुदरा विक्रेताओं को ₹ 4.13 करोड़ मूल्य की देशी मदिरा विक्रय की। कम्पनी के डिपो पर लगाए गए सभी सीसीटीवी कैमरे सही हालत में काम कर रहे थे जो इंगित करता है कि प्रबन्धन ने सीसीटीवी फुटेज की जांच नहीं की। ₹ 44.21 लाख का व्यय करने के बाद भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।

इसके अतिरिक्त, आबकारी विभाग ने भी इन प्रावधानों की पालना नहीं की तथा चुनावों/मतों की गणना की तिथियों पर 1218 परमिट जारी किए। इस प्रकार, चुनाव आयुक्त द्वारा लगाये गये प्रतिबंध की अवहेलना की गई थी।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2015) कि चुनाव की तिथियों पर कोई देशी मदिरा विक्रय नहीं की गई थी। इसने आगे बताया कि सिस्टम में चुनाव तिथियों के लिए दिखाई दे रही प्रविष्टियां पहले के दिनों पर देशी मदिरा के विक्रय से सम्बन्धित थी। सरकार ने यह भी बताया कि ऑनलाइन आबकारी परमिट की उत्पत्ति का सिस्टम 1 अक्टूबर 2015 को लागू किया गया था तथा सूखा दिवसों पर देशी मदिरा के विक्रय के साथ-साथ परमिट जारी करने से रोकने के लिए सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान अभिरेखित किए जा चुके थे।

उत्तर सहमतिकारक नहीं है क्योंकि डिपो के अभिलेखों ने इंगित किया कि चुनाव दिवसों पर विक्रय हुआ। साथ ही, ऑनलाइन बिल उत्पन्न किए बिना देशी मदिरा का विक्रय नहीं किया जा सकता था। सूखा दिवसों पर आबकारी विभाग द्वारा परमिट जारी करने के विषय पर सरकार का उत्तर मौन था।

वेयरहाउसों के कार्य समय के पश्चात/अकार्य दिवसों पर मदिरा का विक्रय

2.2.20 राज्य सरकार ने कम्पनी के डिपो के लिए साप्ताहिक छः कार्य दिवस निर्धारित किए। डिपो के लिए कार्य घण्टे रविवार तथा द्वितीय शनिवार को छोड़कर प्रत्येक कार्य दिवस पर प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक थे। साथ ही, आबकारी नीति ने भी देशी मदिरा की खुदरा दुकानों

6 30 नवम्बर 2013, 16 एवं 17 अप्रैल 2014 तथा 21, 22 एवं 25 नवम्बर 2014.

के लिए प्रातः 10 बजे से सायं 8 बजे तक का समय निर्धारित किया था। देशी मदिरा खुदरा विक्रय लाइसेन्स की शर्त के वाक्य 6.2 में एक लाइसेन्सी को कम्पनी के डिपो से देशी मदिरा क्रय करने तथा इसको खुदरा दुकानों तक सबसे छोटे रास्ते से परिवहन करने का प्रावधान था। चूंकि डिपो बॉन्डेड वेयरहाउस हैं, कम्पनी के लिए कार्य समय के पश्चात/अकार्य दिवसों पर देशी मदिरा की कोई लोडिंग अथवा अनलोडिंग करने के लिए आबकारी विभाग की पूर्वानुमति लेना अनिवार्य है।

डाटाबेस के विश्लेषण ने उजागर किया कि एकीकृत सिस्टम में निर्धारित कार्य घण्टों के पश्चात किए जाने वाले व्यवहारों को निषिद्ध करने के लिए कार्य घण्टों को अभिरेखित नहीं किया। सिस्टम ने सक्षम अधिकारी के साथ-साथ आबकारी विभाग की पूर्वानुमति के बिना कार्य घण्टों के बाद भी बिलों की उत्पत्ति को अनुमत किया।

हमने देखा कि 2013-15 के दौरान कम्पनी के सभी 99 डिपो में सायं 5 बजे के पश्चात ₹ 253.01 करोड़ मूल्य की देशी मदिरा के विक्रय के लिए 65499 बिलों की उत्पत्ति की गई। इसके अतिरिक्त, ₹ 40.41 करोड़ मूल्य की देशी मदिरा के विक्रय के लिए 10630 बिलों की उत्पत्ति सायं 8 बजे के बाद अर्थात् खुदरा दुकानों के बन्द होने के समय के बाद की गई। साथ ही, रविवार/द्वितीय शनिवार को कम्पनी के सभी 99 डिपो पर ₹ 31.88 करोड़ मूल्य की देशी मदिरा के विक्रय के लिए 7586 बिलों की उत्पत्ति की गई।

हमने देखा कि कम्पनी के विभिन्न डिपो पर नियुक्त किए गए आबकारी विभाग के कर्मचारियों द्वारा इन प्रावधानों की पालना नहीं की गई क्योंकि रविवार के दिन ₹ 22.11 करोड़ मूल्य के 5294 परमिट जारी करने के प्रकरण पाये गये।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2015) कि लाइसेन्सियों की समस्याओं को देखते हुए तथा आबकारी राजस्व को सुरक्षित रखने हेतु सायं 8 बजे के बाद तक भी खुदरा लाइसेन्सियों को देशी मदिरा जारी की गई।

सरकार का उत्तर सहमतिकारक नहीं है क्योंकि आबकारी विभाग कम्पनी के डिपो से देशी मदिरा की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम एक दिन की वैधता प्रदान करता है इसलिए आपूर्ति अगले दिन प्राप्त की जा सकती थी। साथ ही, कार्य घण्टों के बाद देशी मदिरा जारी करना आबकारी नीति/उसके अन्तर्गत बने नियमों का उल्लंघन था। अकार्य दिवसों पर देशी मदिरा की बिक्री के विषय पर उत्तर मौन था। इसके अतिरिक्त, आबकारी राजस्व को सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में भी तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राज्य में देशी मदिरा की आपूर्ति के लिए कम्पनी के पास एकाधिकार था।

आबकारी नीति का उल्लंघन

2.2.21 वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के लिए आबकारी नीति के अनुपालना में, निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं को देशी मदिरा के स्ट्रॉंग तथा निम्न शक्ति के एक आदर्श/विशिष्ट अनुपात को बनाए रखना था। उसी के अनुसार, एक आपूर्तिकर्ता को 2013-14 तथा 2014-15 में कुल आपूर्ति की गई देशी मदिरा में से 50 यूपी⁷ (निम्न शक्ति) की न्यूनतम क्रमशः 30 प्रतिशत तथा 35 प्रतिशत आपूर्ति को सुनिश्चित करना था।

यह प्रावधान एकीकृत सिस्टम में अभिरेखित नहीं किया गया था तथा कम्पनी दोनों वर्षों में देशी मदिरा के स्ट्रॉंग तथा निम्न शक्ति के आवश्यक अनुपात को नहीं बनाए रख सकी। साथ ही, इस प्रावधान को अभिरेखित नहीं करने के कारण, सिस्टम कोई प्रतिवेदन निकालने अथवा कम्पनी के रिडक्शन सेन्टर द्वारा आबकारी नीति के उल्लंघन के सम्बन्ध में आगाह करने में सक्षम नहीं था।

कम्पनी ने आबकारी नीति में नियत प्रावधान के विरुद्ध 50 यूपी देशी मदिरा की 19.37 प्रतिशत तथा 23.22 प्रतिशत की आपूर्ति की जिसके परिणामस्वरूप परिशोधित स्पिरिट के अधिक उपभोग एवं निर्माण पर ₹ 2.68 करोड़⁸ की पारिणामिक हानि तथा अलग-अलग वर्षों की आबकारी नीति में निर्धारित अनुपात से अधिक 18.71 लाख निप्स के बॉक्स की आपूर्ति हुई।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2015) कि आबकारी नीति में ये आदर्श अनुपात सम्पूर्ण राज्य के परिपेक्ष्य में निर्धारित किए गए थे ना कि डिपो/लाइसेन्सी के स्तर पर। इसने आगे बताया कि समग्र रूप से राज्य में निर्धारित अनुपात को बनाये रखा गया था। साथ ही, आबकारी नीति में नियत अनुपात के अनुसार 50 यूपी देशी मदिरा का उत्पादन करने से इसका बिना बिका हुआ स्टॉक पड़ा रह सकता था जिससे कम्पनी को भारी हानि हो सकती थी।

उत्तर सहमतिकारक नहीं है क्योंकि आबकारी नीति में नियत अनुपात देशी मदिरा के प्रत्येक आपूर्तिकर्ता/निर्माता द्वारा सुनिश्चित किया जाना था। साथ ही, लेखापरीक्षा आक्षेप सम्पूर्ण राज्य में कम्पनी द्वारा उत्पादित तथा आपूर्ति की गई देशी मदिरा से सम्बन्ध रखता है। कम्पनी जो कि आबकारी विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में है, द्वारा आबकारी नीति की अनदेखी करना एक गम्भीर मामला है इसलिए सरकार को इस मामले में प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

खुदरा लाइसेन्सी द्वारा आबकारी अधिनियम का उल्लंघन

2.2.22 देशी मदिरा के खुदरा विक्रेताओं/लाइसेन्सी के लिए नियम एवं शर्तों के नियम 7.3 में प्रावधान था कि खुदरा लाइसेन्सी, मासिक गारन्टिड आपूर्ति को पूरा करने के लिए, 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान 40 यूपी देशी मदिरा की अधिकतम क्रमशः 70 प्रतिशत तथा 65 प्रतिशत आपूर्ति प्राप्त कर सके।

हमने देखा कि एकीकृत सिस्टम में यह प्रावधान अभिरेखित नहीं किया गया था तथा इसलिए सिस्टम मासिक आधार पर प्रत्येक लाइसेन्सी/खुदरा विक्रेता को देशी मदिरा की आपूर्ति के सम्बन्ध में अनुपात निर्धारित करने में सक्षम नहीं था।

वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान क्रमशः 1547 तथा 2849 प्रकरण थे जिनमें कम्पनी के विभिन्न डिपो ने नियम के उल्लंघन में अधिकतम अनुमत्य सीमा से अधिक देशी मदिरा की आपूर्ति की।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2015) कि विशेष ब्राण्ड एवं शक्ति के लिए स्थानीय लोगों की पसंद को अनदेखा करते हुए आबकारी नीति में दर्शाए गए अनुपातों के अनुसार देशी मदिरा उठाने के लिए एक लाइसेन्सी को बाध्य करना व्यावहारिक नहीं होगा। इसने आगे बताया कि

8 50 यूपी देशी मदिरा के विक्रय मूल्य तथा प्रति बीएल परिशोधित स्पिरिट की भारित औसत लागत को ध्यान में रखने के बाद हानि की गणना की गई है।

लाइसेन्सियों ने आबकारी विभाग द्वारा जारी किए गए परमिटों के अनुसार ही देशी मदिरा की आपूर्ति प्राप्त की।

उत्तर सहमतिकारक नहीं है क्योंकि आबकारी नियमों के अनुसार इन अनुपातों का प्रत्येक लाइसेन्सी द्वारा अनुपालन किया जाना आवश्यक था। साथ ही, आईईएमएस को आबकारी विभाग तथा कम्पनी की विभिन्न गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए विकसित किया गया था इसलिए आबकारी अधिनियम, नीति तथा इसके अन्तर्गत बने नियमों के प्रावधानों को अभिरेखित किया जाना आवश्यक था। तथापि, उत्तर सिस्टम में आवश्यक प्रावधानों को अभिरेखित किए जाने के सम्बन्ध में मौन था।

एकीकृत सिस्टम में आबकारी अधिनियम/नियमों के अनुसार व्यावसायिक नियमों को अभिरेखित करने का अभाव था जिसने देशी मदिरा के विक्रय में वैधानिक उल्लंघन/सूखा दिवसों/चुनाव की तिथियों पर परमिट जारी करने तथा कार्य घण्टों से परे एवं अकार्य दिवसों पर मदिरा के विक्रय को बढ़ावा दिया।

कम्पनी द्वारा आबकारी अधिनियम/नियम के प्रावधानों के अनुसार व्यावसायिक नियमों का अभिरेखन तथा इनकी आवधिक समीक्षा एवं अद्यतनता को सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

एप्लीकेशन नियंत्रण

आगत नियंत्रण तथा वैधता जांच

2.2.23 आगत नियंत्रण अति महत्वपूर्ण है क्योंकि कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में गलती अथवा कपट का सबसे महत्वपूर्ण कारण गलत अथवा कपटपूर्ण आगत होता है। आगत नियंत्रण तथा वैधता जांच प्रणाली की सत्यनिष्ठा के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रियाविधि तथा नियंत्रण पर्याप्त गारंटी देता है कि प्रोसेसिंग के लिए प्राप्त किये गये समंक सही, पूर्ण, पूर्व प्रक्रियागत नहीं, शुद्ध तथा उचित रूप से अधिकृत है। साथ ही, यह सुनिश्चित करता है कि समकों की प्रविष्टि सही तथा बिना दोहराव के की गई है। आगत नियंत्रण एवं वैधता जांच प्रणाली में पायी गई विसंगतियों की चर्चा नीचे की गई है:

परमिट की वैधता अवधि के पश्चात अथवा बिना परमिट मदिरा का विक्रय

2.2.24 कम्पनी के डिपो/वेयरहाउस से देशी मदिरा के प्रापण के लिए, खुदरा लाइसेन्सियों को परमिट शुल्क तथा आबकारी शुल्क के भुगतान पर आबकारी विभाग से एक परमिट (विभिन्न सूचनाओं सहित जैसे कि जारी करने की तिथि, इसकी वैधता, परिवहन मार्ग, चुकाया गया आबकारी शुल्क तथा देशी मदिरा की मात्रा/ब्राण्ड) लेना आवश्यक है।

डाटाबेस के विश्लेषण ने उजागर किया कि एकीकृत सिस्टम में पर्याप्त आगत नियंत्रण तथा वैधता जांच नहीं थी तथा इसलिए इसने खुदरा विक्रेताओं को मदिरा के विक्रय के लिए बिल बनाते समय परमिट जारी करने की तिथि तथा इसकी वैधता की पुष्टि नहीं की। हमने देखा कि ₹ 47.86 करोड़ मूल्य की देशी मदिरा के विक्रय के लिए 11543 बिल, परमिट की वैधता समाप्ति से 2 से 324 दिन बाद जारी किये गये।

एकीकृत सिस्टम ने सात अंकों से अधिक वाले परमिट नम्बरों को स्वीकार किया तथा जाली व्यवहारों के प्रकरण भी ध्यान में आये। बिना अनुमोदन वाले ब्राण्ड के विक्रय का प्रति सत्यापन करने के लिए, हमने तीन⁹ डिपो के अभिलेखों की जांच की तथा पाया कि वहां ₹ 4.40 लाख मूल्य के 21 जाली बिल/व्यवहार¹⁰ किए गए। यह जाली बिल पूर्व के परमिट नम्बरों में एक और अंक जोड़ते हुए उत्पन्न किए गए थे। इन बिलों की उत्पत्ति के समय, डिपो मैनेजर ने उन खुदरा विक्रेताओं को डेबिट किया जिनका क्रेडिट शेष पड़ा हुआ था। इन अनियमितताओं के मुख्य कारण एकीकृत सिस्टम में अपर्याप्त इनपुट नियन्त्रण/वैधता जांच तथा आबकारी विभाग द्वारा मैनुअल परमितों को जारी करने के साथ-साथ कम्पनी में अपर्याप्त आन्तरिक नियन्त्रण तन्त्र थे।

सरकार ने सिस्टम में सभी आवश्यक इनपुट नियन्त्रण तथा वैधता जांचों को समाहित करने का आश्वासन दिया (अक्टूबर 2015)। इसने आगे बताया कि प्रकाश में लाए गए अधिकांश मामलों में, देशी मदिरा को वैधता अवधि में जारी किया गया था लेकिन समयभाव के कारण, बिल बाद में बनाये गये थे। 21 जाली बिलों के सम्बन्ध में, यह बताया गया कि आवश्यक सुधार प्रविष्टियों की जा चुकी थी तथा जाली प्रविष्टियों को सही कर लिया गया था।

सरकार का यह उत्तर कि बिल बाद में उत्पन्न किए गए थे सहमतिकारक नहीं है क्योंकि यह केवल तभी सम्भव है जब मैनुअल विक्रय का एक समानान्तर सिस्टम प्रचलन में हो जो कि कम्पनी के निर्देशानुसार निषिद्ध है। प्रविष्टियों के शुद्धिकरण के समर्थन में उपलब्ध कराये गये प्रलेख में, सम्पूर्ण व्यवहार अर्थात् खुदरा लाइसेन्सी के शेष, अन्तिम स्टॉक के शेष तथा निजी आपूर्तिकर्ता को पूर्व में किए गए भुगतान को सही किए बिना केवल परमिट नम्बर से अतिरिक्त अंक को हटाना पाया गया।

खुदरा विक्रेताओं को नकद/उधार विक्रय

2.2.25 कम्पनी की नीति के अनुसार, इसके डिपो से देशी मदिरा क्रय करने के लिए, खुदरा विक्रेताओं को या तो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर अथवा बैंक ऑफ बड़ौदा में कम्पनी द्वारा जारी किए चालान के माध्यम से राशि जमा कराना तथा डिपो पर चालान की एक प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक था। सिस्टम खुदरा विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किए गए चालान की प्रति डाटा से सत्यापित करता है तथा तब जमा कराई राशि तक अर्थात् उस खुदरा विक्रेता के जमा शेष तक की राशि के बिल, देशी मदिरा के विक्रय के लिए उत्पन्न करता है। साथ ही, कम्पनी ने बैंक चालान के बदले में नकद को स्वीकारने को निषिद्ध करने के आदेश जारी किए (जून 2013)।

हमने देखा कि एकीकृत सिस्टम में पर्याप्त नियन्त्रण सम्मिलित नहीं थे इसलिए सिस्टम ने मैनुअल हस्तक्षेप अर्थात् डिपो प्रबंधक द्वारा बैंक चालान के बदले नकद स्वीकार करना, चालान राशि, चालान नम्बर, चालान की तिथि में बदलाव इत्यादि को स्वीकार किया। डाटाबेस के हमारे विश्लेषण में पाया कि:

- कम्पनी के 59 डिपो पर 1735 प्रकरणों में, डिपो मैनेजर ने खुदरा विक्रेताओं से नकद राशि स्वीकार की तथा सिस्टम ने 2013-15 के दौरान ₹ 2.05 करोड़ मूल्य के बिल

9 भवानीमण्डी, झालावाड़ तथा राजसमन्द।

10 (भवानीमण्डी में ₹ 2.11 लाख मूल्य की पांच प्रविष्टियां), (झालावाड़ में ₹ 2.11 लाख मूल्य की 13 प्रविष्टियां) तथा (राजसमन्द में ₹ 0.18 लाख मूल्य की तीन प्रविष्टियां)।

उत्पन्न करने द्वारा नकद की प्रविष्टियों के मैनुअल हस्तक्षेप को होने दिया।

- वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान क्रमशः ₹ 1.15 करोड़ तथा ₹ 0.42 करोड़ मूल्य के उधार विक्रय के 411 तथा 214 प्रकरण थे। साथ ही, 2013-14 तथा 2014-15 के अन्त में उधार विक्रय के कारण क्रमशः 54 खुदरा विक्रेताओं तथा 19 खुदरा विक्रेताओं से ₹ 0.20 करोड़ तथा ₹ 0.09 करोड़ की राशि बकाया रही। कम्पनी के पास इन खुदरा विक्रेताओं के संबंध में कोई वित्तीय धारण नहीं था।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2015) कि नकद व्यवहारों को बैंकों के अकार्य दिवस होने, अप्रैल के पहले दिन लाइसेन्सियों के नाम अपलोडिंग नहीं होने तथा मासिक गारन्टी को पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए स्वीकार किया गया। इसने आगे बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने के बाद सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान अभिरेखित किए जा रहे थे। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद चालानों को हटाने तथा बिलों में दर्शाए गए ब्राण्डों को सही करने के कारण उधार बिक्री दर्शित हुई। सरकार ने आगे कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए प्रकरणों में, कोई उधार विक्रय नहीं था क्योंकि लाइसेन्सियों के खाते में नकारात्मक शेष नहीं था।

उत्तर सहमतिकारक नहीं है क्योंकि 1 अप्रैल के अतिरिक्त भी भिन्न-भिन्न तिथियों तथा स्थलों में सम्बन्धित व्यवहारों की बड़ी संख्या थी। साथ ही, यह प्रतिवर्ष पहली अप्रैल को नकद राशि स्वीकार नहीं करने के डिपो प्रभारी को जारी किए गए कम्पनी के निर्देशों की अवहेलना थी। इसके अतिरिक्त, सिस्टम दोषपूर्ण था जैसा कि इसने बिल में दर्शाए गए ब्राण्डों को सही करने तथा चालानों को हटाने की अनाधिकृत प्रविष्टियों को स्वीकार किया। तथ्य यही रहा कि अपर्याप्त नियन्त्रण के कारण, सिस्टम ने मानवीय हस्तक्षेप को स्वीकार किया जो ₹ 0.29 करोड़ की अदेय राशि का कारण बना।

सामग्री आवक स्लिप में कमियां

2.2.26 डिस्टिलरीज/बोटलर्स/निर्माताओं से देशी मदिरा की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए, आपूर्तिकर्ताओं को आबकारी विभाग से परमिट लेना आवश्यक है। इस प्रकार जारी किया गया परमिट विशिष्ट ब्राण्ड तथा देशी मदिरा की मात्रा को इंगित करता है। आबकारी विभाग ने मई 2014 से आपूर्तिकर्ताओं को ऑनलाइन परमिट जारी करना शुरू किया। कम्पनी ने देशी मदिरा के माल की प्राप्ति पर एक सामग्री आवक स्लिप (एमआईएस) तैयार की।

डाटाबेस के विश्लेषण ने उजागर किया कि एकीकृत सिस्टम में एमआईएस तैयार करते समय परमिट वैधता, मात्रा तथा माल की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त वैधता जांच नहीं थी। हमने निम्नलिखित विसंगतियां पाईं:

- 4172 प्रकरणों में, कम्पनी ने परमिट की वैधता की अवधि समाप्त होने के बाद (1 से 68 दिनों के मध्य) भी निजी आपूर्तिकर्ताओं से देशी मदिरा के 33.80 लाख बक्सों को प्राप्त किया। साथ ही, एक मामले में, सिस्टम ने आपूर्तिकर्ता के ऐसे ब्राण्ड की एमआईएस बनाई जो आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं था।
- 44 प्रकरणों में, आबकारी विभाग ने 35675 बक्सों की मात्रा के लिए परमिट जारी किए तथा उनके समक्ष केवल 27889 बक्से ही कम्पनी के विभिन्न डिपो पर आपूर्ति किए गये थे।

- कम्पनी के विभिन्न डिपो को देशी मदिरा के 58401 बक्सों की आपूर्ति के लिए निजी आपूर्तिकर्ताओं को 2014-15 के दौरान आबकारी विभाग द्वारा जारी किए 81 परमिट न तो आबकारी विभाग द्वारा निरस्त किए गए तथा न ही कम्पनी के डिपो पर कोई आपूर्ति प्राप्त हुई। आबकारी शुल्क की नियत दर के अनुसार, देशी मदिरा की ऊपर दर्शाई गई मात्रा में ₹ 3.14 करोड़ का आबकारी शुल्क शामिल था।

कम्पनी ने देशी मदिरा की कम आपूर्ति/आपूर्ति प्राप्त नहीं होने पर मामला आपूर्तिकर्ताओं/आबकारी विभाग के समक्ष नहीं उठाया। खुदरा विक्रेताओं को अवैध रूप से देशी मदिरा की आपूर्ति तथा आबकारी शुल्क की चोरी की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता।

- 31206 प्रकरणों में माल (गेट प्रविष्टि) की प्राप्ति की तिथि से एमआईएस तैयार करने में 1 तथा 93 दिनों के मध्य की भारी देरी थी जो देशी मदिरा के माल की उत्तराई में देरी को इंगित करती है।

सरकार ने सिस्टम में पर्याप्त आगत नियन्त्रण तथा वैधता जांच नहीं होने के तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (अक्टूबर 2015) कि डिपो पर गेट प्रविष्टियां माल की प्राप्ति की तिथि के रूप में ली गई तथा न कि सामग्री आवक रिलिफ की तिथि से। साथ ही, परमिट में दर्शाई मात्रा की तुलना में डिपो पर देशी मदिरा की कम प्राप्ति के लिये माल को ले जाने वाले ट्रक की दुर्घटना, रास्ते में माल की चोरी तथा गेट प्रविष्टि के बाद प्रयोगशाला द्वारा नमूने को अस्वीकार करने इत्यादि को उत्तरदायी ठहराया। इसने आगे एक सिस्टम को विकसित करने का आश्वासन दिया जिसमें कम्पनी द्वारा जारी किए जा रहे ओएफएस के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं को ऑनलाइन परमिट जारी किए जायेंगे।

माल की प्राप्ति में महत्वपूर्ण देरी होने के तथ्यों के मद्देनजर उत्तर सहमतिकारक नहीं है। यहां तक कि यदि प्राप्ति की तिथि को प्रविष्टि की तिथि के रूप में माना जाए तो माल को स्टॉक में 1 से 93 दिनों के मध्य देरी से लिया गया। साथ ही, डिपो पर माल की कम प्राप्ति के लिए दर्शाए गए कारणों के समर्थन में कोई प्रलेखित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। रास्ते में माल की चोरी के मामले में, आबकारी राजस्व की सीधी हानि हुई। तथापि, न तो इन मामलों को उठाया गया तथा न ही इनका मिलान किया गया। जहां आपूर्ति नहीं की गई उन मामलों के परमिटों को निरस्त नहीं करने के मुद्दे पर सरकार का उत्तर मौन था।

आपूर्ति के लिए आदेश जारी करना

2.2.27 कम्पनी के विशिष्ट डिपो पर देशी मदिरा की आपूर्ति के लिए, आपूर्तिकर्ता/निर्माता कम्पनी को निवेदन करता है। कम्पनी उस डिपो की स्टॉक की स्थिति को विश्लेषित करने के बाद आपूर्तिकर्ता के निवेदन को स्वीकार कर सकती है तथा उसी के अनुसार आपूर्ति के लिए आदेश (ओएफएस) जारी कर सकती है।

हमने देखा कि सिस्टम ने एमआईएस को तैयार करते समय ओएफएस की मात्रा की पुष्टि नहीं की। अभिलेखों के हमारे विश्लेषण ने उजागर किया कि तीन मामले ऐसे देखे गए जिनमें सिस्टम ने जारी किए गए ओएफएस की मात्रा की तुलना में 750 बक्सों की मात्रा अधिक स्वीकार की।

साथ ही वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान क्रमशः 37 एवं 34 ऐसे प्रकरण थे जिनमें ओएफएस में दर्शाई गई पूरी मात्रा प्राप्त नहीं हुई थी तथा 31 प्रकरणों में यद्यपि ओएफएस जारी किए गए परन्तु 2013-15 के दौरान कोई एमआईएस उत्पन्न नहीं हुई। साथ ही, यह

ओएफएस कम्पनी द्वारा निरस्त नहीं किए गए। हमने देखा कि सिस्टम दोषपूर्ण था क्योंकि इसने बिना यह आगाह किये कि पिछले ओएफएस की मात्रा कम प्राप्त हुई या प्राप्त नहीं हुई, उसी आपूर्तिकर्ता को आगामी ओएफएस जारी किए।

सरकार ने आश्वासन (अक्टूबर 2015) दिया कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए बिन्दु को भविष्य में ध्यान में रखा जाएगा। इसने आगे बताया कि भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए दिसम्बर 2015 के बाद नया सिस्टम शुरू किया जाएगा।

डुप्लीकेट परमिट नम्बर

2.2.28 परमिट शुल्क तथा आबकारी शुल्क के भुगतान पर खुदरा विक्रेताओं को सात अंको की विशिष्ट संख्या वाले नम्बर हाथ से जारी किए जाते हैं। देशी मदिरा के विक्रय के लिए बिल जारी करते समय आबकारी विभाग द्वारा जारी किए गए परमिट कम्पनी के डिपो पर एकीकृत सिस्टम में प्रविष्ट किए जाते हैं।

तथापि, डाटाबेस के विश्लेषण ने उजागर किया कि सिस्टम में समान परमिट नम्बर पहचानने के लिए उचित आगत नियन्त्रण नहीं थे। इस विसंगति के कारण, सिस्टम ने एक से अधिक बार समान परमिट नम्बर की प्रविष्टियों को स्वीकार किया। परिणामस्वरूप, 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान डुप्लीकेट परमिट नम्बरों के क्रमशः 18768 तथा 24275 प्रकरण देखे गए थे। साथ ही, उचित आगत नियन्त्रण के अभाव के कारण, सिस्टम ने किसी भी प्रकार के एल्फान्यूमेरिक परमिट नम्बर को स्वीकार किया।

हमने देखा कि डुप्लीकेट परमिट नम्बरों पर लागू होने वाले आबकारी शुल्क की गणना राशि ₹ 139.61 करोड़ होती है। समान परमिट नम्बर स्वीकार करने की सिस्टम की कमी के कारण, बिना आबकारी शुल्क के भुगतान के खुदरा विक्रेताओं द्वारा देशी मदिरा की आपूर्ति प्राप्त करने की सम्भावनाएं थी। हमने 48 प्रकरणों की नमूना जांच की जहां समान खुदरा विक्रेता ने समान मात्रा के लिए समान परमिट प्रस्तुत करके आपूर्ति प्राप्त की। हमने इन प्रकरणों को डिपो के अभिलेखों के साथ प्रति सत्यापित किया तथा पाया कि कुछ प्रकरणों में परमिट नम्बर गलत डाले जाने के कारण अनियमितता थी जबकि दो डिपो (चित्तौड़गढ़ तथा निम्बाहेड़ा) में ₹ 8.07 लाख मूल्य के 20 बिलों के समक्ष केवल 10 परमिट अभिलेखों में पाए गए तथा 10 बिल समान परमिट नम्बर पर बनाये गये थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.01 लाख के आबकारी शुल्क की हानि हुई।

FIN_YEAR	CONTRACT_NUMBER	ORDER_ID	INVOICE_NUMBER	INVOICE_DATE	PERMIT_NO	PERMIT_DATE	NET_AMOUNT
20132014	CHITTORGARH	46301	CHR01C000975	06-01-14	187654	06-01-14	61,608.00
20132014	CHITTORGARH	46301	CHR01C000976	06-01-14	187654	06-01-14	61,608.00
20132014	CHITTORGARH	46321	CHR01C000971	06-01-14	187652	06-01-14	32,236.00
20132014	CHITTORGARH	46321	CHR01C000972	06-01-14	187652	06-01-14	32,236.00
20132014	CHITTORGARH	46358	CHR01C000969	06-01-14	187651	06-01-14	41,689.00
20132014	CHITTORGARH	46358	CHR01C000970	06-01-14	187651	06-01-14	41,689.00
20132014	CHITTORGARH	46390	CHR01C000973	06-01-14	187653	06-01-14	32,063.00
20132014	CHITTORGARH	46390	CHR01C000974	06-01-14	187653	06-01-14	32,063.00
20132014	CHITTORGARH	46434	CHR01C001121	01-03-14	305902	26-02-14	28,664.00
20132014	CHITTORGARH	46434	CHR01C001136	03-03-14	305902	26-02-14	28,664.00
20132014	CHITTORGARH	46436	CHR01C000977	06-01-14	30699	06-01-14	119,306.00
20132014	CHITTORGARH	46436	CHR01C000978	06-01-14	30699	06-01-14	119,306.00
20132014	CHITTORGARH	46441	CHR01C000967	06-01-14	30698	06-01-14	17,421.00
20132014	CHITTORGARH	46441	CHR01C000968	06-01-14	30698	06-01-14	17,421.00
20132014	NIMBAHERA	46193	CHR08C000182	16-05-13	155686	15-05-13	667.00
20132014	NIMBAHERA	46193	CHR08C000776	17-01-14	155686	13-05-13	667.00
20132014	NIMBAHERA	46226	CHR08C000564	26-10-13	224807	26-10-13	71,377.00
20132014	NIMBAHERA	46226	CHR08C000566	26-10-13	224807	25-10-13	71,377.00
20132014	NIMBAHERA	46231	CHR08C000145	03-05-13	155647	03-05-13	33,491.00
20132014	NIMBAHERA	46231	CHR08C000295	28-06-13	155647	27-06-13	33,491.00

चित्तौड़गढ़ तथा निम्बाहेड़ा डिपो में डुप्लीकेट परमिट

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया (अक्टूबर 2015) कि एक परमिट पर दो बिल जारी किए गए तथा देशी मदिरा का स्टॉक दो बार घट गया था तथा उसी के अनुसार भुगतान भी आपूर्तिकर्ता को किया गया था। इसने आगे बताया कि ऐसी समस्याओं से बचने के लिए एक नया सिस्टम शुरू किया जा चुका था।

डुप्लीकेट चालान नम्बर

2.2.29 मुख्यालय पर स्टोर कीपर के नियन्त्रण में सात अंको की विशिष्ट संख्या वाली एक चालान स्लिप रखी जाती है। यह चालान स्लिप डिपो को जारी की जाती है तथा बैंक में राशि जमा कराने के लिए खुदरा विक्रेताओं द्वारा प्रयुक्त की जाती हैं।

हमने पाया कि:

- कम्पनी के पास अपने विभिन्न डिपो को जारी किए जाने वाली चालान बुक का विवरण नहीं था जो चालान बुक जारी करने से सम्बन्धित अभिलेखों को संधारित करने में कमियों को इंगित करता था।
- सात अंकों वाले एल्फान्यूमेरिक नम्बर के स्थान पर केवल नम्बरों वाली चालान बुक/स्लिप थी।
- सिस्टम ने 2013-15 के दौरान सात अंकों से कम/ज्यादा वाले चालान नम्बरों की 67994 प्रविष्टियों को स्वीकार किया।

- सिस्टम में समान चालान नम्बर को पहचानने के लिए उचित आगत नियन्त्रण नहीं थे। परिणामस्वरूप, सिस्टम ने एक से अधिक बार समान चालान नम्बर की प्रविष्टियों को स्वीकार किया। 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान समान वर्ष में क्रमशः ₹ 26.83 करोड़ तथा ₹ 35.19 करोड़ मूल्य के डुप्लीकेट चालान नम्बरों के क्रमशः 5747 तथा 8206 प्रकरण थे जिन्हें सिस्टम ने स्वीकार किया।

हमने देखा कि 74 खुदरा विक्रेताओं ने 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान जिन्होंने समान तिथि को बैंक में जमा कराई गई समान राशि के लिए समान चालान प्रस्तुत करते हुए समान डिपो से ₹ 33.09 लाख मूल्य की देशी मदिरा की आपूर्ति प्राप्त की। क्योंकि सिस्टम द्वारा मानवीय हस्तक्षेप को स्वीकार करने के कारण बिना भुगतान के देशी मदिरा का विक्रय किया गया था तथा कम्पनी को न्यूनतम ₹ 16.55 लाख की पारिणामिक हानि हुई।

	FIN_YEAR	CHALAN_NO	DEPOSIT_DATE	CUSTOMER_ID	AMOUNT	DEPOSIT_DATE
1	20142015	1391372	04-08-14	55528	10,000.00	04-08-14
2	20142015	1391372	04-08-14	55528	10,000.00	04-08-14
3	20142015	1330215	12-02-15	54505	9,000.00	12-02-15
4	20142015	1330215	12-02-15	54505	9,000.00	12-02-15
5	20142015	1326795	19-02-15	51786	44,000.00	19-02-15
6	20142015	1326795	19-02-15	51786	44,000.00	19-02-15
7	20142015	1295435	02-02-15	51977	13,500.00	02-02-15
8	20142015	1295435	02-02-15	51977	13,500.00	02-02-15
9	20142015	1295434	31-01-15	51977	18,500.00	31-01-15
10	20142015	1295434	31-01-15	51977	18,500.00	31-01-15
11	20142015	1278407	07-03-15	54772	60,600.00	07-03-15
12	20142015	1278407	07-03-15	54772	60,600.00	07-03-15
13	20142015	1271131	29-12-14	54818	25,000.00	29-12-14
14	20142015	1271131	29-12-14	54818	25,000.00	29-12-14
15	20142015	3943	05-11-14	54048	19,080.00	05-11-14
16	20142015	3943	05-11-14	54048	19,080.00	05-11-14

2014-15 के दौरान डुप्लीकेट चालान नम्बर

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2015) कि बताये गये मामलों में, लाइसेन्सियों को देशी मदिरा जारी करने के लिए विभिन्न डिपो पर मैन्युअल प्रविष्टि की गई क्योंकि जमा कराई गई राशि की प्रविष्टियां सम्बन्धित बैंकों द्वारा पारित नहीं करने के कारण उसी समय सिस्टम में प्रदर्शित नहीं हुई थी। बाद में, बैंकों ने भी जमा प्रविष्टियां पारित कर दी थी तथा इस प्रकार चालानों का दोहराव हो गया। तथापि, देशी मदिरा केवल एक बार ही जारी की गई थी। सरकार ने आगे कहा कि बताये गये मामलों में, आवश्यक संशोधन किए जा चुके थे तथा जहां कहीं जमा कराई गई राशि कम पड़ी उसको लाइसेन्सियों से वसूल किया जा चुका था। इसने आगे भविष्य में ऐसे मामलों से बचने के लिए सॉफ्टवेयर में उचित सुरक्षा इंजाम करने का आश्वासन प्रदान किया।

आपूर्ति समय सूची में आपूर्तिकर्ता को दिया गया अदेय लाभ

2.2.30 आपूर्तिकर्ता द्वारा किये गए निवेदन तथा डिपो, जहां आपूर्ति की जानी थी, पर आपूर्तिकर्ता के ब्राण्ड के स्टॉक की उपलब्धता के अनुसार मासिक आधार पर देशी मदिरा की आपूर्ति के लिए कंपनी ने निजी निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं को ऑनलाइन समय सूची जारी की।

हमने देखा कि सिस्टम ने अपने आप ही महीने, जिसमें आपूर्ति की जानी थी, की अन्तिम तिथि तक अधिकतम वैधता अवधि को निर्धारित किया। हमने यह भी देखा कि एकीकृत सिस्टम में आपूर्ति की तिथि की शुरुआत निर्धारित करने के लिए आगत नियन्त्रण नहीं था। सिस्टम ने आपूर्ति की शुरुआत की तिथि के रूप में आपूर्ति के लिए आदेश (ओएफएस) के जारी करने की तिथि को इस तथ्य के बावजूद माना कि आपूर्ति आपूर्तिकर्ता द्वारा किए गए निवेदानुसार अगले महीने में की जानी थी। डाटाबेस के विश्लेषण ने उजागर किया कि सिस्टम ने महीने जिसमें आपूर्ति की जानी थी से पहले ही सामग्री को स्वीकार किया। 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान क्रमशः 44 तथा 62 प्रकरण थे जिनमें आपूर्तिकर्ता ने जारी किए गए ओएफएस के आधार पर अनुसूचित माह से पहले ही आपूर्ति प्रारम्भ कर दी।

सरकार ने आश्वासन दिया (अक्टूबर 2015) कि ओएफएस विशेष रूप से एक समयावधि के लिए जारी किए जायेंगे जिसमें आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति की जानी होगी। इसके साथ ही सिस्टम में उचित आगत नियन्त्रण तथा वैधता जांच सम्मिलित करने का आश्वासन दिया।

एकीकृत सिस्टम में अधिक मात्रा स्वीकार किया जाना

2.2.31 कम्पनी ने सभी डिपो को प्रधान कार्यालय की पूर्व स्वीकृति के बिना 625 बक्सों से अधिक माल का प्रेषण स्वीकार नहीं करने को निर्दिष्ट करते हुए निर्देश जारी किए (अक्टूबर 2013)।

हमने देखा कि अपर्याप्त आगत नियन्त्रण के अभाव में सिस्टम ने सामग्री आवक पर्ची तैयार करते समय बक्सों की मात्रा की पुष्टि नहीं की तथा इसके द्वारा 625 बक्सों से अधिक वाले देशी मदिरा के प्रेषण को स्वीकार किया। साथ ही, प्रेषण 625 बक्सों से अधिक होने की दशा में प्रधान कार्यालय की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने का सिस्टम नहीं पाया गया।

हमारे विश्लेषण ने उजागर किया कि 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान क्रमशः 3079 तथा 4311 ऐसे प्रकरण थे जिनमें प्रेषण 625 बक्सों से अधिक हुए लेकिन प्रधान कार्यालय की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2015) कि मार्च 2014 में आयोजित सभा में लिए गए निर्णयानुसार, 200 किमी से अधिक दूरी होने के मामले में आपूर्तिकर्ताओं को 950 बक्सों तक आपूर्ति के लिए अनुमत किया गया था। साथ ही, इसने सिस्टम में उचित आगत नियन्त्रण तथा वैधता जांच सम्मिलित करने का आश्वासन दिया।

खुदरा विक्रेताओं के डिपो को बदलने में अनियमितताएं

2.2.32 देशी मदिरा के खुदरा विक्रय के लिए लाइसेन्स की शर्त 6.2 प्रावधान करती है कि खुदरा लाइसेन्सी कम्पनी के आवंटित डिपो से देशी मदिरा की आपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह आगे प्रावधान करती है कि लाइसेन्सी किसी अन्य स्थान या अन्य लाइसेन्सी से देशी मदिरा की आपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आबकारी विभाग ने लाइसेन्सियों की सूची निर्धारित की तथा

प्रत्येक लाइसेन्सी को देशी मदिरा क्रय करने के लिए कम्पनी का डिपो आवंटित किया तथा इसे एकीकृत सिस्टम में प्रविष्ट किया।

डाटाबेस के विश्लेषण ने उजागर किया कि सिस्टम में पर्याप्त आगत नियन्त्रण तथा वैधता जांचों का अभाव था क्योंकि वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान क्रमशः 50 तथा 145 ऐसे प्रकरण थे जिनमें खुदरा लाइसेन्सियों ने एक से अधिक डिपो से देशी मदिरा की आपूर्ति प्राप्त की। आबकारी विभाग द्वारा हाथ से परमिट जारी करने के कारण ऐसा हुआ। हमने यह भी देखा कि पोकरण डिपो के एक प्रकरण में, जिसमें कम्पनी ने स्वयं पोकरण डिपो के स्टॉक के मिलान के लिए अप्रैल 2014 में देशी मदिरा के बिना अनुमोदित ब्राण्ड के अवैध विक्रय का नियमन करने के लिए दिसम्बर 2014 में ब्राण्ड के अनुमोदन पर एक दिन के लिए लाइसेन्सी का डिपो बदल दिया।

इस प्रकार, व्यावसायिक नियमों को अभिरेखित नहीं करने के साथ अपर्याप्त वैधता नियन्त्रण ने डिपो कर्मचारियों के साथ-साथ आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रधान कार्यालय के निर्देशों की अनुपालना नहीं करने को बढ़ावा दिया।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2015) कि कम्पनी को आबकारी प्राधिकारियों के निर्देशों की पालना करनी थी तथा इसलिए आबकारी विभाग द्वारा जारी किए गए परमिट के अनुसार देशी मदिरा का विक्रय किया। इसने आगे बताया कि आबकारी विभाग द्वारा जारी किए गए (3 अप्रैल 2014) परमिट के अनुसार, पोकरण डिपो के प्रभारी ने ओजस ब्राण्ड (प्रारम्भ में अनुमोदित नहीं) की देशी मदिरा का विक्रय किया तथा इसका नियमन करने के लिए प्रधान कार्यालय के अनुमोदन से लाइसेन्सी का आवंटन एक दिन के लिए बदल दिया। इसने आगे बताया कि भविष्य में ऐसे प्रकरणों से बचने के लिए जिला आबकारी अधिकारियों को सिस्टम तक पहुँच प्रदान कर दी गई थी।

सरकार के उत्तर ने इस तथ्य की पुष्टि की कि एकीकृत सिस्टम सुरक्षित नहीं था तथा उचित प्राधिकार के बिना किसी बदलाव/संशोधन को स्वीकार करता था। साथ ही, सरकार का उत्तर, दो डिपो से आपूर्तियां प्राप्त करने के लिए आबकारी विभाग द्वारा लाइसेन्सियों को परमिट जारी करने पर मौन था।

वाहनों में गन्ने का अधिक लदान

2.2.33 कम्पनी ने सभी किसानों को आवश्यकता के आधार पर तथा वाहन क्षमता को ध्यान में रखते हुए गन्ने की आपूर्ति के लिए मांग पर्ची जारी की। साथ ही, कम्पनी ने प्रत्येक प्रकार के वाहन अर्थात् ट्रक (150 किचन्टल), ट्रैक्टर ट्रौली (120 किचन्टल) तथा ऊंट गाड़ी (30 किचन्टल) की लदान क्षमता निर्धारित कर रखी थी।

हमने देखा कि सेवा प्रदाता द्वारा विकसित किया गया चीनी मोडयूल पूर्ण रूप से संचालित नहीं था क्योंकि डाटाबेस में गन्ने की पिराई तथा चीनी के उत्पादन के साथ-साथ इसके उप उत्पाद के बारे में ब्यौरा नहीं था। डाटाबेस में केवल गन्ने के वजन करने तक का ही ब्यौरा था।

हमने देखा कि यद्यपि मांग पर्ची सिस्टम के माध्यम से जारी की गई थी, उनकी गन्ने के वजन करने के समय पर पुष्टि नहीं की गई। डाटाबेस के हमारे विश्लेषण ने उजागर किया कि 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान क्रमशः 2989 तथा 3585 प्रकरण ऐसे थे जिनमें गन्ने की मात्रा वाहन की लदान क्षमता से अधिक थी। हमने देखा कि इन वाहन की क्षमता से कहीं अधिक

एक ट्रक में अधिक लदान 20 किचन्टल से 189 किचन्टल के मध्य जबकि ट्रैक्टर ट्रौली में अधिक लदान 23 किचन्टल से 210 किचन्टल के मध्य था। ट्रक के मामले में 126 प्रतिशत की सीमा तक अधिक लदान तथा ट्रैक्टर ट्रौली के मामले में 175 प्रतिशत की सीमा तक अधिक लदान असामान्य थी लेकिन वैधता जांच के अभाव में सिस्टम ने अधिक लदान के बारे में कोई चेतावनी जारी नहीं की। क्योंकि डाटाबेस में गन्ने की पिराई तथा उत्पादन का पूर्ण ब्यौरा नहीं था हम वास्तव में प्राप्त किए गए गन्ने की मात्रा की पुष्टि नहीं कर सके।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2015) कि गन्ने के अधिक वजनी वाहन को, अधिक लदान वाले वाहन के वजन नहीं करने पर कृषकों द्वारा प्रशासनिक एवं कानून व्यवस्था की स्थिति से बचने के लिए, स्वीकार किया गया। इसने आगे बताया कि गन्ने की पिराई तथा चीनी के उत्पादन के डाटा अच्छी तरह से संधारित किये गए थे। इसने सिस्टम में उचित आगत नियन्त्रण तथा वैधता जांच को सम्मिलित करने का आश्वासन दिया।

इस प्रकार, सिस्टम द्वारा जारी की गई मांग पर्ची के संदर्भ से वाहनों में भरे गये गन्ने के वजन का पुष्टीकरण नहीं किया गया। साथ ही, डाटाबेस में गन्ने की पिराई तथा चीनी उत्पादन का विवरण नहीं था।

आगत नियन्त्रण तथा वैधता जांच का अभाव था। जिसके परिणामस्वरूप, सिस्टम ने एक से अधिक बार समान परमिट तथा चालान नम्बर स्वीकार किए। परमिट की वैधता से परे अथवा बिना परमिट मदिरा के विक्रय, खुदरा विक्रेताओं को नकद विक्रय तथा खुदरा विक्रेताओं के डिपो के अनियमित बदलाव के प्रकरण देखे गए।

कम्पनी को उपरोक्त विसंगतियों को दूर करने तथा डाटा की शुद्धता एवं पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आगत नियन्त्रण तथा वैधता जांच सम्मिलित करनी चाहिए।

अनुबन्ध के प्रावधानों की अनुपालना

कार्यादेश की नियम तथा शर्तें

2.2.34 जून 2010 में प्रदान किए गए कार्यादेशानुसार कम्पनी के प्रधान कार्यालय एवं इसकी इकाईयों/रिडक्शन सेन्टर/डिपो में हार्डवेयर के प्रापण एवं संस्थापना तथा वेब आधारित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तैयार करने की परियोजना दिसम्बर 2010 से पहले पूरी की जानी थी। सेवा प्रदाता, कम्पनी की सत्यता, सुरक्षा एवं डाटा तथा एप्लिकेशन के बैकअप को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। कम्पनी की सभी गतिविधियों के एकीकरण के लिए ओरेकल रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेन्ट सिस्टम को प्रयोग करते हुए 24 मोडयूल्स तैयार करने का कार्य परिकल्पित था।

हमने देखा कि कार्य नियत समयावधि में पूरा नहीं किया गया। तथापि, परियोजना पूर्ण करने की अवधि को कार्यादेश की शर्तानुसार कोई निर्धारित शास्ति आरोपित किए बिना मार्च 2012 तक बढ़ाया गया था।

हमने आगे देखा कि सेवा प्रदाता ने जून 2015 तक भी समस्त कार्य पूर्ण नहीं किया क्योंकि वित्तीय लेखांकन मोडयूल, मानव संसाधन एवं पे रोल मोडयूल तथा चीनी/उप उत्पाद उत्पादन मोडयूल सहित 11 मोडयूल संचालित नहीं थे तथा कम्पनी को एक समानान्तर सिस्टम प्रयोग में लेना पड़ा।

इस प्रकार, सेवा प्रदाता अनुबन्धात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2015) कि नोडल एजेंसी (आरएसबीसीएल) ने कार्य को पूरा नहीं करने के कारण अन्तराल अवधि के लिए भुगतान नहीं किया तथा शास्ति लगाई (मई 2012)। इसने आगे बताया कि शेष मोडयूलों को संचालन में लाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे।

आन्तरिक नियन्त्रण

2.2.35 एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र का अस्तित्व में होना अशुद्धियों एवं अनियमितताओं के जोखिम को कम करता है। एक कम्प्यूटर प्रणाली में आंतरिक नियंत्रण सभी मानवीय एवं कार्यक्रमित विधियां, नीतियां एवं क्रियाविधियां, परम्पराएं तथा संगठनात्मक संरचनाएं हैं जो कि संस्था की सम्पत्तियों की रक्षा, अभिलेखों की शुद्धता एवं विश्वसनीयता तथा प्रबंध मानदण्डों की परिचालनात्मक पालना को सुनिश्चित करता है। आंतरिक नियंत्रण तंत्र में पायी गई कमियों की चर्चा नीचे की गई है:

देशी मदिरा के बिना अनुमोदित ब्राण्ड का विक्रय

2.2.36 राजस्थान आबकारी नियम, 1956 का नियम 69 (3) प्रावधान करता है कि देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आईएमएफएल) तथा बीयर के प्रत्येक निर्माता को आबकारी आयुक्त से राजस्थान में बेचने अथवा बनाये जाने के लिए उनके ब्राण्डों के लेबल (सभी आकार यथा पत्ते, अर्धे अथवा बोटल हेतु) अनुमोदित एवं अभिलेखित कराना होगा तथा इसके लिए प्रत्येक वर्ष या उसके भाग पर प्रति ब्राण्ड ₹ 25000 का शुल्क देय होगा। साथ ही, आबकारी अधिनियम, 1950 का वाक्य 54 प्रावधान करता है कि जो कोई इस अधिनियम अथवा किसी नियम अथवा दिए गए आदेश अथवा उसके अन्तर्गत दिए गए लाइसेन्स, परमिट अथवा पास के उल्लंघन में किसी आबकारी शुल्क योग्य वस्तु के आयात, निर्यात, परिवहन, निर्माण, संग्रहण, विक्रय अथवा धारण करता है तो कैद तथा जुर्माने से दण्डनीय होगा।

नियत तन्त्र के अनुसार, आबकारी विभाग ब्राण्ड का अनुमोदन करता है तथा एकीकृत सिस्टम में प्रविष्टि के लिए उसे अग्रेषित करता है। एक बार एक ब्राण्ड एकीकृत सिस्टम में प्रविष्टि के लिए आबकारी विभाग द्वारा अग्रेषित कर दिया जाता है तो यह आरएसजीएसएम डिपो पर विक्रय के लिए उपलब्ध होता है। ब्राण्ड के अनुमोदन तथा एकीकृत सिस्टम में इसकी प्रविष्टि के अभाव में बिल उत्पन्न नहीं किया जा सकता।

हमने देखा कि आबकारी विभाग ने दिसम्बर 2014 तथा जनवरी 2015 में एक निजी आपूर्तिकर्ता अर्थात् मैसर्स ओजस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के ब्राण्डों को अनुमानित किया तथा इस प्रकार ये ब्राण्ड दिसम्बर 2014/जनवरी 2015 तक विक्रय के लिए उपलब्ध नहीं थे।

हमारे द्वारा डाटाबेस की संवीक्षा तथा डिपो की नमूना जांच में उजागर हुआ कि कम्पनी के पांच डिपो पर, कम्पनी के कर्मचारियों ने सिस्टम की उपेक्षा करते हुए हाथ से अप्रैल 2014 में ओजस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के विभिन्न ब्राण्डों के ₹ 5.12 लाख मूल्य के 1542¹¹ बक्सों को बेचा। इन तथ्यों को जानते हुए भी प्रबन्धन ने पोकरण डिपो पर सिस्टम में विक्रय की पुरानी प्रविष्टियों को प्रविष्टि करने के लिए अपनी स्वीकृति दी (फरवरी 2015)। साथ ही, इस प्रकार की अनियमितता, नमूना जांच किए गए चार अन्य डिपो पर भी देखी गईं जिनमें सिस्टम में डाटा की प्रविष्टि को किसी परमिट अथवा उसके समरूप चालान को सत्यापित किए बिना अनुमत किया गया।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2015) कि बिना अनुमोदन की देशी मदिरा का विक्रय आबकारी विभाग द्वारा जारी किए गए परमिटों के अनुसार किया गया था। इसने आगे बताया कि केवल अनुमोदित ब्राण्डों की देशी मदिरा जारी करने के लिए सभी इकाई प्रबन्धकों एवं डिपो प्रभारियों को उचित निर्देश जारी किए जा चुके थे।

सरकार के उत्तर से पुष्टि हुई कि न केवल आबकारी विभाग द्वारा बिना अनुमोदन के ब्राण्डों को परमिट जारी किये गये बल्कि कम्पनी ने भी ऑनलाइन सिस्टम की उपेक्षा करते हुए हाथ से देशी मदिरा के बिना अनुमोदन के ब्राण्डों का विक्रय किया। साथ ही, देशी मदिरा के बिना अनुमोदित ब्राण्डों का परमिट जारी करने पर सरकार का उत्तर मौन था।

राजसमन्द डिपो पर अवैध कार्यकलाप

2.2.37 हमने देखा कि आबकारी विभाग ने वर्ष 2014-15 के लिए एक निजी आपूर्तिकर्ता अर्थात् मैसर्स महामाया लिमिटेड के 'पिन कोन किंग क्वीन ब्राण्ड' का अनुमोदन नहीं किया तथा इस प्रकार यह 2014-15 में विक्रय के लिए उपलब्ध नहीं था।

हमारे द्वारा डाटाबेस की संवीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा डिपो की नमूना जांच ने उजागर किया कि आबकारी विभाग ने इस ब्राण्ड के विक्रय के लिए परमिट जारी किया। क्योंकि आबकारी विभाग ने खुदरा विक्रेताओं/लाइसेन्सियों को एकीकृत सिस्टम के स्थान पर हाथ से परमिट जारी किए जिससे इस तथ्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता था कि क्या ब्राण्ड, जिसके लिए परमिट जारी किए जा रहे थे, एक अनुमोदित ब्राण्ड था। हमने देखा कि खुदरा लाइसेन्सी द्वारा परमिट के प्रस्तुत करने पर राजसमन्द डिपो ने 2496 बोटलें (52 बक्से) (25812 बोटलों के कुल स्टॉक में से) सिस्टम के माध्यम से बिल उत्पन्न किए बिना हाथ से विक्रय की। स्टॉक के भौतिक सत्यापन के दौरान जब स्टॉक में विसंगति उजागर की गई तो डिपो कर्मचारी ने एक आगामी तिथि पर स्टॉक की स्थिति को मिलाने के लिए अन्य आपूर्तिकर्ता के ब्राण्ड अर्थात् 'घुंघरू' का बिल उत्पन्न किया।

हमने देखा कि एकीकृत सिस्टम पूरी तरह से संचालनात्मक नहीं था तथा यदि खुदरा लाइसेन्सी को परमिट केवल एकीकृत सिस्टम के माध्यम से जारी किए जाते तो ऐसी अनियमितताएं नियन्त्रित की जा सकती थीं। साथ ही, डिपो केवल उन्हीं के बिल उत्पन्न कर सकता था जिसके लिए परमिट जारी किया गया था। हमने यह भी देखा कि डिपो ने सामग्री जावक पर्ची उत्पन्न किए बिना आपूर्तिकर्ता को 25812 बोटलों की कुल मात्रा लौटा दी (मई 2015)। इसकी पुष्टि

11 भवानीमंडी डिपो (624 बक्से), झालावाड़ डिपो (624 बक्से), पोकरण डिपो (220 बक्से), राजसमन्द डिपो (54 बक्से) तथा रामगंजमंडी डिपो (20 बक्से)।

इस तथ्य से हुई कि एकीकृत सिस्टम अभी तक राजसमन्द डिपो के स्टॉक में ₹ 1.80 लाख मूल्य की 25812 बोतलें इंगित कर रहा था।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2015) कि राजसमन्द डिपो पर अवैध व्यवहार के मामले में एक प्रारम्भिक जांच के आदेश दे दिए गए थे। आगे यह बताया कि बिना अनुमोदित ब्राण्ड की देशी मदिरा का विक्रय आबकारी विभाग द्वारा हाथ से जारी किए गए परमितों के अनुसार किया गया। सरकार ने आगे बताया कि परमितों को ऑनलाइन जारी करने के नए सिस्टम में भविष्य में ऐसी घटनाएं घटित नहीं होंगी।

सरकार के उत्तर ने हाथ से परमितों को जारी करने के कारण ऐसी घटनाएं घटित होने तथा डिपो प्रभारी के द्वारा अन्य ब्राण्ड के बिल उत्पन्न करके बिना अनुमोदित ब्राण्ड की देशी मदिरा का विक्रय करने के तथ्य की पुष्टि की। साथ ही, बिना अनुमोदित ब्राण्ड की देशी मदिरा के परमितों को जारी करने पर सरकार का उत्तर मौन था।

लाइसेन्सी के शेषों में अनियमितताएं

2.2.38 कम्पनी की नीति के अनुसार, इसके डिपो से देशी मदिरा के क्रय करने के लिए, खुदरा विक्रेताओं को या तो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर अथवा बैंक ऑफ बड़ौदा में कम्पनी द्वारा जारी किए चालान के माध्यम से राशि जमा करवाना तथा डिपो पर चालान की एक प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक था। साथ ही, यदि देशी मदिरा के विक्रय के लिए बिल का कुल मूल्य बैंक में लाइसेन्सी द्वारा जमा कराई गई राशि से कम है तो वह उस लाइसेन्सी विशेष के जमा शेष के रूप में दर्शाई जाती है।

डाटाबेस के विश्लेषण से उजागर हुआ कि 2013-14 एवं 2014-15 के अन्त में क्रमशः 4821 एवं 5605 लाइसेन्सी के सम्बन्ध में जमा शेष के रूप में ₹ 4.59 करोड़ एवं ₹ 6.48 करोड़ की राशि दर्शाई गई थी। तथापि, यह अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में 'शून्य' दर्शाई गई थी। हमने देखा कि सिस्टम ने मानवीय हस्तक्षेपों को अनुमत किया इसलिए लाइसेन्सियों के जमा शेष के सम्बन्ध में डाटा को प्रबन्धन के विशिष्ट अनुमोदन के बिना बदला/संशोधित कर दिया गया।

हमने यह भी देखा कि कम्पनी के डाटाबेस में किसी बदलाव/संशोधन के सम्बन्ध में प्राधिकृत नीति नहीं थी। साथ ही, एकीकृत सिस्टम पूर्णतः विश्वसनीय नहीं पाया गया था तथा कम्पनी का आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर था क्योंकि सिस्टम तथा कम्पनी के वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए शेषों के मिलान का तन्त्र मौजूद नहीं था।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2015) कि वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि लाइसेन्सी द्वारा दावा किया गया है तब स्वातों में रही आबकारी लाइसेन्सियों की 'अल्प राशि' वापिस कर दी गई थी तथा यदि कोई दावेदार नहीं आता है तो यह अल्प राशि कम्पनी की स्वाता बहियों में 'विविध आय' के रूप में स्थानान्तरित कर दी जाती है। इसने आगे बताया कि आईटी सिस्टम के अनुसार तथा भौतिक स्वाता बहियों के अनुसार आबकारी लाइसेन्सियों के जमा शेषों में पड़ी राशि के मिलान करने के लिए एक समिति गठित की जा चुकी थी तथा किसी तार्किक आधार पर जैसा प्रबन्धन द्वारा निश्चय किया जाएगा इसको ठीक करने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

इस प्रकार वित्तीय विवरणों के साथ लाइसेन्सियों के शेषों के मिलान का तन्त्र नहीं था।

डाटा के मिलान का अभाव

2.2.39 एकीकृत आईटी सेवाओं का कार्य आबकारी विभाग, आरएसबीसीएल तथा कम्पनी में सभी कार्य ऑनलाइन प्रक्रियागत करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया था।

तथापि, हमने देखा कि कम्पनी, आरएसबीसीएल एवं आबकारी विभाग से सम्बन्धित डाटा के मिलान के लिए कोई तन्त्र विकसित नहीं किया गया था। आबकारी विभाग के डाटा के साथ कम्पनी द्वारा देशी मदिरा के विक्रय के डाटा की सत्यता की प्रति सन्दर्भ जांच करते समय, निम्नलिखित विसंगतियां देखी गईं:

- राजस्थान आबकारी नियम 1956 के 'गारन्टी सिस्टम' के अन्तर्गत ₹ 14.53 करोड़ की एक राशि कम्पनी के विक्रय मोडयूल के अनुसार मासिक गारन्टीड विक्रय के विरुद्ध कमी/घाटे के शीर्ष के अन्तर्गत वसूल की जानी थी जबकि आबकारी विभाग के डाटाबेस में वसूली के रूप में केवल ₹ 6.85 करोड़ की राशि दर्शाई हुई थी।
- कम्पनी के डाटा के अनुसार, 2013-14 के दौरान 16.40 करोड़ बीएल (8.98 करोड़ बीएल 40 यूपी तथा 7.42 करोड़ बीएल 50 यूपी) देशी मदिरा का विक्रय किया गया। तदनुसार, कम्पनी के डाटाबेस एवं हमारे द्वारा की गई गणना के अनुसार कुल लगाए जाने योग्य आबकारी शुल्क ₹ 1062.15 करोड़ आता है जबकि आबकारी विभाग के डाटाबेस में आबकारी शुल्क के पेटे वसूली गई राशि केवल ₹ 566.26 करोड़ दर्शाई हुई थी।
- कम्पनी ने 2013-14 के दौरान 16.40 करोड़ बीएल (निजी आपूर्तिकर्ताओं की 9.86 करोड़ बीएल तथा अपने स्वयं के उत्पादन की 6.54 करोड़ बीएल) देशी मदिरा का विक्रय किया। तदनुसार, 2013-14 के दौरान 16.40 करोड़ बीएल के कुल विक्रय पर ₹ 4.40 प्रति बीएल की दर पर बोटलिंग शुल्क के रूप में ₹ 72.16 करोड़ की राशि वसूल की जानी थी जबकि 2013-14 के दौरान आबकारी विभाग के डाटाबेस में दर्शाई गई संग्रहीत बोटलिंग फीस केवल ₹ 22.23 करोड़ थी।

आबकारी शुल्क के गारन्टीड संग्रहण, देशी मदिरा के वास्तविक विक्रय के अनुसार लगाने योग्य आबकारी शुल्क, आबकारी विभाग द्वारा संग्रहीत वास्तविक राशि के साथ बोटलिंग शुल्क का संग्रहण इत्यादि के मिलान के सम्बन्ध में एकीकृत सिस्टम में किसी तन्त्र के अभाव में एक एकीकृत सिस्टम को विकसित करने का मौलिक उद्देश्य विफल हुआ। साथ ही, सिस्टम यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि राजस्व छीजत होने की सम्भावना, यदि कोई हो, को नकारा जा सकता था।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2015) कि आईईएमएस नोडल एजेंन्सी (आरएसबीसीएल) द्वारा प्रबन्धित एवं नियंत्रित किया जाता है। इसने आगे बताया कि देशी मदिरा पर आबकारी शुल्क तथा विभिन्न प्रकार के शुल्क से वास्तविक राजस्व ₹ 1215.99 करोड़ था लेकिन डाटा की प्रविष्टि नहीं करने के कारण अन्तर दर्शित हुआ।

तथ्य यही रहा कि एकीकृत सिस्टम में डाटा के मिलान के लिए कोई तन्त्र नहीं था।

आन्तरिक नियन्त्रण तन्त्र दोषपूर्ण था तथा इसने बिना अनुमोदित ब्राण्ड की देशी मदिरा के विक्रय, अवैध व्यवहारों तथा आबकारी विभाग के डाटा के साथ कम्पनी के डाटा का मिलान नहीं होने को बढ़ावा दिया।

विभाग तथा कम्पनी द्वारा राजस्व की किसी छीजत को रोकने के लिए देशी मदिरा के विक्रय की उचित निगरानी तथा आबकारी विभाग के डाटा के साथ कम्पनी के डाटा के मिलान को सुनिश्चित करने के लिए आन्तरिक नियन्त्रण तन्त्र को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

कम्पनी के पास एक आईटी नीति नहीं थी तथा किसी अवांछित घटना के मामले में कोई व्यवसाय निरन्तरता/संकट से उबरने की योजना नहीं थी। भौतिक तथा तार्किक सुरक्षा के सम्बन्ध में भी सिस्टम दोषपूर्ण था। डिजाईन कमियों तथा अपर्याप्त इनपुट नियंत्रणों के परिणामस्वरूप, लेबल के अनुमोदन, डिपो की स्थिति एवं जांच के बिना देशी मदिरा की बिक्री में अनियमितता हुई। एकीकृत सिस्टम में आबकारी अधिनियम/नियमों के अनुसार व्यावसायिक नियमों को अभिरेखित करने का अभाव था जिसके परिणामस्वरूप देशी मदिरा के विक्रय/सूखा दिवसों/चुनाव की तिथियों पर परमिट जारी करने तथा कार्य घण्टों के पश्चात एवं अकार्य दिवसों पर मदिरा के विक्रय में वैधानिक उल्लंघन हुए। आगत नियन्त्रण तथा वैधता जांच का अभाव था। जिसके परिणामस्वरूप, सिस्टम ने एक से अधिक बार समान परमिट तथा चालान नम्बर स्वीकार किए। परमिट की वैधता से परे अथवा बिना परमिट मदिरा के विक्रय, खुदरा विक्रेताओं को नकद विक्रय तथा खुदरा विक्रेताओं के डिपो के अनियमित बदलाव के प्रकरण देखे गए। आन्तरिक नियन्त्रण तन्त्र दोषपूर्ण था जिसका परिणाम देशी मदिरा के बिना अनुमोदित ब्राण्ड का विक्रय, अवैध व्यवहार तथा आबकारी विभाग के डाटा के साथ कम्पनी के डाटा का मिलान नहीं के रूप में हुआ।

अध्याय III

अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप

3. अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप

राज्य सरकार की कम्पनियों एवं निगमों द्वारा किये गये व्यवहारों की नमूना जांच से प्रकट हुए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम इस अध्याय में सम्मिलित किये गये हैं।

सरकारी कम्पनियां

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

3.1 नए कनेक्शन जारी करना

राजस्थान सरकार (जीओआर) ने निर्दिष्ट समय में राज्य की जनता को निश्चित सेवाएँ प्रदान करने के लिए 'राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारन्टी अधिनियम, 2011' (अधिनियम) लागू किया (सितम्बर 2011)। अधिनियम की धारा 4 प्रावधान करती है कि नामित अधिकारी निर्दिष्ट समय में सेवा प्राप्त करने के लिए योग्य व्यक्ति को धारा 3 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवा उपलब्ध कराएगा। यदि किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट समय में सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई तो वह व्यक्ति निर्दिष्ट समय सीमा की समाप्ति अथवा आवेदन के अस्वीकार होने के 30 दिन में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील दर्ज करा सकता है। प्रथम अपील के निर्णय की तिथि से 60 दिनों की अवधि में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील भी की जा सकती है। जहां द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की यह राय हो कि नामित अधिकारी सेवा उपलब्ध कराने में विफल रहा है अथवा पर्याप्त तथा उचित कारण के बिना सेवा उपलब्ध कराने में देरी की है तो वह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार ₹ 500 से ₹ 5000 के मध्य एकमुश्त जुर्माना लगा सकता है जो कि नामित अधिकारी के वेतन से वसूली योग्य होगा।

वर्तमान अध्ययन यह निर्धारण करने के लिए किया गया (फरवरी से मई 2015) कि क्या 'अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड' (कम्पनी) ने अधिनियम में नियत निर्दिष्ट समय में 2013-14 से 2014-15 के दौरान नए विद्युत कनेक्शन जारी किए।

कम्पनी का कार्य क्षेत्र तीन संभागों (अजमेर, झुन्झुनु एवं उदयपुर), 12 वृत्त तथा वृत्तों के अन्तर्गत 183 उप स्वण्डों में विभाजित है। लेखापरीक्षा ने सभी संभागों के भौगोलिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए तीन संभागों में से एक-एक वृत्त अर्थात् अजमेर शहर, सीकर तथा उदयपुर को चयनित किया। साथ ही, उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों के एकरूप समाहन को सुनिश्चित करने के लिए बहुचरणीय स्तरीकृत नमूना चयन के आधार पर चयनित वृत्तों में से प्रत्येक में से दो उप स्वण्डों¹ का भी चयन किया गया। लेखा परीक्षा परिणाम 2013-14 से

1 अजमेर शहर वृत्त के अन्तर्गत डी-IV एवं मदार उपस्वण्ड, उदयपुर वृत्त के अन्तर्गत मधुबन एवं झाड़ौल उपस्वण्ड तथा सीकर वृत्त के अन्तर्गत रींगस एवं सीडी-III उपस्वण्ड।

2014-15 (दिसम्बर 2014 तक) की अवधि के दौरान नए कनेक्शन जारी करने के लिए उपभोक्ताओं की भिन्न-भिन्न श्रेणियों से प्राप्त आवेदनों के विश्लेषण पर आधारित हैं। घरेलू श्रेणी में नए कनेक्शन जारी करने के लिए आवेदनों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए, निष्कर्ष निकालने के लिए प्रत्येक वर्ष के प्रथम तीन माह (1 अप्रैल से 30 जून) के दौरान प्राप्त आवेदनों का विश्लेषण किया गया।

कम्पनी ने 2013-14 एवं 2014-15 (दिसम्बर 2014 तक) के दौरान विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को क्रमशः 2.00 लाख तथा 1.33 लाख नए कनेक्शन जारी किए। इस अवधि के दौरान चयनित वृत्तों तथा उप खण्डों में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को जारी किए गए नए कनेक्शन निम्नानुसार थे:

वर्ष	अजमेर शहर वृत्त	अजमेर शहर वृत्त के अन्तर्गत चयनित उपखण्ड	सीकर वृत्त	सीकर वृत्त के अन्तर्गत चयनित उपखण्ड	उदयपुर वृत्त	उदयपुर वृत्त के अन्तर्गत चयनित उपखण्ड
2013-14	8787	2257	23568	2281	30518	4443
2014-15	6260	1624	16381	1595	14641	1859
कुल	15047	3881	39949	3876	45159	6302

3.1.1 नए कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया

नए विद्युत कनेक्शन जारी करने से सम्बन्धित प्रक्रिया, प्रावधान तथा समय सीमा 'विद्युत की आपूर्ति के लिए नियम एवं शर्तें', 2004 (टीसीओएस 2004), राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) (विद्युत आपूर्ति कोड एवं सम्बन्धित मामले) विनियम- 2004 (आरईआरसी विनियम 2004), राजस्व मैनुअल, 2004, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारन्टी अधिनियम, 2011 तथा समय-समय पर जीओआर द्वारा जारी किए गए दिशा- निर्देशों में दर्शाए गए हैं।

नए कनेक्शन जारी करने के लिए फार्म-1² में नियत शुल्क, फार्म-एल तथा अन्य सम्बन्धित प्रलेखों के साथ आवेदन करना होता है। एक कृषि अथवा उच्च तनाव (एचटी) कनेक्शन के सम्बन्ध में फार्म-एल³ बाद में लेकिन कनेक्शन जारी होने से पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। कम्पनी को आवेदन की प्राप्ति की रसीद देनी होती है तथा अपूर्ण अथवा कमी वाले आवेदन की स्थिति में आवेदन प्राप्ति के सात दिनों में आवेदक को सूचित करना आवश्यक होता है। आवेदक को ऐसी सूचना की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों में कमियों को पूरा करना होता है अन्यथा आवेदन निरस्त कर आवेदन शुल्क जब्त कर लिया जाता है।

कम्पनी को टैरिफ शिडयूल के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के उपभोक्ता के लिए उप खण्ड/ क्षेत्रवार एक प्राथमिकता रजिस्टर संधारित करना होता है तथा 'प्रथम आओ प्रथम पाओ' की प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन जारी करना होता है। साथ ही, उपभोक्ता की कनेक्शन फाइल के समय पर निस्तारण को सुनिश्चित करने के लिए सर्विस कनेक्शन क्लर्क को सर्विस संख्या, स्वाता संख्या तथा स्थिति संख्या से लेकर विभिन्न अनुभागों/कर्मचारियों से सर्विस कनेक्शन अनुभाग में फाइलों की प्राप्ति के स्तर तक की स्थिति को दर्शाते हुए फार्म ए-49 में एक रजिस्टर

2 नए कनेक्शन, लोड को बढ़ाने/घटाने तथा नाम परिवर्तन अथवा कनेक्शन का स्थानान्तरण के लिए अनुबंध सहित आवेदन।

3 आवेदक के इन्स्टॉलेशन के सम्बन्ध में विद्युत निरीक्षक द्वारा नियत एक प्रपत्र।

संधारित करना होता है। आवेदन पत्र, एल-फार्म, आवेदन पत्र में कमियों की सूचना की प्रति, आवेदक द्वारा अनुपालना, डिमाण्ड नोटिस, जॉब आदेश तथा इसके पूर्ण होने की तिथि, सर्विस कनेक्शन आदेश तथा कनेक्शन जारी करने जैसे महत्वपूर्ण प्रलेखों सहित प्रत्येक उपभोक्ता के लिए एक अलग फाइल संधारित करना भी आवश्यक है।

हमने देखा कि किसी भी उपखण्ड ने प्राथमिकता रजिस्टर को ठीक से संधारित नहीं किया था तथा अत्यावश्यक विवरण यथा स्वीकृति के लिए अनुमान की प्राप्ति एवं प्रस्तुति की तिथि, उपभोक्ता से वसूल किए जाने वाली सर्विस सामग्री की लागत, डिमाण्ड नोटिस जारी करने की तिथि, जमा कराने की तिथि, एल-फार्म की प्रस्तुति, जांच प्रतिवेदन की तिथि, कनेक्शन की तिथि, कनेक्टेड भार, मीटर संख्या इत्यादि भी नहीं पाए गए। ए-49 रजिस्टर में जॉब आदेश को जारी करने तथा पूर्ण करने के सम्बन्ध में विवरण का भी अभाव था। साथ ही, उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत कनेक्शन फाइलों को ठीक से संधारित नहीं किया गया था। मदार तथा झाड़ौल उपखण्ड अधिकांश मामलों में उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत कनेक्शन फाइलें उपलब्ध कराने में विफल रहे।

हमारी संवीक्षा में उजागर हुआ कि झाड़ौल उपखण्ड (उदयपुर वृत्त) में बीपीएल श्रेणी के 86 कनेक्शन 26 मार्च 2014 को जारी किए गए यद्यपि उनके आवेदन की तिथि 24 अप्रैल 2014 थी। साथ ही, 427 बीपीएल कनेक्शनों में सर्विस कनेक्शन आदेश जारी करने की तिथि तथा कनेक्शन जारी करने की तिथि समान थी (6 जून 2014)। इसके अतिरिक्त, उपखण्ड ने बिना किसी आवेदन अथवा वर्ष 2010 में पूर्व में जारी किए कनेक्शनों को निरस्त किए बिना वर्ष 2014 में 11 बीपीएल उपभोक्ताओं को पुनः कनेक्शन जारी कर दिए।

3.1.2 नए कनेक्शन जारी करने में देरी

अधिनियम में उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए भिन्न-भिन्न गतिविधियों के लिए दी गई समयावधि के अनुसार नए कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया को दो स्तरों में विभाजित किया जा सकता है।

- स्तर-1: इसमें आवेदन पत्र की प्रस्तुति के पश्चात आवेदक को डिमाण्ड नोटिस जारी करना शामिल है।
- स्तर-2: इसमें डिमाण्ड राशि को जमा कराने के पश्चात कनेक्शन जारी करना शामिल है।

विभिन्न दशाओं में यथा विद्युतिकृत क्षेत्र, वितरण लाइनों को स्थापित करना, ट्रांसफॉर्मर्स का आवर्धन इत्यादि मामलों में उपभोक्ताओं की भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लिए कनेक्शन जारी करने के लिए अधिनियम में दी गई समयावधि **अनुबंध-4** में दी गई है।

कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी कारकों यथा अवकाश, वितरण लाइनों को स्थापित करना, ट्रांसफॉर्मर्स का आवर्धन, कोर्ट-स्टे इत्यादि को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा की नमूना जांच के अनुसार 5148 आवेदकों को नए कनेक्शन जारी करने में चयनित उप खण्डों का निष्पादन आगे दिया गया है:

(आंकड़े संख्या में)

विवरण	अजमेर शहर वृत्त के डी-4 तथा मदार उपखण्ड		उदयपुर वृत्त के मधुबन तथा झाड़ोल उपखण्ड		सीकर वृत्त के रींगस तथा सीडी-3 उपखण्ड		कुल	
	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15
अध्ययन के अन्तर्गत कुल कनेक्शन	654	672	768	1396	938	720	2360	2788
केवल स्तर-1 में देरी	114	58	10	7	129	63	253	128
केवल स्तर-2 में देरी	162	78	114	169	131	138	407	385
दोनों स्तरों में देरी	58	39	5	1	173	67	236	107
देरी से जारी किए गए कुल कनेक्शन	334	175	129	177	433	268	896	620
देरी से जारी किए गए कुल कनेक्शन (प्रतिशतता)	51.07	26.04	16.80	12.68	46.16	37.22	37.97	22.24

यह देखा जा सकता है कि 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान कम्पनी ने क्रमशः 37.97 तथा 22.24 प्रतिशत कनेक्शन अधिनियम में नियत निर्दिष्ट समयावधि के पश्चात जारी किए। औसतन, 2013-15 के दौरान 29.45 प्रतिशत कनेक्शन देरी से जारी किए गए। अध्ययनाधीन 5148 कनेक्शनों में 14.06 प्रतिशत मामलों में प्रथम स्तर में देरी पाई गई, जबकि 22.05 प्रतिशत मामलों में द्वितीय स्तर में देरी पाई गई। आवेदकों को कमियों को सूचित करने में देरी तथा कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा अनुमान तैयार करने में देरी के कारण डिमाण्ड नोटिस जारी करने में देरी हुई। डिमाण्ड राशि जमा कराने के पश्चात कनेक्शन जारी करने में देरी विभिन्न अनुभागों/अधिकारियों के मध्य सर्विस कनेक्शन फाइल की गतिशीलता के लिए नियत समयावधि को ध्यान में नहीं रखने तथा वितरण नेटवर्क के पूर्ण/संस्थापन/आवर्धन में देरी के कारण थी।

राजस्व मैन्युअल एक कनिष्ठ अभियन्ता को कनेक्शन जारी करने तथा सर्विस कनेक्शन क्लर्क को मामले की फाइल लौटाने के लिए 10 दिन की अवधि प्रदान करता है। 1516 मामलों में से 1153 मामलों (76.06 प्रतिशत) में हमने पाया कि कनिष्ठ अभियन्ताओं ने सर्विस कनेक्शन आदेश जारी होने के उपरान्त भी 10 दिन की अवधि में कनेक्शन जारी नहीं किए तथा कनेक्शन जारी करने में देरी 256 दिनों तक की थी। सर्विस कनेक्शन आदेश जारी होने के बाद भी कनेक्शन जारी नहीं करना उपखण्डों की कार्यप्रणाली में ढिलाई एवं सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा निगरानी के अभाव को दर्शाता है तथा प्रतीक्षित उपभोक्ताओं से अवांछित लाभ लेने की सम्भावनाओं को भी नकारा नहीं जा सकता था। असामान्य देरी के कारणों के अन्वेषण किए जाने की आवश्यकता थी कि कहीं देरी तकनीकी मामलों अथवा सम्बन्धित स्टाफ के मनमानेपन के कारण तो नहीं थे।

वर्ष 2013-15 के दौरान 1516 मामलों में कनेक्शन जारी करने में देरी निम्न थी:

प्रतिशत मामले	देरी की सीमा (दिनों में)
55.21	1-30
31.17	31-100
13.62	101-464

उपखण्डों में कनेक्शन जारी करने में अधिकतम देरी घरेलू ग्रामीण (44.37 प्रतिशत) श्रेणी में थी तथा इसके बाद में देरी घरेलू शहरी (19.36 प्रतिशत), अघरेलू शहरी (17.26 प्रतिशत) तथा अघरेलू ग्रामीण (9.43 प्रतिशत) श्रेणियों में थी। उच्च भार (0.07 प्रतिशत), मिश्रित भार (0.28 प्रतिशत), पब्लिक सर्विस लाइटिंग (0.56 प्रतिशत), मध्यम औद्योगिक ऊर्जा (0.70 प्रतिशत) तथा लघु औद्योगिक ऊर्जा (2.59 प्रतिशत) श्रेणियों में कनेक्शन जारी करने में देरी कम थी।

आरईआरसी विनियम, 2004 प्रावधान करता है कि लाइसेन्सी अपने कर्तव्य पालन में निष्पादन के समग्र प्रमाणों को प्राप्त करेगा। विनियमों के शेड्यूल 4 के अनुसार एक वर्ष के दौरान नए कनेक्शन जारी करने के मामले में कम्पनी द्वारा लक्षित न्यूनतम समग्र निष्पादन 90 प्रतिशत था। तथापि, 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान तीनों वृत्तों में से किसी ने भी नए कनेक्शन जारी करने में न्यूनतम निष्पादन के प्रमाण को प्राप्त नहीं किया था। उपखण्ड-वार विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि केवल उदयपुर वृत्त के मधुबन उपखण्ड ने 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान नए कनेक्शन जारी करने में क्रमशः 90.11 तथा 95 प्रतिशत निष्पादन प्राप्त किया। शेष पांच उपखण्डों का निष्पादन 2013-14 के दौरान 21.62 प्रतिशत से 80.08 प्रतिशत तथा 2014-15 के दौरान 30.72 प्रतिशत से 87.50 प्रतिशत के मध्य रहा। सीकर वृत्त के रींगस उपखण्ड ने बहुत निम्न प्रदर्शन किया जहां 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान क्रमशः 78.38 तथा 69.28 प्रतिशत कनेक्शन देरी से जारी किए गए थे।

इस प्रकार, राज्य की जनता को समय पर कनेक्शन जारी करने को सुनिश्चित करने का सरकार का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

3.1.3 कृषि श्रेणी को कनेक्शन जारी करना

कृषि कनेक्शन जारी करना राज्य सरकार की कृषि नीति/ निर्देशों द्वारा शासित होता है। अधिनियम में कृषि कनेक्शनों को जारी करने के लिए समय सीमा नहीं दी गई है। समय-समय पर जारी कृषि नीति एवं अन्य निर्देश विभिन्न श्रेणियों यथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, शहीदों के आश्रित, ड्रिप सिंचाई, फार्म हाउस इत्यादि को कनेक्शन जारी करने में प्राथमिकता निर्धारित करते हैं। कम्पनी का उपभोक्ता चार्टर, यद्यपि, प्रावधान करता है कि डिमाण्ड नोटिस में दर्शाई गई राशि की प्राप्ति के 120 दिन अथवा डिमाण्ड नोटिस की देय तिथि, दोनों में जो बाद में हो, में कृषि कनेक्शन जारी कर दिए जाने चाहिए। 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान कृषि श्रेणी को कनेक्शन जारी करने में चयनित उप खण्डों का निष्पादन निम्नानुसार था:

विवरण	अजमेर शहर वृत्त के चयनित उपखण्ड		उदयपुर वृत्त के चयनित उपखण्ड		सीकर वृत्त के चयनित उपखण्ड		कुल		कुल
	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	
अध्ययनाधीन कुल कनेक्शन	63	62	108	0	37	12	208	74	282
स्तर 2 में देरी	2	1	93	0	2	0	97	1	98
दिनों में देरी	16 तथा 175	4	11 से 318	-	22 तथा 30	-	11 से 318	4	4 से 318
देरी से जारी किए गए कनेक्शन (प्रतिशतता)	3.17	1.61	86.11	0.00	5.41	0.00	46.63	1.35	34.75

यह देखा जा सकता है कि उपखण्डों ने 2013-15 के दौरान 34.75 प्रतिशत कृषि कनेक्शन चार से 318 दिनों के मध्य की देरी से जारी किए। 2013-14 के दौरान उदयपुर वृत्त में, झाड़ौल उपखण्ड के कमजोर निष्पादन के कारण जहां 92 कनेक्शन 318 दिनों तक की देरी से जारी किए गए, देरी की प्रतिशतता उच्च थी। साथ ही, उपखण्ड ने 2014-15 (दिसम्बर 2014 तक) के दौरान 597 आवेदन प्राप्त किए लेकिन कोई कनेक्शन जारी नहीं किया जा सका (मार्च 2015)। उपखण्ड ने 2014-15 से पूर्व प्राप्त आवेदनों के सम्बन्ध में 210 सर्विस कनेक्शन आदेश जारी किए (मार्च से दिसम्बर 2014) लेकिन यह कनेक्शन जारी करने के लिए लम्बित थे (मार्च 2015) यद्यपि राजस्व मैन्युअल के प्रावधानानुसार यह कनेक्शन 10 दिनों में जारी कर दिए जाने चाहिए थे।

कम्पनी ने तथ्यों को स्वीकार किया (सितम्बर 2015) तथा बताया कि नए कनेक्शन जारी करने में देरी विभिन्न कारणों यथा लिपिकीय/ तकनीकी स्टॉफ की कमी, कनेक्शन जारी करने के लिए अनुरूपी लाइन सामग्री की अनुपलब्धता, भूस्वामियों द्वारा लाइन कार्य में बाधाएं, कोर्ट-स्टे इत्यादि के कारण थी। कम्पनी ने झाड़ौल उपखण्ड के कमजोर निष्पादन के सम्बन्ध में उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त बताया कि उपखण्ड पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है तथा वहां उचित सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है। उपभोक्ताओं की बसावट छितराई हुई है तथा प्रत्येक उपभोक्ता तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। साथ ही, बीपीएल कनेक्शन जारी करने का कार्य आरजीजीवीवाई के अन्तर्गत एक निजी फर्म को दिया गया था। फर्म द्वारा जारी किए गए कनेक्शनों की सूची अभिलेखों में इन्द्राज कर ली गई थी।

सरकार ने कम्पनी के उत्तर की पुष्टि की (सितम्बर 2015)।

अनुशांसा

कम्पनी को राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम, 2011 तथा टीसीओएस 2004 में नियत समय सीमा की पालना के लिए पर्याप्त जन शक्ति की नियुक्ति, उचित निगरानी एवं सामग्री की उपलब्धता को सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को कनेक्शन जारी करने की प्रणाली को कारगर बनाना चाहिए।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

3.2 ऊंचे दामों पर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेन्ट लैम्प का प्रापण

दो फर्मों द्वारा निम्न दरें प्रस्तावित करने के उपरान्त भी कम्पनी द्वारा उच्च दरों पर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेन्ट लैम्प का क्रय किया गया जिसके कारण ₹ 2.20 करोड़ के सरकारी कोषों का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

राजस्थान के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2013-14 के लिए बजट भाषण में 'मुख्यमंत्री बिजली बचत लैम्प योजना' की घोषणा की। यह योजना 'गरीबी रेखा से नीचे' (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले परिवार तथा छोटे ग्रामीण एवं शहरी घरेलू 50 लाख उपभोक्ताओं को दो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेन्ट लैम्प (सीएफएल) निशुल्क उपलब्ध कराते हुए ऊर्जा संरक्षण के लिए लक्षित थी। इस योजना को, सभी घरेलू उपभोक्ताओं को सम्मिलित करने के लिए जो पहले इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किये गये थे, को बढ़ाया गया (अगस्त 2013)। एक करोड़ सीएफएल

के प्रापण एवं वितरण प्रक्रिया पर विचार-विमर्श, मुख्य सचिव, राजस्थान की अध्यक्षता में आयोजित एक सभा में किया गया (12 अप्रैल 2013)। डीजीएसएण्डडी अनुमोदित दरों पर अधिकतम छूट प्राप्त करते हुए महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान (डीजीएसएण्डडी) की दर अनुबन्ध के अधीन पंजीकृत भारतीय निर्माताओं से सीएफएल क्रय करने का निर्णय किया गया। साथ ही, सीएफएल का वितरण सितम्बर 2013 तक पूरा करना था।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने राजस्थान की तीन⁴ विद्युत वितरण कम्पनियों के निमित्त डीजीएसएण्डडी दर अनुबन्ध के अधीन पंजीकृत फर्मों से उद्धरण आमंत्रित किये (15 अप्रैल 2013)। भाग लेने वाली 16 फर्मों की निविदाएं खोली गईं (24 अप्रैल 2013) जिसमें ₹ 115.44 प्रति सीएफएल की 'फ्री ऑन रोड' (एफओआर) गन्तव्य दर को न्यूनतम पाया गया। क्रय समिति ने तथापि अधिकतम छूट प्राप्त करने तथा अधिकतम मात्रा जो कि जून, जुलाई एवं अगस्त 2013 के महीनों में की जा सकने वाली आपूर्ति के प्रस्ताव के लिए व्यक्तिगत रूप से निविदादाताओं के साथ मोल-भाव करने का निश्चय किया। भाग लेने वाली 11 फर्मों के साथ व्यक्तिगत रूप से मोल-भाव किया गया (8 मई 2013) जिसमें पांच⁵ फर्मों ने मौखिक रूप से ₹ 107 प्रति सीएफएल की समायोजित एफओआर गन्तव्य दर प्रस्तावित की।

हमने देखा कि तीन⁶ फर्मों के अतिरिक्त उन पांच फर्मों सहित जिन्होंने उसी दिन प्रस्तावित दरों को लिखित में पुष्टि की, सभी फर्मों ने न्यूनतम दरों को स्वीकार कर लिया। शेष तीन फर्मों ने अगले दिन (9 मई 2013) पुष्टीकरण फैक्स भेजा। तथापि, क्रय समिति ने उसी दिन (8 मई 2013) पांचों फर्मों को जिन्होंने मोल-भाव के दौरान ₹ 107 प्रति सीएफएल की समायोजित एफओआर गन्तव्य दर प्रस्तावित की थी, को क्रयादेश प्रदान करने का निर्णय लिया। एक करोड़ सीएफएल के क्रय के लिए 13 मई 2013 को आशय पत्र (एलओआई) जारी किये गये। तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के भिन्न-भिन्न स्थानों के लिए 17 एवं 20 मई 2013 को क्रयादेश (पीओ) जारी किये गये। साथ ही, कम्पनी ने इन पांच फर्मों को पूर्व में आदेशित आपूर्तियों के पूर्ण होने के पश्चात समान दर पर 25 लाख अतिरिक्त सीएफएल के प्रापण के लिए भी क्रयादेश जारी किये (27 अगस्त 2013)। सभी आपूर्तियां 10 सितम्बर 2013 की निर्दिष्ट तिथि तक प्राप्त हो गई थी।

हमारी संवीक्षा ने उजागर किया (अप्रैल 2015) कि उन तीन फर्मों जिन्होंने 9 मई 2013 को पुष्टीकरण फैक्स भेजा था, में से दो फर्म (1) सोलन एनर्जी सेविंग्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली तथा (2) प्लाजा पावर एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, हिमाचल प्रदेश ने

4 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

5 (1) सूर्या रोशनी लिमिटेड, दिल्ली, (2) हेलोनिक्स लिमिटेड, नोएडा, (3) क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड, दिल्ली, (4) विप्रो लिमिटेड, नई दिल्ली एवं (5) बजाज इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, दिल्ली।

6 सोलन एनर्जी सेविंग्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, प्लाजा पावर एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, हिमाचल प्रदेश, एवं एचक्यू लैम्प्स।

₹ 102/103 प्रति सीएफएल की समायोजित दर⁷ प्रस्तावित की, यद्यपि इन फर्मों ने 8 मई 2013 को मोल-भाव के दौरान मौखिक रूप से क्रमशः ₹ 109 एवं ₹ 111.80 प्रति सीएफएल की दरें प्रस्तावित की थी। तथापि, कम्पनी ने फर्मों के संशोधित प्रस्तावों पर कोई कार्यवाही नहीं की।

इस प्रकार, कम्पनी ने फर्मों द्वारा निम्न दरें प्रस्तावित करने के उपरान्त भी उच्च दरों पर सीएफएल का क्रय किया तथा इसके कारण ₹ 2.20 करोड़⁸ के सरकारी कोषों का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ। उच्च दर पर सीएफएल के क्रय से सीएफएल के क्रय पर अधिकतम छूट प्राप्त करने का उद्देश्य जो कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित सभा में निश्चित किया गया था (12 अप्रैल 2013) विफल हुआ।

सरकार ने बताया (सितम्बर 2015) कि 'निविदादाताओं को निर्देश' (आईटीबी) के उपवाक्य जो निविदादाताओं द्वारा मूल्य में स्वप्रेरित परिवर्तनों के कारण भावी निविदाओं से बाहर होने की कठोर कार्यवाही का प्रावधान करता है, को ध्यान में रखते हुए इन दो फर्मों के प्रस्तावों को अनदेखा किया गया। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि आईटीबी केवल खुली निविदाओं के लिए लागू था। साथ ही, आईटीबी डीजीएसएण्डडी पंजीकृत फर्मों को संविदाएं आमंत्रित करते समय सूचित किये गये विशिष्ट नियम एवं शर्तों तथा आगे पत्राचार का भाग नहीं था। कम्पनी ने बाद में (13/17 तथा 20 मई 2013) एलओआई एवं पीओ जारी करते समय सीएफएल के प्रापण पर अधिकतम छूट को सुनिश्चित करने के लिए पांचों फर्मों को ₹ 102 प्रति सीएफएल की दर का प्रतिप्रस्ताव भी नहीं किया। यह भी उल्लेखनीय है कि कम्पनी ने सामग्री के क्रय में इसे प्राप्त निम्न दरों को सभी निविदादाताओं को प्रतिप्रस्ताव देने की प्रणाली बना रखी है।

यह देखा गया कि कम्पनी ने खुली निविदाओं में या अन्य विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा खोली गई निविदाओं में, आगामी निविदाओं में निम्न मूल्य प्राप्त होने के बाद स्वयं ही मंशा पत्र तथा क्रयादेश निरस्त कर दिए थे। उदाहरण के तौर पर, कम्पनी ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा खोली गई निविदाओं में निम्न दरों की प्राप्ति के कारण निविदा नोटिस (टीएन) 4409 (14 मार्च 2013) तथा टीएन 4420 (अप्रैल/मई 2013) के अधीन निम्नतम निविदादाताओं के आशय पत्र/क्रयादेश निरस्त कर दिए थे। तथापि, इस मामले में कम्पनी ने मोल भाव के ठीक अगले ही दिन प्रस्तावों को प्राप्त करने के उपरान्त भी उन्हें स्वीकार नहीं किया था। यहां तक कि 25 लाख सीएफएल की अतिरिक्त मात्रा के लिए क्रयादेश देते समय भी इन प्रस्तावों को ध्यान में नहीं रखा गया।

7 सोलन एनर्जी ने ₹ 102 के समस्त समायोजित इकाई मूल्य पर सीएफएल आपूर्ति का प्रस्ताव दिया। प्लाजा पावर ने 18 लाख सीएफएल की न्यूनतम आदेशित मात्रा ₹ 102 के समस्त समायोजित इकाई मूल्य पर सीएफएल आपूर्ति का प्रस्ताव दिया। समस्त समायोजित प्रस्तावित मूल्य 10 लाख सीएफएल से कम आदेशित मात्रा के लिए ₹ 103 प्रति इकाई था।

8 फर्मों द्वारा प्रस्तावित मासिक मात्रा गुणा 4 माह (मूल क्रयादेश में अनुमत तीन माह तथा अतिरिक्त क्रयादेश में अनुमत एक माह) गुणा (₹ 107 – ₹ 102) अर्थात् 11 लाख सीएफएल प्रति माह (प्लाजा पावर द्वारा प्रस्तावित छः लाख सीएफएल प्रति माह तथा सोलर एनर्जी द्वारा प्रस्तावित पांच लाख सीएफएल प्रति माह) गुणा 4 माह गुणा ₹ पांच प्रति सीएफएल।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

3.3 विद्युत की चोरी पर सिविल दायित्व के निर्धारण में प्रणालीगत कमियां

विद्युत की चोरी एक आर्थिक अपराध है। यह विद्युत वितरण कम्पनियों की आय के एक महत्वपूर्ण भाग को समाप्त कर देती है तथा साथ ही यह अच्छे उपभोक्ताओं पर भार बन जाती है क्योंकि इसके परिणामतः टैरिफ में वृद्धि होती है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 तथा 135 विद्युत वितरण कम्पनियों को विद्युत की चोरी के अपराध के लिए अन्वेषण करने एवं अभियोग चलाने के लिए शक्तियां प्रदान करती है। राजस्थान की विद्युत वितरण कम्पनियों ने विद्युत की चोरी को रोकने के लिए अधिशाषी अभियन्ताओं (एक्सईएन), सहायक अभियन्ताओं (ईईएन) एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं (जेईएन) को जांच एवं जब्ती गतिविधियों के लिए प्राधिकृत किया (जनवरी 2004)।

3.3.1 नियामक ढांचा

सिविल दायित्व का अर्थ विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 तथा 139 में संदर्भित विद्युत, विद्युत लाइन एवं सामग्री की चोरी तथा निर्माण कार्यों की तोड़फोड़ अथवा क्षति के कारण बोर्ड अथवा लाइसेन्सी अथवा सम्बन्धित व्यक्ति (विद्युत वितरक) द्वारा वहन की गई हानि अथवा क्षति से है।

आरईआरसी विनियम, 2006 तथा कम्पनी द्वारा बनाये गये टीसीओएस, 2004 प्रावधान करते हैं कि विद्युत की चोरी के मामले में प्राधिकृत अधिकारी, निरीक्षण एवं जब्ती की एक प्रति तामील करेगा तथा कम्पनी को विद्युत आपूर्ति कनेक्शन तुरन्त विच्छेद करने के लिए कहेगा। प्राधिकृत अधिकारी उपलब्ध/जब्त/निरीक्षित अभिलेखों तथा बिलिंग अधिकारी के पास उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर चोरी की अवधि निर्धारित करेगा जो कि निरीक्षण की तिथि से पिछले 12 महीनों से अधिक नहीं होगी। यदि यह व्यवहार्य नहीं हो तो यह मान लिया जायेगा कि विद्युत की चोरी निरीक्षण की तिथि से तुरन्त पूर्व के 12 महीनों की अवधि से की जा रही थी। प्राधिकृत अधिकारी निर्धारण की मात्रा एवं अवधि तथा प्रभारों की दर के आधार पर सिविल दायित्व का निर्धारण करेगा। सिविल दायित्व की राशि निर्धारण की अवधि के दौरान प्रचलित टैरिफ सूची के अनुसार प्रभारित टैरिफ से दुगुनी दर से अस्थायी रूप से निर्धारित की जायेगी।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 154 के अनुसार विशेष अदालत विद्युत की चोरी के लिए राशि के रूप में एक उपभोक्ता अथवा एक व्यक्ति के विरुद्ध सिविल दायित्व निर्धारित करेगी जो कि विद्युत की चोरी के पता लगने की तिथि से पिछले 12 महीनों की अवधि के लिए लागू टैरिफ दर के दुगुने के बराबर अथवा अगर निर्धारित किया जा सके तो चोरी की सही अवधि, दोनों में जो कम हो, से कम नहीं होगी तथा इस प्रकार निर्धारित की गई सिविल दायित्व की राशि सिविल कोर्ट की एक डिक्री की तरह वसूल की जायेगी।

3.3.2 सतर्कता ढांचा

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) का निगम सतर्कता दल (सीवीएस) जुलाई 2000 में छापे मारने, विद्युत की चोरी को रोकने में संचालन एवं रखरखाव विंग के अधिकारियों को सहायता उपलब्ध कराने तथा विद्युत से सम्बन्धित अन्य मामलों की देखरेख के लिए स्थापित किया गया था। सीवीएस के शीर्षस्थ पद पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (राजस्थान पुलिस

सेवा) नियुक्त होते हैं जिसकी सहायता अन्य पुलिस एवं तकनीकी सतर्कता अधिकारियों द्वारा की जाती है। कम्पनी ने सभी 11 वृत्तों में सतर्कता अधिकारी नियुक्त कर रखे हैं। सीवीएस के अतिरिक्त, प्रत्येक वृत्त पर सतर्कता विंग तथा संचालन एवं रखरखाव (ओएण्डएम) विंग भी विद्युत की चोरी को रोकने के कार्य में संलग्न है।

वर्तमान अध्ययन यह पता लगाने के लिए किया गया (फरवरी 2015 से अप्रैल 2015) कि क्या कम्पनी ने चोरी के मामलों में सिविल दायित्व को विद्युत अधिनियम 2003, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) (आपूर्ति कोड तथा सम्बन्धित मामले) विनियम, 2006 (विनियम 2006) (चतुर्थ संशोधन) तथा विद्युत की आपूर्ति के लिए नियम एवं शर्तें (टीसीओएस), 2004 के प्रावधानों के अनुसार प्रभारित किया है। हमने सीवीएस तथा जोधपुर जिला वृत्त (जेपीडीसी) की सतर्कता विंग एवं ओएण्डएम विंग के 2013-14 से 2014-15 की अवधि के लिए अभिलेखों की संवीक्षा की। सीवीएस का चयन इसलिए किया गया क्योंकि यह कम्पनी के सभी वृत्तों में जांच करने एवं छापे मारने के लिए अधिकृत एकीकृत सतर्कता विंग है। जेपीडीसी का चयन इसलिए किया गया क्योंकि इसने सर्वाधिक (i) 2014-15 (दिसम्बर 2014 तक) के दौरान प्रसारण एवं वितरण हानियां तथा (ii) शेष 10 वृत्तों की तुलना में सीवीएस द्वारा सतर्कता जांच दर्ज की।

लेखा परीक्षा परिणाम

लेखा परीक्षा परिणाम सतर्कता जांच एवं सिविल दायित्व की वसूली तथा सम्बन्धित पहलुओं अर्थात् सतर्कता जांच प्रतिवेदनों में कमियां, विद्युत कर एवं शहरी उपकर की वसूली आदि के निष्पादन को दर्शाते हैं। मुख्य लेखा परीक्षा परिणाम नीचे दिये गये हैं:

- चोरी के मामलों में सिविल दायित्व की वसूली के लिए आरईआरसी निर्देशों (2006) को देरी से क्रियान्वित किया गया (12 फरवरी 2013)। साथ ही, सीवीएस तथा वृत्त कार्यालयों ने तुरन्त प्रभाव से निर्देशों को क्रियान्वित नहीं किया। परिणामस्वरूप, सीवीएस तथा जेपीडीसी की सतर्कता विंग ने 12 फरवरी 2013 के बाद पता लगे चोरी के मामलों में ₹ 36.50 लाख के सिविल दायित्व की वसूली नहीं की।
- चोरी के अधिकांश मामलों में जांच अधिकारियों ने दोषकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत उपकरण क्रय के बिलों, चोरी की अवधि के बारे में स्वघोषणा करते हुए शपथ-पत्रों तथा मीटर जांच प्रतिवेदनों के आधार पर निर्धारण की अवधि निर्धारित की। चोरी की अवधि निर्धारित करने के लिए मीटर जांच प्रतिवेदन विश्वसनीय थे लेकिन उपकरणों के क्रय के बिल तथा स्वघोषणा शपथ-पत्र विश्वसनीय आधार नहीं थे। जांच अधिकारियों ने शुरुआत में चोरी की अवधि 12 माह के रूप में निर्धारित की लेकिन बाद में दोषकर्ताओं द्वारा उपकरण क्रय के बिल तथा शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर इसे घटा दिया गया। जेपीडीसी में जांच अधिकारियों ने बिल तथा शपथ-पत्रों के आधार पर गलत निर्धारण अवधि को ध्यान में रखने के कारण 25 मामलों में सिविल दायित्व की ₹ 17.93 लाख की राशि का कम निर्धारण किया जिसके लिए कम्पनी प्रबन्धन ने उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की।
- सतर्कता जांच प्रतिवेदन (वीसीआर) सतर्कता विंग द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं भरी गई। वीसीआर रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में नहीं धारित किये गये तथा कई मामलों में विभिन्न कॉलम यथा वीसीआर भरने की तिथि, वसूली गई राशि का विवरण आदि भी खाली पाये गये।

- जेपीडीसी की सतर्कता विंग एवं ओएण्डएम विंग तथा सीवीएस ने 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान सतर्कता जांच तथा चोरी का पता लगाने के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये। साथ ही, ओएण्डएम विंग तथा सीवीएस का निष्पादन चोरी का पता लगाने में कमजोर था तथा यह उपलब्धि 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान क्रमशः केवल 2.25 एवं 11.77 प्रतिशत तथा 16 एवं 33.44 प्रतिशत थी।
- कम्पनी ने वितरण हानियों के आधार पर सभी वृत्तों एवं उप-खण्डों के एकरूप समाहन को सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की। साथ ही, सीवीएस तथा विभिन्न वृत्तों की सतर्कता विंग ने संतुलित जांच को सुनिश्चित करने के लिए वृत्तों, उपखण्डों तथा उपभोक्ताओं का एक अनुकूलतम मिश्रण नहीं बनाया था।

3.3.3 सीवीएस, जेपीडीसी की सतर्कता विंग तथा जेपीडीसी की ओएण्डएम विंग का निष्पादन

कम्पनी ने सीवीएस, वृत्तों की सतर्कता विंग तथा वृत्तों की ओएण्डएम विंग पर पदासीन अधिकारियों (एक्सईएन, एईएन एवं जेईएन) के लिए सतर्कता जांच, चोरी का पता लगाने, निर्धारण, निर्धारित राशि की वसूली तथा विद्युत चोरी निरोधक पुलिस स्टेशनों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराने के न्यूनतम मासिक लक्ष्य निर्धारित किये। अधिकारियों के लिए निर्धारित किये गये न्यूनतम लक्ष्यों के आधार पर 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान सीवीएस, जेपीडीसी की सतर्कता विंग तथा जेपीडीसी की ओएण्डएम विंग के लक्ष्य तथा उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

विवरण	जेपीडीसी की सतर्कता विंग		जेपीडीसी की ओएण्डएम विंग		सीवीएस	
	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15
लक्ष्य						
जांच लक्ष्य (संख्या)	1260	2000	25920	17228	1620	1840
चोरी का पता लगाने के लक्ष्य (संख्या)	840	1680	12960	8640	1050	1540
निर्धारण लक्ष्य (₹ लाख)	168.00	224.00	691.20	691.20	192.00	208.00
वसूली लक्ष्य (₹ लाख)	126.00	168.00	518.40	518.40	144.00	156.00
एफआईआर (संख्या)	120	240	216	216	150	220
उपलब्धि						
जांच (संख्या)	887	1277	2007	11340	515	1574
चोरी का पता लगाना (संख्या)	562	998	291	1017	168	515
निर्धारण (₹ लाख)	193.93	346.13	90.17	268.76	144.67	241.44
वसूली (₹ लाख)	111.28	177.83	56.26	73.99	80.41	151.71
एफआईआर (संख्या)	202	653	48	240	53	44
उपलब्धि प्रतिशतता						
जांच	70.40	63.85	7.74	65.82	31.79	85.54
चोरी का पता लगाना	66.90	59.40	2.25	11.77	16.00	33.44
निर्धारण	115.43	154.52	13.05	38.88	75.35	116.08
वसूली	88.32	105.85	10.85	14.27	55.84	97.25
एफआईआर ⁹	168.33	272.08	22.22	111.11	35.33	19.50

9 उल्लंघनकर्ताओं से निर्धारित राशि की वसूली नहीं होने के कारण एफआईआर के मामले में उपलब्धि की प्रतिशतता 100 से अधिक थी।

सीवीएस, जेपीडीसी की सतर्कता विंग तथा जेपीडीसी की ओएण्डएम विंग ने 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान सतर्कता जांच तथा चोरी का पता लगाने के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये। सीवीएस तथा जेपीडीसी की ओएण्डएम विंग ने 2014-15 के दौरान सतर्कता जांच के निष्पादन में प्रगति दर्शाई तथा यह उपलब्धि 2013-14 के दौरान 31.79 एवं 7.74 प्रतिशत से 85.54 एवं 65.82 प्रतिशत तक महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी। तथापि, सतर्कता विंग द्वारा जांच में 2013-14 में 70.40 प्रतिशत से 2014-15 के दौरान 63.85 प्रतिशत की कमी आई। चोरी का पता लगाने में ओएण्डएम विंग तथा सीवीएस का निष्पादन मामूली था तथा 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान उपलब्धि केवल क्रमशः 2.25 एवं 11.77 प्रतिशत तथा 16 एवं 33.44 प्रतिशत थी। जेपीडीसी की सतर्कता विंग ने निर्धारण, वसूली (2013-14 के अतिरिक्त) तथा एफआईआर दर्ज कराने के लक्ष्य प्राप्त किये लेकिन इस सम्बन्ध में (2014-15 के दौरान सीवीएस द्वारा वसूली तथा ओएण्डएम द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के अतिरिक्त) ओएण्डएम तथा सीवीएस का निष्पादन 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान असन्तोषजनक रहा।

इन विंगों ने 2013-15 के दौरान पकड़ी गई चोरी के संबंध में ₹ 12.85 करोड़ का निर्धारण किया लेकिन निर्धारित राशि की वसूली केवल ₹ 6.51 करोड़ (50.66 प्रतिशत) थी। तथापि, कम्पनी ने निर्धारण तथा निर्धारित राशि की वसूली के मध्य अन्तराल को कम करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाये। निर्धारित राशि की वसूली के अभाव के परिणामस्वरूप उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की संख्या में वृद्धि हुई।

सरकार ने बताया (जुलाई तथा सितम्बर 2015) कि अक्टूबर 2013 से फरवरी 2014 के दौरान अधिकारियों तथा उनके वाहनों को चुनाव कार्य पर लगाया गया था जिसके परिणामस्वरूप सतर्कता जांच के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई। साथ ही, जांच अधिकारियों के रिक्त पदों तथा अधिकारियों द्वारा लिये गये अवकाश भी लक्ष्यों की अप्राप्ति का कारण रहे। इसने आगे बताया कि मासिक सभाओं में जांच अधिकारियों को लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्देशित किया गया था तथा लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे।

3.3.4 सिविल दायित्व की वसूली

आरईआरसी विनियम, 2006 निर्दिष्ट करते हैं कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अन्तर्गत विद्युत चोरी के मामलों में सिविल दायित्व की राशि का अस्थायी निर्धारण, निर्धारण अवधि के दौरान प्रचलित टैरिफ सूची के अनुसार प्रभारित टैरिफ की दुगुनी दर से किया जायेगा।

चूंकि विद्युत की चोरी के मामलों में जारी किये जाने वाले नोटिस के निर्धारित प्रारूप में सिविल दायित्व के अभ्यावेदन के लिए कॉलम नहीं था जिसकी वजह से विशेष अदालतों द्वारा भी सिविल दायित्व का निर्धारण नहीं किया जा सका था, इसलिए कम्पनी द्वारा प्रशमन प्रभारों के साथ सिविल दायित्व की गणना को सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए निर्देश जारी किये गये (25 अक्टूबर 2007)। तथापि, कम्पनी के निर्देश पदासीन अधिकारियों द्वारा लागू नहीं किये गये तथा चोरी के मामले केवल प्रशमन प्रभारों की वसूली को जारी रखते हुए निपटाये जाते रहे। कम्पनी ने प्रथम बार, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अधीन आरोपी व्यक्तियों से प्रशमन प्रभारों के साथ सिविल दायित्व के निर्धारण एवं वसूली के लिए निर्देश जारी किये (12 फरवरी 2013)। तथापि, निर्देशों को

सीवीएस तथा वृत्त कार्यालयों द्वारा तुरन्त प्रभाव से लागू नहीं किया गया। हमने पाया कि सीवीएस तथा जेपीडीसी की सतर्कता शाखा ने दिनांक 12 फरवरी 2013 को निर्देश जारी करने के बाद 27 मामलों¹⁰ में ₹ 36.50 लाख के सिविल दायित्व का निर्धारण एवं उसकी वसूली नहीं की।

सरकार ने बताया (जुलाई 2015) कि 12 फरवरी 2013 के बाद 27 मामलों में सिविल दायित्व प्रभारित नहीं किये गये क्योंकि इन उपभोक्ताओं ने केवल अन्य स्वसरो में अपने कनेक्शनों का अनाधिकृत स्थान पर परिवर्तन किया था तथा भौतिक रूप से विद्युत की चोरी नहीं की गई थी। चूंकि अनाधिकृत स्थान परिवर्तन को विद्युत की चोरी माना गया, इन उपभोक्ताओं से केवल प्रशमन प्रभारों की वसूली की गई। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि कनेक्शन का स्थान परिवर्तन केवल दो मामलों में पाया गया जहां उपभोक्ताओं ने सिंगल फेज कनेक्शन में अतिरिक्त पंप चलाया जो कम्पनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अधीन विद्युत की चोरी (अप्रत्यक्ष वाणिज्यिक चोरी) माना गया। शेष 25 मामलों में उपभोक्ता, मीटर से छेड़छाड़, पोल/लाइन से सीधी आपूर्ति लेने आदि द्वारा विद्युत की चोरी में लिप्त थे। क्योंकि सभी मामलों को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के अन्तर्गत कम्पनी को हानि पहुंचने के कारण विद्युत की चोरी माना गया, इस प्रकार जांच अधिकारियों द्वारा नियमानुसार दोषकर्ताओं पर सिविल दायित्व प्रभार लगाना आवश्यक था।

सरकार ने आगामी (सितम्बर 2015) उत्तर में बताया कि सभी 27 मामलों में नियमानुसार सिविल दायित्व की वसूली के लिए निर्देश जारी किये जा चुके थे।

3.3.5 सिविल दायित्व की राशि का निर्धारण

वर्ष 2006-07 से 2012-13 के दौरान सीवीएस, जेपीडीसी की संचालन एवं रस्वरखाव (ओएण्डएम) विंग तथा जेपीडीसी की सतर्कता विंग द्वारा पता लगाये गये चोरी के 10566 मामलों में से 2009-13 की अवधि से सम्बन्धित 877 सतर्कता जांच प्रतिवेदनों तथा निर्धारण पत्रों की संवीक्षा ने उजागर किया कि जांच अधिकारियों ने उस अवधि का उल्लेख नहीं किया जिसमें दोषकर्ताओं द्वारा विद्युत की चोरी की गई थी। चोरी की अवधि के अभाव में, इन 10566 मामलों में कम्पनी द्वारा परित्याग की गई सिविल दायित्व की राशि का पता लगाना सम्भव नहीं था।

वर्ष 2013-15 की अवधि से सम्बन्धित वीसीआर तथा चोरी के मामलों के निर्धारण पत्रों जिनमें जांच अधिकारियों द्वारा सिविल दायित्व की राशि का निर्धारण किया गया था, की संवीक्षा ने उजागर किया कि जांच अधिकारियों ने ज्यादातर मामलों में दोषकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत उपकरणों के क्रय के बिलों, चोरी की अवधि के बारे में स्वयं द्वारा दिये गये शपथ-पत्रों तथा मीटर जांच प्रतिवेदनों के आधार पर निर्धारण अवधि निर्धारित की।

हमने देखा कि चोरी की अवधि का निर्धारण करने के लिए मीटर जांच प्रतिवेदन विश्वसनीय आधार थे क्योंकि ये प्रतिवेदन चोरी की वास्तविक अवधि को प्रमाणित करते थे लेकिन उपकरणों के क्रय के बिल तथा स्वयं द्वारा दिये गये शपथ-पत्र चोरी की अवधि के निर्धारण के लिए विश्वसनीय आधार नहीं थे। यह देखा गया कि जांच अधिकारियों ने प्रारम्भ में इन मामलों

10 ₹ 17.29 लाख के सिविल दायित्व की राशि वाले सीवीएस से सम्बन्धित 10 मामले तथा ₹ 19.21 लाख के सिविल दायित्व की राशि वाले जेपीडीसी से सम्बन्धित 17 मामले।

में चोरी की अवधि 12 माह के रूप में निर्धारित की लेकिन बाद में दोषकर्ताओं द्वारा बिल तथा शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर इसे घटा दिया गया। जेपीडीसी वृत्त की सतर्कता विंग के एईएन (75 मामले) तथा एक्सईएन (95 मामले) ने 2013-15 के दौरान बिलों तथा दोषकर्ताओं द्वारा दिये गये शपथ-पत्रों के आधार पर निर्धारण की अवधि एक दिन से नौ महीने के मध्य निर्धारित की। इस प्रकार, जांच अधिकारियों द्वारा चोरी की अवधि का निर्धारण सही तथा तार्किक आधार पर नहीं किया गया।

बिल तथा शपथ-पत्रों के आधार पर निर्धारण की अवधि सही नहीं लेने के कारण जेपीडीसी की सतर्कता विंग ने 21 मामलों (₹ 16.56 लाख) तथा सीवीएस ने चार मामलों (₹ 1.37 लाख) में कुल ₹ 17.93 लाख के सिविल दायित्व का कम निर्धारण किया। तथापि, कम्पनी ने आरोप-पत्र जारी कर जेपीडीसी के सतर्कता विंग के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी थी (मार्च 2015)।

सरकार ने बताया (जुलाई 2015) कि समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये लिखित आदेशों के अनुसार विद्युत उपकरणों के क्रय के बिल तथा गैर-न्यायिक स्टाम्प पर शपथ-पत्रों के आधार पर सिविल दायित्व के निर्धारण के लिए अवधि का निर्धारण किया। साथ ही, बिल तथा शपथ-पत्रों के आधार पर अवधि का निर्धारण विद्युत अधिनियम, 2003 तथा टीसीओएस के प्रावधानों के अनुसार सही था। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि विद्युत अधिनियम 2003 तथा टीसीओएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिससे विद्युत उपकरणों के क्रय के बिलों तथा शपथ-पत्रों के आधार पर सिविल दायित्व के निर्धारण के लिए अवधि का निर्धारण किया जाये। यहां तक कि राज्य सरकार/आरईआरसी/कम्पनी ने भी सिविल दायित्व के निर्धारण के लिए अवधि निर्धारण के लिए बिलों तथा शपथ-पत्रों को ध्यान में रखने के कोई आदेश/ निर्देश जारी नहीं किये थे।

तथापि, सरकार ने आगामी उत्तर (सितम्बर 2015) में लेखापरीक्षा आक्षेप को स्वीकार किया तथा बताया कि केवल मीटर जांच प्रतिवेदनों/ सतर्कता जांच प्रतिवेदनों के आधार पर सिविल दायित्व के निर्धारण के लिए निर्देश जारी किये जा रहे थे।

3.3.6 सतर्कता जांच का नियोजन तथा निगरानी

तीनों डिस्कॉम्स की समन्वय समिति के अध्यक्ष ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अधीन वीसीआर भरने के कारण उत्पन्न हुई परिवेदनाओं के उचित निस्तारण एवं निगरानी के लिए एक वीसीआर निगरानी तथा समीक्षा समिति गठित की (अप्रैल 2008)। समिति ने मई 2008 से दिसम्बर 2014 की अवधि के दौरान पंजीकृत 2327 मामलों में से 1993 मामले निस्तारित किये। कम्पनी ने प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा सतर्कता जांच, सतर्कता जांच की निम्न गुणवत्ता तथा बड़ी मात्रा में लम्बित वीसीआर पर प्रभावी नियंत्रण एवं निगरानी रखने के क्रम में सतर्कता जांच कार्य के लिए अधीक्षण अभियन्ता स्तर के पद का एक वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी केवल इसी काम के लिए नियुक्त किया (अप्रैल 2013)। अधीक्षण अभियन्ता को आवश्यक था कि:

- वृत्तों में पदासीन सभी सतर्कता अधिकारियों (एक्सईएन, एईएन तथा जेईएन) पर प्रशासनिक नियन्त्रण बनाये रखे;

- प्रत्येक अधिकारी द्वारा सतर्कता जांच लक्ष्य तथा गुणवत्ता को सुनिश्चित करना; तथा
- जब भी आवश्यक हो तब औचक सतर्कता जांच करने की योजना बनाये।

सतर्कता गतिविधियों के नियोजन तथा निगरानी में देखी गई कमियों की चर्चा आगे के अनुच्छेदों में की गई है:

3.3.7 सतर्कता जांच प्रतिवेदन (वीसीआर) में कमियां

निर्धारण, वसूली एवं दोषकर्ताओं पर अभियोग चलाने हेतु वीसीआर एक मुख्य प्रलेख है। यह समस्त भावी कानूनी कार्यवाहियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। वीसीआर भरने के लिए जारी (2004) किये गये दिशानिर्देशों एवं मार्गदर्शिका में प्रावधान था कि जांच अधिकारियों को वीसीआर एक स्पष्ट पठनीय तरीके से विशेष रूप से दोषकर्ता/उपभोक्ता का नाम, स्वाता संख्या, श्रेणी, स्वीकृत भार, मीटर विवरण, जांच के समय मीटर पठन, मीटर सील की संख्या तथा उपभोक्ता के हस्ताक्षर इत्यादि विवरण को दर्शाते हुए भरना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त मार्गदर्शिका में प्रावधान था कि वीसीआर रजिस्ट्रों को एक निर्धारित प्रारूप में संधारित किया जाना चाहिए तथा वीसीआर को सभी सम्बन्धित अभिलेखों के साथ 24 घण्टों में सम्बन्धित उपखण्ड के आईएन को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। सम्बन्धित आईएन द्वारा वीसीआर में की गई प्रविष्टियों की जांच करना एवं अभिलेख तथा जब्त वस्तुओं को न्यायालय में प्रस्तुति अथवा मामले के निस्तारण तक अपनी अभिरक्षा में रखना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में मासिक विवरण का एक सार तैयार करना आवश्यक था।

यह देखा गया कि जेपीडीसी की सतर्कता विंग में वीसीआर को कम्पनी द्वारा जारी मार्गदर्शिका तथा निर्देशों के अनुसार नहीं भरा गया था। 2013-14 से 2014-15 (दिसम्बर 2014 तक) के दौरान सीवीएस तथा जेपीडीसी की सतर्कता शाखा द्वारा पता लगाये गये कुल 1771¹¹ चोरी के मामलों में से 155 चोरी के मामलों में भरी गई वीसीआर दोषपूर्ण थी। वीसीआर में मीटर संख्या (12 मामले), जांच के समय वर्तमान मीटर पठन (44 मामले), मीटर बाँडी सील संख्या (153 मामले), उपभोक्ता स्वाता संख्या (31 मामले), स्वीकृत भार (32 मामले) तथा उपभोक्ता के हस्ताक्षर (32 मामले) दर्शाये हुए नहीं पाये गए। सतर्कता विंग ने अत्यावश्यक विवरणों के अभाव के उपरान्त भी वीसीआर को स्वीकार किया। साथ ही, वीसीआर रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में संधारित नहीं किये गये तथा कई मामलों में विभिन्न कॉलम यथा वीसीआर भरने की तिथि, वसूली गई राशि का विवरण इत्यादि खाली पाये गए। इन अत्यावश्यक विवरणों के अभाव में कम्पनी को निस्तारण समितियों तथा न्यायालयों में विपरीत निर्णयों के जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। अन्वेषण के दौरान वीसीआर को भरने में जांच अधिकारियों द्वारा अपनाई गई दोषपूर्ण क्रियाविधियां न्यायालय में अभियोगों में हार का कारण बनी। तथापि, कम्पनी ने वीसीआर भरने में दोषों को स्वतः करने के लिए कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की।

सरकार ने बताया कि मीटर/सील संख्या वीसीआर में इंगित किये गये थे तथा वीसीआर रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में संधारित किये गये थे। मौके पर वीसीआर भरते समय उपभोक्ताओं

11 जेपीडीसी द्वारा पता लगायी गई चोरियों की संख्या 1233 थी तथा सीवीएस द्वारा पता लगायी गई चोरियों की संख्या 538 थी।

द्वारा विद्युत बिल प्रस्तुत नहीं करने के कारण खाता संख्या तथा स्वीकृत भार के कॉलम खाली रहे। तथापि, इन कॉलमों को उपखण्ड कार्यालय से सूचना एकत्र करने के पश्चात भर दिया गया था। यह भी बताया गया कि मासिक प्रगति प्रतिवेदन महीने के पहले तथा दूसरे दिन उच्च प्राधिकारियों को भेज दिये गये थे। उत्तर तथ्यों के अनुरूप नहीं था क्योंकि ऊपर वर्णित मामलों में वीसीआर तथा वीसीआर रजिस्ट्रों में विवरण दर्शाए हुए नहीं पाये गये। साथ ही, उच्च प्राधिकारियों ने वीसीआर को सही नहीं भरने तथा रजिस्ट्रों को संधारित नहीं करने पर कोई कार्यवाही नहीं की थी।

सरकार ने आगामी उत्तर (सितम्बर 2015) में बताया कि वीसीआर में सभी सम्भव विवरण भरने तथा उपभोक्ताओं/ उल्लंघनकर्ताओं के हस्ताक्षर लेने को सुनिश्चित करने के लिए सभी सतर्कता अधिकारियों को निर्देश जारी किये जा रहे थे।

3.3.8 सतर्कता जांच का नियोजन

विद्युत वितरण कम्पनियों के लिए प्रसारण तथा वितरण हानियों (टीएण्डडी), जिसमें विद्युत की चोरी के कारण हानि भी शामिल है, में कमी एक मुख्य विषय है। कम्पनी ने 2013-14 तथा 2014-15 (दिसम्बर 2014 तक) के दौरान क्रमशः 21.88 प्रतिशत तथा 20.57 प्रतिशत की टीएण्डडी हानियां वहन की। वृत्तानुसार टीएण्डडी हानियां 2013-14 के दौरान 9.39 प्रतिशत (पाली वृत्त) से 29.83 प्रतिशत (चुरु वृत्त) के मध्य रही तथा 2014-15 (दिसम्बर 2014 तक) के दौरान 9.78 प्रतिशत (जोधपुर शहर वृत्त) से 35.58 प्रतिशत (जेपीडीसी) के मध्य रही। विभिन्न वृत्तों के मध्य टीएण्डडी हानियों में बड़ी विषमता के कारण कम्पनी के उपखण्डों में उपभोक्ताओं की कुल संख्या, उपभोक्ताओं की भिन्न-भिन्न श्रेणियों तथा वृत्तों एवं वृत्तों के उपखण्डों द्वारा वहन की गई टीएण्डडी हानियों पर आधारित, सतर्कता जांच के लिए एक तार्किक प्रणाली आवश्यक थी।

वर्ष 2013-14 से 2014-15 (दिसम्बर 2014 तक) के दौरान सीवीएस द्वारा की गई सतर्कता जांच के वृत्तानुसार विश्लेषण ने उजागर किया कि सीवीएस ने मुख्य रूप से जोधपुर शहर वृत्त (जेसीसी) तथा जेपीडीसी पर ध्यान केन्द्रित किया। सीवीएस द्वारा जेसीसी तथा जेपीडीसी में 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान संचयी सतर्कता जांच, कुल सतर्कता जांच की क्रमशः 93.59 प्रतिशत तथा 86.55 प्रतिशत थी। इसने इंगित किया कि सीवीएस द्वारा की गई सतर्कता जांच, वृत्त विशिष्ट में कम्पनी द्वारा वहन की गई वितरण हानियों के साथ मेल नहीं खाती थी। 2013-14 के दौरान आठ¹² वृत्तों ने टीएण्डडी हानियां, जेसीसी (9.78 प्रतिशत) से अधिक दर्ज की लेकिन 2013-14 के दौरान इन वृत्तों में सतर्कता जांच केवल शून्य से 0.78 प्रतिशत के मध्य रही। साथ ही, 2014-15 (दिसम्बर 2014) के दौरान इन आठ वृत्तों में सतर्कता जांच शून्य से 5.29 प्रतिशत के मध्य रही।

जेपीडीसी की सतर्कता शाखा द्वारा उपखण्ड-वार की गई जांच ने उजागर किया कि जांच 17 उपखण्डों द्वारा वहन की गई वितरण हानियों के साथ मेल नहीं खाती थी।

12 चुरु (29.83 प्रतिशत), बीकानेर (27.44 प्रतिशत), जैसलमेर (20.49 प्रतिशत), बाड़मेर (19.05 प्रतिशत), श्रीगंगानगर (16.22 प्रतिशत), हनुमानगढ़ (14.69 प्रतिशत), जालोर (14.14 प्रतिशत), तथा सिरोही (11.05 प्रतिशत)।

तथापि, कम्पनी ने वितरण हानियों के आधार पर सभी वृत्तों एवं उपखण्डों के एकरूप समाहन को सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की थी। साथ ही, सीवीएस तथा विभिन्न वृत्तों की सतर्कता विंग ने संतुलित जांच को सुनिश्चित करने के लिए वृत्तों, उपखण्डों तथा उपभोक्ताओं का एक अनुकूलतम मिश्रण नहीं बनाया था।

सरकार ने बताया (जुलाई 2015) कि सीवीएस तथा सतर्कता विंग को सूचना देने वालों से प्राप्त सूचना तथा उच्च प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों के आधार पर सतर्कता जांच करनी होती है। तथापि, उच्च टीएण्डडी हानियों वाले क्षेत्रों में सतर्कता जांच करने के लिए प्रयास किये जा रहे थे। तथ्य यही रहा कि कम्पनी ने वितरण हानियों के आधार पर सभी वृत्तों के साथ-साथ उपखण्डों के एकरूप एवं संतुलित समाहन को सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की थी।

सरकार ने आगामी उत्तर (सितम्बर 2015) में बताया कि उच्च टीएण्डडी हानियां दर्ज करने वाले क्षेत्रों/फीडरों में अधिकतम जांच करने के लिए जांच अधिकारियों को निर्देश दिये जा चुके थे।

3.3.9 सिविल दायित्व के निर्धारण में विद्युत शुल्क की वसूली का अभाव

राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 की धारा 3 उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की गई विद्युत पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों पर विद्युत शुल्क लगाने का प्रावधान करती है। विद्युत शुल्क आपूर्तिकर्ता द्वारा उपभोक्ता से संग्रहित किया जायेगा तथा राज्य सरकार को भुगतान किया जायेगा।

हमने देखा कि कम्पनी ने विद्युत की चोरी के मामलों में निर्धारण करते समय दोषी उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क की वसूली नहीं की थी। जेपीडीसी की सतर्कता शाखा तथा सीवीएस ने फरवरी 2013 से दिसम्बर 2014 के दौरान पाये गये 1654 चोरी के मामलों में ₹ 7.29 लाख का विद्युत शुल्क वसूल नहीं किया था।

3.3.10 चोरी के मामलों में शहरी उपकर की वसूली

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2010 में अपने स्वयं के प्रयोग अथवा उपभोग के लिए ऊर्जा उत्पादन करने वाले आपूर्तिकर्ता के अतिरिक्त एक उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा पर 10 पैसा प्रति यूनिट की दर से शहरी उपकर लगाने का प्रावधान था। तथापि, कम्पनी ने दोषकर्ता उपभोक्ताओं से शहरी उपकर वसूल नहीं किया था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (सितम्बर 2015) तथा बताया कि सभी उपखण्डों को नियमानुसार विद्युत शुल्क तथा शहरी उपकर की वसूली के निर्देश जारी किये जा चुके थे।

हम सिफारिश करते हैं कि कम्पनी को चाहिए कि वह:

- सीवीएस तथा वृत्त अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शिका तथा निर्देशों की अनुपालना, नियमानुसार सिविल दायित्व, विद्युत शुल्क तथा शहरी उपकर राशि की वसूली की उच्च प्रबन्धन द्वारा आवधिक समीक्षा करे;
- चोरी के मामलों में निर्धारण अवधि के निर्धारण के लिए प्रलेखीय सबूत की स्वीकार्यता के सम्बन्ध में निर्देश जारी करे; तथा

- वितरण हानियों तथा विभिन्न उपखण्डों एवं उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति में शामिल अन्तर्निहित जोखिम के आधार पर उपभोक्ताओं की श्रेणियों तथा सभी वृत्तों के समाहन को सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत व्यूहरचना तैयार करे।

सरकार ने लेखापरीक्षा द्वारा की गई सभी सिफारिशों को स्वीकार किया (जुलाई तथा सितम्बर 2015) तथा यह बताया कि आवश्यक निर्देश जारी किये जा चुके थे तथा निगरानी एवं निर्देशों की पालना ध्यानपूर्वक की जायेगी।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड तथा राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड

3.4 अवकाश नकदीकरण के पेटे कर्मचारी भविष्य निधि में अनियमित भुगतान

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड तथा राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड ने अवकाश नकदीकरण के पेटे कर्मचारी भविष्य निधि में ₹ 3.42 करोड़ का अनियमित भुगतान किया।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (भविष्य निधि अधिनियम, 1952) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में एक कर्मचारी को देय मूल वेतन, महंगाई भत्ता तथा प्रतिधारण भत्ते (यदि कोई हो) के 12 प्रतिशत की दर से नियोक्ता के अंशदान के लिए प्रावधान करता है।

इसमें एक विवाद था कि क्या अर्जित अवकाश के नकदीकरण के माध्यम से प्राप्त राशि अधिनियम की धारा 2(बी) के अन्तर्गत नियोक्ता के आनुपातिक अंशदान का अपेक्षण करने के लिए 'मूल वेतन' का एक भाग थी। उच्च न्यायालयों¹³ के निर्णयों के आधार पर कि अवकाश के नकदीकरण को कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान की गणना के प्रयोजनार्थ मूल वेतन के एक भाग के रूप में माना जाना है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 1 मई 2005 से अवकाश नकदीकरण पर नियोक्ता के अंशदान की वसूली करने के लिए अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देशित (9 सितम्बर 2005) किया। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने बाद में निर्णित किया¹⁴ (12 मार्च 2008) कि "मूल वेतन कभी भी अवकाश नकदीकरण से प्राप्त राशि को शामिल करने के लिए अभिप्रेरित नहीं था" तथा निर्देश दिया कि "यदि कोई भुगतान किया जा चुका हो तो इसे भावी दायित्वों के लिए समायोजित किया जा सकता है तथा कोई भी वापसी दावा नहीं होगा क्योंकि यह एक चालू कोष है"। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, ईपीएफओ ने तत्काल प्रभाव से अवकाश नकदीकरण पर भविष्य निधि की कटौती को जारी नहीं रखने के लिए स्पष्टीकरण जारी किया (5 मई 2008)। यह भी स्पष्ट किया गया कि जहां नियोक्ता के

13 (1) हिन्दुस्तान लीवर कर्मचारी संघ बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के मामले में मुम्बई उच्च न्यायालय (1995 एलएलआर 416) तथा (2) मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एज्यूकेशन बनाम भविष्य निधि आयुक्त के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय (अक्टूबर 2003)।

14 मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एज्यूकेशन बनाम भविष्य निधि आयुक्त- अपील (सिविल) संख्या 1832/2004 के मामले में।

हिस्से का भविष्य निधि अंशदान प्राप्त किया जा चुका हो, वह भावी दायित्वों के विरुद्ध समायोजित कर लिया जाना चाहिये।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) तथा राजस्थान राज्य स्वान एवं स्वनिज लिमिटेड (आरएसएमएमएल) ने, भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अधीन आने वाले संस्थापन होने के कारण, अपने-अपने नियम¹⁵ बनाये (क्रमशः अप्रैल 1971 तथा दिसम्बर 1974) तथा भारतीय प्रत्यास अधिनियम 1882 के अधीन अलग कर्मचारी भविष्य निधि कोष बनाया। रीको तथा आरएसएमएमएल दोनों द्वारा अपनाई गई मूल वेतन की परिभाषा भविष्य निधि अधिनियम, 1952 में दी गई परिभाषा के पूर्णतया समान थी।

हमने देखा कि दोनों कम्पनियों ने दिनांक 9 सितम्बर 2005 के ईपीएफओ के स्पष्टीकरण की प्राप्ति के बाद अवकाश नकदीकरण पर नियोक्ता का भविष्य निधि अंशदान (पीएफ) दिया। तथापि, कम्पनियों ने ना ही माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय तथा ना ही दिनांक 5 मई 2008 के ईपीएफओ के स्पष्टीकरण को संज्ञान में लिया तथा अवकाश नकदीकरण पर अपने हिस्से का अंशदान इसे मूल वेतन का भाग मानते हुए जारी रखा। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के पश्चात, आरएसएमएमएल (अक्टूबर 2013) तथा रीको (अप्रैल 2014) ने आत्मसमर्पित अवकाश के नकदीकरण पर पीएफ अंशदान अनुमत करने की परिपाटी को बन्द कर दिया। तथापि, रीको ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण पर अपना पीएफ अंशदान जारी रखा।

इसके परिणामस्वरूप, आरएसएमएमएल ने 2008-13 के दौरान अवकाश नकदीकरण पर पीएफ में नियोक्ता के भाग के पेटे ₹ 2.61 करोड़ का अनियमित अंशदान किया जबकि रीको के मुख्य कार्यालय तथा नौ¹⁶ अन्य कार्यालयों ने अप्रैल 2010 से अक्टूबर 2014 की अवधि के दौरान ₹ 81.04 लाख¹⁷ का अनियमित अंशदान किया जिसमें से ₹ 60.78 लाख तथा ₹ 65.77 लाख क्रमशः आरएसएमएमएल तथा रीको के उन कर्मचारियों से सम्बंधित थे जो या तो सेवानिवृत्त हो चुके थे या सेवा छोड़ चुके थे। इस प्रकार, यह राशि भावी दायित्वों के विरुद्ध भी समायोजित नहीं की जा सकती थी।

लेखापरीक्षा आक्षेप के उत्तर में रीको ने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफसी), जयपुर को सूचित किया (10 अप्रैल 2014) कि अवकाश नकदीकरण पर पीएफ अंशदान कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ पहुंचाने के रूप में दिया जा रहा था। रीको ने, तथापि, स्पष्टीकरण मांगा कि क्या ऐसा अंशदान कर्मचारियों को लाभों के विस्तार के रूप में माना जा सकता था। आरपीएफसी, जयपुर ने कम्पनी को केन्द्रीय ईपीएफओ, नई दिल्ली द्वारा जारी (5 मई 2008) स्पष्टीकरण के अनुसार कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया (मई 2014)। यह भी बताया गया कि कर्मचारियों को दिया जाने वाला कोई भी लाभ प्रत्यास के क्षेत्राधिकार में आता है।

15 रीको: राजस्थान राज्य औद्योगिक तथा स्वनिज विकास निगम लिमिटेड अंशदान भविष्य निधि तथा आरएसएमएमएल: राजस्थान राज्य स्वान एवं स्वनिज लिमिटेड के भविष्य निधि नियम।

16 (1) ईपीआईपी-सीतापुरा, (2) सीकर, (3) बालोतरा, (4) जयपुर (ग्रामीण), (5) इकाई-प्रथम भिवाड़ी, (6) श्रीगंगानगर, (7) भरतपुर, (8) अलवर तथा (9) जोधपुर।

17 समर्पित अर्जित अवकाश पर ₹ 15.27 लाख तथा सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों को भुगतान किये गये अवकाश नकदीकरण पर ₹ 65.77 लाख।

सरकार ने रीको के सम्बन्ध में उत्तर दिया (जून 2015) कि 5 मई 2008 का ईपीएफओ का स्पष्टीकरण रीको के पीएफ प्रत्यास को सूचित नहीं किया गया था। साथ ही, कम्पनी ने कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति के समय अर्जित अवकाश के नकदीकरण पर पीएफ का अपना भाग बन्द कर दिया था(अप्रैल 2015)।

आरएसएमएमएल ने उत्तर दिया (जुलाई 2015) कि ईपीएफओ ने ना तो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को सूचित किया ना ही इस सम्बन्ध में कोई परिपत्र भेजा तथा इस कारण से कम्पनी ने अवकाश नकदीकरण से पीएफ की कटौती को जारी रखा तथा उस पर नियोक्ता का अंशदान भी दिया। इसने आगे उत्तर दिया कि पूर्व भुगतानों की वसूली के सम्बन्ध में मामला ईपीएफओ, उदयपुर को प्रेषित किया जा चुका था तथा ईपीएफओ की राय प्राप्त पर उचित कार्यवाही की जायेगी। सरकार ने कम्पनी के उत्तर को समर्थित किया (जुलाई 2015)।

तथ्य तथापि यही रहे कि दोनों कम्पनियों ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय तथा ईपीएफओ के निर्देशों का उल्लंघन कर पीएफ में अनियमित अंशदान किया।

राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड

3.5 एम्पोरिया का निष्पादन

परिचय

राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (कम्पनी) का सम्मेलन लघु उद्योगों के सहायताार्थ, हथकरघा को बढ़ावा देने तथा राज्य के दस्तकारों को सहायता प्रदान करने के लिए एक सम्पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में हुआ (जून 1961)। कम्पनी के राज्य में तथा इसके बाहर विभिन्न स्थानों पर नौ¹⁸ राजस्थली (एम्पोरिया) थे।

एम्पोरिया में हथकरघा वस्तुओं का विक्रय (i) कम्पनी के स्वयं के काउन्टरों, (ii) 'न्यूनतम विक्रय गारन्टी' (एमएसजी) के आधार पर दस्तकारों अथवा अन्य निजी पार्टियों को दिये काउन्टरों तथा (iii) 'स्वीकृति पर माल' (जीओए) के अन्तर्गत पंजीकृत दस्तकारों को जगह उपलब्ध कराने के आधार पर की गई। कम्पनी ने दस्तकारों तथा हथकरघा इकाइयों से निर्मित माल खरीदा तथा विभिन्न एम्पोरिया को माल की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक केन्द्रीय भण्डार संचालित किया। केन्द्रीय भण्डार की वस्तुओं का विक्रय कम्पनी के स्वयं के काउन्टरों के माध्यम से किया गया। एमएसजी काउन्टर धारकों को बाजार विशेष उत्पाद विक्रय के लिए एम्पोरिया में दिये गये स्थान के लिए लाइसेन्स शुल्क के रूप में किराये के साथ वास्तविक विक्रय या न्यूनतम गारन्टी राशि जो दोनों में अधिक हो, पर 22.50 प्रतिशत कमीशन के भुगतान पर स्थान उपलब्ध कराया गया था। इसलिए एमएसजी काउन्टरों से प्राप्त आय माल, मानव शक्ति तथा विक्रय संवर्धन में कोई निवेश किये बिना सुनिश्चित/गारंटीड आय थी। साथ ही, जीओए प्रणाली के अधीन कम्पनी ने पंजीकृत दस्तकारों को विपणन सहायता प्रदान करने के लिए स्थान उपलब्ध कराया गया था तथा कम्पनी की नीति के अनुसार लाभ तत्व जोड़ने के बाद उनका माल विक्रय किया गया था।

18 जयपुर, दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता (चोरंगी लेन तथा गरीहाट), आगरा, माऊण्ट आबू, उदयपुर (चेतक सर्किल तथा जगदीश चौक)।

वर्ष 2002-07 के दौरान एम्पोरिया का निष्पादन 31 मार्च 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), राजस्थान सरकार में सम्मिलित किया गया था। प्रतिवेदन पर राजकीय उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा चर्चा की गई (जुलाई 2010) थी। कोपू ने सिफारिश की (अक्टूबर 2012) कि कम्पनी को अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए एक आक्रामक विपणन योजना बनानी चाहिए, घटती हुई बिक्री की भरपाई के लिए निर्यात एवं संस्थागत बिक्री को बढ़ावा देना तथा पर्यटन सम्भावित शहरों में जहां एम्पोरिया खोलना सम्भव नहीं था वहां उचित फ्रैन्चाइजी प्रणाली अपनाते हुए 'राजस्थली' ब्राण्ड का संवर्धन करना चाहिए।

वर्तमान अध्ययन यह सुनिश्चित करने के लिए कि कम्पनी ने हथकरघा के विकास एवं संवर्धन तथा राज्य के दस्तकारों को सहायता देने में पर्याप्त एवं प्रभावी प्रयास किए, के उद्देश्य से 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान एम्पोरिया के निष्पादन का निर्धारण करने के लिए किया गया (मार्च से मई 2015)।

3.5.1 वित्तीय निष्पादन

नौ एम्पोरिया में से, चार¹⁹ एम्पोरिया राजस्थान में जबकि शेष पांच²⁰ देश के अन्य राज्यों में स्थित थे। कम्पनी ने बाहर के राज्यों में स्थित दो एम्पोरिया (चोरंगी लेन कोलकाता तथा मुम्बई) को बन्द कर दिया था। चोरंगी लेन (कोलकाता) एम्पोरिया को कम्पनी ने एक भूमि वाद में हारने के कारण बन्द कर दिया (2011-12) जबकि मुम्बई एम्पोरिया को व्यवसाय के अभाव के कारण बन्द कर दिया गया (अप्रैल 2014) था। 2010-15 के दौरान बिक्री तथा लाभ/ हानि के सम्बन्ध में एम्पोरिया का वर्षवार निष्पादन अनुबंध-5 में दिया गया है। मार्च 2015 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों के दौरान एम्पोरिया की संचयी बिक्री, लाभ/ हानि तथा कर्मचारी लागत निम्न थी:

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	एम्पोरिया का नाम	कुल बिक्री	लाभ/ (हानि)	कर्मचारी लागत	कुल बिक्री से लाभ/(हानि) का प्रतिशत	कुल बिक्री से कर्मचारी लागत का प्रतिशत
1	राजस्थली जयपुर	20.94	0.95	3.69	4.54	17.62
2	राजस्थली दिल्ली	22.97	3.78	2.64	16.46	11.49
3	राजस्थली उदयपुर*	1.95	(0.22)	0.65	(11.28)	33.33
4	राजस्थली माऊण्ट आबू	0.92	(0.13)	0.34	(14.13)	36.96
5	गरीहाट कोलकाता	2.17	(0.06)	0.57	(2.76)	26.27
6	राजस्थली आगरा	0.72	(0.12)	0.38	(16.67)	52.78
7	राजस्थली मुम्बई	0.01	(0.20)	0.20	(2000.00)	2000.00
8	चोरंगी लेन कोलकाता	0.34	(0.10)	0.18	(29.41)	52.94
	कुल	50.02	3.90	8.65	7.80	17.29

* कम्पनी के उदयपुर में दो एम्पोरिया अर्थात् जगदीश चौक तथा चेतक सर्किल हैं।

19 जयपुर, उदयपुर के चेतक सर्किल एवं जगदीश चौक तथा माऊण्ट आबू

20 कोलकाता के चोरंगी लेन एवं गरीहाट, आगरा, नई दिल्ली तथा मुम्बई।

एम्पोरिया का निष्पादन उत्साहवर्धक नहीं था क्योंकि केवल दो एम्पोरिया (जयपुर तथा दिल्ली) ने मार्च 2015 को समाप्त होने वाले सभी पांच वर्षों में लाभ कमाया। उदयपुर, आगरा, मुम्बई तथा चोरंगी लेन (कोलकाता) एम्पोरिया ने अपने संचालन के सभी वर्षों में हानि वहन की। साथ ही, माऊण्ट आबू (2013-14 के अतिरिक्त) तथा गरीहाट, कोलकाता (2010-11 एवं 2014-15 के अतिरिक्त) एम्पोरिया ने भी सभी वर्षों में हानि वहन की। 2010-15 के दौरान कुल बिक्री (₹ 50.02 करोड़) से समग्र लाभदायकता (₹ 3.90 करोड़) कम रही जो कि 7.80 प्रतिशत थी जबकि कर्मचारी लागत (₹ 8.65 करोड़) कुल बिक्री का 17.29 प्रतिशत थी। वर्षवार निष्पादन ने उजागर किया कि लाभ से बिक्री अनुपात 2010-11 में 3.91 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 1.70 प्रतिशत हो गया तथा उसके बाद 2014-15 के दौरान 16.49 प्रतिशत तक बढ़ा। कर्मचारी लागत का बिक्री से अनुपात 2010-11 में 14.67 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 20.58 प्रतिशत हो गया तथा उसके बाद 2014-15 में घटकर 16.26 प्रतिशत हो गया।

हमने देखा कि एम्पोरिया की कुल बिक्री 2010-11 में ₹ 11.82 करोड़ से घटकर (28.76 प्रतिशत) 2014-15 में ₹ 8.42 करोड़ हो गई। तथापि, एमएसजी बिक्री (69 से 74 प्रतिशत) के आनुपातिक रूप से बढ़ने तथा कर्मचारी लागत (₹ 1.73 करोड़ से ₹ 1.40 करोड़) में कमी (19.08 प्रतिशत) के कारण इसी अवधि के दौरान लाभ ₹ 0.46 करोड़ से बढ़कर (228.57 प्रतिशत) ₹ 1.42 करोड़ हो गया।

2010-11 से 2014-15 के दौरान एम्पोरिया की कुल बिक्री में कम्पनी की स्वयं की बिक्री, एमएसजी बिक्री तथा जीओए बिक्री का भाग निम्न था:

विवरण		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल
कम्पनी की बिक्री	₹ करोड़ में	0.54	0.76	0.55	0.75	1.37	3.97
	कुल बिक्री का प्रतिशत	4.58	7.31	5.56	7.97	15.94	7.93
एमएसजी बिक्री	₹ करोड़ में	8.21	7.80	8.04	7.44	6.39	37.88
	कुल बिक्री का प्रतिशत	69.45	75.01	81.96	79.56	73.98	75.73
जीओए बिक्री	₹ करोड़ में	3.04	1.84	1.22	1.02	0.87	7.99
	कुल बिक्री का प्रतिशत	25.74	17.68	12.48	10.89	10.08	15.99

यह देखा जा सकता है कि एमएसजी बिक्री (75.73 प्रतिशत) सभी वर्षों में अधिकतम थी तथा इसके पश्चात जीओए बिक्री (15.99 प्रतिशत) रही। कम्पनी की स्वयं की बिक्री 2010-14 के दौरान 4.58 से 7.97 प्रतिशत के मध्य रही। तथापि, कुल बिक्री में कम्पनी का भाग 2014-15 के दौरान स्वयं की बिक्री में वृद्धि तथा एमएसजी एवं जीओए बिक्री में कमी के कारण बढ़कर 15.94 प्रतिशत हो गया। जीओए बिक्री का भाग भी 2010-11 में ₹ 3.04 करोड़ (25.74 प्रतिशत) से घटकर 2014-15 में ₹ 0.87 करोड़ (10.08 प्रतिशत) हो गया। साथ ही, एमएसजी बिक्री जो कि एम्पोरिया के लिये मुख्य सहारा थी, 2010-11 में ₹ 8.21 करोड़ से घटकर (22.17 प्रतिशत) 2014-15 में ₹ 6.39 करोड़ हो गई।

कम्पनी ने केन्द्रीय भण्डार को बन्द कर दिया (मार्च 2009) लेकिन दिसम्बर 2009 में इसे वापस शुरू कर दिया। तथापि, दस्तकारी वस्तुओं का क्रय 2010-13 के दौरान केवल ₹ 0.91 करोड़ था जो कि 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान केन्द्रीय भण्डार को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार से ₹ 2.30 करोड़ के अनुदान प्राप्ति (जून 2013) के बाद क्रमशः ₹ 1.20 करोड़ तथा ₹ 1.03 करोड़ तक बढ़ा। दस्तकारों से हस्तशिल्प वस्तुओं के क्रय में बढ़ोतरी ने भी

कम्पनी की स्वयं की बिक्री को 2013-14 में ₹ 74.57 लाख से 2014-15 में बढ़ाकर ₹ 1.30 करोड़ कर दिया।

हमने देखा कि कम्पनी अपनी स्वयं की बिक्री में वृद्धि नहीं कर सकी। सभी एम्पोरिया में एमएसजी बिक्री के भाग के अधिकतम होने के कारण दस्तकारी के संवर्धन तथा राज्य के दस्तकारों को सहायता उपलब्ध कराने का मूल उद्देश्य भी विफल हुआ क्योंकि एमएसजी आधार पर काउन्टर केवल निर्दिष्ट उत्पादों (फोल्डर, आभूषण, चित्रकारी, साड़ियां, रत्न इत्यादि) के लिए एक अकेले विक्रेता/विक्रेताओं को आवंटित किये गये।

सरकार ने बताया (सितम्बर 2015) कि कम्पनी की बिक्री 2013-14 से राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने के साथ-साथ कम्पनी द्वारा सशक्त प्रयास करने के कारण बढ़ना शुरू हुई। कम्पनी को लाभों में कमी को रोकने के लिए एमएसजी व्यवस्था का सहारा लेना पड़ा। आगे यह बताया गया कि एमएसजी विक्रेता भी अपने उत्पादों के प्रापण के लिए दस्तकारों पर निर्भर रहते हैं तथा इस प्रकार एमएसजी व्यवस्था ने कम्पनी के लक्ष्य को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दिया। सरकार का उत्तर कि एमएसजी व्यवस्था से दस्तकारों को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दिया गया, सन्तोषजनक नहीं था क्योंकि एमएसजी काउन्टर केवल निर्दिष्ट उत्पादों के लिए एक अकेले विक्रेता को आवंटित किए गये थे जो कि या तो उसके द्वारा निर्मित किए जा सकते थे या अधिकतम लाभ कमाने के लिए न्यूनतम लागत पर दस्तकारों के अलावा भी किसी से क्रय किये जा सकते थे तथा इस तरह राज्य के दस्तकारों को अधिक लाभ नहीं पहुंचा था।

कम्पनी को अपनी बिक्री तथा लाभदेयता को बढ़ाने के लिए एम्पोरिया विशिष्ट व्यूहरचना बनानी चाहिए। साथ ही, कम्पनी को एमएसजी बिक्री को यथावत रखते हुए, हस्तशिल्प का संवर्धन तथा राज्य के दस्तकारों को पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराने के लिए अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए भी प्रयास करने चाहिए। कम्पनी बिक्री की घटती प्रवृत्ति को रोकने के लिए निर्यात एवं संस्थागत बिक्री के संवर्धन तथा ऑन-लाइन बिक्री पर भी विचार कर सकती है।

3.5.2 हानि वाले एम्पोरिया का पुनरुत्थान

संचालक मण्डल (मण्डल) ने हानि वाले एम्पोरिया को बन्द करने का निर्णय लिया (2001)। तथापि, निर्णय को लागू नहीं किया गया। मण्डल ने अपने निर्णय की समीक्षा की (मई 2004) तथा सभी एमएसजी वस्तुओं के लिए स्थान को किराये पर देने का निर्णय किया। साथ ही, मण्डल ने मूल्यवान/अर्द्ध मूल्यवान वस्तुओं के लिए काउन्टर आवंटित करने का निर्णय किया (जनवरी 2005)। मण्डल ने एम्पोरिया के निष्पादन की समीक्षा की (मार्च 2009) तथा देखा कि एम्पोरिया सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों के साथ महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित होने के उपरान्त भी हानि वहन कर रहे थे। उच्च प्रशासनिक लागत, निश्चित आय के बिना स्थान का आवंटन, व्यावसायिक नेटवर्क का विस्तार नहीं करना, बिजली एवं पानी की उच्च लागत तथा उपरिव्ययों की पूरी वसूली नहीं होना हानियों के मुख्य कारण थे। पर्यटकों का अनियमित प्रवाह, ऐजेन्ट/गाइड द्वारा पर्यटकों को दूसरे स्थलों पर ले जाना, पारितोषण को कर्मचारियों के निष्पादन के साथ नहीं जोड़ा जाना, निश्चित आय के लिए सीमित एमएसजी वस्तुएं तथा विक्रय के लिए प्रोत्साहन के अभाव ने भी हानियों को बढ़ावा दिया।

संचालक मण्डल ने एम्पोरिया के निष्पादन का पुनरुत्थान करने के लिए 10 व्यूहरचनाएं बनाई (मार्च 2009)। व्यूहरचनाओं में शामिल था (i) न्यूनतम गारन्टी बिक्री प्रणाली के क्षेत्र का विस्तार करना, (ii) अनुमोदन पर माल (जीओए) प्रणाली के लिए मार्गदर्शिका, (iii) पुरस्कृत दस्तकारों की वस्तुओं के लिए प्रदर्शन एवं बिक्री काउन्टर (मीना बाजार), (iv) निजी उद्यमियों को आगरा, माऊण्ट आबू, उदयपुर इत्यादि स्थानों पर स्थित गैर-निष्पादन वाले राजस्थली शोरूम को फ्रैंचाइजी पर देना, (v) निजी उद्यमियों को अपने स्वयं के शोरूम पर राजस्थली की विशेष फ्रैंचाइजी देना, (vi) लाभ केन्द्र अवधारणा, (vii) विक्रय ऐजेन्ट योजना, (viii) विक्रय प्रोत्साहन योजना, (ix) ट्राइफेड²¹, जम्मू एण्ड कश्मीर (जेएण्डके) निगम इत्यादि के साथ आपसी विक्रय व्यवस्था तथा (x) जयपुर स्थित हैण्ड्रीक्राफ्ट मॉल के लिए स्थान आवंटन योजना।

हमने देखा कि कम्पनी ने मीना बाजार, निजी उद्यमियों को अपने स्वयं के शोरूम पर राजस्थली की विशेष फ्रैंचाइजी देना, विक्रय प्रोत्साहन योजना, विक्रय ऐजेन्ट योजना तथा ट्राइफेड, जेएण्डके निगम इत्यादि के साथ आपसी विक्रय व्यवस्था जैसी व्यूहरचनाओं को लागू करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। लाभ केन्द्र अवधारणा तथा हानि वाले एम्पोरिया के लिए फ्रैंचाइजी व्यवस्था को लागू करने की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि कर्मचारियों की कमी तथा अन्य सम्बद्ध स्वर्चों के कारण जेएण्डके निगम के साथ आपसी विक्रय व्यवस्था व्यवहार्य नहीं पाई गई जबकि ट्राइफेड में ऐसी आपसी व्यवस्था के लिए कोई प्रावधान नहीं था। साथ ही, फ्रैंचाइजी के लिए एनआईटीज/कम्पनी की वेबसाइट के माध्यम से निजी पक्षकारों से प्रस्ताव मांगे गये लेकिन कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

3.5.3 लाभ केन्द्र अवधारणा

हानि वहन करने वाले तथा किसी फ्रैंचाइजी द्वारा नहीं लिए जाने वाले एम्पोरिया को लाभ केन्द्र अवधारणा के अन्तर्गत चलाया जाना था। लाभ केन्द्र अवधारणा में ₹ 25000 के एक रिवोल्विंग फण्ड के साथ स्ववित्त पोषण के आधार पर प्रत्येक एम्पोरियम को एक लाभ केन्द्र के रूप में संचालित करना परिकल्पित था। कर्मचारियों का वेतन, बिजली, पानी, टेलीफोन तथा सभी संचालन व्यय एम्पोरियम की आय से पूरा किया जाना आवश्यक था। जैसा कि सभी एम्पोरिया हानि वहन कर रहे थे, उन्हें 1 अप्रैल 2009 से लाभ केन्द्र अवधारणा के अन्तर्गत संचालित किया गया। तथापि, इनकी लाभदेयता में वृद्धि नहीं हुई। दिल्ली तथा जयपुर में स्थित एम्पोरिया ने नवीनीकरण करने, निर्माण पूर्ण होने तथा पूर्ण रूप से संचालन प्रारम्भ करने के बाद 2010-11 से लाभ अर्जित करना शुरू कर दिया।

लाभ केन्द्र अवधारणा की समीक्षा के लिए गठित समिति ने निष्कर्ष निकाला (मार्च 2010) कि यह अवधारणा दूरदर्शी नियोजन की कमी थी तथा इसलिए क्रियान्वयन के दौरान कई व्यावहारिक समस्याएं आईं। केन्द्रीय भण्डार के बन्द होने, मौजूद जीओए व्यवस्था के निरस्तीकरण तथा अपर्याप्त रिवोल्विंग फण्ड के कारण आपूर्ति में बाधा आई जो कि लाभ केन्द्र अवधारणा के निष्फल होने के मुख्य कारण थे। संचालक मण्डल ने जुलाई 2009 से मार्च 2010 के दौरान के वेतन तथा सभी अनुमत्य व्ययों (लगभग ₹ 72 लाख) के पुनर्भरण का

निर्णय लिया (मई 2010)। साथ ही, आगरा, मुम्बई तथा कोलकाता स्थित एम्पोरिया के प्रभारी को अपने एम्पोरिया को लाभ में लाने के लिए 1 जून 2010 से छः माह की अवधि प्रदान की। अधिकतम एक वर्ष की अवधि में एम्पोरिया को लाभ में लाने में विफल रहने पर संचालक मण्डल के अनुमोदन के पश्चात एम्पोरिया को बन्द करने पर विचार करना था।

लाभ केन्द्र अवधारणा की समीक्षा (नवम्बर 2010) के दौरान, संचालक मण्डल ने अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (सीएमडी) को हानि वाले एम्पोरिया को बन्द करने या कम्पनी के हित में सर्वोत्तम वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया। तथापि, कम्पनी द्वारा लाभ केन्द्र अवधारणा को चालू नहीं रखने के सम्बन्ध में कोई औपचारिक निर्णय अभिलेखों में नहीं पाया गया।

सरकार ने बताया कि संचालक मण्डल ने प्रत्येक लाभ केन्द्र की गहन समीक्षा के बाद लाभ केन्द्र अवधारणा को चालू नहीं रखने का निर्णय किया (मई 2010)। तथापि, उत्तर में हानि वाले एम्पोरिया को बन्द करने या वैकल्पिक व्यवस्था ढूँढने के लिए सीएमडी को अधिकार सौंपने (नवम्बर 2010) के परिणामों का उल्लेख नहीं था।

3.5.4 गैर निष्पादन वाले एम्पोरिया के लिए फ्रैंचाइजी

कम्पनी ने उदयपुर में दो एम्पोरिया तथा माऊण्ट आबू में एक एम्पोरिया के लिए हरीश हैण्डिक्राफ्ट (फ्रैंचाइजी) के साथ पांच वर्षों के लिए फ्रैंचाइजी अनुबंध किया (जुलाई 2009)। फ्रैंचाइजी को एम्पोरिया का नवीनीकरण करना था तथा चेतक सर्किल (उदयपुर) एम्पोरियम के लिए ₹ 1.20 लाख एवं जगदीश चौक (उदयपुर) तथा माऊण्ट आबू एम्पोरिया प्रत्येक के लिए ₹ 60000 की वार्षिक फ्रैंचाइजी शुल्क जमा कराना था। पांच वर्ष की अवधि नवीनीकरण के पूर्ण होने की तिथि से गणना की जानी थी। साथ ही, फ्रैंचाइजी को कम्पनी द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के वेतन सहित एम्पोरिया के सभी संचालन व्ययों को वहन करना था।

फ्रैंचाइजी ने तीनों एम्पोरिया के नवीनीकरण पर ₹ नौ लाख खर्च किये तथा उदयपुर एवं माऊण्ट आबू में क्रमशः अक्टूबर 2009 तथा फरवरी 2010 से बिक्री शुरू की। हमने देखा कि फ्रैंचाइजी व्यवस्था स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धी तथा सेवा कर मामलों के सम्बन्ध में विवाद के कारण सही तरीके से कार्यशील नहीं हुई। फ्रैंचाइजी ने उदयपुर में नियुक्त स्टाफ का एकपक्षीय स्थानान्तरण तथा माऊण्ट आबू में स्टाफ की अनुपस्थिति के बारे में शिकायत की (अप्रैल 2011, सितम्बर 2011 तथा फरवरी 2012)। साथ ही, कम्पनी ने फ्रैंचाइजी को ₹ छः लाख के सेवाकर दायित्व के लिए सूचित किया (जनवरी 2013) जो इसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

फ्रैंचाइजी ने उदयपुर (18 जनवरी 2013) तथा माऊण्ट आबू (3 फरवरी 2013) में बिक्री का कार्य रोक दिया। उदयपुर तथा माऊण्ट आबू के प्रभारी ने कम्पनी को सूचित किया कि फ्रैंचाइजी ने तीनों एम्पोरिया से ₹ 60 लाख की कीमत के स्टॉक को हटा लिया था। कम्पनी ने फ्रैंचाइजी को एक नोटिस दिया (मार्च 2013) तथा अन्त में अनुबंध को निरस्त कर दिया (मई 2013)। तथापि, कम्पनी ने इसकी सहमति के बिना स्टॉक को उठाने के लिए फ्रैंचाइजी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई।

सरकार ने बताया कि मध्यस्थ द्वारा दिए गए अवार्ड को लागू कराने के लिए कानूनी सलाह की कार्यवाही शुरू कर दी गई थी।

कम्पनी को एक उचित फ्रैन्चाइजी प्रणाली अपनाने हुए देश में पर्यटन के लिए सम्भावित शहरों में 'राजस्थली' ब्राण्ड को बढ़ावा देना चाहिए।

3.5.5 स्रोत केन्द्र की स्थापना तथा अनुदान के उपयोग में विफलता

कपड़ा मन्त्रालय, भारत सरकार (जीओआई) ने ₹ पांच करोड़ की वित्तीय सहायता के साथ जीओआई की विपणन योजना के अधीन एक दस्तकारी स्रोत केन्द्र स्थापित करने के लिए कम्पनी के प्रस्ताव (फरवरी 2009) को स्वीकृत किया (मार्च 2009)। परियोजना की प्रस्तावित लागत भूमि (₹ 30.83 करोड़) तथा ढांचे के निर्माण एवं आन्तरिक सज्जा की लागत (₹ 11.02 करोड़) सहित ₹ 41.85 करोड़ थी। योजना में पुरस्कृत दस्तकारों द्वारा कला प्रदर्शन के लिए कला दीर्घा के लिए एक तल सहित दस्तकारों से सीधे क्रय किये गये दस्तकारी वस्तुओं के विक्रय तथा प्रदर्शन के लिए एक एक्सक्लूसिव शोरूम अभिकल्पित था।

स्वीकृति की शर्तों में प्रावधान था कि यदि कम्पनी स्वीकृत उद्देश्य के लिए अनुदान का उपयोग करने में असफल हुई तो 10 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज के साथ अनुदान वापस लौटाना होगा। ₹ पांच करोड़ की वित्तीय सहायता मन्त्रालय द्वारा चार किश्तों में जारी की गई (मार्च 2009 से मार्च 2012 के मध्य)।

हमने देखा कि कम्पनी ने मन्त्रालय को सूचित किया (अगस्त 2011) कि स्रोत केन्द्र की स्थापना पर ₹ 42.20 करोड़ व्यय किये जा चुके थे। हमारी संवीक्षा में उजागर हुआ कि सूचना गलत थी क्योंकि कम्पनी ने स्रोत केन्द्र के रूप में अपने स्वयं के हैण्डिक्राफ्ट मॉल (जयपुर) को मान रखा था। साथ ही, हैण्डिक्राफ्ट मॉल का निर्माण भूमि के क्रय के पेटे ₹ 3.03 करोड़ की लागत सहित ₹ 15.34 करोड़ की कुल लागत पर मन्त्रालय द्वारा कम्पनी के प्रस्ताव की स्वीकृति से पूर्व (मार्च 2009) किया जा चुका था।

स्रोत केन्द्र स्थापित करने की योजना को लागू नहीं किया गया एवं यहां तक कि कम्पनी हैण्डिक्राफ्ट मॉल में निर्माण किये गए स्थान को भी आवंटित करने में असफल रही। मार्च 2015 तक कम्पनी ने हैण्डिक्राफ्ट मॉल में कुल आवंटन योग्य 40000 वर्ग फीट स्थान में से 2160 वर्ग फीट (5.20 प्रतिशत) स्थान को किराये पर दिया। शेष भाग खाली पड़ा था।

इस प्रकार, कम्पनी योजना को लागू करने में असफल रही तथा दस्तकारों के उत्पादों को पहचान दिलाने एवं एक छत के नीचे विपणन सुविधा उपलब्ध कराने के आशातीत लाभ प्राप्त नहीं किए जा सके। साथ ही, अनुदान भी स्वीकृत उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया।

सरकार ने बताया कि पुरस्कृत दस्तकारों द्वारा प्रदर्शन के साथ विक्रय के लिए विशिष्ट वर्ग/क्षेत्र/तल आवंटन करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे लेकिन ये दस्तकार मॉल के अधिकांश भाग के चालू हालत में आने तक आवंटन के लिए अनिच्छुक थे। तथ्य यही रहा कि कम्पनी स्रोत केन्द्र स्थापित करने तथा स्वीकृत उद्देश्य के लिए अनुदान का उपयोग करने में विफल रही।

3.5.6 दस्तकारी उत्पादों की बार कोडिंग को लागू करने में देरी

कम्पनी ने जयपुर एम्पोरियम में बार कोडिंग तथा कम्प्यूटराइजेशन के लिए कैमटेक एसोसिएट्स को कार्यादेश जारी किया (दिसम्बर 2009)। फर्म ने केवल ₹ 2.18 लाख का कार्य पूर्ण किया (मई 2011) तथा उसके पश्चात विवादों के कारण कार्य रोक दिया। फर्म द्वारा

दैनिक सामग्री की डाटा प्रविष्टि, जीओए/कम्पनी काउन्टरों की बिक्री, नई वस्तुओं पर बार कोडिंग, मानव संसाधन (वेतन तथा पे स्लिप बनाना) जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण नहीं किए गए। प्रबन्ध निदेशक ने एक समिति का गठन किया (अक्टूबर 2014) जिसने निष्कर्ष निकाला (3 दिसम्बर 2014) कि फर्म द्वारा मुख्य तौर पर शुरुआती समस्याओं तथा कुछ प्रशासनिक अड़चनों के कारण कार्य पूर्ण करने में देरी की गई। कम्पनी ने ₹ 2.18 लाख का भुगतान जारी कर दिया (जनवरी 2015) तथा फर्म को कार्य पूर्ण किए बिना छः माह के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबन्ध भी प्रदान कर दिया (जनवरी 2015)।

हमने देखा कि कम्पनी ने दस्तकारी वस्तुओं को पहचानने में एकरूपता लाने एवं प्रमाणीकरण करने के लिए बार कोडिंग के प्रयोग के सम्बन्ध में जीओआई (अप्रैल 2010) तथा राज्य सरकार (मई 2010) के निर्देशों की पालना नहीं की। साथ ही, बार कोडिंग के अभाव में, समान वस्तुओं के लिए एमएसजी द्वारा प्रभारित किये जाने वाले विभिन्न मूल्यों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि जयपुर एम्पोरियम में बार कोडिंग तथा कम्प्यूटरीकरण एक पाइलेट परियोजना के रूप में थी जिसकी पूरी प्रक्रिया तकनीकी प्रकृति तथा बहु प्रकार की एवं वृहत् सामग्री होने के कारण यह नहीं चल सकी। नियुक्त स्टॉफ भी तकनीकी दृष्टि से ज्यादा निपुण नहीं था तथा इस प्रकार इस प्रणाली को अपनाने के लिए अनिच्छुक थे। सरकार ने आगे बताया कि कम्पनी प्रथम फेज में कम्प्यूटरीकृत सामग्री तथा बिलिंग का कार्य हाथ में लेगी तथा यदि व्यवहार्य हुआ तो, बाद में बार कोडिंग के काम पर विचार किया जायेगा।

3.5.7 दस्तकारों के लिए कल्याण योजना के प्रचार का अभाव

राज्य सरकार ने राज्य में दस्तकारों के कल्याण के लिए राजस्थान हस्तशिल्पी एवं दस्तकार कल्याण कोष योजना घोषित की (2003)। राज्य सरकार द्वारा ₹ एक करोड़²² के एक कोरपस फण्ड का सृजन किया गया। योजना को कोरपस फण्ड पर उपार्जित ब्याज से लागू किया जाना था। योजना में राष्ट्रीय तथा राज्य द्वारा पुरस्कृत दस्तकारों के लिए वृद्धावस्था पेन्शन (जून 2006 से ₹ 500 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹ 1000 प्रतिमाह), मानवीय आधार पर दस्तकारों के आश्रितों को चिन्हित की गई बीमारियों के चिकित्सा इलाज के लिए ₹ 10000 तथा दस्तकार समुदाय के छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय सहायता अभिकल्पित थी। कम्पनी द्वारा योजना को लागू किया जाना तथा योजना के व्यापक प्रचार द्वारा प्रत्येक वर्ष दस्तकारों से आवेदन आमंत्रित किया जाना था।

हमने देखा कि कम्पनी ने योजना के प्रचार के लिए प्रयास नहीं किए। परिणामस्वरूप, योजना के अंतर्गत लाभान्वितों की संख्या बहुत कम रही तथा 2005-14 के दौरान केवल 13 दस्तकारों को ₹ 6.81 लाख की वृद्धावस्था पेन्शन प्रदान की गई। साथ ही, जून 2014 के बाद योजना के अधीन कोई पेन्शन वितरित नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, योजना के प्रारम्भ होने से एक दस्तकार को केवल ₹ 10000 की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई।

22 राज्य सरकार (₹ 50 लाख), राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (₹ 30 लाख), राजस्थान वित्त निगम (₹ 15 लाख) तथा कम्पनी (₹ पांच लाख)।

कम्पनी ने, इस प्रकार, राज्य के दस्तकारों को सहायता तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि कम्पनी ने योजनाओं के प्रचार के प्रयास करने के लिए सभी जिलों के महाप्रबन्धकों (जिला उद्योग केन्द्र) को बार-बार पत्र लिखे। आगे यह बताया कि इस सम्बन्ध में किए जाने वाले अनुकूलतम प्रयासों में क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तरों पर प्रिन्ट, रेडियो एवं टेलिविजन माध्यम को सम्मिलित करते हुए एक प्रचार योजना शामिल होगी। तथ्य यही रहा कि कम्पनी दस्तकारों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए बनी कल्याण योजनाओं के प्रचार करने एवं उनको प्रभावी ढंग से लागू करने के अभाव के कारण दस्तकारों को सहायता तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने में विफल रही।

3.5.8 दस्तकारों को पुरस्कार प्रदान करने में देरी

राज्य स्तरीय समिति ने वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के लिए राज्य दस्तकारी पुरस्कार/मेरीट प्रमाण पत्रों को प्रदान करने के लिए 29 चयनित दस्तकारों की एक सूची बनाई (जनवरी 2013)। कम्पनी ने, तथापि, सरकार द्वारा ₹ 5.96 लाख के कोषों की स्वीकृति तथा अनुमोदन (मार्च 2013, जून 2013 तथा अगस्त 2014) के उपरान्त भी पुरस्कार तथा मेरीट प्रमाण पत्र वितरित नहीं किए (मई 2015)। पुरस्कार के वितरण में असामान्य देरी ने राज्य के दस्तकारों को प्रोत्साहित करने की पहल के अभाव को इंगित किया।

सरकार ने बताया कि कम्पनी सरकारी राजकोष पर अतिरिक्त व्यय को बचाने के क्रम में उद्योग विभाग के 'निर्यात पुरस्कार समारोह' के साथ पुरस्कार समारोह आयोजित कर रही थी क्योंकि दोनों कार्यक्रम एक ही प्रकृति के हैं। दोनों कार्यक्रम राज्य स्तर पर आयोजित किए जाते हैं जहां मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कार वितरित किये जाते हैं। तथापि, मुख्यमंत्री ने पिछले दो वर्षों से पुरस्कार वितरण समारोह के लिए तिथि निश्चित नहीं की।

कम्पनी को हिताधिकारी दस्तकारों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए कल्याण योजनाओं का प्रचार एवं उन्हें लागू करना चाहिए।

3.5.9 आन्तरिक नियन्त्रण

एक ठोस आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली संसाधनों के कुशल तथा अनुकूलतम उपयोग को सुनिश्चित करता है तथा उचित आश्वासन प्रदान करता है कि सम्पत्तियों को सुरक्षित रखा गया है तथा नियमों एवं क्रियाविधियों का पालन किया गया है। एक प्रभावी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अशुद्धियों तथा अनियमितताओं को कम करती है। हमने देखा कि कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण तन्त्र ने कोलकाता तथा मुम्बई एम्पोरिया में गबन को बढ़ावा दिया।

(1) कम्पनी द्वारा अंकेक्षण तथा भौतिक सत्यापन (दिसम्बर 2010 तथा जनवरी 2011) के दौरान कोलकाता के गरीहाट तथा चोरंगी लेन एम्पोरिया में माल तथा नकदी में कमी पाई गई। तीन कर्मचारियों को माल की कमी तथा ₹ 15.79 लाख के नकद के गबन का दोषी पाया गया (जून 2012)। दोषी अधिकारियों ने बैंक खाते में जीओए बिक्री की राशि जमा नहीं कराई। साथ ही, रोकड़ बही भी संधारित नहीं की गई। हमने देखा कि दोषी अधिकारियों ने स्टॉक की कमी तथा नकद के गबन को स्वीकार किया। तथापि, वे इस बात पर कायम रहे कि एम्पोरिया लाभ केन्द्र घोषित किए गए (मार्च 2009) तथा वेतन एम्पोरिया के लाभ से चुकाया जाना था। क्योंकि

एम्पोरिया हानि वहन कर रहे थे, उनको वेतन का भुगतान नहीं किया गया जिसने उनको मिलीभगत तथा गबन करने के लिए उकसाया।

हमने देखा कि एम्पोरिया द्वारा मासिक खाते प्रस्तुत नहीं करने पर उच्च अधिकारियों द्वारा निगरानी एवं कार्यवाही के अभाव तथा प्रधान कार्यालय द्वारा एम्पोरिया के त्रैमासिक अंकेक्षण/ निरीक्षण नहीं करना गबन के मुख्य कारण थे।

(2) कम्पनी ने माल के भौतिक सत्यापन करने के लिए मुम्बई एम्पोरियम के प्रभारी को अधिकृत किया (मार्च 2010)। इस आदेश से पूर्व, कम्पनी के प्रधान कार्यालय के कर्मचारियों को आदेशानुसार माल का भौतिक सत्यापन करना आवश्यक था। हमने देखा कि 2005-06 से 2010-11 की अवधि के लिए एम्पोरिया के भौतिक सत्यापन करने के लिए प्रधान कार्यालय द्वारा नियुक्त एक विशेष अंकेक्षण दल ने ₹ 2.26 लाख के माल की कमी पाई (मई 2011)। माल को कर्मचारियों द्वारा विक्रय कर दिया गया लेकिन नकद को बैंक खाते में जमा नहीं कराया गया।

इस प्रकार, आन्तरिक नियंत्रण के अभाव ने कर्मचारियों को भ्रष्ट क्रियाकलापों में लिप्त होने के लिए अवसर दिया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि भौगोलिक दूरी होने के कारण तथा पर्याप्त स्टाफ के अभाव ने नियुक्त स्टाफ को कम्पनी के कोषों का दुरुपयोग करने का अवसर प्रदान किया। सम्बन्धित कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया तथा उससे अधिकतम सम्भव राशि वसूल की गई। इसने आगे बताया कि कम्पनी इस पहलू पर ज्यादा सतर्क हो गई जो कि भविष्य में ऐसे कृत्यों की पुनरावृत्ति को रोकेगा तथा नियमित आधार पर प्रभारी से विस्तृत विवरण मांगे जा रहे थे।

कम्पनी को गबन तथा अन्य अनियमितताओं के प्रकरण रोकने के लिए आन्तरिक नियंत्रण तन्त्र को सशक्त बनाना चाहिए।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

3.6 सामान्य विक्रय एजेन्ट (जीएसए) से बुकिंग राशि की वसूली का अभाव

केन्द्रीय आरक्षण कार्यालय, नई दिल्ली ने लग्जरी ट्रेनों के लिए आरक्षण एवं निरस्तीकरण नीति के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की। साथ ही, चूककर्ता सामान्य विक्रय एजेन्ट (लग्जरी होलीडेज) के विरुद्ध कार्यवाही में देरी, ₹ 1.85 करोड़ के ब्याज की हानि के अतिरिक्त ₹ 13.17 करोड़ की बुकिंग राशि की वसूली के अभाव का कारण बनी।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) दो लग्जरी ट्रेन, पैलेस ऑन व्हील्स (पीओडब्ल्यू) और रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स (आरआरओडब्ल्यू) का संचालन करती है।

कम्पनी ने लग्जरी होलीडेज, नई दिल्ली को जीएसए के रूप में नियुक्त किया (1 सितम्बर 2003) तथा पीओडब्ल्यू में केबिनों की बुकिंग के लिए एक अनुबंध किया (15 सितम्बर 2003)। उसके बाद, दो वर्ष की अवधि के लिए एक नया अनुबंध निष्पादित किया (20 अप्रैल 2005) जो अधिकतम तीन वर्षों की अवधि तक समय-समय पर नवीकरणीय था। अनुबंध के

वाक्य 10 में प्रावधान था कि लग्जरी होलीडेज को 17 प्रतिशत कमीशन अनुमत्य था जिसमें से दो प्रतिशत अन्तिम निस्तारण के समय चुकाया जाएगा तथा शेष 15 प्रतिशत कम्पनी को बुकिंग राशि की अन्तिम किश्त भेजते समय इसके द्वारा काटी जानी थी।

लग्जरी होलीडेज के साथ अनुबंध वर्ष 2008 तक नवीनीकृत किया गया। कम्पनी ने उसके बाद नए अनुबंध नहीं किए। तथापि पुराने अनुबंध को वार्षिक आधार पर लग्जरी होलीडेज द्वारा बैंक गारन्टी के नवीनीकरण के आधार पर नवीनीकृत मान लिया गया। नवीनीकृत बैंक गारन्टी की राशि अप्रैल 2005 में किए गए अनुबंध में दर्शाई गई राशि के बराबर थी। साथ ही, कम्पनी ने कोई अनुबंध या एमओयू निष्पादित किए बिना ₹ 4.00 लाख की वार्षिक बैंक गारन्टी के आधार पर नई चलाई गई (2009) लग्जरी ट्रेन (आरआरओडब्ल्यू) में भी बुकिंग के लिए लग्जरी होलीडेज को अनुमति दी।

कम्पनी के निदेशक मण्डल (मण्डल) ने लग्जरी ट्रेन में बुकिंग के लिए सामान्य विक्रय एजेन्ट (जीएसए) की नियुक्ति के लिए 'सहमति पत्र' (एमओयू) का मानक प्रारूप एवं 'आरक्षण एवं निरस्तीकरण नीति' (नीति) अनुमोदित की (12 दिसम्बर 2012)। नीति तथा एमओयू की वैधता को बढ़ा दिया गया (जून 2013) तथा पर्यटक सीजन 2013-14 और उसके बाद के लिए लागू किया गया। नीति का वाक्य 4 बुकिंग के समय जीएसए द्वारा टिकट राशि के 20 प्रतिशत तथा शेष 80 प्रतिशत ट्रेन के प्रस्थान से पूर्व भुगतान का प्रावधान करता है। साथ ही, 17 प्रतिशत कमीशन (सभी वैधानिक करों तथा अन्य देय सहित), नीति के वाक्य 6 के अनुसार, जीएसए को उनके द्वारा की गई बुकिंग पर अनुमत्य था। तथापि, मण्डल द्वारा नई नीति तथा एमओयू के प्रारूप के अनुमोदन के बावजूद दोनों ट्रेनों के लिए नये अनुबंध निष्पादित नहीं किए गए।

हमारी संवीक्षा ने उजागर किया (जनवरी 2015) कि लग्जरी होलीडेज द्वारा बुकिंग राशि को जमा कराने के सम्बन्ध में अनुबंध के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया तथा 2013-14 के दौरान दोनों ट्रेनों में इसके द्वारा बुकिंग के पेटे कम्पनी को ₹ 13.17 करोड़ के भुगतान में चूक की। इसने, तथापि, अनुबंध के अनुसार 15 प्रतिशत की दर से प्रारम्भिक कटौती के स्थान पर 17 प्रतिशत की दर से ₹ 2.69 करोड़ के कमीशन की कटौती कर ली। कम्पनी के नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय आरक्षण कार्यालय (सीआरओ) जो कि विक्रय एजेन्टों द्वारा लग्जरी ट्रेनों की बुकिंग देखता था, नीति के उल्लंघन में यहां तक कि ट्रेनों के प्रस्थान के बाद भी चैक द्वारा भुगतान स्वीकार किया।

यह देखा गया कि जीएसए ने 16 अक्टूबर 2013 से 14 मार्च 2014 की अवधि के दौरान लग्जरी होलीडेज तथा लग्जरी ट्रेन्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कुल ₹ 13.17 करोड़ के 26 चैक प्रस्तुत किए जो कि अनादरित हो गए तथा कम्पनी द्वारा कोई राशि प्राप्त नहीं की गई। चैक 16 अक्टूबर 2013 से अनादरित होने प्रारम्भ हो गये लेकिन सीआरओ ने लग्जरी होलीडेज की बुकिंग को निरस्त करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। यहां तक कि सीआरओ ने बैंक में चैकों को समय पर प्रस्तुत नहीं किया तथा चैक अनादरित होने के बाद समान राशि के नए चैक स्वीकार कर लिए। सीआरओ ने न तो प्रथम बार में चैकों के अनादरण के लिए परक्राम्य विलेख अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अन्तर्गत लग्जरी होलीडेज के विरुद्ध कोई कार्यवाही की तथा न ही बुकिंग राशि की समय पर वसूली के लिए इन तथ्यों को निगम कार्यालय के ध्यान में लाया गया।

परक्राम्य विलेख अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अन्तर्गत प्रथम तीन नोटिस ₹ 2.14 करोड़ के अनादरित चैकों के लिए 24 मार्च 2014 को जारी किए गए तथा शेष राशि के लिए नोटिस अगस्त, अक्टूबर तथा नवम्बर 2014 में जारी किए जो जीएसए के विरुद्ध कार्यवाही करने में अकारण देरी को दर्शाता है। साथ ही, नीति के प्रावधानों के उल्लंघन में चैकों के अनादरण के बावजूद बुकिंग को जारी रखने के सीआरओ, नई दिल्ली के कार्य ने न केवल अनेक स्तरों पर आन्तरिक नियन्त्रण तन्त्र की विफलता बल्कि कम्पनी के प्रबन्ध द्वारा निगरानी के गम्भीर अभाव को इंगित किया।

कम्पनी ने सीआरओ, नई दिल्ली के महाप्रबन्धक, लेखाकार तथा रोकड़ीए को निलम्बित कर दिया (नवम्बर 2014) तथा विशेष अंकेक्षण तथा जांच के लिए निर्देश दिया। साथ ही लग्जरी होलीडेज के साथ बुकिंग अनुबन्धों (सितम्बर 2003 तथा अप्रैल 2005) को निरस्त कर दिया (15 नवम्बर 2014) तथा ₹ 8.50 लाख की दो बैंक गारण्टियों को भुना लिया (27 नवम्बर 2014)। कम्पनी ने लग्जरी होलीडेज के संचालकों के विरुद्ध 'प्रथम सूचना रिपोर्ट' (एफआईआर) भी दर्ज कराई (31 दिसम्बर 2014)। वाद का नतीजा मुख्य मैट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली न्यायालय में लम्बित था (अगस्त 2015)।

कम्पनी ने बताया (अगस्त 2015) कि कर्मचारियों के विरुद्ध भुगतान प्राप्त नहीं करने पर अनुशासनात्मक तथा कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी थी। आगे यह बताया गया कि मामला आन्तरिक अंकेक्षण के समय इसके ध्यान में आया तथा एक विशेष टीम को गहराई से जांच के लिए नियुक्त कर दिया गया था। इसके पश्चात सीआरओ, नई दिल्ली में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के निलम्बन की तुरन्त कार्यवाही की गई। वसूली के लिए एक वाद भी दायर कर दिया गया जो कि माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में लम्बित था। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि कर्मचारियों तथा जीएसए के विरुद्ध कार्यवाही देरी से की गई तथा आन्तरिक नियन्त्रण तन्त्र का अभाव कम्पनी को आय की हानि का कारण बना।

नीति के प्रावधानों की पालना नहीं करने के साथ कम्पनी के वित्तीय हितों की सुरक्षा नहीं कर पाना तथा दोषी जीएसए के विरुद्ध कार्यवाही करने में असामान्य देरी ₹ 1.85 करोड़²³ के ब्याज की हानि के साथ ₹ 13.17 करोड़ की बुकिंग राशि की वसूली के अभाव का कारण बनी।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

3.7 कोयले का प्रापण एवं उपयोगिता तथा छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना की कार्यकुशलता (सीटीपीपी)

छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना (सीटीपीपी) जो कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) की एक इकाई है, मार्च 2015 को प्रत्येक 250 मेगावाट (एमडब्ल्यू) क्षमता वाली चार कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों (इकाईयों) का संचालन करती है। इकाईयों का वाणिज्यिक परिचालन²⁴ जून 2010 से दिसम्बर 2014 के मध्य शुरू हुआ। इन

23 कम्पनी द्वारा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड से लिए गए ऋण के आधार पर 11.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से गणना की गई।

24 इकाई प्रथम (11 जून 2010), इकाई द्वितीय (15 अक्टूबर 2011), इकाई तृतीय (19 दिसम्बर 2013) एवं इकाई चतुर्थ (30 दिसम्बर 2014)।

चार इकाईयों के अतिरिक्त, प्रत्येक 660 एमडब्ल्यू क्षमता वाली दो कोयला आधारित इकाईयां मार्च 2015 को निर्माणाधीन थीं।

सीटीपीपी का निष्पादन (i) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के लक्ष्यों तथा राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (आरईआरसी) द्वारा अनुमोदित 'वार्षिक राजस्व आवश्यकता' (एआरआर) तथा टैरिफ में लक्ष्यों के समक्ष विद्युत उत्पादन तथा (ii) 2011-12 से 2014-15 की अवधि के दौरान कोयले के उपयोग के संबंध में निम्नानुसार है:

(विद्युत उत्पादन मिलियन इकाईयों में तथा कोयले का उपयोग मैट्रिक टन में)

वर्ष	सीईए द्वारा निर्धारित विद्युत उत्पादन लक्ष्य	आरईआरसी को प्रतिवेदित किए गए विद्युत उत्पादन लक्ष्य	वास्तविक विद्युत उत्पादन	कोयले का उपयोग		
				स्वदेशी	आयातित	कुल
2011-12	2708.00	3020.40	2260.96	1590829.15	90834.09	1681663.24
2012-13	3244.00	3504.00	2924.17	1660853.11	211022.25	1871875.36
2013-14	2870.00	5812.60	3158.45	2042094.54	95956.24	2138050.78
2014-15	3495.00	5256.00	4583.56	3011506.60	237762.07	3249268.67

विद्युत उत्पादन हेतु टरबाइन तथा जनरेटर्स के परिचालन हेतु भाप उत्पन्न करने हेतु आवश्यक ईंधन के मुख्य घटक कोयला, लाईट डीजल ऑयल तथा हाई स्पीड डीजल हैं। 2011-15 के दौरान सीटीपीपी द्वारा कुल ईंधन लागत ₹ 3040.87 करोड़ में से कोयले पर व्यय ₹ 2846.59 करोड़ (93.61 प्रतिशत) था।

वर्तमान अध्ययन में 2011-12 से 2014-15 के दौरान सीटीपीपी की दक्षता का आकलन निम्न के सन्दर्भ में करने कि लिए किया गया (जनवरी 2015 से मार्च 2015):

- सीईए एवं एआरआर एवं टैरिफ में आरईआरसी को प्रतिवेदित किए गए/अनुमोदित लक्ष्यानुसार विद्युत उत्पादन; तथा
- कोयले का कुशल प्रापण एवं उपयोग।

3.7.1 विद्युत उत्पादन

सीईए तापीय विद्युत उत्पादन गृहों की स्थापित क्षमता, औसत प्लांट लोड फैक्टर तथा भूतकालीन निष्पादन के आधार पर विद्युत उत्पादन लक्ष्यों का निर्धारण करता है। आरईआरसी ने सीटीपीपी द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों को विद्युत के विक्रय के लिए दायर किए गए एआरआर तथा टैरिफ में विद्युत उत्पादन लक्ष्यों को भी अनुमोदित/स्वीकृत किया।

सीटीपीपी ने वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान सीईए द्वारा निर्धारित विद्युत उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया। आरईआरसी को प्रतिवेदित किये गये विद्युत उत्पादन लक्ष्यों को वर्ष 2011-12 से 2014-15 के दौरान किसी भी वर्ष में प्राप्त नहीं किया गया। विद्युत उत्पादन लक्ष्यों में कमी विभिन्न माहों के दौरान उत्पादन ठप्प होने के प्रकरणों के अधिक होने तथा कोयले की कमी के परिणामस्वरूप कम प्लान्ट लोड फैक्टर (पीएलएफ) के कारण हुई।

वर्ष 2011-15 के दौरान पीएलएफ²⁵ काफी हद तक कम रहा तथा एआरआर में आरईआरसी द्वारा अनुमोदित 80 प्रतिशत के समक्ष 63.27 से 70.50 प्रतिशत के मध्य रहा। वर्ष 2011-12 से 2014-15 के दौरान प्रथम एवं द्वितीय इकाई का पीएलएफ क्रमशः 62.04 से 76.30 प्रतिशत तथा 57.90 से 71.66 प्रतिशत के मध्य रहा। तृतीय इकाई का पीएलएफ वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान क्रमशः 43.86 तथा 61.52 प्रतिशत रहा। चतुर्थ इकाई का पीएलएफ 2014-15 के दौरान 56.22 प्रतिशत रहा।

वर्ष 2011-12 से 2014-15 की अवधि के लिए सीटीपीपी की मासिक संचालन विवरणियों की समीक्षा से उजागर हुआ कि इकाईयां वार्षिक रख रखाव, तकनीकी समस्याओं, राज्य भार डिस्पेच सेंटर (एसएलडीसी) के भार डिस्पेच निर्देशों तथा कोयले की कमी के कारण 19335 घण्टों के लिए बन्द रही जिसके कारण 3739.69 एमयूज²⁶ के उत्पादन की हानि हुई। वार्षिक रख रखाव (4953 घंटे) तथा एसएलडीसी के निर्देशों (2047 घंटे) के कारण संयंत्र बन्द होने के कारण अनियंत्रणीय थे। तथापि, तकनीकी कारणों (11284 घंटे) तथा कोयले की कमी (1051 घंटे) के कारण संयंत्र बन्द रहने को बेहतर एवं सामयिक प्रबन्धन से टाला जा सकता था। तकनीकी समस्याओं (2182.49 एमयूज) तथा कोयले की कमी (203.44 एमयूज) के कारण संयंत्र बन्द होने के परिणामस्वरूप ₹ 663.29 करोड़²⁷ मूल्य की 2385.93 एमयूज की उत्पादन की हानि हुई।

सरकार ने कम पीएलएफ के तथ्य को स्वीकार करते हुए यह बताया (सितंबर 2015) कि सीटीपीपी प्रारम्भिक अवस्था में था तथा इस अवधि के दौरान विभिन्न तकनीकी समस्याओं यथा बॉयलर ट्यूब लिकेज, जनरेटर समस्याएं तथा सुरक्षा रख रखाव उपायों के कारण संयंत्र अकार्यशील रहा। इसने आगे बताया कि एसएलडीसी के निर्देशों तथा अन्य तकनीकी दोषों के कारण उत्पादन कम रहा तथा इसलिए, निर्धारित पीएलएफ प्राप्त नहीं किया जा सका। इनके अतिरिक्त, सीटीपीपी को कोयले का आवंटन साउथ इस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड (एसईसीएल), कोरबा से किया गया जो कि 60-65 प्रतिशत पीएलएफ की आवश्यकता पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं था। आगे यह भी बताया गया कि राज्य में बढ़ती बिजली की मांग की पूर्ति हेतु तथा कोयले की कमी से उत्पादन हानि को रोकने हेतु आरआरवीयूएनएल ने सीईए, कोयला मंत्रालय, एसईसीएल, नॉर्दन कोल फील्ड लिमिटेड (एनसीएल) तथा ऊर्जा मंत्रालय को कोयले का आवंटन बढ़ाने हेतु निवेदन किया। इसने, एसईसीएल तथा रेलवे अधिकारियों से अन्य तापीय संयंत्रों से कोयला मार्ग परिवर्तन करने हेतु भी निवेदन किया। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि कोयले की कमी/तकनीकी स्वामियों से हुई उत्पादन हानि को टाला/कम किया जा सकता था।

3.7.2 कोयले का प्रापण

विद्युत उत्पादन का पारंपरिक स्रोत (कोयला) सीमित, अनवीकरणीय तथा शीघ्रता से घट रहा है। कोयला भंडार देश के कुछ विशेष भागों में केन्द्रित है एवं दूरस्थ स्थानों पर स्थित तापीय उत्पादन संयंत्रों के मामलों में इसका परिवहन एक महत्वपूर्ण लागत की विषय वस्तु है। कोयले

25 पीएलएफ ऊर्जा संयंत्र की अधिकतम उत्पादन क्षमता की तुलना में इसके उत्पादन को इंगित करता है।

26 सीईए को प्रस्तुत की गई मासिक संचालन विवरणियों के अनुसार।

27 ₹ 2.78 प्रति यूनिट से गणना की गई (न्यूनतम दर जिस पर सीटीपीपी ने 2011-12 के दौरान विद्युत वितरण कम्पनियों को विद्युत आपूर्ति की)।

का प्रापण एवं प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विद्युत उत्पादन लागत का महत्वपूर्ण भाग है। इसलिए, मार्गतर हानियों का न्यूनीकरण तथा मानदंडों के अनुसार उपभोग प्रभावी प्रापण तथा कोयले के उपयोग के मुख्य बिन्दु हैं। कोयला प्रबंधन में दृष्टिगत मुख्य दोषों की चर्चा नीचे की गई है।

3.7.3 स्वदेशी कोयला

सीटीपीपी, भारत सरकार द्वारा आरआरवीयूएनएल को आवंटित (जून 2006) परसा ईस्ट एवं कांटे बेसन केप्टिव कोल ब्लॉक (छत्तीसगढ़) तथा एसईसीएल, कोरबा (छत्तीसगढ़) से कोयला प्राप्त करता है। आरआरवीयूएनएल ने सीटीपीपी सहित अपने विभिन्न संयंत्रों में कोयले की आपूर्ति हेतु एसईसीएल (अगस्त 2009 एवं अप्रैल 2012) तथा परसा एवं कांटे कोलरीज लिमिटेड²⁸ (पीकेसीएल) (जुलाई 2008) के साथ क्रमशः 20 एवं 30 वर्षों की अवधि के लिये कोयला आपूर्ति समझौता किया।

एसईसीएल एवं पीकेसीएल से सीटीपीपी में कोयले की आपूर्ति वाशरी सर्किट²⁹ के माध्यम से की जाती है जो कि इसकी आपूर्ति सीटीपीपी के परिसर तक करती है। आरआरवीयूएनएल ने परसा ईस्ट एवं कांटे बेसन केप्टिव कोयला ब्लॉक से धुले हुए कोयले की आपूर्ति के लिए पीकेसीएल के साथ (जुलाई 2008) तथा एसईसीएल स्वदानों से आपूर्ति हेतु मार्च 2011 में हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनेफिशिएशन (इण्डिया) लिमिटेड (हिन्द एनर्जी), स्पेक्ट्रम कोल एण्ड पावर लिमिटेड (स्पेक्ट्रम कोल) तथा स्वास्तिक मिनरल एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड (स्वास्तिक मिनरल) के साथ समझौते किए। कार्य के विवरणानुसार, वाशरीज यथा पीकेसीएल, हिन्द एनर्जी, स्पेक्ट्रम कोल तथा स्वास्तिक मिनरल को कोलरीज से कच्चा कोयला खनन/लदान करना, कच्चे कोयले को वाशरीज तक परिवहन हेतु रेलवे वैगन में लदान करना, कच्चे कोयले की धुलाई/ बेनेफिशिएट करना तथा सीटीपीपी के परिसर तक परिवहन हेतु धुले हुए कोयले का रेलवे वैगन में लदान करना था।

3.7.4 आयातित कोयला

स्वदेशी कोयले की मांग एवं आपूर्ति के मध्य व्यापक अंतर को देखते हुए, ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार ने ऊर्जा उपक्रमों को या तो कोयला आयात करने या कोयले की कमी के स्तर तक उत्पादन कम करने का निर्देश दिया (सितम्बर 2004)। आर्थिक सलाहकार (एमओपी) ने तापीय ऊर्जा केन्द्रों में कोयले की आपूर्ति की समीक्षा करते समय निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कोयले के आयात नहीं किये जाने पर फिर से चिंता व्यक्त की (जनवरी 2013)। यह कहा गया कि कोयला आयात करने में उपक्रमों की असक्षमता के कारण मुख्य रूप से आवश्यकता के समक्ष कोयले की कमी हुई। साथ ही, यह भी अवगत कराया कि निर्दिष्ट आयात लक्ष्यों के प्रति गैर प्रतिबद्धता को बहुत गंभीरता से लिया जायेगा तथा सरकार उपक्रमों द्वारा आयातों के साथ आनुपातिक आधार पर स्वदेशी कोयले की आपूर्ति को सीमित करने के लिये बाध्य हो जायेगी। आयातित कोयले के साथ स्वदेशी कोयले के मिश्रण से संबंधित अध्ययन समूह

28 पीकेसीएल, अडानी इन्टरप्राइजेज लिमिटेड तथा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बीच दिनांक 3 अगस्त 2007 को संयुक्त साहस समझौते की शर्तों के तहत एक संयुक्त साहस कम्पनी है।

29 वाशरी सर्किट अधिकृत वाशरीज हैं जो कोलरीज से कच्चे कोयले को उठाती हैं तथा धुलाई/बेनेफिशिएटिंग के बाद तापीय संयंत्रों को आपूर्ति करती हैं।

के प्रतिवेदन में सीईए ने सिफारिश की (अगस्त 2010) कि आयातित कोयले को उच्च कैलोरी मान के कारण स्वदेशी कोयले के साथ भार से 15 प्रतिशत तक मिलाया जा सकेगा।

आरआरवीयूएनएल ने इसके विभिन्न तापीय ऊर्जा स्टेशनों पर 6200-7000 सकल कैलोरी मूल्य वाले आयातित कोयले की आपूर्ति हेतु पीईसी लिमिटेड (जनवरी 2011 तथा अगस्त 2012) तथा एमएसटीसी लिमिटेड (मार्च 2014) को कार्यदेश दिए। 2011-12 से 2014-15 के दौरान सीटीपीपी में प्रयुक्त किए गए स्वदेशी एवं आयातित कोयले की तुलना नीचे दी गई है।

वर्ष	स्वदेशी कोयला (एमटी)	आयातित कोयला (एमटी)	कुल उपभोग (एमटी)	कुल कोयले में स्वदेशी कोयले का प्रतिशत	कुल कोयले में आयातित कोयले का प्रतिशत
2011-12	1590829.15	90834.09	1681663.24	94.60	5.40
2012-13	1660853.11	211022.25	1871875.36	88.73	11.27
2013-14	2042094.54	95956.24	2138050.78	95.51	4.49
2014-15	3011506.60	237762.07	3249268.67	92.68	7.32
कुल	8305283.40	635574.65	8940858.05	92.89	7.11

सीटीपीपी ने 2011-12 से 2014-15 के दौरान 89.41 लाख एमटी कोयले की कुल खपत के समक्ष 6.36 लाख एमटी (7.11 प्रतिशत) आयातित कोयला प्रयुक्त किया। स्वदेशी कोयले के साथ आयातित कोयले का मिश्रण सीईए की 15 प्रतिशत की सिफारिशों के समक्ष 4.49 से 11.27 प्रतिशत के मध्य रहा। सीटीपीपी ने स्वदेशी कोयले की कम सकल कैलोरीफिक वैल्यू (4500-5000) तथा एमओपी के निर्देशों के बावजूद आयात एवं मिश्रण के वर्षवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये। कोयले का कम आयात भी विद्युत उत्पादन के लक्ष्यों की अप्राप्ति का एक कारण रहा।

सरकार ने बताया कि आयातित कोयले का प्रापण आपात स्थिति में राष्ट्रीय स्तर पर कोयले की मांग व उपलब्धता में अंतर को पूरा करने के लिये किया जाना था। सीटीपीपी में आयातित कोयले का प्रापण एवं उपभोग सीईए के निर्देशों के अनुसार किया गया। उच्च जीसीएफ के कोयले के आयात में कमी उत्पादन की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं थी। उत्तर सहमतिकाकारक नहीं था क्योंकि सभी चार वर्षों के दौरान सीईए की अनुशंसाओं (15 प्रतिशत) के अनुसार आयातित कोयले का प्रापण नहीं किया गया था जिससे स्वदेशी कोयले की कमी को पूरा करने में सहायता मिल सकती थी।

3.7.5 उच्च स्टेशन हीट रेट के कारण कोयले का अधिक उपयोग

तापीय ऊर्जा केन्द्र की दक्षता निर्धारण करने के लिए स्टेशन हीट रेट (एसएचआर) एक महत्वपूर्ण सूचक है। प्रत्येक स्टेशन का यह प्रयत्न होना चाहिए कि जहां तक संभव हो इकाई का संचालन उसकी डिजाइन हीट रेट के निकटतम स्तर पर किया जाये। स्टेशन हीट रेट में सुधार, तापीय ऊर्जा केन्द्रों से होने वाले प्रदूषण को घटाने में भी सहायता प्रदान करता है। एक ऊर्जा संयंत्र की हीट रेट, रासायनिक ऊर्जा की वह मात्रा है जो कि विद्युत ऊर्जा की एक इकाई उत्पादन करने के लिये आवश्यक होती है अर्थात् एक किलोवाट-घंटा (केडब्ल्यूएच) विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने के लिये किलो कैलोरी (केसीएएल) में आवश्यक तापीय ऊर्जा। आरईआरसी ने समय-समय पर संशोधित, टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम एवं शर्तों के विनियम, 2009 के अनुसार सीटीपीपी हेतु 2356.57 किलो कैलोरी प्रति किलोवाट (2011-

12 से 2013-14) तथा 2316.54 किलो कैलोरी प्रति किलोवाट (2014-15) एसएचआर निर्धारित की।

वर्ष 2011-12 से 2014-15 के दौरान सीटीपीपी की माहवार स्टेशन हीट रेट सदैव आरईआरसी द्वारा नियत मानदंडों से (मार्च 2012 को छोड़कर) अधिक रही। माह दर माह के आधार पर प्रति यूनिट विद्युत (केडब्ल्यूएच) उत्पादन में लगी तापीय ऊर्जा में व्यापक असमानता थी। सीटीपीपी द्वारा कोयले का आदर्श उपयोग, आरईआरसी द्वारा निर्धारित एसएचआर मानदंडों तथा 2011-15 के दौरान उपयोग में लिये गए कोयले की जीसीवी के आधार पर एक किलोवाट विद्युत उत्पन्न हेतु 0.50 किलोग्राम से 0.69 प्रति किलोग्राम के मध्य होना चाहिए था। तथापि, वास्तविक उपयोग 0.59 किलोग्राम से 0.73 किलोग्राम के मध्य रहा। 2011-12 से 2014-15 के दौरान आरईआरसी के मानदंडों की तुलना में प्राप्त की गई माहवार हीट रेट को नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	आरईआरसी द्वारा निर्धारित एसएचआर	संचालन एसएचआर की माहवार रेंज	आरईआरसी के मानदंडों से विचलन	आरईआरसी के मानदंडों से विचलन की प्रतिशतता
2011-12	2356.57	2332.87 से 3344.57	(-) 23.70 से 988.00	(-) 1.00 से 41.93
2012-13	2356.57	2532.02 से 3033.11	175.45 से 676.54	7.45 से 28.71
2013-14	2356.57	2505.25 से 2870.07	148.68 से 513.50	6.31 से 21.79
2014-15	2316.54	2559.78 से 2920.45	234.24 से 603.91	10.50 से 26.07

वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान एसएचआर सूचकांक आरईआरसी मानदंडों से क्रमशः 988.00, 676.54, 513.50 तथा 603.91 अधिक रहा। आरईआरसी मानदंडों से 41.93 प्रतिशत तक के उच्च विचलन के कारण उत्पादन की प्रक्रिया में एसएचआर को सुधारने के लिए उपचारात्मक उपाय के कारणों का विश्लेषण करना आवश्यक था। सीटीपीपी ने, तथापि, माह दर माह आधार पर ताप दर में व्यापक विचलन के कारणों का विश्लेषण नहीं किया। मानदंडों से उच्च एसएचआर के कारण मासिक आधार पर कोयले की अधिक खपत (12.29 लाख एमटी) का मूल्य ₹ 388.93 करोड़ आंकलित किया गया जो दर्शाता था कि एसएचआर में सुधार की व्यापक गुंजाइश थी। सीटीपीपी को ऊर्जा अंकेक्षण के परिणामों पर आधारित तापीय ऊर्जा इनपुट को न्यूनतम करने हेतु आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।

तापीय दक्षता बॉयलर व टरबाइन की दक्षता का योग है। सीटीपीपी ने प्रत्येक इकाई के साथ-साथ पूरे संयंत्र की तापीय दक्षता का आकलन नहीं किया तथा इसके कारण इसकी तुलना संयंत्र के निर्माता या आपूर्तिकर्ता द्वारा गारन्टीड तापीय दक्षता से नहीं की जा सकी।

सरकार ने उच्च एसएचआर के तथ्यों को स्वीकार करते हुए (सितम्बर 2015) बताया कि बॉयलर ट्यूब लीकेज, यूनिट ब्रेक डाउन, रस्वरखाव, प्रॉटेक्शन की ट्रिपिंग आदि तकनीकी समस्याओं तथा एसएलडीसी द्वारा दिये गये भार में कमी के आदेशों के कारण इकाइयों को अनुकूलतम स्तर पर नहीं चलाया जा सका जिसके परिणामस्वरूप आरईआरसी के मानदंडों से अधिक एसएचआर रही। इसने आगे बताया गया कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम

लिमिटेड (आरआरवीपीएनएल) द्वारा निर्माण की जाने वाली फागी भटवाड़ा 765 केवी लाईन के निर्माण में देरी के कारण सीटीपीपी को ऊर्जा निकास की समस्या का सामना करना पड़ा। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि तकनीकी कारण नियन्त्रण योग्य थे तथा एसएलडीसी के आदेशों के प्रभावों को एआरआर प्रस्तुत करते समय ध्यान में रखा जा सकता था। साथ ही, एसएलडीसी द्वारा भार में कमी के आदेश इस अनुच्छेद से संबंध नहीं रखते हैं।

3.7.6 माल भाड़े का परिहार्य भुगतान

पीकेसीएल के साथ किये गये अनुबंध (जुलाई 2008) का वाक्य 3.2.4 प्रावधान करता है कि पीकेसीएल यह सुनिश्चित करेगा कि कोयले का लदान रेलवे द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुरूप किया जायेगा तथा कोल रेक्स में कोई अधिक भार या कम भार नहीं होगा। यदि रेलवे अधिक भार या कम भार के लिये किसी प्रकार की शास्ति लगाता है तो उसको पीकेसीएल द्वारा वहन किया जाना था।

हिन्द एनर्जी, स्वास्तिक मिनरल्स तथा स्पेक्ट्रम कोल के साथ कोल धुलाई समझौतों (मार्च 2011) ने उजागर किया कि रेक्स के अधिक भार के लिए रेलवे द्वारा लगाई गयी शास्ति को ठेकेदारों द्वारा वहन किया जाना था। कम भार के कारण व्यर्थ भाड़े के मामले में, ठेकेदार 2/3 भाग को वहन करने के लिए दायी होंगे तथा बाकी 1/3 भाग आरआरवीयूएनएल द्वारा वहन किया जायेगा। अप्रैल 2011 से मार्च 2015 की अवधि के दौरान आरआरवीयूएनएल ने रेलवे द्वारा लगाए गए कम भार के प्रभारों के हिस्से के पेटे सीटीपीपी के संबंध में ₹ 3.29 करोड़ व्यर्थ भाड़े के रूप में वहन किए।

हमने देखा कि आरआरवीयूएनएल की कोयले की रेक के लदान में कोई भूमिका नहीं थी। ठेकेदार ही कच्चा कोयला उठाने से लेकर धुले हुए कोयले की सीटीपीपी परिसर में आपूर्ति तक की सभी गतिविधियों के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार थे। इसके अतिरिक्त, व्यर्थ भाड़े के मामले में किये समझौतों (मार्च 2011) की शर्तों में पीकेसीएल से किये गये अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन का कोई औचित्य अभिलेखों में नहीं पाया गया।

इस प्रकार, व्यर्थ भाड़े के 1/3 भाग को वहन करने का ठेकेदारों के साथ आरआरवीयूएनएल का अनुबंध न्यायसंगत नहीं था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.29 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

3.7.7 धुले हुए कोयले में बारीक कोयले की जांच करने में विभेदात्मक व्यवहार

पीकेसीएल के साथ किये गये समझौते (जुलाई 2008) के वाक्य 5.4.1 में प्रावधान था कि आपूर्ति किए जाने वाले धुले हुए/ बेनिफिसिएटेड कोयले का आकार 50 एमएम से अधिक नहीं होगा तथा जिसमें 25 प्रतिशत से अधिक बारीक कोयले (0 से 2 एमएम) की मात्रा नहीं होगी। बारीक कोयले की मात्रा की गणना तापीय ऊर्जा स्टेशन पर सुपुर्दगी दिए जाने वाले प्रत्येक रेक में की जानी थी। यदि बारीक कोयले की मात्रा 25 प्रतिशत से अधिक पायी गई तो ऐसी अधिक मात्रा के 25 प्रतिशत मूल्य की कटौती भुगतान से की जानी थी। साथ ही, गुणवत्ता मानकों यथा कुल नमी, राख की मात्रा, सकल कैलोरिफिक मूल्य तथा कोयले का आकार, में भिन्नता की गणना रेक वार मापे गए सम्बन्धित माह के दौरान आपूर्ति किये गये कोयले के लिए संबंधित मानदण्डों के भारित औसत के आधार पर करना था। कंपनी ने पीकेसीएल द्वारा आपूर्ति किये गये कोयले के रेक-वार बारीक कोयले की मात्रा की जांच की।

हिन्द एनर्जी, स्वास्तिक मिनरल्स तथा स्पेक्ट्रम कोल द्वारा एसईसीएल से कोयला आपूर्ति हेतु किये गये समझौतों के मामले में, बारीक कोयले की मात्रा की जांच का कोई प्रावधान नहीं था तथा उसी प्रकार अधिक बारीक मात्रा हेतु शास्ति को भी नियत नहीं किया गया। समझौते में गुणवत्ता मापदण्डों (0 से 50 एमएम कोल का आकार) को दर्शाया गया लेकिन बारीक कोयले की मात्रा की जांच के लिए उचित वाक्य के अभाव में, कंपनी 25 प्रतिशत अधिक तक के बारीक मात्रा वाले कोयले की आपूर्ति को सुनिश्चित नहीं कर सकी। इस प्रकार, 25 प्रतिशत से अधिक बारीक मात्रा के कोयले की आपूर्ति किये जाने के कारण ठेकेदारों पर लगाने योग्य शास्ति, यदि कोई हो, का निर्धारण नहीं किया जा सका।

3.7.8 कोयला धोने वाले ठेकेदारों को मार्गस्थ हानि हेतु अनियमित छूट

पीकेसीएल के साथ (जुलाई 2008) समझौता तथा हिन्द एनर्जी, स्वास्तिक मिनरल्स तथा स्पेक्ट्रम कोल के साथ समझौतों (मार्च 2011) ने उजागर किया कि आरआरवीयूएनएल ने पीकेसीएल को मार्गस्थ हानि अनुमत नहीं की। तथापि, हिन्द एनर्जी, स्वास्तिक मिनरल्स और स्पेक्ट्रम कोल के साथ हुए समझौतों के वाक्य 5.14 में धुले हुए कोयले की वास्तविक गणना करते समय रेक-वार प्राप्ति के समय दर्ज किये गये वजन में अधिकतम 1.50 प्रतिशत मार्गस्थ हानि अनुमत करने का प्रावधान था। इसके लिए, तापीय ऊर्जा स्टेशन पर प्राप्त धुले हुए कोयले के वजन में 1.5 प्रतिशत से वृद्धि की जानी थी जो कि संबंधित रेक की रेलवे रसीद के अनुसार वजन से अधिक नहीं होगी। कम्पनी ने 2011-12 से 2014-15 के दौरान हिन्द एनर्जी, स्वास्तिक मिनरल्स तथा स्पेक्ट्रम कोल को सीटीपीपी के सम्बन्ध में ₹ 5.95 करोड़ की मार्गस्थ हानि अनुमत की जो नीचे दर्शाई गई है:

वर्ष	वास्तविक कोयला प्राप्ति (एमटी)	कोयले का अनुमत भार (एमटी)	मार्गस्थ हानि (एमटी)	कोयले की दर (₹ /एमटी)	मार्गस्थ हानि (₹)
2011-12	625745.82	632011.84	6266.02	820.70	5142523
2012-13	1382755.60	1396626.10	13870.46	924.23	12819495
2013-14	1364087.10	1381809.70	17722.59	1019.39	18066231
2014-15	2136778.10	2159749.53	22971.43	1022.48	23487828
कुल	5509366.62	5570197.17	60830.50		59516077

हमने देखा कि वाशरीज सीटीपीपी के परिसर में धुले हुए कोयले की सुपुर्दगी के लिए पूर्णतया जिम्मेदार थी तथा इसलिए 1.5 प्रतिशत मार्गस्थ हानि को अनुमत करने के कारण आरआरवीयूएनएल को ₹ 5.95 करोड़ की प्रत्यक्ष हानि हुई।

सरकार ने भाड़ा भुगतान, बारीक कोयले की जांच तथा मार्गस्थ हानियों से संबंधित आक्षेपों का उत्तर देते हुए बताया कि पीकेसीएल के साथ किए समझौतों में कोयला ब्लॉकों, जो कि तकनीकी एवं वित्तीय रूप से व्यावहारिक थे, की पहचान करने का कार्य तथा तापीय संयंत्रों पर कोयले की आपूर्ति करना शामिल था। जमीन अवाप्ति, लीज किराये, अनुमतियां तथा लाइसेन्स पर सभी व्यय पीकेसीएल द्वारा वहन किए जाने थे जो कि अन्य वाशरीज के अनुबंधों में सम्मिलित नहीं किया गया था। इस प्रकार, कार्य की प्रकृति भिन्न थी तथा तुलनीय नहीं थी। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि वाशरीज धुले हुए कोयले की आपूर्ति सीटीपीपी के परिसर तक करने हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी थी तथा आरआरवीयूएनएल को अनुबंध करते समय अपने स्वयं के वित्तीय हितों की रक्षा करनी चाहिए थी।

3.7.9 सहायक उपभोग

आरआरवीयूएनएल ने 2011-12 से 2014-15 वर्षों के लिए नौ प्रतिशत सहायक उपयोग दर्शाते हुए एआरआर प्रस्तुत की जिसे आरईआरसी द्वारा संबंधित वर्षों की टैरिफ में अनुमोदित किया। यह देखा गया कि सीटीपीपी ने 2011-12 से 2014-15 के दौरान कभी भी सहायक उपभोग के अनुमोदित मानदंडों का पालन नहीं किया। सहायक उपभोग हमेशा नौ प्रतिशत से अधिक, 10.63 से 11.60 प्रतिशत के मध्य रहा जिसके कारण ₹ 73.23 करोड़ मूल्य की 237.64 एमयूज का अधिक उपभोग हुआ। 2011-15 के दौरान चारों इकाईयों का इकाई-वार सहायक उपभोग नीचे दिया गया है:

(प्रतिशत में सहायक उपभोग)

वर्ष	प्रथम इकाई	द्वितीय इकाई	तृतीय इकाई	चतुर्थ इकाई	समग्र सहायक उपभोग
2011-12	11.14	12.91	-	-	11.60
2012-13	10.95	10.39	-	-	10.69
2013-14	10.68	10.57	10.76	-	10.63
2014-15	11.23	10.62	10.51	10.14	10.70

हमने देखा कि सीटीपीपी ने उपकरण के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दिये गये गारन्टीड उपभोग के अनुसार प्रत्येक प्लान्ट/ उपकरण के सहायक उपभोग को दर्ज करने हेतु विद्युत के उपभोग के विभिन्न बिन्दुओं (उपकरणों) पर मीटर्स स्थापित नहीं किये थे। साथ ही, सीटीपीपी ने 2011-15 के दौरान किये गए बहुत से सिविल कार्यों हेतु ठेकेदारों को निशुल्क विद्युत आपूर्ति की किन्तु कार्य के अनुरूप विद्युत उपभोग को कभी दर्ज नहीं किया गया। इसलिए, सीटीपीपी ने उस इकाई के सकल उत्पादन में से विक्रय की गई विद्युत (ग्रिड के द्वारा प्रेषित) को घटाकर संयंत्र की संपूर्ण सहायक उपभोग की गणना की। यदि सीटीपीपी ने सहायक उपभोग के मानदंडों का पालन किया होता तो यह विद्युत वितरण कंपनियों को इस विद्युत के विक्रय द्वारा ₹ 73.23 करोड़ का राजस्व अर्जित कर सकता था।

सरकार ने बताया कि सहायक उपभोग में पानी की व्यवस्था के लिए विद्युत उपभोग, 6.6 केवी एवं एलटी वोल्टेज पर अतिरिक्त उपभोग तथा आंतरिक ट्रांसफॉर्मर हानियां शामिल थी। इसने आगे बताया कि आरईआरसी द्वारा निर्धारित मानदंडों से अधिक सहायक उपभोग, एसएलडीसी द्वारा लगाए गये प्रतिबंधों के कारण था तथा परिणामस्वरूप इकाईयां पूर्ण भार पर संचालित नहीं की जा सकी जबकि सहायक उपभोग समान ही रहता है चाहे इकाई पूर्ण भार या आंशिक भार पर चले। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि आरईआरसी, सहायक उपभोग के मानदण्ड इन सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखकर निर्धारित करता है।

3.7.10 डेमरेज प्रभार

रेलवे अधिकारियों ने सीटीपीपी पर रेलवे रेक को खाली करने हेतु पाँच घंटे का समय अनुमत्य किया। रेक्स खाली करने में दी गई पाँच घंटे की सीमा से अधिक विलंब होने पर

₹ 100/150³⁰ प्रति घंटा या उसके किसी भाग पर प्रति वैगन की दर से डेमरेज रेलवे को देय था। साथ ही, रेलवे ने रेक्स को खाली करने में लगे समय को निम्न समय अंतरालों के आधार पर डेमरेज शुल्क लगाया।

पांच घंटे की अनुमत सीमा से अधिक विलंब	लागू डेमरेज
0 से 2 घंटे	डेमरेज की सामान्य दर
2 घंटे से अधिक से 4 घंटे तक	डेमरेज की सामान्य दर की दुगुनी दर
4 घंटे से अधिक से 6 घंटे तक	डेमरेज की सामान्य दर की तीन गुणा दर
6 घंटे से अधिक से 8 घंटे तक	डेमरेज की सामान्य दर की चार गुणा दर
8 घंटे से अधिक से 10 घंटे तक	डेमरेज की सामान्य दर की पांच गुणा दर
10 घंटे से अधिक	डेमरेज की सामान्य दर की छः गुणा दर

अभिलेखों की समीक्षा ने उजागर किया कि सीटीपीपी ने 2011-12 से 2014-15 के दौरान कोयले की 2287 रेक्स प्राप्त की जिनमें से 1680 रेक्स (73.46 प्रतिशत) को पांच घंटे की अनुमत समय सीमा के पश्चात खाली किया गया तथा इसलिए डेमरेज देना पड़ा। वर्ष वार विश्लेषण से उजागर हुआ कि 2011-12 के दौरान 92.55 प्रतिशत रेक्स (376 में से 348 रेक्स), 2012-13 के दौरान 85.60 प्रतिशत रेक्स (535 में से 458 रेक्स), 2013-14 के दौरान 53.90 प्रतिशत रेक्स (525 में से 283 रेक्स) तथा 2014-15 के दौरान 69.45 प्रतिशत रेक्स (851 में से 591 रेक्स) पर ₹ 18.37 करोड़ का डेमरेज लगा। रेलवे अधिकारियों ने, तथापि, 2011-12 से 2014-15 के दौरान ₹ 0.67 करोड़ के डेमरेज प्रभारों को माफ किया।

हमने देखा कि रेक्स को खाली करने में देरी मुख्य रूप से सीटीपीपी पर रेक्स के एक साथ इकट्ठा हो जाने के कारण थी जिसके कारण 2011-15 के दौरान डेमरेज के पेटे ₹ 17.70 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि कोल रेक्स के एक साथ इकट्ठा होने को रोकने के लिए समय-समय पर रेलवे अधिकारियों के साथ मामला उठाया जा चुका था।

3.7.11 प्रयोगशाला एवं परीक्षण

प्रयोगशाला प्रमाणन एक क्रियाविधि है जिसके द्वारा एक आधिकारिक संस्था किसी तीसरे पक्ष के आंकलन एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के आधार पर विशिष्ट परीक्षणों/मापकों के लिये तकनीकी अभियोग्यता को औपचारिक मान्यता प्रदान करती है। मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला निर्दिष्ट आवश्यकताओं की सेवा अथवा प्रक्रिया की अनुपालना, उद्देश्यपूर्ण तरीके से बता सकती है।

हमने देखा कि सीटीपीपी ने विभिन्न मानदंडों जैसे निहित नमी, कुल नमी, हवा में राख सूखने के आधार पर, प्राप्ति आधार पर राख, फाइनस, वॉलेटाइल मैटर, स्थायी कार्बन तथा सकल कैलोरिफिक मूल्य पर स्वदेशी तथा आयातित कोयले के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला की स्थापना

30 ₹ 100 प्रति वैगन प्रति घण्टे या उसके किसी भाग पर दर मार्च 2013 तक लागू थी तथा उसके बाद रेलवे ने ₹ 150 प्रति वैगन प्रति घण्टे या उसके किसी भाग पर दर को संशोधित किया (22 मार्च 2013)।

(अप्रैल 2009) की। अन्य मानदंडों जैसे सल्फर, हार्ड ग्रुव सूचकांक तथा रास्स फ्यूजन जांच आपूर्तिकर्ता फर्मों द्वारा बाहरी प्रयोगशाला में विश्लेषित करवाया जाता है। सीटीपीपी ने, तथापि, प्रयोगशाला का प्रमाणन नहीं करवाया था। प्रथम प्रमाणन की प्रक्रिया जनवरी 2015 में आरंभ की गई तथा प्रगति पर थी (मार्च 2015)।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि एनएबीएल से प्रयोगशाला के प्रमाणन के लिए भुगतान किया जा चुका था।

3.7.12 ऊर्जा अंकेक्षण

ऊर्जा अंकेक्षण, एक विद्युत संयंत्र के अकार्यकुशल संचालन में योगदान देने वाले बिन्दुओं की पहचान करने एवं उसके द्वारा लागत लाभ विश्लेषण के साथ ईंधन की सम्पूर्ण उत्पादकता में वृद्धि करने तथा ऊर्जा उपभोग को कम करने की योजना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सीटीपीपी को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2011 के प्रावधानों की अनुपालना में ऊर्जा अंकेक्षण करवाना आवश्यक था। तथापि, सीटीपीपी ने एआरआर एवं टैरिफ की स्वीकृति के समय आरईआरसी की अनुशंसाओं के बावजूद ना तो आंतरिक अंकेक्षण ना एक बाह्य विशेषज्ञ एजेन्सी से ऊर्जा अंकेक्षण कराया। साथ ही, सीटीपीपी, आरईआरसी द्वारा नियत एसएचआर के मानदंडों एवं सहायक उपयोग की भी अनुपालना नहीं कर सकी।

सरकार ने बताया कि 'राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन' के अन्तर्गत ऊर्जा दक्षता में वृद्धि के लिए 'क्रियान्वयन, प्राप्ति एवं व्यापार' (पीएटी) योजना के लिए एक फर्म³¹ को कार्यादेश जारी किया जा चुका था।

3.8 स्वच्छ ऊर्जा उपकरण पर शिक्षा उपकरण तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकरण का अनियमित भुगतान

कोयला आयात अनुबंध में आयातित कोयले की सुपुर्दगी लागत की गणना की गलत विधि निर्दिष्ट की गई जिसके परिणामस्वरूप स्वच्छ ऊर्जा उपकरण पर ₹ 95.84 लाख के शिक्षा उपकरण तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकरण का अनियमित भुगतान हुआ।

भारत सरकार (जीओआई) ने देशी कच्चे कोयले की सभी श्रेणियों (कोयला, लिग्नाइट तथा पीट) तथा आयातित कोयले पर ₹ 50 प्रति मैट्रिक टन (एमटी) की दर से स्वच्छ ऊर्जा उपकरण को लगाना अधिसूचित (22 जून 2010) किया जो 1 जुलाई 2010 से प्रभावी था। स्वच्छ ऊर्जा उपकरण की राशि बिल अथवा इन्वॉइस में अलग से दिखाई जानी थी तथा शिक्षा उपकरण तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकरण से मुक्त थी। स्वच्छ ऊर्जा उपकरण की दरें 11 जुलाई 2014 तथा 1 मार्च 2015 से क्रमशः ₹ 100 प्रति एमटी तथा ₹ 200 प्रति एमटी पर पुनर्निर्धारित की गई।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने 2011-12 से 2014-15 के दौरान पीईसी लिमिटेड तथा एमएसटीसी लिमिटेड से अपने तापीय ऊर्जा संयंत्रों³² के लिए

31 स्टीग एनर्जी सर्विसेज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा।

32 छबड़ा थर्मल पावर स्टेशन, कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, कालीसिन्ध थर्मल पावर स्टेशन तथा सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन।

45.89 लाख एमटी कोयला आयात किया। इन आपूर्तिकर्ताओं के साथ किए गए कोयला आयात अनुबंध ने उजागर किया कि आयातित कोयले की सुपुर्दगी लागत स्वच्छ ऊर्जा उपकरण पर शिक्षा उपकरण तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकरण को ध्यान में रखने के बाद गणना की जानी थी। स्वच्छ ऊर्जा उपकरण की राशि पर शिक्षा उपकरण (दो प्रतिशत) तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकरण (एक प्रतिशत) को ध्यान में रखते हुए उसी के अनुसार लागत बीमा भाड़ा (सीआईएफ) निर्धारण प्रलेख तथा आयातित कोयले के इन्वॉइस तैयार किए गए थे।

हमने देखा कि कोयला आयात अनुबंध में दर्शाई गई आयातित कोयले की सुपुर्दगी लागत की गणना के लिए विधि सही नहीं थी क्योंकि स्वच्छ ऊर्जा उपकरण, शिक्षा उपकरण तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकरण लगाये जाने से जीओआई द्वारा मुक्त था।

कम्पनी द्वारा आयातित कोयले की सुपुर्दगी लागत की गणना की गलत विधि अपनाने के कारण गलत सीआईएफ निर्धारण प्रलेख तथा इन्वॉइस तैयार हुए तथा परिणामस्वरूप स्वच्छ ऊर्जा उपकरण पर ₹ 95.84 लाख के शिक्षा उपकरण तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकरण का अनियमित भुगतान हुआ।

सरकार ने बताया (जून 2015) कि संबंधित आपूर्तिकर्ता, सीआईएफ निर्धारण प्रलेखों को तैयार करते समय स्वच्छ ऊर्जा उपकरण पर शिक्षा उपकरण तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकरण के भुगतान के प्रलेखीय सबूत पेश कर चुके थे। आपूर्तिकर्ताओं पर वैधानिक प्रावधानों के दृष्टिकोण से इन उपकरणों का दावा नहीं करने के लिए दृढ़ता से दबाव डाला गया लेकिन उन्होंने उनके द्वारा पहले से चुकाए गए उपकरण के रूप में पुनर्भुगतान करने के लिए जोर दिया। सरकार ने आगे उत्तर दिया कि कम्पनी ने पीईसी तथा एमएसटीसी के लम्बित दावों में से 2011-15 के दौरान अनुमत किए गए शिक्षा उपकरण तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकरण के पेटे ₹ 98 लाख की राशि रोक रखी थी तथा लागू वैधानिक प्रावधानों के अधीन विवाद के हल होने तक भुगतान नहीं किया जायेगा तथा आगे से प्रावधानों की अनुपालना में उपकरण के पेटे और भुगतान नहीं किया जायेगा।

सीआईएफ प्रलेखों को तैयार करते समय कम्पनी द्वारा मामले को उठाए जाने के बारे में तथा भुगतान के समय स्वच्छ ऊर्जा उपकरण पर उपकरण का दावा नहीं करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ पत्राचार न तो अभिलेखों में पाया गया तथा न ही उपलब्ध कराया गया। साथ ही, आपूर्तिकर्ताओं ने उपलब्ध वित्तीय धारण राशि से उपकरण की राशि की वसूली/ पुनर्भुगतान के लिए कोई सहमति नहीं दी थी (जून 2015)। सरकार ने तथ्यों की पुष्टि की (सितम्बर 2015) कि आपूर्तिकर्ताओं के साथ लिखित में पत्राचार नहीं किया गया था।

सांविधिक निगम

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम

3.9 निजी उद्यमी गारन्टी योजना 2008 का क्रियान्वयन

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीओएफ एण्ड पीडी), भारत सरकार (जीओआई) ने निजी उद्यमियों, केन्द्रीय भण्डार व्यवस्था निगम (सीडब्ल्यूसी) तथा राज्य भण्डार व्यवस्था निगमों (एसडब्ल्यूसीज) के माध्यम से गोदामों के निर्माण द्वारा भण्डारण क्षमता को बढ़ाने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के लिए 'निजी उद्यमी गारन्टी योजना, 2008' (पीईजी योजना) बनाई (2008)। एफसीआई को मुख्य तौर पर प्रापण/उपभोग तथा एफसीआई/सीडब्ल्यूसी/एसडब्ल्यूसीज के गोदामों की पहले से ही अस्तित्व में भण्डारण क्षमताओं की उपलब्धता तथा एफसीआई द्वारा किराये पर लिए गए निजी गोदामों के आधार पर क्षेत्रानुसार भण्डारण आवश्यकताओं का विश्लेषण करना था। साथ ही, राज्य स्तरीय समिति³³ (एसएलसी) को क्षेत्रानुसार भण्डारण आवश्यकताओं का परीक्षण करना तथा एफसीआई की उच्च स्तरीय समिति³⁴ (एचएलसी) को इसकी अनुशंसाएं भेजना आवश्यक था जो परीक्षण करती तथा राज्य स्तरीय समिति के प्रस्तावों का अनुमोदन को स्वीकार कर सकती थी। पीईजी योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न थी:

- एफसीआई केवल सीडब्ल्यूसी/एसडब्ल्यूसी के माध्यम से गोदामों को अधिगृहीत करेगी। एफसीआई, सीडब्ल्यूसी तथा एसडब्ल्यूसी में से साझेदार एजेन्सी का निर्णय करेगी तथा उच्च स्तरीय समिति द्वारा गोदामों के निर्माण के लिए स्थलों के अन्तिमीकरण के बाद, सीडब्ल्यूसी/एसडब्ल्यूसी, एफसीआई द्वारा गारन्टीड किराये पर लेने के लिए एफसीआई के विशिष्ट विवरणों के अनुसार निजी निवेश के माध्यम से गोदामों का निर्माण कराएगी;
- गोदामों के निर्माण के लिए निविदाओं को निविदा के आमंत्रण की तिथि से 62 दिनों में अन्तिम रूप दिया जाएगा तथा गोदामों का निर्माण उद्यमी द्वारा कार्यादेश स्वीकार करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि में पूरा किया जाएगा। गोदाम की पूर्णता अवधि को आगे बढ़ाया जा सकेगा लेकिन एक वर्ष से अधिक नहीं। यदि गोदाम के निर्माण में देरी दो वर्षों से अधिक हो तो आवंटित भण्डारण क्षमता निरस्त की जानी थी;

33 कार्यकारी निदेशक (जोन) एफसीआई (अध्यक्ष), महाप्रबन्धक (क्षेत्र) एफसीआई तथा निदेशक/ राज्य का खाद्य आयुक्त अथवा उसके द्वारा नामित एक अधिकारी, प्रबन्ध निदेशक राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (एसडब्ल्यूसी), केन्द्रीय भण्डार व्यवस्था निगम का क्षेत्रीय प्रबंधक तथा रेलवे के महाप्रबन्धक का नामांकित जिसके क्षेत्राधिकार के अधीन सम्बन्धित जगह स्थित है।

34 एफसीआई के निदेशक मण्डल के द्वारा भण्डारण, परिवहन, प्रापण, वितरण तथा वित्त के मामले देखने वाले कार्यकारी निदेशकों को सम्मिलित करते हुए गठित समिति।

- निजी उद्यमियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की एजेन्सियों के लिए गारन्टीड भण्डारण अवधि क्रमशः 10 तथा नौ वर्ष थी। गारन्टीड भण्डारण अवधि में से गोदाम के निर्माण में देरी की अवधि को घटा दिया जाएगा। साथ ही, एफसीआई गारन्टीड भण्डारण अवधि के दौरान 'गारन्टीड भण्डारण प्रभार' तथा 'पर्यवेक्षण प्रभार' के रूप में भुगतान आश्वासन की गारन्टी देगी;
- एफसीआई की अधिकृत समिति सीडब्ल्यूसी/एसडब्ल्यूसी से गोदाम के पूरा होने की सूचना की प्राप्ति पर निरीक्षण/ जांच करेगी। यदि गोदाम का निर्माण पूर्णतया विशिष्ट विवरणों के अनुसार नहीं हुआ तो एफसीआई, गोदाम को स्वीकार अथवा अस्वीकार अथवा किराये की निम्न दर पर अथवा लघु अवधि के आधार पर स्वीकार करने के अधिकार को सुरक्षित रखेगा।

डीओएफ एण्ड पीडी, जीओआई ने पंजाब से भण्डारण क्षमता 2.60 लाख मैट्रिक टन (एमटी) को हटाकर इसे पीईजी योजना के अधीन राजस्थान को आवंटित किया (जुलाई 2010)। एसएलसी ने पीईजी योजना के अन्तर्गत राजस्थान में 2.60 लाख एमटी भण्डारण क्षमता के गोदामों के निर्माण के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में 'राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम' (निगम) को नियुक्त किया (अगस्त 2010)।

निगम ने राज्य के विभिन्न स्थानों पर अपनी स्वयं की भूमि पर 0.40 लाख एमटी क्षमता के गोदामों के निर्माण के लिए एफसीआई को प्रस्ताव दिया (9 सितम्बर 2010) जो कि उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित (16 नवम्बर 2010) किया गया था। 2.20 लाख एमटी की शेष भण्डारण क्षमता निजी निवेशकों द्वारा संवर्धित की जानी थी।

तत्पश्चात, एफसीआई ने निगम द्वारा अपनी स्वयं की भूमि पर निर्माण के लिए 0.10 लाख एमटी की भण्डारण क्षमता को घटा दिया (29 जून 2011) तथा इसे निजी निवेशकों को स्थानान्तरित कर दिया। एफसीआई ने अधिग्रहीत भूमि पर कानूनी कठिनाइयों के कारण हिण्डोन सिटी में 0.15 लाख एमटी भण्डारण क्षमता में वृद्धि के लिए निजी उद्यमियों के कार्यादेश भी निरस्त कर दिए थे (10 जनवरी 2013) तथा इसे निगम को आवंटित कर दिया था। साथ ही, एक निजी निवेशक ग्रीन बेल्ट के अन्तर्गत पड़ने वाली भूमि के रूपान्तरण पर उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक के कारण जालोर में 0.15 लाख एमटी क्षमता के गोदामों का निर्माण नहीं कर सका। एफसीआई ने वैकल्पिक भूमि का अनुमोदन नहीं किया तथा इस गोदाम के निर्माण को निरस्त कर दिया (9 अप्रैल 2015)।

इस प्रकार, पीईजी योजना के अन्तर्गत राज्य में संवर्धित की जाने वाली कुल भण्डारण क्षमता 2.35 लाख एमटी थी, उसमें से अपनी स्वयं की भूमि पर 0.45 लाख एमटी भण्डारण क्षमता के गोदामों का निर्माण निगम द्वारा किया जाना था तथा शेष 1.90 लाख एमटी भण्डारण क्षमताओं के गोदामों का निर्माण निजी उद्यमियों द्वारा किया जाना था।

वर्तमान अध्ययन राज्य में पीईजी योजना के अन्तर्गत भण्डारण क्षमता के संवर्धन में निगम के निष्पादन का निर्धारण करने के उद्देश्य से किया गया (जनवरी से फरवरी 2015)।

3.9.1 अपनी स्वयं की भूमि पर निगम द्वारा गोदामों का निर्माण

निगम ने छः स्थानों पर अपनी स्वयं की भूमि पर 0.40 लाख एमटी के गोदामों के निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की (दिसम्बर 2010)। निविदा प्रक्रिया, तथापि, मॉडल टेस्ट फार्म (एमटीएफ) में पीईजी योजना के अन्तर्गत गोदामों के निर्माण के लिए निविदाओं के आमंत्रण एफसीआई द्वारा नियत उन तकनीकी विशिष्ट विवरणों से भिन्न होने के कारण सभी छः स्थानों के लिए निरस्त कर दी गई (अप्रैल 2011)। निगम ने निविदाएं पुनः आमंत्रित की (मई 2011 तथा सितम्बर 2011) तथा एमटीएफ के अनुसार सभी छः स्थानों पर 0.30 लाख एमटी के गोदामों के निर्माण के लिए कार्यादेश दिए (जून 2011 तथा नवम्बर 2011)। शेष 0.15 लाख एमटी क्षमता के लिए मई 2013 में निविदाएं आमंत्रित की तथा जून 2013 में कार्यादेश दिए। अपनी स्वयं की भूमि पर 31 जुलाई 2015 को निगम द्वारा गोदामों के निर्माण की प्रगति अनुबंध-6 में दी गई है। प्रगति की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

केन्द्र का नाम	क्षमता (एमटी)	कार्यादेश दिए जाने की तिथि	कार्यादेश के अनुसार देरी (दिनों में)	पीईजी योजना के अनुसार देरी (दिनों में)	एफसीआई द्वारा लिए जाने की तिथि	गारन्टीड भण्डारण प्रभार की हानि (₹ लाख में)
बांसवाड़ा	5000	9 जून 2011	468	296	6 जून 2013	32.89
बाड़मेर	5000	9 जून 2011	88	-	7 मई 2012	-
जालोर	5000	9 जून 2011	73	-	5 मई 2012	-
भवानीमण्डी	5000	9 जून 2011	460	287	7 जून 2013	31.89
हिण्डोन सिटी	5000	9 जून 2011	565	392	6 जून 2013	43.56
करौली	5000	21 नवम्बर 2011	852	679	-	75.45
हिण्डोन सिटी	15000	19 जून 2013	399	408	पूर्ण नहीं किया	45.34
कुल	45000					229.13

जुलाई 2015 तक निगम ने 45000 एमटी की स्वीकृत क्षमता के समक्ष 30000 एमटी क्षमता (66.67 प्रतिशत) के गोदामों का निर्माण किया। साथ ही, एफसीआई ने 25000 एमटी क्षमता वाले गोदामों को ले लिया। अपनी स्वयं की भूमि पर निगम द्वारा गोदामों के निर्माण के हमारे विश्लेषण ने निम्नलिखित कमियों को उजागर किया:

- मॉडल टेस्ट फार्म (एमटीएफ) में पीईजी योजना के अन्तर्गत गोदामों के निर्माण के लिए एफसीआई द्वारा नियत तकनीकी विशिष्ट विवरणों से भिन्न विशिष्टताओं को अपनाने के कारण निविदा प्रक्रिया में देरी हुई।
- निगम ने पीईजी योजना में नियत एक वर्ष की अवधि के स्थान पर गोदामों को पूरा करने के लिए छः माह की अवधि अनुमत की। तथापि, गोदाम कार्यादेशों में नियत पूर्णता अवधि में पूर्ण नहीं किए गए। पूर्णता अवधि पीईजी योजना से कम रखने के बावजूद, 73 से 852 दिनों के मध्य की देरी हुई।

- पीईजी योजना में नियत एक वर्ष की अवधि में निगम ने केवल दो गोदामों (बाड़मेर तथा जालोर) का निर्माण किया। जुलाई 2015 तक, शेष पांच गोदामों को पूरा करने में देरी 287 से 679 दिनों के मध्य रही।
- करौली में गोदाम का निर्माण कार्यादेश तथा पीईजी योजना के अनुसार क्रमशः 852 तथा 679 दिनों की देरी से पूरा हुआ (30 सितम्बर 2014)। तथापि, गोदाम एमटीएफ में दिए गए विशिष्ट विवरणों को अनदेखा करने के कारण एफसीआई ने नहीं लिया (31 जुलाई 2015)। गोदाम के निर्माण में कमियां मुख्यतः नींव की ऊँचाई, वे ब्रिज की स्थिति, कम्पाउण्ड वॉल की ऊँचाई, वायर फेन्सिंग, मेन गेट इत्यादि से सम्बन्धित थी। राज्य स्तरीय समिति ने निगम को 31 अगस्त 2015 तक कमियों को दूर करने का निर्देश दिया।

निगम ने भारी वर्षा, श्रमिकों की अनुपलब्धता, बजरी/रेत की खुदाई पर कोर्ट-स्टे इत्यादि आधारों पर बांसवाड़ा, करौली तथा हिण्डोन सिटी में गोदामों को पूरा करने की समयावधि को एक वर्ष से अधिक बढ़ाया। पूरा करने की अवधि को बढ़ाना न्यायसंगत नहीं था क्योंकि कच्चे माल तथा श्रमिकों की व्यवस्था करना ठेकेदार की जिम्मेदारी थी तथा निगम को निर्दिष्ट समयावधि में पीईजी योजना के अनुसार गोदामों का निर्माण करना था।

निगम ने निविदा की शर्तों के अनुसार गोदामों के निर्माण में देरी के लिए 10 प्रतिशत (₹ 23.29 लाख) की अधिकतम शास्ति लगाई। तथापि, गोदामों को पूरा करने में देरी के कारण गारन्टीड भण्डारण अवधि में कमी हुई तथा निगम को जुलाई 2015 तक ₹ 2.29 करोड़ के गारन्टीड भण्डारण प्रभार की हानि हुई।

सरकार ने बताया (अगस्त 2015) कि निविदाओं के नियम व शर्तें तथा ठेकेदारों के साथ किए गए अनुबन्ध में भण्डारण प्रभारों की हानि की वसूली के लिए प्रावधान नहीं था। निगम ने निविदा की शर्तों के अनुसार गोदामों के निर्माण में देरी के लिए ठेकेदारों के विरुद्ध अधिकतम 10 प्रतिशत की शास्ति लगाने की कार्यवाही की। हिण्डोन सिटी में 15000 एमटी क्षमता के गोदामों को पूरा नहीं करने के सम्बन्ध में यह उत्तर दिया कि कार्य, असामाजिक तत्वों द्वारा समस्या उत्पन्न करने, अतिवृष्टि, चुनावों इत्यादि के कारण बाधित हुआ। तथापि, निगम ने ठेकेदारों को समय-समय पर नोटिस जारी किए तथा कहा गया कि पूरा करने में देरी के लिए शास्ति अन्तिम बिल के भुगतान के समय काट ली जाएगी। तथ्य यही रहा कि निगम, निर्दिष्ट समयावधि में स्वीकृत भण्डारण क्षमता संवर्धित नहीं कर सका जिसके कारण गारन्टीड भण्डारण प्रभार की हानि हुई। सात में से केवल दो गोदामों का निर्दिष्ट समयावधि में निर्माण किया जाना ढिलाईपूर्ण रवैये को दर्शा रहा था। साथ ही, करौली के गोदाम के मामले में एफसीआई द्वारा इंगित की गई कमियां गोदाम के पूरा होने के 12 महीने बीत जाने तथा एफसीआई द्वारा अनुमत समयावधि की समाप्ति के बावजूद दूर नहीं की गई (सितम्बर 2015)।

3.9.2 निजी उद्यमियों द्वारा गोदामों का निर्माण

निगम ने निर्माण, स्वामित्व एवं संचालन के आधार पर राज्य के 12 स्थानों पर 2.20 लाख एमटी भण्डारण क्षमता के गोदामों के निर्माण के लिए निजी उद्यमियों से अभिव्यक्ति की रूचि आमंत्रित की (10 सितम्बर 2010)। 11 स्थानों के लिए 24 दिसम्बर 2010 से 3 फरवरी 2011 के मध्य न्यूनतम निविदादाताओं को कार्यादेश जारी किए गए। आमंत्रित निविदाओं में से

एक स्थान (राजसमन्द) पर गोदाम के निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया प्रतियोगी दरों की अप्राप्ति के कारण एचएलसी द्वारा निरस्त कर दी गई (23 दिसम्बर 2010)। 0.40 लाख एमटी की मूल क्षमता को 0.20 लाख एमटी प्रत्येक के दो गोदामों में विभाजित करने के बाद राजसमन्द के लिए नई निविदाएं आमंत्रित की गई (30 मार्च 2011)। कार्यादेश 10 जून 2011 को न्यूनतम निविदादाताओं को दिए गए। अन्य स्थान के सम्बन्ध में, हिण्डोन सिटी में 0.15 लाख एमटी क्षमता के गोदाम के निर्माण के दौरान उद्यमियों ने कानूनी जटिलताओं का सामना किया तथा परिणामतः एफसीआई ने कार्यादेश निरस्त कर दिया (10 जनवरी 2013) तथा यह क्षमता निगम को अपनी स्वयं की भूमि पर गोदाम के निर्माण के लिए दे दी गई। बाद में, एफसीआई ने वैकल्पिक भूमि अनुमोदित नहीं की तथा जालोर में 0.15 लाख एमटी क्षमता के गोदाम के निर्माण को निरस्त कर दिया (9 अप्रैल 2015)।

हमने देखा कि निगम द्वारा निविदा को खोलने की तिथि बढ़ाने तथा उसके बाद पीईजी योजना के अन्तर्गत गठित एसएलसी एवं एचएलसी द्वारा निविदाओं के अन्तिमीकरण में देरी के कारण पीईजी दिशानिर्देशों में नियत 62 दिनों की समय सीमा के समक्ष 72 से 146 दिनों की देरी के पश्चात निविदाओं को अन्तिम रूप दिया गया।

31 जुलाई 2015 तक 10 स्थानों पर निजी उद्यमियों द्वारा 1.90 लाख एमटी क्षमता के गोदामों के निर्माण की प्रगति **अनुबंध-7** में दी गई है। संक्षिप्त प्रगति नीचे दर्शाई गई है:

स्थान	क्षमता (एमटी में)	कार्यादेश की तिथि	योजनानुसार पूर्णता की अनुसूचित तिथि	एफसीआई द्वारा लिए जाने की तिथि/ (क्षमता)	पूर्णता में देरी (दिनों में)	पर्यवेक्षण प्रभारों की हानि (₹ लाख में)
बांसवाड़ा	10000	31 दिसम्बर 2010	30 दिसम्बर 2011	18 अगस्त 2014 (5000 एमटी) तथा 12 फरवरी 2015 (5000 एमटी)	962 तथा 1140	23.07
हमीरगढ़	25000	24 दिसम्बर 2010	23 दिसम्बर 2011	20 जून 2012 (25000)	180	9.25
बाड़मेर	15000	31 दिसम्बर 2010	30 दिसम्बर 2011	18 जून 2013 (15000)	536	17.65
सादुलपुर/ राजगढ़	18000	3 फरवरी 2011	2 फरवरी 2012	22 जून 2013 (18000)	506	19.35
डूंगरपुर	40000	31 दिसम्बर 2010	30 दिसम्बर 2011	27 जून 2013 (40000)	545	47.85
भवानी मण्डी	7500	31 दिसम्बर 2010	30 दिसम्बर 2011	4 जुलाई 2014 (7500)	917	14.61
मारवाड़ जंक्शन	5000	31 दिसम्बर 2010	30 दिसम्बर 2011	1 जून 2013 (5000)	519	5.98
प्रतापगढ़	17500	31 दिसम्बर 2010	30 दिसम्बर 2011	30 जुलाई 2014 (5000 एमटी) तथा 16 फरवरी 2015 (7500 एमटी)	943, 1144 तथा 1309	42.16
राजसमन्द	40000	10 जून 2011	9 जून 2012	पूर्ण नहीं किया	1147	86.71
पिन्डवाड़ा	12000	31 दिसम्बर 2010	30 दिसम्बर 2011	पूर्ण नहीं किया	1309	34.48
कुल	190000			133000		301.11

यद्यपि, निगम ने इस शर्त के साथ निजी उद्यमियों के साथ प्रारम्भिक अनुबन्ध किए थे कि गोदामों के निर्माण का कार्य 12 महीनों में पूरा किया जाएगा, तथापि इसने गोदामों को पूरा करने में निजी उद्यमियों द्वारा किसी देरी के संबंध में अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने के लिए प्रारम्भिक अनुबन्धों में कोई जुमाने की शर्त अथवा वाक्य नहीं रखा। सभी निजी उद्यमी पीईजी योजना में नियत एक वर्ष की अवधि में गोदाम निर्माण करने में विफल रहे। 31 जुलाई 2015 तक गोदामों के निर्माण में देरी 180 से 1309 दिनों के मध्य रही। प्रतापगढ़ (5000 एमटी), राजसमन्द (40000 एमटी) तथा पिन्डवाड़ा (12000 एमटी) में गोदामों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था (31 जुलाई 2015)। इसके कारण जुलाई 2015 तक निगम को ₹ 3.01 करोड़ के पर्यवेक्षण प्रभारों की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, एफसीआई ने एमटीएफ में दिए गए विशिष्ट विवरणों के अनुसार निजी उद्यमियों द्वारा गोदामों का निर्माण नहीं करने के साथ-साथ निर्माण में देरी के कारण गारन्टीड भण्डारण आधार पर के स्थान पर 'वास्तविक उपयोगिता आधार' (एयूबी) पर सभी निर्माण किए हुए गोदामों को ले लिया। इसके कारण निगम को ₹ 46.04 लाख के पर्यवेक्षण प्रभारों की हानि हुई (जुलाई 2015)।

हमने पाया कि निजी उद्यमियों द्वारा गोदामों के निर्माण में भारी विलम्ब ने निगम द्वारा निगरानी तथा चूककर्ता निजी निवेशकों के विरुद्ध उचित कार्यवाही के अभाव को इंगित किया।

सरकार ने बताया कि निगम ने निर्दिष्ट समयावधि में निजी निवेशकों द्वारा गोदामों को पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए। निगम ने न तो इन गोदामों के निर्माण पर कोई निवेश किया तथा न ही निगम पर कोई भावी दायित्व लिया। निजी निवेशकों को सूचित कर दिया गया था कि अनुसूचित समयावधि में पूरा नहीं करने की दशा में एफसीआई द्वारा गोदामों को लेने से मना करने पर जिम्मेदारी उनकी ही रहेगी। विभिन्न निरीक्षणों के दौरान गोदामों के निर्माण में एफसीआई द्वारा इंगित की गई कमियां भी निजी निवेशकों को सूचित कर दी गई थी। उत्तर युक्ति युक्त नहीं था क्योंकि एफसीआई केवल सीडब्ल्यूसी/एसडब्ल्यूसी के माध्यम से ही गोदामों को लेती थी तथा निगम द्वारा पीईजी योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेन्सी होने के नाते निर्दिष्ट अवधि में एफसीआई के विशिष्ट विवरणों के अनुसार गोदामों का निर्माण कराना आवश्यक था। इसका परिणाम एफसीआई द्वारा गोदामों को एयूबी आधार पर लेने तथा निगम को पर्यवेक्षण प्रभारों की पारिणामिक हानि के रूप में हुआ।

निष्कर्ष

निगम, गोदामों के निर्माण में देरी के लिए दोषी ठेकेदारों/ निजी उद्यमियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही तथा निगरानी के अभाव के कारण पीईजी योजना के अन्तर्गत राज्य में वांछित भण्डारण क्षमता को बढ़ाने में विफल रहा। गोदामों का निर्माण भी एमटीएफ में एफसीआई द्वारा दिए गए विशिष्ट विवरणों के अनुसार नहीं था। जुलाई 2015 तक,

- निगम ने 45000 एमटी की स्वीकृत क्षमता के समक्ष अपनी स्वयं की भूमि पर 30000 एमटी क्षमता (66.67 प्रतिशत) के गोदामों का निर्माण पूरा किया जिसमें से एफसीआई ने 25000 एमटी क्षमता वाले गोदामों को ले लिया था;
- निजी निवेशकों ने 1.90 लाख एमटी की स्वीकृत क्षमता के समक्ष 1.33 लाख एमटी क्षमता (70 प्रतिशत) के गोदामों को पूरा किया जो एफसीआई द्वारा

गारन्टीड भण्डारण आधार के स्थान पर वास्तविक उपयोगिता आधार पर लिए गए। 57000 एमटी क्षमता के गोदामों का निर्माण निजी निवेशकों द्वारा पूर्णता हेतु लम्बित था;

- एफसीआई ने, एमटीएफ में नियत विशिष्ट विवरणों की पालना नहीं करने के साथ-साथ पूर्णता में विलम्ब के कारण गारन्टीड भण्डारण आधार पर 2.35 लाख एमटी की स्वीकृत क्षमता के समक्ष केवल 0.25 लाख एमटी (10.64 प्रतिशत) क्षमता के गोदाम लिए। गारन्टीड भण्डारण आधार पर एफसीआई द्वारा लिए गए सभी गोदाम निगम द्वारा अपनी स्वयं की भूमि पर बनाए गए थे।

जयपुर
दिनांक

(एस. आलोक)
महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुबंध

अनुबंध-1

(पृष्ठ संख्या 8 पर अनुच्छेद संख्या 1.11 में संदर्भित)

राज्य सरकार द्वारा पीएसयूज, जिनके लेखे बकाया हैं, में बकाया लेखों के वर्षों के दौरान किये गये निवेश को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	वर्ष जहाँ तक के लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका है	अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार प्रदत्त पूँजी	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान, जिसके लेखे बकाया हैं, में किया गया निवेश				योग
				वर्ष	पूँजी	ऋण	अर्थ-साहाय्य	
1	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2013-14	3338.99	2014-15	988.47	70.88	2682.80	3742.15
2	जयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड	2013-14	10.00	2014-15	-	50.65	26.00	76.65
3	राजस्थान आवास विकास एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	2013-14	1.00	2014-15	-	215.00	-	215.00
4	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2013-14	46.06	2014-15	-	-	0.80	0.80
योग			3396.05		988.47	336.53	2709.60	4034.60

अनुबंध-2

(पृष्ठ संख्या 9 पर अनुच्छेद संख्या 1.15 में संदर्भित)

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के नवीनतम वर्ष, जिनके लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका था, के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)				टर्नओवर	लेखों पर टिप्पणियों का प्रभाव ^१	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी ^२	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत
				ब्याज एवं हास से पहले शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	हास	शुद्ध लाभ/हानि							
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6	7	8	9	10	11	12
क. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ														
कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र														
1	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	16.14	6.11	2.78	7.25	228.62	-	7.59	99.46	107.05	13.36	12.48
क्षेत्रवार योग				16.14	6.11	2.78	7.25	228.62		7.59	99.46	107.05	13.36	
वित्त क्षेत्र														
2	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	1.11	0.55	0.82	-0.26	109.63	₹ 0.16 करोड़ से हानि में वृद्धि	6.96	-33.03	-6.72	0.29	-
3	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15	0.72	-	0.01	0.71	22.03	₹ 3.22 करोड़ से लाभ में वृद्धि	46.06	-52.81	-0.92	0.71	-
4	राजस्थान राज्य पावर फायनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	2014-15	2015-16	6.68	0.00	0.04	6.64	7.40	-	90.00	2.53	92.53	6.64	7.18
क्षेत्रवार योग				8.51	0.55	0.87	7.09	139.06		143.02	-83.31	84.89	7.64	
ढाँचागत क्षेत्र														
5	राजस्थान आवास विकास एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	2013-14	2014-15	7.02	0.26	0.19	6.57	121.17	₹ 1.18 करोड़ से लाभ में वृद्धि	1.00	14.23	825.08	6.83	0.83
6	राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	-	-	-	-	-	-	0.50	-0.04	0.46	-	-
7	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	249.38	-	2.11	247.27	675.04	-	210.19	976.44	1543.62	247.27	16.02
8	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	240.74	132.62	92.25	15.87	291.53	₹ 3.10 करोड़ से लाभ में वृद्धि	100.00	72.80	1838.53	148.49	8.08
9	राजस्थान शहरी ढाँचा वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	0.83	-	0.08	0.75	0.25	-	33.00	2.54	35.54	0.75	2.11
क्षेत्रवार योग				497.97	132.88	94.63	270.46	1087.99		344.69	1065.97	4243.23	403.34	

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)				टर्नओवर	लेखों पर टिप्पणियों का प्रभाव ^४	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी ^५	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत
				ब्याज एवं ह्रास से पहले शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6	7	8	9	10	11	12
विनिर्माण क्षेत्र														
10	बाइमेर लिग्नाइट स्ननन कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (13) की सहायक संयुक्त कम्पनी)	2014-15	2015-16	83.29	46.05	24.90	12.34	870.10	-	20.00	1.04	1514.68	58.39	3.85
11	राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	20.34	-	0.49	19.85	4558.65	-	2.00	20.28	22.30	19.85	89.01
12	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	2014-15	2015-16	16.11	-	2.41	13.70	794.75	-	122.42	25.91	150.24	13.70	9.12
13	राजस्थान राज्य स्नान एवं स्निज लिमिटेड (दिसम्बर 1974 से सरकारी कम्पनी)	2014-15	2015-16	262.50	7.89	49.17	205.44	899.04	₹ 22.18 करोड़ से लाभ में कमी	77.55	1773.05	1861.44	213.33	11.46
14	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (क्रम संख्या क (13) की सहायक कम्पनी)	2013-14	2014-15	-0.02	-	-	-0.02	-	-	1.10	-0.84	0.26	-0.02	-7.69
15	राजस्थान राज्य रिफाइनरी लिमिटेड	2012-13	2013-14	-	-	-	-	-	-	5.10	-	5.11	-	-
16	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड	2014-15	2015-16	-1.52	-	0.01	-1.53	-	-	20.05	-1.53	18.52	-1.53	-8.26
क्षेत्रवार योग				380.70	53.94	76.98	249.78	7122.54		248.22	1817.91	3572.55	303.72	
ऊर्जा क्षेत्र														
17	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15	-1782.88	2793.57	266.54	-4842.99	6261.08	₹ 153.87 करोड़ से हानि में वृद्धि	3338.99	-23250.87	4082.28	-2049.42	-50.20
18	बांसवाड़ा तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (28) की सहायक कम्पनी)	2014-15	2015-16	-0.24	-	0.02	-0.26	-	-	0.05	-8.56	-8.51	-0.26	-
19	बाइमेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (28) की सहायक कम्पनी)	2014-15	2015-16	-0.01	1.81	-	-1.82	-	-	0.05	-9.96	-9.91	-0.01	-
20	छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या क (29) की सहायक कम्पनी)	2014-15	2015-16	-	-	-	-	-	-	0.05	-0.03	0.02	-	-
21	धौलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या क (29) की सहायक कम्पनी)	2014-15	2015-16	-	-	-	-	-	-	0.05	-0.03	0.02	-	-
22	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या क (29) की सहायक कम्पनी)	2014-15	2015-16	16.62	21.80	37.72	-42.90	27.62	-	185.05	-328.11	-22.81	-21.10	-

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)				टर्नओवर	लेखों पर टिप्पणियों का प्रभाव ^४	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी ^५	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत
				ब्याज एवं ह्रास से पहले शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6	7	8	9	10	11	12
23	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	-1501.52	2616.19	616.86	-4734.57	10070.09	₹ 41.48 करोड़ से हानि में वृद्धि	4627.52	-27831.09	3028.49	-2118.38	-69.95
24	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	-1195.76	2521.38	428.98	-4146.12	8822.56	₹ 55.37 करोड़ से हानि में कमी	4262.24	-26736.45	1421.81	-1624.74	-114.27
25	केशोरायपाटन गैस तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (28) की सहायक कम्पनी)	2014-15	2015-16	-0.01	-	-	-0.01	-	-	0.05	-2.01	-1.96	-0.01	-
26	लेक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (28) की सहायक कम्पनी)	2014-15	2015-16	-0.02	0.02	-	-0.04	-	-	0.05	-0.29	-0.24	-0.02	-
27	पिक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (28) की सहायक कम्पनी)	2014-15	2015-16	-0.01	0.02	-	-0.03	-	-	0.05	-0.24	-0.19	-0.01	-
28	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	1539.78	700.44	654.85	184.49	2198.13	-	3289.00	-1401.33	10095.91	884.93	8.77
29	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	-375.42	1356.73	904.77	-2636.92	9080.65	₹ 73.20 करोड़ से हानि में वृद्धि	7587.09	-4014.17	23708.94	-1280.19	-5.40
30	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	47.67	0.51	12.06	35.10	62.64	-	12.94	124.64	138.33	35.61	25.74
31	राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (30) की सहायक कम्पनी)	2014-15	2015-16	1.13	0.00	0.00	1.13	0.61	-	0.05	1.07	34.31	1.13	3.29
क्षेत्रवार योग				-3250.67	10012.47	2921.80	-16184.94	36523.38		23303.23	-83457.43	42466.49	-6172.47	
सेवा क्षेत्र														
32	बीकानेर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड	2013-14	2014-15	0.02	-	-	0.02	-	-	0.30	0.08	0.38	0.02	5.26
33	जयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड	2013-14	2014-15	-41.59	-	7.47	-49.06	65.40	₹ 10.00 करोड़ से हानि में कमी	10.00	-121.97	88.98	-49.06	-55.14
34	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	2014-15	2015-16	-11.28	-	0.97	-12.25	-	-	442.16	-19.85	2003.76	-12.25	-0.61
35	कोटा शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड	समामेलन से ही प्रथम लेखें प्राप्त नहीं हुये		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	2013-14	2014-15	25.91	0.01	0.29	25.61	25.15	-	5.00	22.68	27.68	25.62	92.56
37	राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	-0.33	-	-	-0.33	-	-	4.49	-6.19	-1.70	-0.33	-

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कंपनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)				टर्नओवर	लेखों पर टिप्पणियों का प्रभाव ^४	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी ^५	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत
				ब्याज एवं ह्रास से पहले शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6	7	8	9	10	11	12
38	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	1.47	-	0.06	1.41	72.66	-	5.00	1.74	6.74	1.41	20.92
39	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	2014-15	2015-16	8.77	1.92	4.08	2.77	397.20	-	5.00	-3.85	42.20	4.69	11.11
40	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	2014-15	2015-16	1.45	-	0.24	1.21	34.05	₹ 7.99 करोड़ से लाभ में वृद्धि	0.05	-11.84	-11.79	1.21	-
41	राजस्थान राज्य स्नाय एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15	9.45	-	0.41	9.04	262.51	₹ 3.89 करोड़ से लाभ में कमी	50.00	22.07	72.07	9.04	12.54
42	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15	-0.56	0.04	0.12	-0.72	1.64	₹ 2.49 करोड़ से हानि में वृद्धि	2.16	-7.30	2.91	-0.68	23.37
43	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15	-20.62	0.42	3.26	-24.30	78.58	₹ 0.17 करोड़ से हानि में कमी	21.95	-107.91	-67.34	-23.88	-
44	राजस्थान वेटेनरी सर्विसेज निगम लिमिटेड	समामेलन से ही प्रथम लेखें प्राप्त नहीं हुये							-					
45	उदयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड	2010-11	2012-13	0.07	-	-	0.07	0.01	-	0.30	0.15	0.45	0.07	15.56
क्षेत्रवार योग				-27.24	2.39	16.90	-46.53	937.20		546.41	-232.19	2164.34	-44.14	
योग क (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियों)				-2374.59	10208.34	3113.96	-15696.89	46038.79		24593.16	-80789.59	52638.55	-5488.55	
ख. कार्यरत सांविधिक निगम														
वित्त क्षेत्र														
1	राजस्थान वित्त निगम	2014-15	2015-16	44.75	38.38	0.21	6.16	69.68	₹ 3.61 करोड़ से लाभ में कमी	160.73	-130.48	663.54	44.54	6.71
क्षेत्रवार योग				44.75	38.38	0.21	6.16	69.68		160.73	-130.48	663.54	44.54	
सेवा क्षेत्र														
2	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	2014-15	2015-16	-389.90	95.95	69.02	-554.87	1702.93	-	638.96	-2763.46	-928.90	-458.92	-
3	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	2014-15	2015-16	62.23	2.61	4.83	54.79	102.89	-	7.85	4.38	318.09	57.40	18.05
क्षेत्रवार योग				-327.67	98.56	73.85	-500.08	1805.82		646.81	-2759.08	-610.81	-401.52	
योग ख (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सांविधिक निगम)				-282.92	136.94	74.06	-493.92	1875.50		807.54	-2889.56	52.73	-356.98	
कुल योग (क+ख)				-2657.51	10345.28	3188.02	-16190.81	47914.29		25400.70	-83679.15	52691.28	-5845.53	

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कंपनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)				टर्नओवर	लेखों पर टिप्पणियों का प्रभाव [¥]	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी ^{&}	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत
				ब्याज एवं ह्रास से पहले शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6	7	8	9	10	11	12
ग. अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ														
कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र														
1	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2012-13	2014-15	-0.15	1.28	-	-1.43	-	-	6.01	-51.77	-28.81	-0.15	-
2	राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15	-	-	-	-	-	-	2.88	-0.21	2.66	-	-
क्षेत्रवार योग				-0.15	1.28	0.00	-1.43	0.00		8.89	-51.98	-26.15	-0.15	
विविध क्षेत्र														
3	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	-0.01	-	-	-0.01	-	-	1.27	-1.76	-0.48	-0.01	-
क्षेत्रवार योग				-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00		1.27	-1.76	-0.48	-0.01	
योग ग (सभी क्षेत्रवार अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)				-0.16	1.28	0.00	-1.44	0.00		10.16	-53.74	-26.63	-0.16	
कुल योग (क+ख+ग)				-2657.67	10346.56	3188.02	-16192.25	47914.29		25410.86	-83732.89	52664.65	-5845.69	-11.10

¥ सांविधिक लेखापरीक्षक तथा सीएजी की टिप्पणियों के शुद्ध प्रभाव को शामिल करते हुये।

& नियोजित पूँजी से आशय अंशधारियों के कोष एवं दीर्घकालीन उधारियों के योग से है।

अनुबंध-3

(पृष्ठ संख्या 53 पर अनुच्छेद 2.2.15 में संदर्भित)

प्रयोगशाला में जांच के बिना विक्रय किये जाने वाले पुराने स्टॉक को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

मात्रा केसेज में

डिपो का नाम	मार्च को अंतिम स्टॉक			विक्रय स्थिति		
	40 यूपी ग्लास	40 यूपी पेट	50 यूपी	40 यूपी ग्लास	40 यूपी पेट	50 यूपी
अजमेर	0	0	624.88	0	0	624.88
आसीन्द	0	0.75	624	0	0.75	624
बालोतरा	0	0	118	0	0	118
बांदीकुई	0	40.6	0	0	40.6	0
बांरां	0	0	472.38	0	0	472.38
बाड़मेर	0	0	3	0	0	3
बयाना	0	3.4	0.13	0	3.4	0.13
ब्यावर	0	0	623.48	0	0	623.48
भरतपुर	0	0	0.33	0	0	0.33
भवानी मंडी	0	0	624	0	0	624
धौलपुर	0	0	624	0	0	624
डीडवाना	0	0	0.13	0	0	0.13
दूदू	0	0	144.77	0	0	144.77
जयपुर शहर	0	0	947.92	0	0	947.92
जालौर	0	0	623	0	0	623
झालावाड़	0	0	624	0	0	624
केकड़ी	0	0	624	0	0	624
स्वैरथल	0.65	0.54	624.29	0.65	0.54	624.29
किशनगढ	0	117	0	0	117	0
मालपूरा	0	0.31	0.65	0	0.31	0.65
माण्डलगढ़	0	0	623	0	0	623
मेड़ता रोड़	0	0	622.67	0	0	622.67
नवलगढ	133.02	12.42	49.75	133.02	12.42	49.75
पाली	0	0	624	0	0	624

पीपाड़	0	0	133	0	0	133
पोकरण	0	0	220.17	0	0	220.17
राजगढ़	0	0	319	0	0	319
राजसमन्द	0	0	159	0	0	159
सवाईमाधोपुर	0	0	777.75	0	0	777.75
शाहपुरा	0	0	623.58	0	0	623.58
सीकर	0	0	1870.54	0	0	1870.54
सोजत	0.25	0.27	624.23	0.25	0.27	624.23
श्रीगंगानगर	0	0	110	0	0	110
टोंक	0	0.77	158.31	0	0.77	158.31
कुल	133.92	176.06	14217.96	133.92	176.06	14217.96

अनुबंध-4

(पृष्ठ संख्या 77 पर अनुच्छेद 3.1.2 में संदर्भित)

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारन्टी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत विभिन्न दशाओं में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन जारी करने हेतु अनुमत की गई समयावधि को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र. सं.	सेवा का विवरण	सेवा प्रदान करने हेतु अनुमत समय
(I)	नये घरेलू एवं अघरेलू कनेक्शन (विद्युतिकृत क्षेत्र में)	
(क)	डिमाण्ड नोटिस जारी करना	आवेदन की प्राप्ति से 21 दिनों के मध्य
(ख)	कनेक्शन जारी करना (जहां विद्युत तंत्र का विस्तार आवश्यक नहीं हो)	औपचारिकताओं को पूर्ण करने एवं नोटिस द्वारा मांगी गई राशि जमा करवाने के पश्चात: शहरी क्षेत्र: 30 दिन ग्रामीण क्षेत्र: 45 दिन
(II)	विद्युतिकृत क्षेत्र में औद्योगिक कनेक्शन जारी करना	
	1. संभाव्यता प्रतिवेदन जारी करना	
(क)	भार: 300 से 3000 केडब्ल्यू	आवेदन की प्राप्ति से 45 दिनों के मध्य
(ख)	भार: 3000 केडब्ल्यू से 33 केवी	आवेदन की प्राप्ति से 45 दिनों के मध्य
(ग)	भार: 132 केवी से अधिक	आवेदन की प्राप्ति से 60 दिनों के मध्य
	2. डिमाण्ड नोटिस जारी करना	
(क)	भार: 60 एचपी तक	आवेदन की प्राप्ति से 21 दिनों के मध्य
(ख)	भार: 60 एचपी से 300 केडब्ल्यू	आवेदन की प्राप्ति से 30 दिनों के मध्य
(ग)	भार: 300 केडब्ल्यू से 3000 केडब्ल्यू	आवेदन की प्राप्ति से 60 दिनों के मध्य
(घ)	भार: 3000 केडब्ल्यू से 33 केवी	आवेदन की प्राप्ति से 60 दिनों के मध्य
(ङ)	भार: 132 केवी से अधिक	आवेदन की प्राप्ति से 120 दिनों के मध्य
	3. कनेक्शन जारी करना जहां विद्युत तंत्र का विस्तार आवश्यक नहीं हो	
(क)	भार: 60 एचपी तक	औपचारिकताओं को पूर्ण करने एवं नोटिस द्वारा मांगी गई राशि जमा करवाने के पश्चात 30 दिनों के मध्य
(ख)	भार: 60 एचपी से 300 केडब्ल्यू	औपचारिकताओं को पूर्ण करने एवं नोटिस द्वारा मांगी गई राशि जमा करवाने के पश्चात 60 दिनों के मध्य
(ग)	भार: 300 केडब्ल्यू से 3000 केडब्ल्यू	औपचारिकताओं को पूर्ण करने एवं नोटिस द्वारा मांगी गई राशि जमा करवाने के पश्चात 75 दिनों के मध्य
(घ)	भार: 3000 केडब्ल्यू से 33 केवी	औपचारिकताओं को पूर्ण करने एवं नोटिस द्वारा मांगी गई राशि जमा करवाने के पश्चात 90 दिनों के मध्य
(ङ)	भार: 132 केवी से अधिक	औपचारिकताओं को पूर्ण करने एवं नोटिस द्वारा मांगी गई राशि जमा करवाने के पश्चात 180 दिनों के मध्य
(III)	नये घरेलू एवं अघरेलू कनेक्शन	
	1. जहां विद्युत तंत्र का विस्तार आवश्यक हो	
(क)	एलटी लाइन	15 दिन अतिरिक्त
(ख)	11 केवी लाइन: प्रथम 5 किमी तक 11 केवी लाइन: अगले प्रत्येक 5 किमी के लिए	30 दिन अतिरिक्त 15 दिन अतिरिक्त
(ग)	33 केवी लाइन- प्रथम 5 किमी तक	60 दिन अतिरिक्त

	33 केवी लाइन- अगले प्रत्येक 5 किमी के लिए	30 दिन अतिरिक्त
(घ)	132 केवी लाइन- प्रथम 5 किमी तक 132 केवी लाइन- अगले प्रत्येक 5 किमी के लिए	180 दिन अतिरिक्त 45 दिन अतिरिक्त
	1. जहां नया उप केन्द्र संभावित हो	
(क)	11 केवी/0.4 केवी उप केन्द्र	30 दिन अतिरिक्त
(ख)	33/11 केवी उप केन्द्र	120 दिन अतिरिक्त
(ग)	33/11 केवी 4केवी उप केन्द्र पर बे का विस्तार	30 दिन अतिरिक्त
(घ)	132/33/11 केवी उप केन्द्र	12 माह अतिरिक्त
(ङ)	132/33/11 केवी उप केन्द्र पर बे का विस्तार	45 दिन अतिरिक्त
	2. जहां ट्रांसफॉर्मर/ उप केन्द्र की क्षमता में वृद्धि आवश्यक हो	
(क)	11केवी/0.4 केवी उप केन्द्र	15 दिन अतिरिक्त
(ख)	33/11 केवी उप केन्द्र	60 दिन अतिरिक्त
(ग)	132/33/11 केवी उप केन्द्र	6 माह अतिरिक्त
(IV)	औद्योगिक कनेक्शन जारी करना	
	1. जहां विद्युत तंत्र का विस्तार आवश्यक हो	
(क)	एलटी लाइन	15 दिन अतिरिक्त
(ख)	11 केवी लाइन: प्रथम 5 किमी तक 11 केवी लाइन: अगले प्रत्येक 5 किमी के लिए	30 दिन अतिरिक्त 15 दिन अतिरिक्त
(ग)	33/11 केवी लाइन- प्रथम 1.5 किमी तक 33/11 केवी लाइन-: अगले प्रत्येक 5 किमी के लिए	60 दिन अतिरिक्त 30 दिन अतिरिक्त
(घ)	132/33/11 केवी लाइन- प्रथम 1.5 किमी तक 132 केवी लाइन- अगले प्रत्येक 5 किमी के लिए	180 दिन अतिरिक्त 45 दिन अतिरिक्त
	1. जहां नया उप केन्द्र अथवा ट्रांसफॉर्मर की क्षमता में वृद्धि आवश्यक हो	
(क)	11केवी/0.4 केवी उप केन्द्र	30 दिन अतिरिक्त
(ख)	33/11 केवी 4 केवी उप केन्द्र	120 दिन अतिरिक्त
(ग)	33/11 केवी 4केवी उप केन्द्र पर बे का विस्तार	30 दिन अतिरिक्त
(घ)	132/33/11 केवी उप केन्द्र	12 माह अतिरिक्त
(ङ)	132/33/11 केवी उप केन्द्र पर बे का विस्तार	45 दिन अतिरिक्त
	2. जहां नया उप केन्द्र अथवा ट्रांसफॉर्मर की क्षमता में वृद्धि आवश्यक हो	
(क)	11/केवी 4 केवी उप केन्द्र	15 दिन अतिरिक्त
(ख)	33/11 केवी उप केन्द्र	60 दिन अतिरिक्त
(ग)	132/33/11 केवी 4 केवी उप केन्द्र	6 माह अतिरिक्त

अनुबंध-5
(पृष्ठ संख्या 95 पर अनुच्छेद 3.5.1 में संदर्भित)

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान कुल विक्रय, लाभ/हानि एवं कर्मचारी लागत को दर्शाने
वाला विवरण-पत्र

जयपुर

(₹ लाख में)

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल
निगम विक्रय	22.18	27.53	19.02	23.55	63.13	155.41
एमएसजी विक्रय	331.96	300.67	265.42	242.54	189.89	1330.48
जीओए विक्रय	230.23	126.06	90.74	76.38	66.98	590.39
जेएण्डके विक्रय	2.71	0	0	14.81	-	17.52
कुल	587.08	454.26	375.18	357.28	320.00	2093.80
लाभ/हानि	14.46	3.76	38.96	23.03	14.47	94.68
कर्मचारी लागत	75.28	87.41	76.87	69.87	59.54	368.97
विक्रय से लाभ की प्रतिशतता	2.46	0.83	10.38	6.45	4.52	
विक्रय से कर्मचारी लागत की प्रतिशतता	12.82	19.24	20.49	19.56	18.61	

दिल्ली

(₹ लाख में)

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल
निगम विक्रय	20.53	35.18	21.07	28.19	38.78	143.75
एमएसजी विक्रय	369.25	380.28	468.51	408.46	344.84	1971.34
जीओए विक्रय	71.54	56.06	25.17	15.01	14.31	182.09
कुल	461.32	471.52	514.75	451.66	397.93	2297.18
लाभ/हानि	48.22	39.47	70.84	83.68	135.82	378.03
कर्मचारी लागत	50.51	69.35	57.48	41.71	45.26	264.31
विक्रय से लाभ की प्रतिशतता	10.45	8.37	13.76	18.53	34.13	
विक्रय से कर्मचारी लागत की प्रतिशतता	10.95	14.71	11.17	9.23	11.37	

उदयपुर

(₹ लाख में)

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल
निगम विक्रय	1.19	0.89	1.08	5.41	7.54	16.11
एमएसजी विक्रय	54.96	50.04	27.42	23.03	17.64	173.09
जीओए विक्रय	0	0	0	3.56	2.38	5.94
कुल	56.15	50.93	28.50	32.00	27.56	195.14
लाभ/हानि	-2.27	-2.74	-0.43	-7.09	-9.63	-22.16
कर्मचारी लागत	11.80	14.32	13.18	14.56	11.56	65.42
विक्रय से लाभ की प्रतिशतता	-4.04	-5.38	-1.51	-22.16	-34.94	
विक्रय से कर्मचारी लागत की प्रतिशतता	21.02	28.12	46.25	45.50	41.94	

कोलकाता (गरीहाट)

(₹ लाख में)

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल
निगम विक्रय	5.93	9.58	11.74	15.96	26.58	69.79
एमएसजी विक्रय	11.13	7.03	21.1	40.17	47.07	126.50
जीओए विक्रय	1.98	1.82	6.60	6.92	3.33	20.65
कुल	19.04	18.43	39.44	63.05	76.98	216.94
लाभ/हानि	1.32	-4.88	-8.00	-2.43	7.56	-6.43
कर्मचारी लागत	5.86	9.29	16.41	14.04	11.72	57.32
विक्रय से लाभ की प्रतिशतता	6.93	-26.48	-20.29	-3.85	9.82	
विक्रय से कर्मचारी लागत की प्रतिशतता	30.78	50.41	41.61	22.27	15.22	

माऊण्ट आबू

(₹ लाख में)

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल
निगम विक्रय	0.35	0.11	0.31	0.36	0.20	1.33
एमएसजी विक्रय	19.11	17.62	8.15	19.95	25.78	90.61
जीओए विक्रय	0	0	0	0		0
कुल	19.46	17.73	8.46	20.31	25.98	91.94
लाभ/हानि	-2.27	-4.84	-0.78	0.35	-4.62	-12.16
कर्मचारी लागत	6.56	11.42	7.53	4.04	4.02	33.57
विक्रय से लाभ की प्रतिशतता	-11.66	-27.30	-9.22	1.72	-17.78	
विक्रय से कर्मचारी लागत की प्रतिशतता	33.71	64.41	89.01	19.89	15.47	

आगरा

(₹ लाख में)

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल
निगम विक्रय	0.73	1.00	0.84	1.04	1.41	5.02
एमएसजी विक्रय	14.97	14.84	13.60	9.69	13.64	66.74
जीओए विक्रय	0	0	0	0		0
कुल	15.70	15.84	14.44	10.73	15.05	71.76
लाभ/हानि	-2.69	-1.63	-1.86	-4.25	-1.24	-11.67
कर्मचारी लागत	8.12	7.01	7.35	7.30	8.27	38.05
विक्रय से लाभ की प्रतिशतता	-17.13	-10.29	-12.88	-39.61	-8.24	
विक्रय से कर्मचारी लागत की प्रतिशतता	51.72	44.26	50.90	68.03	54.95	

मुम्बई

(₹ लाख में)

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल
निगम विक्रय	0.18	0.38	0.46	0.06	-	1.08
एमएसजी विक्रय		0	0	0	-	0
जीओए विक्रय		0	0	0	-	0
कुल	0.18	0.38	0.46	0.06	-	1.08
लाभ/हानि	-4.59	-7.22	-6.68	-1.97	-	-20.46
कर्मचारी लागत	5.14	6.96	6.80	1.55	-	20.45
विक्रय से लाभ की प्रतिशतता	-2550.00	-1900.00	-1452.17	-3581.82	-	
विक्रय से कर्मचारी लागत की प्रतिशतता	2855.56	1831.58	1478.26	2818.18	-	

कोलकाता चोरंगी लेन

(₹ लाख में)

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल
निगम विक्रय	3.10	1.34	-	-	-	4.44
एमएसजी विक्रय	19.60	9.81	-	-	-	29.41
जीओए विक्रय	0.55	0	-	-	-	0.55
कुल	23.25	11.15	-	-	-	34.40
लाभ/हानि	-5.92	-4.20	-	-	-	-10.12
कर्मचारी लागत	10.17	8.30	-	-	-	18.47
विक्रय से लाभ की प्रतिशतता	-25.46	-37.67	-	-	-	
विक्रय से कर्मचारी लागत की प्रतिशतता	43.74	74.44	-	-	-	

समग्र निष्पादन

(₹ लाख में)

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल
निगम विक्रय	54.19	76.01	54.52	74.57	137.64	396.93
एमएसजी विक्रय	820.98	780.29	804.20	743.84	638.86	3788.17
जीओए विक्रय	304.30	183.94	122.51	101.87	87.00	799.62
जेएण्डके विक्रय	2.71	0	0	14.81	0	17.52
कुल	1182.18	1040.24	981.23	935.09	863.50	5002.24
लाभ/हानि	46.26	17.72	92.05	91.32	142.36	389.71
कर्मचारी लागत	173.44	214.06	185.62	153.07	140.37	
विक्रय से लाभ की प्रतिशतता	3.91	1.70	9.38	9.77	16.49	7.80
विक्रय से कर्मचारी लागत की प्रतिशतता	14.67	20.58	18.92	16.37	16.26	

अनुबंध-6

(पृष्ठ संख्या 119 पर अनुच्छेद संख्या 3.9.1 में संदर्भित)

निगम द्वारा अपनी स्वयं की भूमि पर 31 जुलाई 2015 को गोदामों के निर्माण की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

केन्द्र का नाम	स्वीकृत क्षमता (एमटी में)	कार्यादेश देने की तिथि	कार्यादेशानुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	पीईजी योजनानुसार कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	कार्यादेशानुसार कार्य पूर्ण करने में देरी (दिनों में)	पीईजी योजनानुसार कार्य पूर्ण करने में देरी (दिनों में)	एफसीआई अधिग्रहण तिथि	द्वारा की	गारन्टीड भण्डारण प्रभारों की हानि* (₹)
बांसवाड़ा	5000	09 जून 2011	18 दिसम्बर 2011	08 जून 2012	30 मार्च 2013	468	296	06 जून 2013		3289249
बाड़मेर	5000	09 जून 2011	18 दिसम्बर 2011	08 जून 2012	15 मार्च 2012	88	0	07 मई 2012		-
जालौर	5000	09 जून 2011	18 दिसम्बर 2011	08 जून 2012	29 फरवरी 2012	73	0	05 मई 2012		-
भवानीमण्डी	5000	09 जून 2011	18 दिसम्बर 2011	08 जून 2012	22 मार्च 2013	460	287	07 जून 2013		3189238
हिण्डौन सिटी	5000	09 जून 2011	18 दिसम्बर 2011	08 जून 2012	05 जुलाई 2013	565	392	06 जून 2013		4356033
करोली	5000	21 नवम्बर 2011	31 मई 2012	20 नवम्बर 2012	30 सितम्बर 2014	852	679	-		7545271
हिण्डौन सिटी	15000	19 जून 2013	27 जून 2014	18 जून 2014	कार्य पूर्ण नहीं	399	408	कार्य पूर्ण नहीं		4533830
कुल										22913621

नोट: एफसीआई के दर परिपत्रों के अनुसार गारन्टीड भण्डारण प्रभारों की हानि की गणना वर्ष 2011-12 के लिए ₹ 3.07 प्रति 50 किलोग्राम भार वाले बैग प्रति माह की दर से तथा वर्ष 2012-13 एवं बाद के वर्षों के लिए ₹ 3.38 प्रति 50 किलोग्राम भार वाले बैग प्रति माह की दर से की गई है।

अनुबंध-7

(पृष्ठ संख्या 120 पर अनुच्छेद संख्या 3.9.2 में संदर्भित)

31 जुलाई 2015 को निजी उद्यमियों द्वारा गोदामों के निर्माण की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

स्थान का नाम	क्षमता (एमटी में)	निविदा की तिथि	कार्यादेश की तिथि	निविदा के अन्तिमीकरण में लिया गया समय	62 दिनों से परे कार्यादेश दिये जाने में देरी	योजनानुसार कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	कार्य पूर्ण करने/ एफसीआई द्वारा क्षमता अधिग्रहण की वास्तविक तिथि	31 मार्च 2015 को कार्य पूर्ण करने में देरी (दिनों में)	पर्यवेक्षण प्रभारों की दर (₹ प्रति क्विंटल प्रति माह)	पर्यवेक्षण प्रभारों की हानि (₹)
बांसवाड़ा	10000	10 सितम्बर 2010	31 दिसम्बर 2010	112	50	30 दिसम्बर 2011	18 अगस्त 2014 (5000 एमटी) तथा 12 फरवरी 2015 (5000 एमटी)	प्रथम 5000 एमटी के लिए 962 दिन तथा अगले 5000 एमटी के लिए 1140 दिन	4.39	2306945
हमीरगढ़	25000	10 सितम्बर 2010	24 दिसम्बर 2010	105	43	23 दिसम्बर 2011	20 जून 2012 (25000)	180	4.11	924750
बाड़मेर	15000	10 सितम्बर 2010	31 दिसम्बर 2010	112	50	30 दिसम्बर 2011	18 जून 2013 (15000)	536	4.39	1764780
सादुलपुर/ राजगढ़	18000	10 सितम्बर 2010	3 फरवरी 2011	146	84	2 फरवरी 2012	22 जून 2013 (18000)	506	4.25	1935450
डूंगरपुर	40000	10 सितम्बर 2010	31 दिसम्बर 2010	112	50	30 दिसम्बर 2011	27 जून 2013 (40000)	545	4.39	4785100
भवानी मण्डी	7500	10 सितम्बर 2010	31 दिसम्बर 2010	112	50	30 दिसम्बर 2011	4 जुलाई 2014 (7500)	917	4.25	1461469
मारवाड़ जंक्शन	5000	10 सितम्बर 2010	31 दिसम्बर 2010	112	50	30 दिसम्बर 2011	1 जून 2013 (5000)	519	4.61	598148
प्रतापगढ़	17500	10 सितम्बर 2010	31 दिसम्बर 2010	112	50	30 दिसम्बर 2011	30 जुलाई 2014 (5000 एमटी) तथा 16 फरवरी 2015 (7500 एमटी)	प्रथम 5000 एमटी के लिए 943 दिन, अगले 7500 एमटी के लिए 1144 दिन तथा शेष 5000 एमटी के लिए 1309 दिन	4.25	4216000
राजसमन्द	40000	30 मार्च 2011	10 जून 2011	72	10	9 जून 2012	कार्य पूर्ण नहीं	1147	3.78	8671320
पिंडवाड़ा	12000	10 सितम्बर 2010	31 दिसम्बर 2010	112	50	30 दिसम्बर 2011	कार्य पूर्ण नहीं	1309	4.39	3447906
कुल	190000						133000			30111868

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<http://www.agraj.cag.gov.in>